सफ़रे हज

की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल

तालीफ़ : क़मरूद्दीन एस. खान

तन्वीर पब्लिकेशन्स, मुंबई

सफ़रे हज

की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल

क्यू. एस. खान
(B.E. Mech)

244 गली गढ़इया, जामा मस्जिद, बाज़ार मटिया महल, देहली 110006
Phone: 011-2324, 2326 1481, Fax : 2324 1481 (On Demand)
E-mail: alqalam_publications@hotmail.com

किताब का नामः ***सफ़रे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल***

ISBN NO. 978-93-80778-06-8

लेखक व प्रकाशकः
क्यू. एस. खान
(B.E. Mech)

प्रकाशक
तन्वीर पब्लिकेशन्स
हायड्रो इलेक्ट्रिक मशीनरी प्रिमाइसेस, ए-13, राम-रहीम उद्योग नगर, बस स्टॉप लेन,
एल.बी.एस. मार्ग, सोनापूर, भांडुप (पश्चिम), मुंबई 400078
फोनः 022-2564 5930/25964075, मोबाइलः 9892064026, 8108000222
फैक्सः 0091-22-25961682, ई-मेलः hydelect@vsnl.com, hydelect@mtnl.net.in

दूसरा एडिशन – 2012
कीमतः 30/– रूपये

लेखक की बहुत सारी पुस्तकें इंटरनेट पर पढ़ने तथा डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइटस् पर मुफ्त उपलब्ध है
www.freeeducation.co.in और www.tanveerpublication.com
इस पुस्तक को आप इंटरनेट पर निम्नलिखित लिंक से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं।
http://www.scribd.com/doc/15223840/Hajj-Guide-Book-Hindi

सफ़रे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल

फेहरिस्त

पेश लफ़्ज़

सफर ख़्वाह कोई भी हो तक्लीफ और मशक़्क़त का सबब है। इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने लिखा है के हज के सफर में आदमी जो कुछ ख़र्च करे इस को निहायत ख़ुशदिली से करे और जो नुक़सान जानी या माली पहुँचे इस को बर्दाश्त करे यह इस के हज के क़बुल होने की अलामत है। हज के रास्ते में तक़्लीफ उठाने के बराबर है इस लिए जो मशक़्क़त उठाएगा या नुक़सान बर्दाश्त करेगा अल्लाह के क़रीब इस का बड़ा अज्र है, वह ज़ाया नहीं होगा।

हदीस में आया है ....

हुज़ूर (स.) ने हज़रत आईशा (रज़ी) से फर्माया ''ऐ आईशा (रज़ी) तेरे हज का अज्र तेरी मशक़्क़त के मुताबिक़ होगा''

फरीज़ा-ए-हज अदा करने में जिसे जितनी तकलीफ होती है उसे उतना ही सवाब मिलता है। इसी लिए लोग हज की हर मुश्किल को ख़न्दा पेशानी के साथ ख़ुशी से बर्दाश्त करते हैं और उफ तक नहीं करते। और न ही किसी से अपनी तक्लीफ का ज़िक्र करते हैं। लोग हज की तकलीफें किसी से इस लिए भी बयान नहीं करते के कम हिम्मत के लोग हज करने से घबराने न लगें।

हज से पहले मैं ने हज की जो तर्बियती तालीम हासिल की उसमें तमाम उल्माए किराम ने सिर्फ इसी बात पर ज़ोर दिया कि फरीज़ा-ए-हज किस तरह अदा किया जाए, किसी ने यह न बताया के वहाँ के ४० दिन के क़याम में जो तक्लीफें पेश आऐंगी उन से कैसे निपटा जाए? मैं ने हज के उन ४० दिनों में महसूस किया कि बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ हमारे अनजान होने की वजह से होती हैं, इस से हमारा बहुत सारा क़ीमती वक़्त जो की इबादत में गुज़ारा जा सकता था, ज़ाया हो जाता है। इस लिए मैं ने ये किताब लिखने की जसारत की। इस किताब के ज़रिये से मैं हाजी साहेबान को आने वाली मुश्किलों से आगाह करने और उनके मुम्किन हल के बारे में ज़रूरी मालूमात, हिदायात और मश्वरा देना चाहता हूँ।

उम्मीद है कि हाजी साहेबान इन मश्वरों पर अमल करें, तो बहुत सी परेशनियों से बच कर अपना सारा वक़्त और अपनी सारी कुव्वत सिर्फ ख़ुदा की इबादत में गुज़ारेंगे।

अगर आप इस किताब से फ़ैज़याब हों, तो अपनी दुआओं में इस गुनाहगार क़म्रूद्दीन ख़ान को ज़रूर याद रखें। यह किताब महज़ दौराने हज पेश आने वाली मुश्किलात से महफ़ूज़ रहने के लिए ज़ाब्ताए तहरीर में लाई गई है। गो कि इस में चन्द दुआएँ और नक़शाजात भी शामिल किये गऐ हैं मगर मनासिके हज के मुकम्मल मालूमात के लिए मुख़्तलिफ इदारों की जानिब से जो मजालिस मुन्अक़द की जाती हैं उन में शरीक होकर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर लें, ताकि आप ख़ूब बेहतर तरीक़े पर हज जैसी मोहतिम-बिश्शान इबादत का हक़ अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त से दुआ हैं कि आप को हज मक़बूल व मबरूर की सआदत नसीब फरमाए।   आमीन!!.

वस्सलाम

फ़क़त तालिबे दुआ

क्यु. एस. ख़ान

मुकदमा

ज़ेरे नज़र किताब हमारे मोहतरम दोस्त अल्हाज क़मरूदीन साहब ने (बेहतरीन इंसान वो है जो दुसरों के काम आऐ) के मक़ौला पर अमल करते हुऐ अपने हज के तजुर्बात से हजाजे किराम को आगाह करने के तहरीर की है उम्मीद है कि हुजाजे किराम इस से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने औक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोहद व इबादत में सर्फ करेंगे। यह किताब आँमोहतरम के तजुर्बात की ही नहीं बल्कि इनके सोज़ व गदाज़ क़ौम व मिल्लत की दिली हमदर्दी की आईनादार है साथ साथ मौसूफ़ के ज़ोर क़लम का एतराफ़ भी करवाती है। किताब के बावजुद आँजनाब के तस्नीफ़ी मैदान में नौआमोज़ी के हर जगह कहीं न कहीं मश्क़ मुसन्निफ़ की झलक दिखाती है। अल्फ़ाज़ का हुस्न, जुम्लों की बेहतरीन तरतीब दिल को मोह लेती है। अल्लाह करे ज़ोरे क़लम और ज़्यादा।

रब्बुलआलमीन से दुआ ये है कि इस किताब को मुसन्निफ़ के लिए ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत बनाए और आम मुसलमानों को इस से ख़ूब मुतफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाऐ।

'' इं दुआ अज़ मने व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद ''

नाचीज़   **फसीहउद्दीन**

ख़ादिम दारूलउलूम हुसैनिया, सोनापूर, भांडुप.

हज के दौरान मिलने वाले शिनाख़्ती कार्ड (I-CARD) और उन की अहमियत

नोटः यह किताब २००५ ई. में लिखी गई है और हर साल इसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। मगर चूंकि हर साल हज कमेटी के उसूल भी बदलते रहते है इसलिए हो सकता है कि जो कुछ इस मज़मून में बयान किया गया है हालात इस से कुछ मुख्तलिफ हों।

हज का फार्म भरने से लेकर आख़ीर तक अलग अलग मर्हलों में आप को मुख़्तलिफ शिनाख़्ती कार्ड (I-Card) और हाथ में पहनने के कड़े वग़ैरह दिये जाते हैं, जिनकी बहुत अहमियत है। अक्सर हाजी साहेबान लापरवाही से इन्हें गुम करके बहुत परेशानी उठाते हैं, आप इन की अहमियत अच्छी तरह समझ लें, इन की हिफ़ाज़त करें और सही ढंग से इस्तेमाल करें।

हज कमेटी की तरफ़ से इत्लाअ़ती ख़त और कवर नंबर (Intimation Letter & Cover No.):

हज का फ़ार्म भरने के बाद कुरआ-अंदाजी होगी और अगर कुरआ-अंदाजी में आप का नाम आ गया तो फोन से आप को इत्ला दी जायेगी या आप के घर पर हज कमेटी से एक इत्लाअ़ती ख़त आऐगा। जिसमें बहुत सारी मालूमात के साथ आपका कवर नंबर (Cover No.) लिखा हुआ होगा, ये नंबर आप के लिए बहुत अहम है, हज से पहले और हज के दौरान यही आप की शिनाख़्त है। आप का कोई भी फ़ार्म और काग़ज़ी कारवाई इस नंबर के बग़ैर मुकम्मल नहीं होगी, इस लिए इस ख़त को हिफ़ाज़त से रखें और कवर नंबर याद कर लें, यही ख़त दिखाकर आप को आपका पासपोर्ट, हवाई टिकट, शनाख़्ती कार्ड और कड़ा वग़ैरह मिलेगा। आप का ड्राफ्ट (Draft) हज कमेटी इसी नंबर पर क़बूल करेगी।

पासपोर्ट की अहमियतः

2008 तक हज कमेटी वाले सफरे हज के लिए एक स्पेशल पासपोर्ट बनाते थे। मगर 2009 से सऊदी हुकूमत ने ''इंटरनेश्नल'' पासपोर्ट को लाज़मी करार दिया है, इस लिए अगर आप का हज का इरादा है, तो फौरन पासपोर्ट बनवाने की कारवाई शुरू कर दीजिए। मक्का पहुँचने के बाद यह पासपोर्ट आप से आप का मुअल्लिम ले लेगा और वापसी के वक्त एयरपोर्ट पर वापस करेगा।

हवाई टिकटः

हज कमेटी से पासपोर्ट के साथ आप को आने और जाने दोनों का हवाई टिकट (बोर्डिंग पास) मिलेगा, जिसे दिखा कर ही आप हवाई जहाज़ में सवार हो सकेंगे, इस लिए हवाई टिकट को वापसी के सफर तक इन्तेहाई हिफ़ाज़त के साथ रखें, और पासपोर्ट से अलग रखें और मुअल्लिम को सिर्फ़ पासपोर्ट दें, टिकट न दें।

शिनाख़्ती कार्ड (I-Card):

हज कमेटी से आप को आपका फ़ोटो लगा हुआ एक शनाख़्ती कार्ड (I-Card) मिलेगा। ये काफी बड़ा और प्लास्टिक के कवर में और गले में पहन्ने के लिए होता है। इसे आप हमेशा अपने साथ रखें और जो दूसरे कार्ड आपको मक्का में मिलेंगे उन्हें भी इस में पीछे की तरफ़ रख लें। और दूसरी जगह हिफाज़त से रख लें।

शिनाख़्ती कार्ड में निम्नलिखित बातें होंगीः

(१) आप का नाम (२) आप का पासपोर्ट नंबर

(३) आप का ब्लड ग्रुप (Blood Group)

(४) आप का दर्जा (Category)

कड़ाः

हज कमेटी की तरफ़ से आप को एक स्टील का कड़ा मिलेगा जिसमें निम्नलिखित मालूमात दर्ज होंगी।

(१) आप का नाम। (२) आप का कवर नंबर।

(३) आप का पासपोर्ट नंबर। (४) मुल्क का नाम।

इस कड़े को आप हाथ में पहन लें और वापस आने तक हर्गिज़ न उतारें। कड़े के साथ एक चैन भी होती है। अगर आप को तक्लीफ़ हो तो चैन निकाल लें मगर कड़ा हमेशा आप के साथ रहे। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसी के ज़रिये आप की शिनाख़्त हो सकेगी।

खुदा-न-ख़ास्ता अगर आप किसी हादसे में बेहोश हो गए या आप का सारा सामान गुम हो गया तब भी कड़े पर लिखे कवर नंबर से आप को पहचाना जा सकता है और आप के मुक़ाम तक पहुँचाया जा सकता है। मैं ने ऐसे भी वाक़यात सुने हैं कि लोग बग़ैर शिनाख़्त के हज के पहले गुम हो गए और हज के बाद भिकारियों की शक़्ल में मिले, इसलिए यह कड़ा आप हमेशा आप के साथ रखें। नहाते वक़्त या बैतुल्ख़ला जाते वक़्त या किसी भी हाल में इसे न उतारें।

ज़रे मुबादला (Foreign Exchange):

छठी चीज़ जो आप को हज के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट से मिलेगी वह है सऊदी रूपया (रियाल) या ड्राफ्ट ।

यह आप के राहत का सामान भी है और जान का दुश्मन भी। हमारे पड़ोस के एक साहब २००४ ई. में हज के लिए गए और मक्का में इंतक़ाल कर गए। उन के साथियों से पुछने पर पता चला के उन का सारा रूपया एयरपोर्ट पर तलाशी के बहाने पुलिस ने ले लिया था। वह समझे के जिद्दा एयरपोर्ट पर वापस मिलेगा। मगर जब ना मिला तो बहुत फ़िक्रमंद हुए और उसी फिक्र में दौर-ए-क़ल्ब (Heart Attack) की वजह से वह अल्लाह को प्यारे हो गए। मक्का में जिस कमरे में हम मुक़ीम थे ठीक उसके सामने वाले कमरे में माँ और बेटी रहती थीं उन दोनों के सारे रूपये हरम शरीफ़ में तवाफ करते हुए चोरी हो गऐ। पुछने पर दोनों ने बताया कि मक्का पहुँचते ही उम्रह करना था। कमरा नया, कमरे के साथी भी नये, किस पर कैसे भरोसा करें? इसलिए सारे रूपये साथ ही लिऐ थे और हरम शरीफ़ में जेब कट गई।

हमारे एक दोस्त मक्का में वकील हैं उन्होंने बताया कि मक्का में जितनी चोरी की वारदातें होतीं हैं, उन में अक्सर हरम शरीफ़ के अन्दर ही होती हैं।

हमारे एक और दोस्त ने अपना रूपया इतनी हिफ़ाज़त से अपने सामान में रख लिया के खुद भुल गऐ के कहाँ रखा है। बहुत परेशान रहे सलातुल्हाजात पढ़ कर खुदा से दुआ की। तब जाकर अपना रूपया अपने सामान में खोज पाए।

इस लिए एयरपोर्ट पर मिलने वाले रूपये का ख़ास ख़्याल रखें और मक्का में अपनी रिहाईशगाह पर पहुँचने के बाद या तो होटल के काउंटर पर जमा कर दें, और रसीद ले लें, या अपने मुअल्लिम के पास जमा कर के रसीद ले लें। रसीद लेना ना भूलें वरना वहाँ भी आप रूपयों से हाथ धो बैठेंगे। अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ थोड़ा थोड़ा रूपया निकालते रहें।अगर इन दोनों जगह भी पैसा रखना आपके लिए मुम्किन न हो तो अपने सुटकेस में ही रख लें।मगर सूटकेस का ताला

मज़बूत हो।

जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से आप के रिहाईशगाह के सफर के दौरान बस में आप से, आप का पासपोर्ट ले लिया जाऐगा और तीन शिनाख़्ती चीज़ें दी जाऐंगी वो इस तरह हैंः

कलाई पट्टाः

मुअल्लिम की तरफ़ से आप को एक कलाई पट्टा दिया जाएगा जिस में मुअल्लिम का पता लिखा होगा, इस पट्टा की अहमियत यह है कि आप कभी मक्का में गुम हो गए, तो कोई भी इस पट्टे की मदद से आप को आप के मुअल्लिम के ऑफ़िस तक पहुँचा देगा। मुअल्लिम के ऑफ़िस में गाईड (रहबर) होते हैं, जो आप को आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देंगे।

मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्डः

जिद्दा एयरपोर्ट पर मुअल्लिम आप का पासपोर्ट आप से ले लेगा। और आप को अपना एक शिनाख़्ती कार्ड देगा, जिस में मुअल्लिम का पता आप के बिल्डिंग का नंबर और आप के कमरे का नंबर लिखा होगा।

जिद्दा एयरपोर्ट से बस सीधे आपको आप के बिल्डिंग तक पहुँचा देगी। और मुअल्लिम के आदमी आप का सारा सामान आप के कमरे तक पहुँचा देंगे।

कमप्यूटराईज़्ड शिनाख़ती कार्ड (Computerised I-Card):

ये दूसरा और बहुत अहम शिनाख़ती कार्ड आप को मक्का में एक या दो दिन के बाद मुअल्लिम की तरफ़ से मिलेगा। यह प्लास्टिक का कमप्यूटराईज़्ड कार्ड है। यह एक तरह से आप का पासपोर्ट है। इस में आप के फ़ोटो के साथ वो सारी बातें दर्ज होती हैं जो आप के पासपोर्ट में होती है। क़ानूनी तौर से हर हाजी को यह कार्ड अपने साथ रखना होता है और पुछने पर दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आप को मक्का से जिद्दा या और किसी शहर जाना होगा तो इस कार्ड के बग़ैर नहीं जा सकते।

जब आप मक्का से मदीना जाऐंगे तो मदीने में आप का दूसरा मुअल्लिम होगा और रिहाईशगाह भी नई होगी इस लिए मदीना में भी आप को आप का बग़ैर फ़ोटो का एक कमप्यूटराईज़्ड कार्ड मिलेगा और मुअल्लिम का शिनाख़ती कार्ड मिलेगा, जिसमें मुअल्लिम का पता आप की बिल्डिंग का पता और कमरा नंबर लिखा होगा। मदीना के दस दिन क़याम में भी आप ये दोनों कार्ड हिफ़ाज़त से रखें। वतन वापसी के लिए सफर के शुरू में इसी कार्ड को देखकर आप को बस का नंबर दिया जाएगा, इसी बस में आपको आपका पासपोर्ट वापस मिलेगा और यही बस आपको एअरपोर्ट तक पहुंचा देगी।

मुअल्लिम का शिनाख़्ती कार्ड (मिना के लिए):

मिना जाने से पहले मुअल्लिम आप को फिर अपना एक शिनाख़्ती कार्ड देगा, जिसमें आपके मिना का ख़ेमा नंबर लिखा होगा। मिना में एक मुअल्लिम के बहुत सारे ख़ेमे एक ही मुक़ाम पर होते हैं, जिन के एतराफ़ हिफ़ाज़त के लिए लोहे के जंगले लगे होते हैं।

गेट पर मुअल्लिम के पहरेदार होते हैं जो ये कार्ड देख कर ही आप को जंगले के अन्दर ख़ेमों की तरफ़ जाने देंगे। इस लिए मिना के क़याम में इस कार्ड को भी अपने साथ रखें और इस कार्ड के पीछे अपने हाथ से अपने खेमे के करीब के खम्बे पर पहचान के लिये लिखे गए नम्बर को नोट कर लें और पुल का नाम नोट कर लें। इस से इंशा अल्लाह मिना में अपने खेमे का पता नहीं भूलेंगे।

मेडिकल सर्टीफिकेटः

हुकूमत सऊदी अरबिया दे सन् २००६ से हज बैतुल्लाह जाने वाले हुज्जाज किराम के लिए ज़ाब्ताए सेहत मुकर्रर किया है जिसकी रू से तमाम आज़मीने हज के लिए मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिये गयें) टीके इन्जेक्शन लगवाना ज़रूरी है।

पोलियो का टीकाः

सऊदी वजारते सेहत के हुक्काम ने पोलियो की ख़ुराक (बिला तफरीक़ उम्र) लेने और इस बाबत सर्टीफिकेट हासिल करना लाज़िमी क़रार दिया है, इस सर्टीफिकेट को पासपोर्ट के साथ नथ्थी करना ज़रूरी है, जिसमें बग़ैर सऊदी हुकूमत वीज़ा जारी नहीं करेगी। यह सर्टीफिकेट हज दरख़्वास्त फार्म के साथ नथ्थी किया गया है। इसलिए वह हज़रात जिनका हज करने का इरादा है वह ओ. पी.वी. पोलियो की ख़ुराक लें, इसका सर्टीफिकेट हासिल करें और हज कमीटी ऑफ इण्डिया को अपने फार्म के साथ भेज दें ताकि उनके लिए हज वीज़ा की हुसुलियाती में दुश्वारी न हो।

दिमाग़ी बुख़ारः

तमाम आज़मीने हज के लिए लाज़िमी है के सऊदी अरब में दाख़ले के लिए हवाई जहाज़ की रवानगी से छः हफ़्ता क़ब्ल दिमाग़ी बुख़ार की रोकथाम के लिए इन्जेक्शन लगवाने का सर्टीफिकेट हासिल करें जिसके जारी किए जाने की मुद्दत सऊदी अरबिया में आमद के वक़्त दस दिन से कम और तीन साल से ज़्यादा न हो।

हज गाईडः

हज कमेटी की तरफ से आप को एक किताब दी जाएगी। इसमें हज की मालूमात के साथ बहुत सारे अहम पते और फोन नम्बर हांगे। इस किताब को आप ग़ौर से पढ़ लीजिए और ज़रूरत के मुताबिक मालुमात का इस्तेमाल करें। अगर आपको हज के सफर में कोई शिकायत हो या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, तो इस किताब में बहुत सारे वज़ीरों और सिफारतकारों (Counslators) वग़ैरह के पते और फोन नम्बर हैं, इन सब जगह खुतूत लिखें। हुकूमत और मिनिस्टरों नें हज में होने वाली मुश्किलात को नज़र अंदाज़ कर रखा है। अगर लाखों हाजी इस सिलसिले में उन्हें खुतूत लिखें तो ज़रूर उन के कान पर जूं रेंगेंगी।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

इसाई या यहूदी की तरह मौत

मुश्रेकीन मक्का शिर्क करते थे मगर हज भी करते थे, जब कि इसाई और यहूदी ख़ुदा को मानते थे, रोज़े आख़ीरत पर ईमान रखते थे, जन्नत और जहन्नम के भी क़ाएल थे और रोज़े भी रखते थे, मगर हज ना करते थे। हज इस्लाम का पाँचवाँ और अहम रूक्न है। जो हज करने की इस्तेताअत रखने के बाद भी हज ना करे ऐसे इंसान के लिए हुज़ूर ;स.द्ध ने सख़्त नाराज़गी का इज़्हार किया है। मुंदर्जाज़ैल हदीस का मफ़्हुम है के ऐसे शख़्स का बग़ैर हज किये मरना इसाई या यहूदी की तरह मरना है।

हदीस शरीफ़ : हज़रत अली मुर्तुज़ा (रज़ी) से रिवायत है। रसूर अल्लाह (स.) ने इर्शाद फर्माया: ''जिस के पास सफ़रे हज का ज़रूरी सामान हो और इस को ऐसी सवारी भी मयस्सर हो जो बैतुल्लाह तक इस को पहुंचा सके, फिर भी वह हज ना करे, तो कोई फ़र्क नहीं कि वह यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। (जामा तिर्मिज़ी)

और यह इस लिए कि अल्लाह तआला का इर्शाद-ए-आली है किः ''अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस तक जाने की इस्तेताअत रखते हों और जो इन्कार करे तो अल्लाह तआला दुनिया जहान से बे नियाज़ है।'' (आले इम्रान ६७)

हज ना करने पर वईद

हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर (रज़ी) फर्माते हैं कि जो शख़्स तंदुरूस्त हो, हज के अखराज़ात रखता हो, फिर भी बगैर हज के मर जाए तो कयामत के दिन उस की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। (दुर्रे मन्शुर)

सामान-ए-सफर

हज के सफर में आप जितना कम सामान ले जाएंगे, आप को उतनी ही आसानी होगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के क़याम के हालात और हमारी सलाह मुन्दर्जा ज़ैल(नीचे दिए गये) है।

१. ख़ाने पीने का इंतेज़ामः

रिहाईशगाह (बिल्डिंग) के हर मंज़िला पर एक या दो किचन (बावरची ख़ाना) होते हैं, जिसमें गैस और चुल्हा मुअल्लिम या मकान मालिक की तरफ से पहली बार मुफ्त मिलता है। हाजी साहेबान खाना बनाने का पूरा सामान साथ ले जाते हैं और वहाँ खाना बना कर खाते हैं। सऊदी हुकूमत कानून के मुताबिक कोई भी खाने की चीज़ सऊदी अरब में लाना मना है। मगर मैं ने देखा कि न हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर किसी ने किसी हाजी को रोका न जिद्दा एयरपोर्ट पर। सिर्फ तेल, पानी या सयूयाल माद्दा (Liquid) दोनों एयरपोर्ट वाले कभी क्भी ज़ब्त कर लेते हैं।

मक्का और मदीना में बेशुमार पाकिस्तानी होटलें हैं, जो हिन्दुस्तानी ज़ाईक़े का खाना बनाते हैं, जिन की कीमतें (2009 में) ८ से १० रियाल के दरमियान थें।

अगर आप एक प्लेट दाल या गोश्त या सब्ज़ी लें, तो तीन रोटी मुफ्त मिलती है, यह दो से तीन लोगों के लिए काफ़ी होती है। इस लिए बहुत सारे हाजी खाना बनाने में वक़्त ज़ाए करने के बजाए खाना ख़रीद कर खाते हैं और पूरा वक़्त इबादत में लगाते हैं और यह बात मुनासिब और दुरूस्त है।

कभी कभी दूसरे और तीसरे दर्जे के हाजियों को अज़ीज़िया मुकाम पर ठहराया जाता है, जो नई आबादी है, और वहाँ होटल वगैरह नहीं हैं। ऐसे हाजी अगर खाना बनाने का सामान साथ ले जाऐं तो बेहतर है।

२. कपड़ेः

हर मंज़िला पर कई बाथरूम (ग़ुसुल ख़ाना) होते हैं जिस में आप आसानी के साथ कपड़ा धो सकते हैं। सुखाने के लिए आप घर से रस्सी ले जाएँ और लाबी या बिल्डिंग के छत पर आसानी के मुताबिक़ कपड़ा सुखा लें। मक्का और मदीना में लॉन्ड्री भी है जो कि एक जोड़ा धोने का ५ रियाल लेते हैं। चूँकि वहाँ नमाज़ के सिवाय और कोई काम होता नहीं, इस लिए कपड़े कम ही गंदे होते हैं। इस लिए दो या तीन जोड़ों में गुज़र आसानी के साथ हो जाता है।

हज के सफर में बुज़ुर्गों से सुना है कि रोज़ मर्रह के कपड़ों के साथ अगर दो जोड़े नये हों तो ज़्यादा बेहतर है। एक १० ज़िल्हिज्जा के लिए जिस दिन ईद होती है और एक मस्जिद नबवी के लिए जिस दिन पहली बार आप हुज़ुर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की क़ब्र मुबारक पर हाज़री देकर सलात व सलाम का नज़राना पेश करेंगे।

३. बिस्तरः

मक्का और मदीना दोनों जगह आप को आप के कमरे में पलंग, गदेला, तकिया और एक कम्बल, बेडशीट (चादर) मिलेगी। इसलिए मक्का और मदीना में खुद के बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती।

मिना के ख़ेमों में ज़मीन पर क़ालीन बिछा होता है। मगर तकिया और चादर नहीं मिलती इस लिए मौसम के मुताबिक़ एक हवाई तकिया और एक चादर ले लें तो बेहतर होगा।

४. दवाएँः

सऊदी अरब में दवाएँ बहुत महंगी हैं और उन के नाम भी अलग होते हैं। इस लिए रोज़ मर्रह की सारी दवाएँ आप साथ ले जाऐं। सऊदी हुकूमत और इंडियन हज कमीटी की तरफ से भी मुफ्त दवाऐं मिलती हैं। मगर आप अपनी सेहत की हिफाज़त खुद करें और अपनी दवाएँ अपने साथ ले जाऐं। ज़रूरत पड़ने पर मक्का और मदीना में हिन्दुस्तानी कॉन्सिलेट के ऊपर हिन्दुस्तानी अस्पताल हैं जहाँ हिन्दुस्तानी डॉक्टर मिलते हैं, उन से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहाँ सऊदी अस्पताल भी हैं उन में भी मुफ्त इलाज होता है। मिना में भी सऊदी अस्पताल हैं।

५. मोबाईल फोनः

हज के मौके पर हाजियों के लिए स्पेशल सिम कार्ड (Sim Card) निकालती है जो के १०० रियाल का होता है। और आप १०० रियाल क़ीमत ख़त्म होने तक बात कर सकते हैं। यानी आप को पूरी कीमत का टॉक-टाइम मिलता है। आप को अपना मोबाईल नंबर मिलता है, जिसे आप अपने घर वालों को और साथीयों को दे सकते हैं। मोबाईल अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत से फ़ायदे हैं। आप हमेशा अपने घर और कारोबार से बाख़बर होते हैं, इस लिए इत्मिनान से इबादत कर सकते हैं। हज के दौरान साथियों से बिछड़ जाने के बाद या किसी तकलीफ़ मे फ़ौरन दोस्तों से राबता क़ायम कर सकते हैं और ग़लत इस्तेमाल करें तो वबाल ही वबाल है। आप वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, मोबाईल पर वहीं से तिजारत या बिज़नेस न करने लगें। मोबाईल हरम शरीफ़ में बन्द रखें, नहीं तो लाखों के हिसाब से गुनाह होगा।

पहियों वाला छोटा बॅगः

हज के सब से मुश्किल दिन ८ से १३ ज़िल्हिज्जा के होते हैं। इस दौरान आप को मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गयें) सफ़र करने होंगेः

तारीख	मकाम	दूरी	समय
८ ज़िल्हिज्जा	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
६ ज़िल्हिज्जा सुबह	मिना से अर्फात	६.५ कि.मि.	दो घंटे
६ ज़िल्हिज्जा शाम	अर्फात से मुज्दल्फा	५.५ कि.मि.	दो घंटे
१० ज़िल्हिज्जा सुबह	मुज्दल्फा से मिना	१ कि.मि.	आध घंटा
१० ज़िल्हिज्जा दोपहर	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा
१० ज़िल्हिज्जा शाम	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
१२ ज़िल्हिज्जा शाम	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा

जो लोग यह सफ़र पैदल करते हैं वह बस या किसी और सवारी से सफ़र करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा आराम से रहते हैं और हर जगह वक़्त पर पहुँचते हैं। ख़ाली हाथ पैदल चलना आसान है और सामान ले कर चलना बहुत मुश्किल। मगर मक्का से मिना और मिना से अरफात के सफ़र में सामान तो होता ही है इस लिए आसानी के लिए जो छोटा बैग आप ख़रीदें अगर वह दो पहियों वाला हो तो बहुत आसानी होगी। मिना अरफात के सफ़र में सामान बहुत ही कम होता है (एक चटाई, पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का सामान और एक शाल), इस लिए यह बैग ज़्यादा बडा न हो। पहियों वाले इस छोटे बैग से मिना और मक्का के सफ़र में आप को बहुत आराम मिलेगा।

६.रोज़ मर्रह के इस्तेमाल की चीज़ें:

रोज़ मर्रह के इस्तेमाल की सारी चीज़ें आप को मक्का और मदीना शरीफ़ में दुकानों पर मिल जाऐंगी। इस लिए अगर हिन्दुस्तान से कुछ ना ले जाऐं या हिन्दुस्तान में कुछ चीज़ें छूट जाऐं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे अगर आप का सामान ३५ किलो से कम है तो मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गयें) सामान एहतियात के लिये रख लें।

१. खाना रखने और खाने के न टूटने वाले बर्तन।

२. टूथ पेस्ट, साबुन और सिर में लगाने का तेल।

३. जा-नमाज़।

४. रात के वक़्त पहिनने के कपड़े।

५. रस्सी और पतला पर्दे का कपड़ा।(हो सकता है आप को अपने कमरे में औरतो के लिए पर्दा करना पड़े)

६. दो अदद एहराम, एक मोटे कपड़े में एक पतले कपड़े का, और कमर पट्टा (Belt)

७. मुज़दल्फ़ा में रात गुज़ारने के लिए चटाई।

८. पानी की थरमस या बोतल(जिससे आप आब-ए-ज़म ज़म कमरे तक ला सकें)

९. ऐसी खाने की चीज़ें जो बहुत दिनों तक ख़राब न हों, मिना व अर्फ़ात में खाने की सब चीज़ें मिलती हैं मगर एहतेयात के लिये रख लेना बेहतर है।

१०. अगर आपकी नज़र (बीनाई) कमज़ोर है और आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो दो अदद चश्में साथ रख लें।

दो सामान ऐसे हैं के जिन की ज़्यादा ज़रुरत तो नहीं होती, मगर साथ रख लें तो बेहतर है। एक है धूप का चश्मा, और दूसरा नाक पर लगाने का कागज़ का रुमाल (Nose-Mask)।

धूप के चश्मे से दोपहर के वक्त दूध की तरह सफेद फर्श पर तवाफ करने में आसानी होती है।

अगर आपको नज़ला अक्सर रहता है, या जल्दी हो जाता है तो Nose-Mask इस्तेमाल करने से आप और दूसरे लोग Infection से महफूज़ रहते है। नोज़ मास्क सिर्फ पांच रुपये में किसी भी मेडिकल दुकान पर मिल जाता है। यह मक्का शरीफ में एक रियाल में मिल जाएगा।

७. हैण्ड बैग:

हज कमेटी या बैंक वग़ैरह से एक छोटा हैण्ड बैग आप को तोहफ़े के तौर पर मिलेगा, जो हज के पूरे चालीस दिन आप का साथी होगा और आप के बहुत काम आएगा, इस में दो पट्टे लगे होते हैं; एक गर्दन से लटकाने के लिए और दुसरा कमर से बांधने के लिए। अगर दोनो पट्टे आप अच्छी तरह पहन लें तो ये आप के जिस्म से चिपका रहेगा और भीड़ भाड़ में भी इस के खोने का ड़र बहोत कम होता है इसमें दो हिस्से होते हैं; एक बाहरी और छोटा हिस्सा जिस में शफ्फ़ाफ़ प्लास्टिक लगा होता है। इसमें आप अपना शिनाख़ती कार्ड और दूसरे काग़ज़ात रख सकते हैं। दूसरे हिस्से में आप चप्पल वग़ैरह रख सकते हैं। हरम शरीफ़ के दरवाज़े के बाहर रखी हुई चप्पलों को ख़ादिम वक़्फ़ा-वक़्फ़ा से हटा कर फेंकते रहते हैं। दरवाज़े से लगी अल्मारीयों से चप्पल दूसरे हाजी पहन कर ले जाते हैं। इस लिए चप्पल को प्लास्टिक की थैली में रख कर बैग में रख लें। हरम शरीफ़ में दो से चार घंटे तक भी बैठना पड़ता है। इस लिए खाने के लिए कुछ खजुरें और बिस्किट वग़ैरह भी रख लें, और पीने के लिए आब-ए-ज़म ज़म हरम शरीफ़ में हर जगह मिलेगा। अगर यह बैग आप को तोहफ़ा में कोई न दे तो इंतेज़ार न कीजीए बल्कि बाज़ार से ख़रीद लीजिए।

८. सफ़री सूटकेस:

हज के सफ़र में तक़रीबन आठ से दस बार आप का लगेज कुली हज़रात के हाथों में होगा। जो अक्सर इसे बड़ी बेदर्दी से इधर-उधर फेकेंगे। इस लिए आप का सुटकेस और बैग ऐसे हों के आसानी से न टूटें या तो ऐसे हों कि जिन के टूट जाने का आप को ग़म न हो।

सन् २००९ में हाजियों को हवाई सफ़र में सख़्त परेशानियां हुईं थीं। हाजियों की कई परवाज़ (Flights) छूट गईं । कई कई दिन एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। सामान कई हफ्तों या महीनों बाद मिला वग़ैरह वग़ैरह।

इसकी वजह यह थी के पहल तो हाजियों ने हुकूमत के क़वानीन को नज़र अंदाज करके ज़रूरत से ज़्यादा सामान साथ ले लिया, फिर बगैर ज़्यादा किराया दिए सामान मुफ्त में हिन्दुस्तान लाने पर अड़ गये इसलिए तंग आकर जहाज़ के अ़मले (Staff) ने बग़ैर हाजियों के ही जहाज़ रवाना कर दिया। जब ऐसे लावारिस हाजियों की तादाद एयरपोर्ट पर ज़्यादा बढ़ी और हुकूमत को दख़ल देना पड़ा तो एमरजंसी में इसने सारे शैड्यूल और प्लानिंग को साइड में रख कर जो भी फ्लाइट ख़ाली मिली उस से हाजियों को वापस भेजना शुरू किया। इस unsheduled रवानगी में हाजी किसी और जहाज़ से रवाना होते और उनका सामान किसी और जहाज़ से रवाना होता और हफ्तों या महीनों के बाद मिलता ।

इस अफरा तफरी की वजह हाजियों की लापरवाही और ज़िद के सिवाय कुछ भी न था इसलिए हुकुमत ने इसका सख़्त नोटिस लिया है और सूटकेस के साईज़ और वज़न की पाबंदी को सख़्ती से आयद करने का तहैया किया है इसलिए इस मुबारक और मुक़द्दस सफ़र में आप भी इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें, ताकि आप अपना और दुसरे हाजियों का सफ़र वक़्त पर और आसानी से हो।

सामान के सिल्सिले में हुकुमत के क़वानीन मुंदरजा ज़ैल(निचे दिए गये) हैं:

१) हिंदुस्तान से सऊदी जाते वक़्त हाजियों को ३५ किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाने की इज़ाज़त होगी।

२) वापसी पर ५५ किलोग्राम सामान और १० लीटर आबे ज़मज़म लाने की इज़ाजत है।

३) वापसी में ५५ किलोग्राम में से ४५ किलोग्राम आप के Check -in-luggage का होगा और १० किलोग्राम वज़न आप के हैण्ड बैग का होगा। चेक इन लगेज यानि वह छोटे सूटकेस जो आप अपने साथ जहाज़ के अन्दर ले जाऐंगे।

४. सऊदी हुकूमत के क़ानून के मुताबिक़ ४५ किलोग्राम भी आपके एक ही सूटकेस का वज़न न हो बल्कि २ सूटकेस का वज़न हो और आप का कोई सूटकेस २३ किलो से ज़्यादा न हो।

५. ज़मज़म के पानी का डिब्बा गोल न हो बल्कि चौकोर हो और प्लास्टिक की थैली में इस तरह बंद किया हो कि सफ़र के दौरान पानी निकलकर बहने का अंदेशा न हो।

६. हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुताबिक़ दोनों चेक इन लगेज के सूटकेस मुंदर्जा ज़ैल (नीचे दिए गयें) साईज़ के हों :

पहले सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई को जमाअ़ किया जाए, तो ६२ ईंच से ज़्यादा न हो और दूसरे सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और उंचाई को जमाअ़ किया जाए, तो ४४ ईंच से ज़्यादा न हो।

७. जहाज़ के अंदर अपने साथ ले जाने वाले बैग या सूटकेस का साईज़ 22´´ X16´´X8´´ से ज़्यादा न हो और वजन भी दस किलों से ज्यादा न हो, इस साईज़ के बैग को आप आसानी से जहाज़ के ऊपरी ख़ानों में रख सकते हैं।

८. ज़ायद सामान आप को कार्गो के ज़रिये रवाना करना होगा ५५ किलो से ज़्यादा सामान पर ज़ायद हवाई जहाज़ का किराया भी देना होगा और हज

कमेटी पर इन सामानों की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

(छोटा बैग या सूटकेस अगर पहियों वाला हो, तो आप को मक्का से मिना और मिना से मक्का पैदल सफ़र करते वक़्त आसानी होगी।)

हाजियों के सामान का साईज़ और वज़न सही होना क्यों ज़रूरी है?

क्योंकि एयरपोर्ट पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेल्ट कन्वेयर (Belt Conveyer) ले जाया जाता है, इन बेल्ट कनवेयर की सामान ढ़ोने की ताक़त और साईज महदूद है और यह कई खिड़कियों से गुज़रते हैं, इन खिड़कियों की साईज़ भी महदूद है । बड़े सामान अगर कन्वेयर बेल्ट पर रख भी दिये जाएं तो वह खिड़कियों में जाकर अटक जाते हैं और अगर वह आगे ही न बढ़ें तो वह जहाज़ में लोड कैसे होंगे?

जहाज़ों में भी हर सामान अलग अलग लोड नहीं किया जाता बल्कि पहले उन्हें छोटे डिब्बों (containers) में पैक करते हैं, फिर उन छोटे कंटेनरों को एक जीप या ट्रॅक्टर के ज़रिये खींचकर जहाज़ तक ले जाया जाता है फिर लोड किया जाता है, तो बड़े सामान या सूटकेस को उन छोटे कंटेनरों में भरने में बहुत दिक्कत होती है, इस लिए जहाज़ वाले बड़े सामान न मुसाफ़िरों के साथ ले जाने देते हैं।

आप अपने हर बुकिंग और सूटकेस पर अपना कवर नम्बर और घर का पूरा पता embarkation point या मर्कज़ रवानगी लिखना न भूलें वह भी परमानंट मार्कर पेन या पक्की रोशनाई से जिससे कि पता बिल्कुल न मिटे। ताकि ख़ुदा न ख़ास्ता अगर आप का सामान खो जाये, तो कवर नम्बर और पते से आप को वापस मिल जाये।

दूर से एयरपोर्ट पर अपने सामान को पहचानने के लिए रिबन या रंग या और कोई रोशनाई लगा लें इससे सामान ढुंढ़ने में आसानी होगी। वरना सभी सूटकेस दूर से एक जैसे लगते हैं।

दूसरी अहम बात याद रखिये कि आप के लगेज पर दुसरों के लगेज का ५०० किलो से ज़्यादा का भी बार पड़ सकता है। इस लिए आप के सुट केस या बैग में ऐसा कोई सामान न हो जिस के टूटने से आप का और दुसरों का सामान ख़राब होजाए। मक्का और मदीना शरीफ़ के क़याम और मिना के ख़ेमों में, मस्तुरात पर्दे की वजह से अलग रह सकती हैं। इस लिए आप अपना रोज़ मर्रह के इस्तेमाल का सामान मस्तुरात के सामान से अलग रखें, वरना दोनों को बड़ी परेशानी होगी और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक दुसरे को आवाज़ देना पड़ेगा।

आप अपना सूटकेस मज़बूत ताले का लें, ताकि आप रुपया पैसा सूटकेस में रख कर इत्मिनान से हरम शरीफ जा सकें।

६. अच्छी सेहत

सब से ज़रूरी चीज़ जो आप को अपने साथ लेजाना है वह है अच्छी सेहत, क्योंकि मक्का के क़याम और हज के दौरान आप में जितनी ज़्यादा क़ुव्वत होगी आप उतनी ही ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। तवाफ व सई और रिहाईश गाह से हरम तक आप को जितना चलना है और इस में जितना वक़्त दरकार है, अन्दाज़न मैं यहाँ दर्ज करता हूँ, इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ कम से कम आप को कितने देर तक लगातार चलना है।

तवाफ़ः

क़ाबा शरीफ के गिर्द सात चक्कर या फेरा लगाने पर एक तवाफ़ होता है, चक्कर या फेरा को अरबी में शूत कहते हैं।

सुबह ६ बजे से १० बजे, दोपहर १:३० से २:३० बजे और रात १२ बजे से ३ बजे के वक़्त जब भीड़ कम होती है। काबा शरीफ़ से ५० फ़िट की दूरी पर शूत (फेरा या चक्कर) में ३ मिनट और १०० फ़िट की दूरी से एक शूत में ६ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए कम भीड़ के वक़्त २० से ४२ मिनट के दरम्यान लगेंगे। भीड़ के औक़ात में सात शूत यानी एक तवाफ़ में एक घंटा से ज़्यादा भी लग जाता है।

ज़्यादा भीड़ में जब मुताफ़ में तवाफ़ करना मुश्किल होता है तो पहले मंज़िले या छत पर तवाफ़ करना पड़ता है। जहाँ एक शौत के लिए १३ से १५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए ६१ से १०५ मिनट लग जाते हैं। तब जाकर एक तवाफ़ होता है।

सईः

सफ़ा और मर्वाह के दरम्यान ३६५ मिटर का फ़ासला है। सफ़ा और मर्वाह पहाड़ के बीच चलने को सई कहते हैं। सई में सफ़ा और मर्वाह के दरम्यान ७ चक्कर लगाने पड़ते है। पहला चक्कर सफा से शुरु होता है और सातवाँ चक्कर मर्वाह पर खत्म होता है। एक चक्कर के लिए कम भीड़ में ४ से ५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात चक्कर में क़रीब ३० मिनट का वक़्त लगता है। भीड़ के औक़ात में एक घंटा से ज़्यादा भी वक़्त लग जाता है।

रिहाईश गाह से हरम शरीफ़ तक आने जाने का वक़्तः

आम तौर पर हाजियों का क़याम हरम से ५ से १५ मिनट की दूरी पर होता है। मगर ४ ज़िल्हिज्जा से १५ ज़िल्हिज्जा तक लोगों का ज़बर्दस्त हुजूम होता है। इस दौरान ५ से १५ मिनट का ये रास्ता तय करने में १५ से ३० मिनट का वक़्त भी लग सकता है।

नमाज़ का इन्तेज़ारः

४ ज़िल्हिज्जा तक चुँके ३० से ३५ लाख लोग मक्का शरीफ पहुँच चुके होते हैं इस लिए हरम शरीफ़ में भी ज़बर्दस्त भीड़ होती है। अगर नमाज़ से ३० से ४५ मिनट पहले आप हरम में न पहुँचे तो तमाम जगहें भर चुकी होती है। इस लिए हर नमाज़ से एक घंटा पहले आप को अपने कमरे से नमाज़ के लिए निकल जाना होता है।

हरम शरीफ़ से कमरे तक आने जाने में भी काफ़ी वक़्त लगता है इस लिए लोग तहज्जुद के लिए आते हैं और फ़ज्र पढ़ कर जाते हैं। इसी तरह मग़रिब के लिए आते हैं और इशा पढ़ कर जाते हैं। बहुत से लोग ज़ोहर से इशा तक हरम शरीफ में ही रहते हैं और नमाज़, तिलावत और तस्बीहात में मस्रूफ़ रहते हैं। और इशा पढ़ कर जाते हैं।

जो लोग मक्का के रहने वाले हैं उन के लिए हरम शरीफ में नफिल नमाज़, नफिल तवाफ़ से अफ़ज़ल है। मगर जो लोग दुसरे शहरों से आते हैं उन के लिए नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ और दुसरी इबादत से ज़्यादा अफ़ज़ल है। इस लिए हर हाजी को पाँच वक़्त की नमाज़ हरम शरीफ में पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करना चाहिए।

ऊपर दिए गए वक़्त के हिसाब से आप खुद अन्दाज़ा कर सकते हैं कि एक दिन में आप को कितना वक़्त चलना और हरम में बैठ कर इंतेज़ार करना है।

हुज़ुर (स.) का इर्शाद है कि ''क़वी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है''। क्योंकि क़वी मोमिन दीन के बहुत सारे वो काम कर सकता है, जो कमज़ोर मोमिन नहीं कर सकता।

हुज़ुर (स.) के इर्शाद के मुताबिक़ जो लोग सिर्फ जिहाद के लिए घोड़े पालते हैं। उन्हें घोड़े के खाने पीने, चलने यानी उस के हर काम पर सवाब मिलता है। (बुख़ारी)

हम और आप अगर अपनी सेहत इस मक़सद से बेहतर बनाने की कोशिश करें कि इंशा अल्लाह अच्छी सेहत से हम इस्लाम और मुसलमान के फ़लाह और बेहबुदी के लिए काम करेंगे तो अपने बेहतर सेहत बनाने की कोशिश में भी हम को सवाब मिलेगा।

डॉक्टरों का कहना है के हर शख़्स को दिन में कम से कम २० मिनट तक तेज़ चलना चाहिये, इस से दिल का दौरा, डायबिटीज़ और दुसरी बहुत सारी

बिमारियाँ नहीं होती या कन्ट्रोल में रहती हैं।

इस लिए हज के लिए जो सब से पहली तैयारी आप को करना है, वह यह है कि सुबह और शाम कम से कम ३० मिनट चलें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

हरम शरीफ पहुँचकर भी अपनी सेहत का ख़याल रखे। हजम होनेवाला हलकी गिज़ा लें। फलों का इस्तेमाल खूब करें। हमेशा ज़मज़म का पानी पियें, गरमी के दिनों में जब पानी से प्यास न बुझे तो ठंडे पानी और मशरूब के बदले सुलेमानी चाय या कहवे का इस्तेमाल करें। सुबह ४ बजे से पहले उठे ताकि इत्मिनान से जरूरीयात से फ़ारिग़ होकर आप तहज्जुद पढ़ सकें।

१०. सब से अहम ज़ादे सफ़रः

अल्लाह तआला फ़रमाता है।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ۝ (سورہ بقرہ، آیت:۱۹۸)

व तज़व्वदू फ-इन्ना खैरज़्ज़ा-दित-तक्वा, वत्तकूनी या ऊलिल अल्बाब (सूरह बकरा:१९७)

तर्जुमा : और ज़ादे राह जो बेहतरीन ज़ादे राह है वह तक़्वा है और ऐ अक़्लमंदों मेरा तक़्वा इख़्तियार करो।

हज़रत आदम (अ.) के बेटे काबील की कुर्बानी इस लिए क़ुबूल नहीं हुई थी क्योंकि उसमें तक़्वा का जज़्बा न था।

अल्लाह तआला फ़रमाता है।

قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۝ (سورہ مائدہ، آیت:۲۷)

''क़ा-ल-इन्नमा य-त-कब्बलुल्लाहू मिनल मुत्तक़ीन।''(सूरह माइदाह:२७)

तर्जुमा : अल्लाह मुत्तक़ीयों ही से क़बूल फ़र्माता है।

रसूल अल्लाह (स.) ने हज्जतुलविदा के मौक़े पर फरमायाः

التقویٰ ھٰھُنا و یشیر الیٰ صدرہ ثلاث مرات (مسلم)

तर्जुमा : तक़वा यहाँ होता है आप (स.) ने तीन मर्तबा अपने सीने मुबारक की तरफ इशारा करते हुए फ़र्मायाः

“इस लिए हज के सफ़र पर जाने से पहले सारी तैयारियों के साथ अपने दिल की कैफ़ियत को भी सवारें। हाजी कहलाने की चाह, दिखावा, सैर व तफ़रीह की नियत, खूब ख़रीदी की तैयारी वग़ैरह का इरादा भी हज की नियत के साथ हो तो तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और ख़ालिस ख़ुदा की ख़ुश्नूदी के लिए हज के सफ़र की तैयारी कीजिए।”

अश्या-ए- मम्नूआः यह सामान सऊदी अरब ले जाना मना हैः

१. हथियार या उनके हिस्से या फौजी इस्तेमाल की अश्या।
२. तमाम क़िस्म की धमाका ख़ेज़ अश्या या बारूद।
३. मिट्टी का तेल और पेट्रोल और तमाम क़िस्म के सयूयाल माद्दे और स्टोव वग़ैरह।
४. आतिशगीर अश्या, चमक पैदा करने वाली गेम माचिस गेम राकेट वग़ैरह।
५. तमाम नशा आवर मशरूबात और दवाऐं जो के ख़्वाब आवर माद्दे, अफ़ीम, चरस, मारफ़ीन, कोकीन या इस किस्म के माद्दों से बनी हुई हों या इन में इन अश्या की मिक़दार शामिल हो।
६. ऐसी अश्या जिनमें ज़हरीला माद्दा या इसी क़िस्म की दवाऐं शामिल हों जब तक वज़ारते सेहते आ़मा से मंज़ूरी हासिल न हो।
७. तमाम दवाऐं सिवाय जिनकी, वज़ारते सेहते आ़मा से मंज़ूरी हासिल हो।
८. तमाम तबा शुदा मुवाद जो के इख़्लाक़ी और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो।
९. नंगी तसावीर या इसी क़िस्म की दूसरी अश्या जो ईसाइयों के मज़हबी क्रॉस (✝) की शक़्ल में हो।
१०. बड़ी साईज़ की तसावीर जो कि बग़ैर फ़रोख़्त आप ले जाना चाहते हों।
११. फिल्में सिवाय इस समाजी फिल्मों के टेप जो कि वज़ारते इत्ताआ़त व नस्रियात ने मंज़ूर किये हों।
१२. वायरलेस और उसके पुर्ज़े जब तक के वह हुकूमत के इस्तेमाल के लिए दरआमद किये जायेंगे और वज़ारते ख़बर रिसानी की मंज़ूरी हासिल कर ली गयी हो।
१३. खिलौने वाली बंदूक़ें जो के बच्चों के लिए हों।
१४. बच्चों के वास्ते शूटिंग के लिए तमाम क़िस्म की बंदूक़ें जब जक वज़ारते दाख़ला की मंज़ूरी न हो।
१५. चाकू, ख़ंजर और हथियार वगैरह।
१६. वह तमाम किताबें, पम्पलेट या दूसरी अश्या जिनमें कम्युनिज़्म का प्रोपेगंड्डा किया हो या सऊदी हुकुमत की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हों या इस्लाम के ख़िलाफ़ लिट्रेचर।
१७. मछलियां पकड़ने के लिए ख़ुसूसी फूल जो कि जहाज़ रानी और इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हो।
१८. वह तमाम सामान जिन पर इस्राईल का तारा या उन का कोई निशान बना हो।
१९. बच्चों की मिठाईयां जो सिगरेट की शक़्ल में हों या इसी तरह की अश्या जो सिगरेट की पब्लिसिटी के लिए हो।
२०. तेल और तेल से बनी तमाम अश्या जो के सेहत आ़मा के लिए मुज़िर हों।
२१. काले रंग की तस्बीह के दाने जो प्लास्टिक, कांच या इस क़िस्म की दूसरी चीज़ों से बने हों।
२२. वीडियो और ऑडियो कॅसेट।

मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिए गये) अश्या हर हवाई सफ़र में हैंड बैग में रखना मम्नू हैः

१. कैंची, नेलकटर (नाखून काटने का सामान) ब्लैड, छुरी, चाकू और ऐसे सारे सामान जिन से किसी इंसान को ज़ख़्मी किया जा सकता है।
२. आज कल बम बनाने के केमिकल, सयूयाल माद्दे या प्लास्टिक की तरह होते हैं इसलिए अब जहाज़ के अंदर पानी की बोतल और तमाम सयूयाल माद्दे ले जाना मम्नू है।
३. ऐसे तमाम क़िस्म के खिलौने भी मम्नू हैं, जिससे किसी को डरा कर जहाज़ को अग़वा किया जा सकता है जैसे; प्लास्टिक की बंदूक़ वग़ैरह।

ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट पर ज़ब्त कर ली जाती हैंः

४. एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान अगर कोई ड्रग या नशे वाली चीज़ आप के सामान में शामिल मिल गयी, तो सऊदी हुकूमत में इस की सज़ा आम तौर पर सज़ा-ए-मौत ही है।
५. बाल काटने की कैंची, सब्ज़ी काटने की छुरी, नाख़ून काटने के औज़ार या बच्चों के खिलौने वग़ैरह आप चेक इन लगेज वाले सूटकेस में रख सकते हैं जो के जहाज़ के निचले हिस्से में लोड होगा। ये सारी अश्या जहाज़ के अंदर ले जाना मना है। इनके साथ सफ़र करना मना है।
६. बाल काटने की कैंची, शेविंग ब्लैड,नाख़ून काटने का औज़ार, सब्ज़ी काटने की छुरी इन सब की ज़रूरत आप को उम्रह के बाद हज से पहले और हरम में क़याम के दौरान होगी। इस लिए इनको चेक इन लगेज में रख लें और अपने मुक़ाम पर पहुंच कर निकाल लें और इस्तेमाल करें।

हज के दौरान रास्ता भूलने और खो जाने का मसला

मक्का मुकर्रमा में खो जाने का मसला :

हरम शरीफ़ की मस्जिद में ६२ दरवाज़े हैं, जिन पर नंबर लिखे हुए हैं। कुछ दरवाज़ों पर नंबर नहीं हैं। उन्हें भी गिना जाए तो १०० से ज़्यादा दरवाज़े हैं। नये आदमी को सब दरवाज़े एक जैसे लगते हैं इस लिए जब पहली मर्तबा आप हरम शरीफ़ जाऐं तो जिस दरवाज़ से दाख़िल हों उस का नंबर नोट कर लें और उसी दरवाज़े से बाहर आऐं।

जब आप हरम शरीफ़ के अंदर मुताफ़ (सेहन) में होंगे तब भी चारों तरफ़ सारे दरवाज़े आप को एक जैसे लगेंगे। पहचान के लिए हुकूमत ने पाँच अहम दरवाज़ों पर पाँच अलग अलग रंग की मेहराबें बना दी है। जब आप हरम में दाख़िल हों तो इन रंगों को अच्छी तरह पहचान लें और इसी तरफ़ के दरवाज़े से बाहर निकलें। दरवाज़ों की मेहराबें और उन के रंग इस तरह हैं।

दरवाज़े का नाम	मेहराब का रंग	सिम्त (तरफ़)
१. बाबे अब्दुल अज़ीज़	हरा	यह दरवाज़ा नंबर १ है और मिस्फ़ला इलाक़े की तरफ है।
२. बाबे सफ़ा	सफ़ेद	यह हिज्रे अस्वद के सामने सफ़ा पहाड़ी की तरफ़ है। जहाँ से सई शुरू की जाती है।
३. बाबे फ़तह	नीला	यह मरवा पहाड़ी की तरफ़ है।
४. बाबे उम्राह	सिलेटी	यह दरवाज़ा नंबर ६२ है। इस दरवाज़े के पास गुमशुदा लोगों के लिए ऑफ़िस है।
५. बाबे फ़हद	पीला	यह दरवाज़ा नंबर ६२ है। शाह फ़हद ने हरम के एक हिस्सा की बहुत ज़्यादा तवसि की है जिस में ८० हज़ार लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। यह मेहराब उसी हिस्से की तरफ़ है।

गेट नंबर ६२ के बाहर गुमशुदा लोगों और सामान का ऑफ़िस है। अगर आप गेट भूल जाऐं और अकेले घर जाने की हिम्मत या एतमाद न हो तो गेट नंबर ६२ के पास ऑफ़िस में पहुँच जाऐं। वह गाईड के ज़रिया आप को आप के घर या मुअल्लिम के ऑफ़िस पहुँचा देंगे।

जिद्दा एयरपोर्ट पर खो जाने का मसला :

जिद्दा एयरपोर्ट बहुत वसीअ़ और अ़रीज़ है। और इस एयरपोर्ट पर आप को काफ़ी देर रुकना है और तकरीबन ३०० फीट बस डिपो तक चलना है। इस एअरपोर्ट के हर खम्बे पर नंबर लिखे हुए हैं। बस डिपो तक तो गाईड आपको रास्ता बता देंगे। मगर दूसरी किसी जरुरत से अगर आप दूर जाते हैं तो आप का सामान जिस खम्बे के पास है, उसे ज़रुर नोट कर लें।

मिना में रास्ता भूलने का मसला :

मिना में अक्सर हर शख़्स एक बार रास्ता ज़रूर भूलता है। इस लिए अगर आप मिना का जुगराफिया अच्छी तरह समझ लें तो इन्शा अल्लाह रास्ता नहीं भूलेंगे। मिना दो पहाड़ों के दरम्यान एक वादी का नाम है। इस वादी में मक्का की तरफ से दाखिल होते ही 'जमरात' यानी शैतान को कंकरी मारने का मुक़ाम पहले है, फिर उस के बाद खेमों का सिलसिला है। वादी के दूसरी तरफ निकलें तो आधे किलो मीटर की दूरी पर 'मुज़्दल्फा' है, फिर और आगे जाऐं तो ६ किलो मीटर की दूरी पर 'अरफात' है।

मिना लम्बाई में बसा है इसकी चौड़ाई कम है। रास्ता और ख़ेमा न भुलने के लिए सबसे पहले आप जमरात की जगह पहचान लीजिए फिर मिना के ऊपर चौड़ाई की सिम्त में तीन पुल हैं। इन का नाम याद कर लीजिए। जमरात से नज़दीक पहले पुल का नाम है किंग खालिद ब्रिज दूसरे पुल का नाम हैं किंग अब्दुल अजीज ब्रिज, तीसरा पुल मिना से बाहर मुज़्दल्फा की सरहदद पर है। उसका नाम किंग फैसल ब्रिज। ज़्यादातर हिंन्दुस्तानी खेमे पहले और दुसरे पुल के आसपास ही होते है। तीसरी और सबसे अहम निशानी की और खेमे का पत्ता मिना में लगे खम्बे है, जिनपर नम्बर लगे होते है। अगर आप सिर्फ इन खम्बों पर लिखे नम्बर भी नोट कर ले तो कोई भी आप को आप के खेमे तक पहुँचा देगा।

एहतेयात और तदबीरें :

१. मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही होटल के काँउटर से उनका शन्खाती कार्ड माँग ले और हमेशा अपने पास रखे।

२. एहतेयात के तौर पर एक छोटी सी डायरी और पेन जेब में रखा कीजिए और इस में मुंदर्जाज़ैल बातें नोट किया किजीए :

आप के क़याम गाह की सिम्त में हरम शरीफ के दरवाज़े का नंबर।

आप के क़याम गाह के पास के मशहुर होटल या दुकानों के नाम।

मिना में आप के ख़ेमा के नज़दीक खम्बे का नंबर।

रोज़ मर्रह का आप का ख़र्च।

इस से आप को अपना ठिकाना तलाश करने में आसानी होगी और ख़र्च बजट के अन्दर रहेगा।

तवाफ़ करते वक़्त अगर दो लोग भी साथ हों तो अलग अलग हो जाते हैं इस लिए एक दुसरे का हाथ मज़बुती से पकड़ने के बदले हरम शरीफ़ में दाख़िले के वक़्त ही आपस में तय कर लें कि इबादत ख़त्म कर के कहाँ और कब मिलेंगे। हर एक हरम शरीफ़ में दाख़िल होते वक़्त बाहर से दरवाज़ा का नंबर नोट कर लें और मुताफ़ या ख़ाना काबा के सेहन की तरफ़ से जो मेहराब उस दरवाज़ा की तरफ है उस का रंग नोट कर लें (दरवाज़े का नाम और नंबर दोनों तरफ़ लिखे हुए हैं मगर आसानी के लिए मुताफ़ की तरफ से पॉच अहम दरवाज़ों की मेहराबें भी अलग अलग रंग की हैं इस से भूलने का डर कम रहता है।) फिर अगर तवाफ़ करते करते साथ छुट जाए तो साथी को तलाश करने के बदले इबादत जारी रखें और पहले से तय शुदा जगह और वक़्त पर हरम शरीफ के दरवाज़े पर मिलें।

४. मिना और अरफ़ात में भी भीड़ में साथ छुट जाने का डर रहता है वहाँ तो आप पहले से जगह भी तय नहीं कर सकते, इस लिए वहाँ लोग मुंदर्जा ज़ैल(नीचे दिए गये) तदबीर एख़्तियार करतें हैं।

i) एक ग्रुप का हर फ़र्द एक ही जैसा कोई निशान अपने कपड़े या टोपी या दुपट्टे पर लगाऐ रहता है, जैसे लाल रिबन या कपड़े के फूल वग़ैरह इस से

एक दुसरे को पहचानने में आसानी होती है।

ii) एक ग्रुप में किसी एक शख़्स के हाथ में कोई निशानी की चीज़ होती है जो वह बुलंद किये रहता है, जैसे झंडा, छतरी, लकड़ी वग़ैरह। ग्रुप के बाक़ी के लोग उस निशान को देख कर उस ग्रुप लीडर के पीछे चलते रहते हैं और खो जाने पर दूर से ही पहचान कर आ मिलते हैं।

ये दोनों तरीक़े लोग तवाफ़ करते वक़्त भी इस्तेमाल करते हैं।

iii) तीसरा तरीक़ा मोबाईल का इस्तेमाल है। मगर इसे उस वक़्त इस्तेमाल करें जब कोई चारा न हो। मुताफ़ और हरम शरीफ़ के अंदर मोबाईल बंद ही रखें और हरम से बाहर आकर इस्तेमाल करें। मस्जिद के अंदर दुनियादारी की बातें करने पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और मस्जिद-ए-हरम में किया गया एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है।

गुमशुदा आ़ज़मीन किराम और सामानः

अगर आपका कोई साथी खो जाये, तो हिंदुस्तानी हज मिशन के ब्रांच आफिस को फौरन इत्लाअ़ दें, और अगर आपका कोई सामान खो जाये, तो भी पहले अपने ब्रांच आफिस A.H.O.को इत्लाअ़ करें और फिर उन के मशविरे पर सऊदी अ़रब हुकूमत कि गुमशुदा सामान के ब्रांच आफिस में इत्लाअ़ करें।

रक़म का गुम होना या चोरी होनाः

अगर आप की रक़म गुम हो जाये या चोरी हो जाये, तो ऐसी सूरत में शोऐब आ़मिर इलाक़े में मौजूद हिंदुस्तानी मिशन के सदर दफ्तर में इफाद ऐ आम डेस्क से रूजूअ़ करें। आप को आ़रज़ी इम्दाद हिंदुस्तानी आ़ज़मीने इफादा फोरम I.P.W.F. की जानिब से फराहम की जायेगी।

अपने साथी आ़जिम की मौत हो जाने परः

अगर आप के किसी साथी की मौत हो जाये, तो मुअ़ल्लिम के दफ़्तर और अपने ब्रांच आफिस का मुत्लाअ़ करें। याद रक्खें के मरहूम की रिहाईश गाह से क़ब्रिस्तान ले जाने और तद्फीन की सारी ज़िम्मेदारी मुअ़ल्लिम पर आ़यद होती है। शोऐब आ़मिर में वाक़ेअ़ हिंदुस्तानी हज मिशन का सदर दफ्तर का राब्ता डेस्क इस ज़मन में N.O.C. जारी करता है।

तिब्बी इमरजेंसी इम्दादः

इमरजेंसी की सूरत में हिंदुस्तानी मिशन के ब्रांच के दवाख़ाने या अस्पतालों से दवा ली जा सकती है, मज़ीद मुश्किल हालात में डाक्टर को अपनी इमारत में भी बुलवाया जा सकता है।

मिना में कोई मसला दरपेश हो तो..!

अपने ख़ेमे से हमेशा मुअ़ल्लिम से राब्ता क़ायम करें। हिदूस्तानी मिशन के मिना में मौजूद कैंप ऑफिस से भी राब्ता क़ायम कर सकते हैं।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज्जे मक्बूल

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) कौन सा अमल ज़्यादा अफ़ज़ल है? आप (स.) ने फरमाया : अल्लाह और उस के रसूल अल्लाह पर ईमान। अर्ज़ किया, उस के बाद? फरमायाः अल्लाह के रास्ते में जिहाद। अर्ज़ किया, फिर? फरमायाः हज्जे मक्बूल। (बुखारी, मुस्लिम)

पहले कौन ?

मैं ५० किलो का दुब्ला पतला इन्सान हूँ, जब मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ, तो आधा मुसल्ला ख़ाली रहता है। हरम शरीफ में मुझे उस जगह नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक़ था जहाँ से ख़ानाऐ काबा साफ नज़र आऐ इसी लिए मैं वक़्त से पहले हरम पहुँच जाता और मौजँ जगह मुसल्लह बिछाकर बैठा रहता। जैसे जैसे नमाज़ का वक़्त क़रीब आता, आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जाती। जब सारी ख़ाली जगह भर जाती तो लोग दो नमाज़ियों के दरम्यान कुछ जगह बना कर बैठने लगते ।

चूँकि मेरा आधा मुसल्लह तो ख़ाली ही होता था इस लिए मेरे बग़ल में कोई न कोई ज़रूर आ जाता और अगर कोई सेहतमंद हाजी आ जाते तो आहिस्ता आहिस्ता वह मुसल्लह के बीच में होते और मैं किनारे और इस तरह अक्सर मैं ने नमाज़ दो मुसल्लों के बीच में पढ़ी, और ये बात मुझे नागवार गुज़रती।

एक दिन मैं ने दिल मैं फैसला किया कि आइंदा किसी को अपने मुसल्ले पर जगह न दुँगा। मेरा इतना सोचना था के दूसरे दिन से मेरे वक़्त से पहले हरम जाने और अपनी मन-पसंद जगह पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक़ छिन गई। मैं खुद देर से जाने लगा। दुसरों से गुज़ारिश कर के दरम्यान में जगह बना कर बैठने लगा। यहाँ तक कि कभी कभी मुसल्लह भी न ले जा पाता और जनवरी के सख़्त सर्दीयों में बर्फ की तरह ठंडी फर्श पर किसी कोने या किनारे नमाज़ पढ़ता। आख़िर बहुत तौबा इस्तग़फार के बाद फिर तौफ़ीक़ नसीब हुई।

किसी हाजी के लिए सिर्फ बदगुमानी की ये सज़ा के इबादत की तौफ़ीक़ छिन जाऐ, तो जो लोग हाजियों को तक़लीफ़ पहुँचाते हैं उनका क्या होगा?

जो कोई भी खुदा के घर आता है वह खुदा का मेहमान है और अल्लाह तआला मेज़बान हैं। अगर मेज़बान को खुश करना है, तो इसके मेहमानों की ख़िदमत को अपना नस्बुलऐन बनाना होगा। आप मेहमान से झगड़ा करके, धक्का देकर, पीछे ढकेल कर, उसे तक़लीफ पहुँचाकर कभी मेज़बान (अल्लाह तआला) को खुश नहीं कर सकते। खुदा न करे के आप से भी इबादत की तौफ़ीक़ छिन जाए या इबादत लौटा दी जाए इसलिए एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर या कहीं भी जब ये सवाल हो कि पहले कौन तो आप का जवाब होना चाहिए कि पहले अल्लाह तआला का मेहमान फिर मैं।

रसुलअल्लाह (स.) ने हजतुलविदा के मौक़े पर फर्मायाः

‘‘'हमेशा ही मुसल्मानों का क़त्ल करना, उन का माल लूटना, उन्हें बे-इ़ज़्ज़त करना, उतना ही सख्ती के साथ हराम है जिस तरह मुकद्दस शहर और इस मुकद्दस अरफा के दिन उन का क़त्ल करना, माल लूटना, और बे-इ़ज़्ज़त करना हराम है। (बुखारी)

‘‘मुसलमान वह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो।’’ (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी) से रिवायत है कि रसुलअल्लाह (स.) ने इर्शाद फरमाया, “हज उम्रह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अगर वह अल्लाह से दुआ करें, तो वह उन की दुआ क़बूल फरमाए और अगर वह इस से मग़फ़िरत माँगे तो वह उन की मग़फ़िरत फरमाए।”

(नसाई, इब्ने माजा, बज़्ज़ार)

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी) से रिवायत है कि रसुलअल्लाह (स.) ने हाजियों के लिए दुआ फरमाई है? ‘‘य़ अल्लाह! हज करने वालों को बख्श दे और जिस के लिए हाजी मगफिरत तलब करे उस को भी बख्श दे।’’(इब्ने खज़ीमा)

इसलिए अल्लाह के मुअ़ज़्ज़िज़ मेहमान का खयाल रखें और उन की ऐसी खिदमत करें कि वह आप को दिल की गहराइयों से दुआ दें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज के ख़ास दिनों में सवारी का मसला

१. एहसान का बदला :

आप के घर में अगर दस लोग रह रहे हों और बीस मेहमान बाहर से आ जाएें और आप ने उन की खुश दिली से ख़िदमत की तो मेहमान का क्या फ़र्ज बनता है? मेहमान को चाहिये कि आप के एहसान का बदला बराबरी के एहसान से चुकायें।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ (سورہ رحمٰن، آیت:۶۰)

''हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान'' (सूरह रहमान, आयतः ६०)

तर्जुमाः नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है।

तीस से चालीस लाख लोग हज के अय्याम और रमज़ान-उल-मुबारक में मक्का शहर पहुँचते है। जो मक्का शहर की आबादी से कई गुना ज़्यादा है। शहर के लोग और हुकूमत हर तरह से हाजियों की ख़िदमत करते हैं। इस लिए हाजियों को चाहिये कि उन के रिज़्क़ में बर्कत् और खुशहाली की दुआ करें।(मक्का में दाख़िल होते वक़्त और बस में इस दुआ को आप पढ़ते भी हैं) और अगर आप से उन को फ़ायदा पहुँचता है तो उसे खुशी से होने दें। तंग दिल न हों, वहाँ के होटल, दुकानें, बस, टैक्सी वग़ैरह की बड़ी आमदनी का ज़रिया हज और रमज़ान-उल-मुबारक ये दो मवाक़े ही हैं इस लिए अगर इन दो मौक़ों पर आप को ऐसा महसूस हो कि वह ज़्यादा कमा रहे हैं तो इस का उन को हक़ है। और आप को इन की मद्द करनी चाहिये और ज़्यादा रूपया बग़ैर तंग दिल हुए देना चाहिये।

हज़रत बरिद (रज़ि) से रिवायत है के हुज़ुर (स.) ने इर्शाद फर्माया के हज में ख़र्च करना जिहाद में ख़र्च करने की तरह है।

एक हदीस में हज़रत आईशा (रज़ि) से मरवी है के हुज़ुर (स.) ने फर्माया के तेरे उमरे का सवाब तेरे ख़र्च के बक़्द्र है यानी जितना ज़्यादा इस पर ख़र्च किया जाएगा उतना ही सवाब होगा।

२. सवारी का इंतेज़ाम :

हज के मौक़े पर तीस से चालीस लाख लोग एक ही वक़्त में एक तरफ़ सफ़र करते हैं इतने ज़्यादा लोगों के लिए एक ही वक़्त सवारीयों का इंतेज़ाम करना मुम्किन ही नहीं इस लिए मुअल्लिम का इंतेज़ाम लोगों को तीन ट्रिप (trip) में बस के ज़रिए मंज़िल पहुँचाना होता है। सड़क पर लोग्ें के अज़दहाम और मोटर गाड़ियों की भीड़ की वजह से वह मुश्किल से दो ट्रिप कर पाते हैं। आख़री ट्रिप के तिहाई १/३ लोगों को या तो अपनी मंज़िल तक पैदल या प्रायवेट टैक्सी ही में सफ़र करना पड़ता है।

जो लोग बस के पहली ट्रिप में सवार होते हैं वह दुनियावी नुक़्ते नज़र से चुस्त, चालाक और सवारी की मुश्किलों से वाक़िफ होते हैं। जो, सब लोगों से पहले पहुँच कर धक्कम पेल कर के बस में सवार हो जाते हैं।

जो लोग सब्र कर के और देर तक इंतेज़ार कर के दुसरी ट्रिप में सफ़र करते हैं। वह अक्सर सीधे सादे, सवारी की तकलीफ़ो से नावाक़िफ़ और भीड़ भाड़ से कतराने वाले लोग होते हैं। आख़री ट्रिप होती ही नहीं। क्योंकि तीसरी ट्रिप तक मंज़िल पर पहुँचने का वक़्त ख़त्म हो चुका होता है इस लिए वह लोग जिन्हों ने हज की तर्बियती तालीम हासिल की है और जो मसाइल का इल्म रखते हैं। वह बग़ैर बस का इंतेज़ार किये पैदल या प्रायवेट टैक्सी वग़ैरह से ही चल देते हैं। अगर आप को मिना से अरफ़ात जाना है तो पहली बस फज्र के फ़ौरन बाद चली जाती है। और दुसरी ट्रिप के लिए क़रीब ११ बजे वापस आती है। और हाजियों को लेकर २ बजे तक अरफ़ात पहुँचती है। तीसरी ट्रिप के लिए अगर वापस आना हुआ तो फिर अरफ़ात पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और वक़्त ख़त्म हो चुका होगा इस लिए तीसरी ट्रिप हो ही नहीं पाती। इसलिए अब मुअल्लिम रात ही में जो मस्नून वक्त से पहले है हाजियों को मक्का से मिना और मिना से अरफात ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसी मजबूरी की हालत में रात का सफर करना जाइज़ है।

३. पैदल सफर कितना मुश्किल है?

१. मक्का शरीफ से मिना तकरीबन ४.५ से ५ किलो मीटर दूर है।
२. मिना कि लम्बाई तकरीबन १.५ से २ किलो मीटर है।
३. मुज़दलफा मिना से बिल्कुल लगा हुआ है।
४. मिना से अरफात ६.५ किलो मीटर है।
५. सफा और मरवा की दुरी ३६५ मीटर है।
६. जब आप खाने काबा का तवाफ मुकामें इब्राहिम के बिल्कुल करीब से करते है, तो एक चक्कर में आप १५० मीटर का सफर करते है यानी सात चक्कर में एक कि.मी. से कुछ ज़्यादा चलते है।
७. जब आप खाने काबा का तवाफ काबे शरीफ से १०० फिट की दूरी यानी मुताफ़ के आखरी हिस्से से करते है तो तकरीबन पौंने दो कि.मी. की दूरी तय करते है।
८. सफा और मरवा की दूरी ३६५ मी हैं यानी सात चक्कर में आप तकरीबन पौंने तीन कि.मी. चलते हैं।
६. उम्रह में अगर आप खाने काबा से १०० फिट की दूरी से तवाफ करते हैं और सफा और मरवा के सात चक्कर लगाते हैं। तो ४.५ किलो मीटर की दूरी तय करते है यानि मक्का से मिना कि दूरी। अगर आप उम्रह आसानी से कर सकते है तो मक्का से मिना भी आसानी से और उतने ही वक्त में जा सकते हैं।
१०. जब आप मक्का पहुँचते ही उम्रह करतें हैं तो उम्रह करते वक्त अपनी जिस्मानी ताकत का भी अन्दाज़ा कर लें। अगर आप बडी आसानी से उम्रह कर लेते है तो मक्का और मिना का दरम्यानी सफ़र भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगें।
११. एक बार उम्राह करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद अगर आप सफा और मरवा के सात चक्कर और लगा सकते हैं, तो आप मिना और अरफात के दरम्यान का सफर भी आराम से कर सकते है।
१२. लोग दिन में पाँच से सात बार तवाफ करतें हैं ये मक्का और मिना या अरफात की दूरी से भी ज़्यादा चलना है मगर क्योंकि एक ही जगह पर चलना होता है इसलिए हिम्मत बंधी रहती है और मिना और मक्का या मिना और अरफात का सफर भी पैदल नहीं किया हुआ होता हैं इसलिए इस बारे में सोचकर हिम्मत टूट जाती है इसलिए अपने पहले उम्रह पर बारीकी से ग़ौर कीजिए। अपनी कुव्वत का अन्दाजा लगाइये और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदल सफर करने की कोशिश कीजिए।
१३. पैदल चलने की बहुत फज़ीलत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमायाः
जो मक्का को पैदल हज को जाये यहाँ तक के मक्का से वापस आये यानी तमाम हज पैदल करे, तो उस के लिए हर कदम पर सात सौ नेकियां हरम शरीफ की नेकियों की मिस्ल लिखी जायेंगीं। पूछा गया है कि हरम शरीफ की नेकियों की क्या मिक़दार है? नबी करीम (स.) ने फरमाया, ''हर नेकी लाख

नेकी है।" (इब्न खज़ीमा व हाकिम)। लिहाज़ा इस हिसाब से हर क़दम पर सात करोड़ नेकिया हुई। (वल्लाहु ज़ुल्फज़्लिल अज़ीम)

इसलिए हज के अय्याम में हमेशा पैदल चलना सब से अफज़ल है। मगर जो कमज़ोर हैं और इतनी मशक्कत की हिम्मत नहीं उन के लिए मेरा ज़ाती मश्वरा यह है कि आप नीचे दिए गए तरीके से सफ़र कीजिए।

४. मक्का से मिना का सफरः

१. मिना जाने से पहले मुअल्लिम से ख़ेमा का नक़्शा ले लीजीए। मक्का में आप की रिहाईशगाह से मिना जाने के लिए बस का इंतेज़ार कीजिए और बस में ही सफ़र कीजीए क्योंकि मुअल्लिम ७ तारीख़ की रात से ही हाजियों को मिना पहुँचाना शुरू कर देते हैं और ८ तारीख़ को १२ बजे आप को मिना पहुँचना होता है इस लिए बस में अक्सर आराम से जगह मिल जाती है। दूसरी वजह ये भी है कि बस आप को आप के ख़ेमा तक पहुँचा देगी। पहली बार ख़ेमा ढुंढना भी एक बड़ा मसला है। अगर मुअल्लिम रात में हाजियों को मिना पहुँचाना नहीं शुरू करता तो सुबह में बहुत भीड़ और अफ़रा तफ़री होगी। ऐसे हालात में आप सुबह फ़ज्र के बाद ही मिना पैदल चल दीजिए।

अगर आपके साथ औरतें और बुढ़े हैं जो चल नही सकते तो आप सब्र कीजीए और दूसरी या तिसरी बस कि ट्रिप से मिना पहुँचे। क्योंकि आठ तारीख को मिना पहुचकर आपको सिर्फ पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अगर आप दोपहर २ बजे भी मीना पहुँचते है तो भी पाँचों वक्त कि नमाज़ आसानी से पढ़ सकते हैं।

अगर आप चल सकते है और आप के पास मिना का नक्शा भी है ओर ख़ैमा तलाश कर लेने का हौसला भी है तो अल्लाह का नाम लेकर पैदल सफर शुरु कर दीजीए।

मिना के ख़ेमे में तकरीबन ७० लोंगों को रखा जाता हैं। लोग बड़ी मुश्किल से ख़ेमे मे सो पाते हैं जो लोग मिना पहले पहुंचते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जगहों को घेर लेते है। जिससे आखिर में आनेवाले को सामान रखने कि जगह भी नही मिल पाती। अगर ऐसा हो तो सब्र से काम लीजिए किसी कोने में सामान रखकर दिनदार लोगों को जमा कीजिए और औरतो के पर्दे के लिए खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरता को खेमे के एक तरफ करने कि कोशिश कीजिए।

ऐसा करने से सब की घेरी हुई ज़ाएद जगह आज़ाद हो जाती है। फिर इंसाफ़ के साथ आपस के सुलह व मश्वरे से हर एक को इन के आसानी के मुताबिक़ जगह दीजिए। शरीयत के उसूलों पर चलने से न सिर्फ आख़िरत की ज़िन्दगी बल्कि दुन्यावी ज़िन्दगी भी आसान हो जाती है।

५. मिना से अ़रफ़ात का सफ़रः

९.तारीख़ को मिना में फज्र की नमाज़ पढ़कर अ़रफ़ात के लिए जाना, यह सुन्नत तरीक़ा है और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, मगर जब तीस लाख लोग एक साथ ऐसा करें, तो क्या हाल होगा? आप इस का अंदाज़ा कर सकते हैं? सख़्त अफ़रा तफ़री का आलम होता है। बस और जीप में सब छत के ऊपर तक भरे होते हैं। मिना से अ़रफ़ात आप का मुअ़ल्लिम की बस में जाना ज़्यादा बेहतर है इसकी चार वजूहात हैंः

१. मुअ़ल्लिम आप को अपने अरफ़ात के ख़ेमे में ले जाकर ठहराऐगा, जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं ज़रूरत हुई, तो लेटकर आराम कर सकते हैं। अपने ग्रुप में जमात बनाकर नमाज़ अदा कर सकते हैं, और सुकून से इबादत कर सकते हैं।

२. दोपहर का ख़ाना मुअ़ल्लिम की तरफ से होगा। इसलिए आप को अपने ख़ाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए।

३. मुअ़ल्लिम के ख़ेमों के आस पास ही नहाने और ज़रूरियात से फारिग़ होने का अच्छा इंतेज़ाम होता है। अ़रफात में ग़ुस्ल सुन्नत है।

४. अ़रफ़ात से वापसी के वक़्त भी मुअ़ल्लिम के ख़ेमे के पास ही से इस की बस रवाना होगी। इस लिए अगर आप के साथ ऐसे लोग हैं जो चल नही सकते, तो आप को सवारी के लिए आसानी होगी।

अगर आप ने अ़रफात की तरफ पैदल सफ़र किया और मस्जिद नमरा के क़रीब पहुंच गये, तो वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती है, जैसे; नमाज़ के बाद मुताफ़ में तवाफ़ करते वक़्त होती है। इसलिए अगर आप का पैदल सफ़र का इरादा है, तो अ़रफात से पहले दायें या बायें होकर अ़रफात में दाख़िल हों सीधे रास्ते पर मस्जिद-ए-नमरा है।

मुअ़ल्लिम की बस से सुकून से आपको अगर अ़रफात जाना है, तो आधी रात को जब इस की पहली बस अ़रफ़ात के लिए रवाना होगी उस से आप अ़रफात आ जायें और अ़रफात पहुंच कर फ़ज्र की नमाज़ अदा करें।

मिना में फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर निकलना सुन्नत है। मगर मुसलमानों को तक़लीफ़ देना हराम है। अगर आप सुबह तक इंतेज़ार करते हैं और सुबह की बस से रवाना होना चाहेते हैं, तो उस वक़्त जब बस छत तक भर गयी होगी। आप का उस भीड़ में शामिल होना लोगों की परेशानी का सबब बन जायेंगे।

अरफात के करीब पहुँचकर आप को लोगो का एक समंदर नज़र आएगा। मगर ख़बरदार रहिए! जहाँ लोग हैं, वहाँ अरफात के मैदान का होना ज़रुरी नही हैं। अरफात का मैदान एक महदूद जगह हैं जिसकी निशानदेही कर दी गयी है। वकूफअरफा (अरफात में वक्त बिताना) का फर्ज़ इसी जगह रहकर इबादत करने से अदा होगा। मस्जिद-ए-नमरा का कुछ हिस्सा और आसपास का बहुत सा इलाका अरफात के हुदूद के बाहर हैं। जब आप अरफात के मैदान में दाखिल होने लगे, तो अ़रफात के हद का बोर्ड जरूर देख लें।

मुज़्दल्फ़ा से अ़रफात के तरफ कुल ११ सड़कें जाती है जिन में से २ सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए और ९ मोटर गाडियों के लिए हैं। पैदल चलनेवाली दो सडके मुज़्दल्फ़ा में मस्जिद अलशअ़रूल हराम से निकलती हैं इस में सड़क नम्बर एक मस्जिद ए नमरा और सडक नम्बर दो जबल-ए-रहमत तक गयी हैं, इन सडकों पर तरीकुल मशाता रक्कम १ या २ लिखा हुआ होगा। पैदल चलने वाली सड़क नम्बर एक मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ४ और ५ के दरम्यान है और पैदल चलने वाली सडक नम्बर २ मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ७ और ८ के दरम्यान है।

मस्जिद-ए-नमरा अरफात में दाखिल होते ही हैं। इस का मुज़्दलफा की सिम्त का एक हिस्सा अरफात के हुदूद के बाहर है। जब के जबले रहमत अरफात मैदान के दरम्यान है, इन दोनों जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आपके ग्रुप में ज्यादा लोग हो और औरते और कमजो़र लोग हो तो इन दोनों जगहों से दूर ही रहें तो बेहतर है वरना एक दुसरे सें बिछड़ जाने का खतरा रहता है ।

६. अ़रफ़ात से मुज़्दल्फ़ा का सफ़रः

हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते हैं, मगर मक्का शरीफ़ से मिना और मिना से अरफ़ात का सफ़र लोग ३ से ४ घंटे के वक्फ़े में करते हैं, यानि किसी ने ३ घंटे पहले और किसी ने ३ घंटे बाद सफ़र शुरू किया। मगर अरफात से मुज़्दल्फ़ा का वापसी का सफ़र लोग एक साथ, एक ही वक्त में सूरज डूबते ही करते हैं इस लिए वह गाडियाँ जो अरफ़ात के आख़री सिरे पर, यानि मस्जिद-ए-नमरा से दूर होती हैं वह एक ही जगह पर ३ से ४ घंटे खड़ी रह जाती हैं और मुज़्दल्फ़ा रात के ३ या ४ बजे पहुँचती हैं। जिस से मग़रिब और इशा की नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। मुज़्दल्फ़ा की रात बहुत अहम है। अल्लाह तआला ने क़ुरआन शरीफ़ में शबे क़द्र की सिर्फ फ़ज़ीलत बयान की है कि ये एक रात हज़ार रातों से ज़्यादा अफ़ज़ल है। मगर अल्लाह तआला ने मुज़्दल्फ़ा की रात में अल्लाह तआला को याद करने का हुक्म क़ुरआन शरीफ़ में इन अल्फ़ाज़ में दिया हैः

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ
وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ (سورہ بقرہ ۱۹۸)

"फ-इज़ा अफ़ज़-तुम मिन अ-र-फातिन फज़ कुरूल्लाहा इन्दल मश्अरिल हराम, वज़ कुरूहु कमा हदाकुम, व इन कुन्तुम मिन कब्लिही ल-मिनज़्ज़ाल्लीन।"

"जब अरफात से वापस होने लगो तो मश्अरे हराम (यानी मुज़्दल्फ़ा) में अल्लाह का जिक्र करो और इस तरह करो जिस तरह उस ने तुम को सिखाया और इस से पहले तुम लोग (इन तरीकों से महज़) ना वाक़िफ़ थे।"

(सूरह बकरा-१९८)

अगर मुज़्दल्फ़ा आप वक्त पर पहुँच कर इबादत करना चाहते हैं तो पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अरफात से मुज़्दल्फ़ा तकरीबन ६ किलो मीटर है। अरफात से मुज़्दल्फ़ा के सफर में २० लाख लोग आप के साथ पैदल सफर कर रहे होंगे, इन सब के साथ आप को चलना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ठहर ठहर कर आराम से चलें तब भी २ से ३ घंटे में मुज़्दल्फ़ा पहुँच जाएंगे और अगर थक गऐ हों, औरतें और बूढ़े साथ हों, तो फिर प्रायवेट टैक्सी से सफ़र कीजिए क्योंकि बस तो अस्र की नमाज़ ख़त्म होते ही छत के ऊपर तक भर जाती है और असल अरफ़ात में दुआ का वक़्त अस्र से मग़रिब का है। इस दौरान आप खूब दिल लगा कर इबादत कीजिए और आराम से मग़रिब के वक़्त चलिये।

मुज़्दल्फ़ा और मिना की सरहदें मिली हुई हैं, और अब तो मिना के ख़ेमे जगह की कमी होने की वजह से मुज़्दल्फ़ा के अन्दर तक लगाए जाते हैं इस लिए ये सफ़र पैदल ही किजिए और इतने नज़्दीकी के लिऐ शायद आप को सवारी भी न मिलेगी।

७. मिना से मक्का मुकर्रमा का सफरः

जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि मक्का शरीफ से मिना की दूरी सिर्फ साढे चार से पाँच कि.मी. है। इतनी दूरी तो आप एक उम्राह में तय कर लेते है। मक्का से मिना और मिना से मक्का सफ़र आप पैदल ही तय कीजिए। अगर आप पैदल चलते हैं तो यह सफर आप ३० मिनट के वक्फे में कर लेंगे। सवारी से दो से तीन घंटे भी लग सकते हैं। सवारी के मुश्किलात से वाकिफ सऊदी हुकूमत ने इस मुख़्तसर सफ़र के लिए बेहतरीन सड़कें और सुरंग बनाए हैं। रास्ते में साया भी किया है और पानी का इंतेज़ाम भी है। अगर आपका बैग पहनने वाला है और आप को कंधों पर उठाकर नहीं चलना है, तो सफ़र और भी आसान हो जाएगा। मिना से मक्का के लिए वापसी के पैदल सफ़र की एक और वजह यह भी है कि आप को १२ तारीख़ के मग़रिब से पहले मिना से निकल जाना है अपने ख़ेमे से, अगर आप वक़्त पर पैदल रवाना हुऐ तो यक़ीन के साथ मिना से मग़रिब के पहले निकल जाऐंगे। बस के सफ़र में अगर ट्राफ़िक जाम हो तो कभी कभी बस या टैक्सी एक से दो घंटे जगह पर ही खड़ी रह जाती है इस लिए अगर आप सही वक़्त पर भी अपने ख़ेमे से निकलें मगर सवारी में बैठे बैठे सूरज गुरूब होने तक आप अगर मिना में रह जाते हैं तो आप का मिना में रहना अफ़्ज़ल होगा।

८. हरम के टेक्सी ड्राइवरः-

हरम के टेक्सी ड्राइवरों से अपने क़यामे हरम में हिफ़ाज़त कीजिए और टेक्सी ड्राइवरों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। इन में से अक्सर ग़ैर मुल्कि और मुज्रिमाना ज़हनियत के हैं। उन के ज़रिए धोका देने और लूटने की अक्सर वारदातें होती हैं।

९. सफ़र से मुतअ़ल्लिक़ कुछ ज़रूरी मालूमातः

मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या जिद्दा वगैरह के सफ़र के बारे में जानकारी के लिए अपनी इमारतों में चिस्पा नोटिस को पढ़ें या अपने अपने मुअ़ल्लिम के दफ़्तर से रूजुअ़ करें या अपने हिंदुस्तानी हज मिशन ब्रांच के आफिस से राब्ता क़ायम करें।

मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुक़ामात की ज़ियारत के लिए कई दलाल आप की इमारत या कमरे में आयेंगे। ये हर शख़्स से उन मुक़ामात की ज़ियारत के लिए १५ से २० रियाल या इससे भी ज़्यादा रूपये वसूल करेंगे। ये उनका मुनाफा बख़्श कारोबार है।

अगर आप और कुछ हाजी मिल कर कोन्टर एक्ट वालों से राब्ता क़ायम करें, तो बसें इतने सस्ते में मिल जाती हैं के फी कस हर शख़्स को सिर्फ ५ से १० रियाल ही अदा करने पड़ेंगे।

ख़सारे का सौदा

मक्का और मदीना मुनव्वरा में हरम शरीफ की मस्जिदों का माहौल इतना पुर नूर और पुर सकून है कि लोग घंटों यूँ ही सेहन और बाहर की खुली जगहों पर बैठे रहते हैं। नमाज़ का इन्तेज़ार करते हैं। और अज़ान होने पर वहीं मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगते हैं।

जितनी देर मस्जिद में बैठ कर नमाज़ का इन्तेज़ार किया जाए वह इन्तेज़ार का वक़्त भी नमाज़ में शुमार होता है और उस का भी सवाब मिलता है। मगर हाजी हज़रात दो वजहों से ये बेहतरीन सवाब कमाने का मौक़ा खो देते हैं। बल्कि कभी कभी तो गुनाहगार भी होते हैं।

पहली वजह तो यह है कि अक्सर हाजी हज़रात इन वक़्तों मे आपस में दुनियादारी की बातें किया करते हैं। जिस से सवाब नहीं मिलता बल्कि नमाज़ पढ़ने की जगहों पर दुनियादारी की बात करने वालों पर फ़रिश्ते लानत भेजते हैं और दुसरी यह है कि जब भी जमाअत शुरू हो तो पहले अगली सफ़ों को भरना चाहिये। अगर अगली सफ़ ख़ाली हैं तो बग़ैर अगली सफ़ों को भरे पीछे दुसरी सफ़ बनाने से नमाज़ नहीं होती।

इन बा-बरकत मस्जिदें जहाँ सवाब लाखों और करोड़ों में कमाया जा सकता है। अपने नफ़्स के ज़रा सी ख़ुशी के लिए हम ऐसे सुनहरे मौक़े बर्बाद कर देते हैं।

इस लिए जब भी हरम में बैठें तो दुनियादारी की बातों से परहेज़ करें। और जमात शुरू होते ही पहले अगली सफ़ों को पुरा कर लें।

बाहरी सेहन बहुत पुरकशिश है और वहाँ बैठना भी आसान है इस लिए जमात शुरू होते ही बाहरी सेहन तो खचा खच भर जाता है। मगर पहला मंज़िला, छत और तहख़ाना ख़ाली रहता है। नमाज़ शुरू होने के बाद अगर कोई अंदर जाना भी चाहे, तो नहीं जा पाता या बहुत तकलीफ़ से जा पाता है।

इस तरह जाने वाले नमाज़ियों को रोकने का वबाल भी बाहर नमाज़ पढ़ने वालों पर होगा। इस लिए भले ही आप सेहन में बैठ कर नमाज़ का इन्तेज़ार करें मगर नमाज़ शुरू होने के पहले अंदर चले जाऐं और अंदर की जगहें पुर करें। अंदर हरम शरीफ की मस्जिद पुरी तरह भर जाने के बाद ही बाहर नमाज़ पढ़े।

अल्लाह तआला आप की इबादत को क़बूल फ़रमाए और हज-ए-मबरूर अता फ़रमाए। आमीन

औरतों का जिहाद, हज है।

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) हम जिहाद को अफ़ज़ल समझते हैं, तो क्या हम जिहाद ना किया करें? आप (स.) ने फरमाया, तुम्हारे लिए अफ़ज़ल जिहाद हज्जे मबरूर हैं। (बुखारी)

सफरे हज में नमाज़ का बयान

पर्दे के साथ दरा और सब से अहम और मुश्किल काम जो आप को करना है, वह है ख़ेमा में बा-जमाअत नमाज़ का इंतेज़ाम। मिना में मस्जिद-ए-ख़ैफ़ है। अगर ख़ेमा मस्जिद से दूर हो तो वहाँ तक पाँचों वक़्त पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए ख़ेमा में बा-जमाअत नमाज़ का एहतेमाम करें।

२) मिना के क़याम में इबादत के लिए अल्लाह तआला ने खास ताकीद फ़रमाई है। अल्लाह तआला फरमाते हैं:

जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो (मिना में) ख़ुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, उस से भी ज़्यादा। (सूरह बक़रा आयतः२००)

और (मिना के क़याम) के दिनों में (जो) गिन्ती के (चंद दिन हैं) ख़ुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे (और) दो ही दिन में (चल दे) तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। और जो बाद तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। (सूरह बक़रा)। इस लिए मिना में बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहिए। मगर आम तौर पर लोग वहाँ सैर व तफ़रीह, बहस मुबाहिसे और फ़ुज़ूल बातों में वक्त गंवाते रहते हैं।

३) मिना में तीन वजूहात की बिना पर एक जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है।

(क) नमाज़ के वक्त पर लोगों की ना इत्तेफाकी।

(ख) मस्लक का मसला।

(ग) कसर नमाज़ का मसला।

हुज़ूर (स.) का इरशाद है, कि जो मेरी एक सुन्नत ज़िंदा करेगा उसे १०० शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा।

जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना हुज़ूर (स.) की सुन्नत है। इस लिए कोशिश कर के जमाअत से नमाज़ पढ़ें। और ऊपर बयान किए गए तीनों वजूहात को आड़े आने ना दें।

४) मिना के खेमे में पहुँचते ही पहले परदे का एहतेमाम करें। फिर तमाम लोगों को एक जगह जमा करके नमाज़ बा-जमाअत की कोशिश करें। और ऐसे शख्स को इमाम बनाऐं जिस के पीछे दूसरे मस्लक वालों को नमाज़ पढ़ने में कराहियत ना हो।(जिन हज़रात को कराहियत हो तो बाद में वह खामूशी से अपनी नमाज़ दोहरा लें, मगर हुज़ूर (स.) की जमाअत से नमाज़ पढ़ने की सुन्नत को ना छोड़ें।

५) चूंकि अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तआला को मिना में ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। इस लिए शरीअत के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए। मुसाफिर की नमाज़ मुक़ामी इमाम के पीछे हो जाती है इस लिए कोशिश करके ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए जो कि मुक़ामी हो। इस से वह हाजी जो मुक़ामी हैं और जिन पर 'कसर' लाज़िम नहीं है उन्हें चारों रकअत इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और मुसाफिर हज़रात जो ज़्यादा दो रकअत नमाज़ पढ़ेंगे तो उस का उन्हें भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। (अगर सब मुसाफिर हैं तो इमाम का मुसाफिर में से इंतेखाब करना और सब का कसर पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है।)

६) नमाज़ के इलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़िल पढ़ने की कोशिश करें या कम अज़ कम नमाज़ पढ़ने की जगह पर ही १५ मिनट से आधा घंटा बैठ कर तस्बीह पढ़ते रहें। इस से दूसरों को भी इबादत करने का शौक़ होगा। अगर आप अपनी नमाज़ मुख्तसर करके फौरन जगह से उठ जाऐंगे तो चूंकि नमाज़ आराम करने की जगह पर ही होती है। इस लिए इस खौफ़ से कि दूसरों को तकलीफ होगी हर कोई मुख्तसर करके जगह खाली करने की कोशिश करेगा। इस लिए शरीअत जहाँ तक इजाज़त दे पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नफ़िल नमाज़ और तस्बीहात का भी खूब एहतेमाम करें।

७) दो मोअज़्जिन और दो इमाम मुक़र्रर कर लें। ताके अगर एक किसी वजह से ग़ैर-हाज़िर हो तो दूसरा ज़रूर अज़ान दे सके और नमाज़ पढ़ा सके। नमाज़ का वक़्त भी काग़ज़ पर लिखकर ख़ेमे में लटका दें ताकी सब को हमेशा याद रहे।

अल्लाह तआला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करे। ईमाने कामिल अता फरमाए और दुनिया व आखिरत दोनों जगह कामयाब फरमाऐ, आमीन।

कसर नमाज़ का बयानः-

अगर कोई अपने शहर से ७८ कि. मि. दूरी के सफर का इरादा करता है तो उस शख्स का अपने शहर को छोड़ते ही मुसाफिर में शुमार होगा।

अगर वह शख्स मंज़िल पर पहूँच कर १५ दिन से कम रहने का इरादा रखता है तो उस शख्स का दूसरे शहर में भी मुसाफिर ही में शुमार होगा। और १५ दिन से ज़्यादा रहने का इरादा हो तो फिर वह शख्स सिर्फ रास्ते के सफर में ही मुसाफिर होगा और मंज़िल पहूँच कर मुकामी हो जाएगा।

मुसाफिर के लिए ४ रकूअत वाली फर्ज़ नमाज़ २ रकअत होंगी। जिन्हें 'कसर' कहते हैं।

मुसाफिर अगर सुन्नत और नफिल ना पढ़े तो कोई गुनाह ना होगा। अगर पढ़ लें तो उसे सुन्त और नफिल के मुताबिक ही सवाब मिलेगा। (सवाब कम न होगा।)

मुसाफिर के लिए फर्ज़ नमाज़ के इलावा फ़ज्र की २ सुन्त और इशा की ३ वित्र पढना लाज़िम है।

मुसाफिर अगर मुकामी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो उस की नमाज़ बिला कराहियत दुरूस्त होगी। और उसे इमाम के साथ पूरी नमाज़ पढ़नी होगी।

मुकामी हज़रात अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो उन की भी नमाज़ हो जाएगी। मगर जब इमाम कसर की २ रकूअत नमाज़ पढ़ कर सलाम फेरे तो मुकामी हज़रात बग़ैर सलाम फेरे उठ कर बाकी २ रकूआत पूरी कर लें।

मुसाफिरत के अय्याम में जब मुसाफिर तन्हा नमाज़ पढ़े तो हनफी मस्लक के मुताबिक उसे कसर नमाज़ पढ़ना लाज़िम है। जब कि दूसरे मस्लकों के मुताबिक सिर्फ जायज़ है, लाज़िम नहीं।

सऊदी उलमा का मस्लक हंबली है, इस लिए सऊदी में सारी नमाज़े हनफी मस्लक के नमाज़ के वक्त से बहुत पहले पढ़ी जाती हैं। किसी भी मस्जिद में हंबली मस्लक के वक्त के मुताबिक अगर आप जमाअत से नमाज़ पढ़ते हैं तो आप की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते हैं या मिना में सारे हाजी हनफी मस्लक से हैं और अपनी अलग जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्हें हनफी मस्लक के मुताबिक जो नमाज़ का वक्त है उस वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहिए।

मिना में क्या आप मुसाफिर हैं?

७८ किलोमिटर दूरी के सफर के बाद अगर आप नहीं जगह में १५ दिन से ज़्यादा रोज़ रहने का इरादा करते है, तो आप वहाँ मुकामी होंगें मगर नए जगह पर भी अगर आप का दो मुस्तकिल जुदा-जुदा जगह पर ठहरने का इरादा हैं और हर एक जगह पर भी आप कयाम का इरादा १५ रोज़ से कम होगा तो आप मुसाफिर में ही शुमार होगें।

पहले ज़माने में मक्का मुकर्रमा एक शहर था और मिना दो पहाडीयों के दरम्यान एक वादी थी। दोनो जुदा-जुदा थें। मिना में आबादी न थी। या मक्का मुकर्रमा से मुसलसल आबादी का सिलसिला मिना न था। इसलीए दो अलग-अलग शुमार किए जाते थें और अगर किसी हुज्ज़ाज कि रिहाईश मक्का मुकर्रमा में हज से पहले १५ दिन से कम होती तो वह मक्का मुकर्रमा और मिना मुज़्दल्फा और अरफात में मुसाफिर ही शुमार होता था और उसे कसर पढ़ना लाज़मी होता था।

मगर अब मिना और मुज्दलफा का इलाका मक्का शहर में शामिल कर लिया गया है और आप खुद ही देखेंगे कि मक्का मुकर्रमा से मुसलसल ११ आबादी का सिलसिला फैला हुआ हैं और मिना के मुतवाज़ी पहाड़ पर रिहाईशी इमारतों की एक कतार सी हैं।

सन २००६ इसवी में यह भी खबर मिली हैं कि अरफात भी मक्का मुकर्रमा शहर में शामिल कर लिया गया हैं, और वैसे भी हाजी अरफात में रात नहीं गुज़ारते हैं सिर्फ अरफात जाकर शाम तक वापस आते हैं।

इसलिए अब वह हज़रात जिनका कुल कयाम १५ दिन से कम होगा सिर्फ वही मुसाफिर शुमार किए जाएंगे। वरना सब मुकामी होगें। कुल कयाम यानी हज के अय्याम से पहले मक्का मुकर्रमा के कयाम के दिन, हज के पाँच दिन और हज के बाद मक्का मुकर्रमा में कयाम के दिन इन सब दिनों की जमा या सब दिन मिलाकर १५ दिन से कम होंगे तो हाजी मुसाफिर हैं वरना मुकामी।

वकूफे अरफात और नमाज़ः-

मिना और मुज्दलफा यह दोनों मुक्कदस मुकामात मक्का मुकर्रमा शहर में शामिल होने के बाद अब अक्सर हाजी मुकामी ही होते है और उन्हें नमाज़ पूरी ही पढ़नी होती है।

अरफात में शानदार और कुशादा मस्जिद, मस्जिदें नमरा है। यहाँ ज़ोहर के वक़्त ही ज़ोहर और अस्र दोनों नमाज़ें एक साथ कसर कि तरह (दो-दो रकात करके) पढ़ी जाती है। अगर आप मुकामी हैं तो मस्जिदे नमरा में कसर नमाज़ किस तरह पढ़ें, यह अपने उल्मा से दरयाफ्त कर लें।

मालिकी और हम्बली मसलक के मुताबिक, मुकामी और मुसाफिर सबके लिए अरफात में कसर पढ़ना जायज़ हैं। जब कि हनफी के नज़दिक मुकामी शख़्स अरफात में कसर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, उसे पूरी नमाज़ ही पढ़नी होगी। हनफी मसलक के मुताबिक मुकामी इमाम कसर नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता। और मस्जिदें नमरा का इमाम मुकामी होता हैं और कसर पढ़ाता हैं। मगर यह मालिकी और हम्बली के नज्दीक जायज़ है।

जिन लोगों ने बार बार हज किया हैं उनके तर्जुबे के मुताबिक, उनकी राय हैं कि अगर आप ग्रुप में हैं और आप के ग्रुप में औरते और बुढ़े हैं तो भूल कर भी मस्जिदे नमरा मत जाईयें। क्योंकि वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती हैं कि नमाज़ तो दरकिनार सीधा खड़े होने या बैठने के लिए भी जगह मिलना मुश्किल होता हैं। और एक दुसरे से बिछड़ जाना तो यकिनी है।

इसलिए मिना में ९ ज़िल्हिज्जा कि रात या सुबह जब मुअल्लिम अपने बस से आप को अरफात में अपने खेमे पर ले जाता है तो आप उसके साथ चले जाएं। खैमें पर दोपहर का खाना मुअल्लिम कि तरफ से होगा। खैमें पर पूरे दिन इत्मिनान से इबादत कीजिए। नमाज़ के वक़्त नमाज़ पढ़ें और बकिया वक्त तस्बिहात में मश्गुल रहें।

हनफी मसलक के मुताबिक अगर आप मस्जिदें नमरा से दूर अपने खैमें में नमाज़ पढ़तें हैं तो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर नमाज़ पढ़ें और अस्र के वक्त अस्र पढ़ें दोनों का साथ मिलाकर न पढ़ें और अगर आप मुकामी हैं तो पूरी नमाज़ पढें, कसर न पढ़ें।

अरफात में भी अपने खैमे के लोगों के साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़े। नमाज़ के पहले अज़ान का और जमात के पहले तकबीर का एहतेमाम करें।

हरम शरीफ कि नमाज़ और अरफात के दिन मस्जिदें नमरा की नमाज़ रेड़ीओ और टिव्ही पर नश्र होती हैं। मगर आप इन की आवाज़ पर अपने खैमें में जमात का तसव्वुर करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जमात के लिए जरूरी हैं कि सब बंन्दी हो। इक्तदा के लिए जरूरी हैं कि इमाम और मुक्तदी के दरम्यान कोई इतना बड़ा मैदान या खाली जगह न हो जिसमें वह सफें कायम हो सकती हैं। या इतनी बड़ी सड़क न हों कि बैल गाड़ी गुज़र सकें। दरम्यान में कोई खैमा या मकान वगैरा हाइल न हों इसलिए अगर मस्जिदें नमरा कि आवाज़ आप लाउड़ स्पीकर पर सुन रहें हो मगर दरम्यान में फासला हो तो इस आवाज़ पर नमाज़ न पढ़ें।

मुज़्दल्फा में नमाज़ः-

अरफात में सूरज डुबने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ें बगैर आप मुज़्दल्फा कुच करना हैं, और मुज़्दलफा पहुँचकर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों को जमा करके एक साथ पढ़ना चाहिए।

अगर आप इशा की नमाज़ से पहले ही मुज़्दल्फा पहुँच गए तो भी आप मगरिब की नमाज़ न पढ़ें बल्कि इशा तक इंतजार करें। फिर इशा का वक्त होने पर एक अज़ान और एक तकबीर से पहले मगरिब की फर्ज़ पढ़ें। फिर इशा की फर्ज़ पढ़ें फिर इसके बाद दोनों नमाज़ों की सुन्नत, नफिल और वित्र पढ़ें।

मुज़्दल्फा में सुबह सादिक तक यह नमाज़ कज़ा में शुमार न होंगें। इसलिए जब भी मुज़्दल्फा पहुँचे अगर मुमकिन हो तो जमात बनाकर नमाज़ पढ़ें और अगर जमात बनाना मुम्किन न हो तो अकेले ही नमाज़ पढ़ लें।

फज्र की नमाज़ का वक्त होते ही मुज़्दल्फा में तोप का गोला दागा जाता हैं ताकि हाजी नमाज़ का सही वक्त मालूम कर लें।

अगर आप ग्रुप में हैं तो मुज़्दल्फा में भी सुबह सादिक के बाद फज्र की अज़ान दें। फिर जमात बनाकर नमाज़ अदा करें और वज़ाईफ व तस्बीहात में मश्गुल रहें, और सुरज निकलने से पाँच मिनट पहले मिना की तरफ कुच करें।

नमाज़ी के सामने से गुज़रना कब जायज़ हैं?

नबी करीम(स.) का इर्शाद हैं कि अगर कोई नमाज़ी के सामने से गुज़रने का अज़ाब जान जाये तो ४० साल खड़ा रहकर इंतज़ार करेगा। मगर सामने से न गुज़रेगा। (बुखारी-अबुदाऊद)

कोई तवाफ करने वाला अगर नमाज़ी के सामने से तवाफ करते हुए गुज़रें तो ऐसी हालत में न तवाफ करने वालें पर गुनाह हैं न नमाज़ी पर।

हन्फी मसलक के मुताबिक किसी दुसरें शख़्स को नमाज़ी के सामने से गुज़रने के बारे में दो कौल हैं। एक कौल में नमाज़ी कें मकामें सजदे के आगे से गुज़र सकते हैं। और दुसरें कौल में नमाज़ी से दो सफ आगे से गुज़र सकतें हैं। दो सफ के मानी हैं एक नमाज़ी की सफ और एक उससे आगे की सफ। बड़ी मस्जिदों के लिए यहीं हुक्म हैं।

(बाकी पेज 24 पर)

मस्लक का मसला

रिवायात में है कि बनी इस्राईल में एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ कि के या अल्लाह! तु मुझे दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद कर दे, ताकि में शब व रोज़ तेरी इबादत किया करूँ। अल्लाह तआला ने उनकी सुन ली। उन को एक जज़ीरा पर पहुँचा दिया। जज़ीरा पर एक अनार का पेड़ उगा दिया और एक चश्मा जारी कर दिया। वह बुज़ुर्ग रोज़ एक अनार खाते, चश्मा का पानी पीते और शब व रोज़ ख़ुदा की इबादत में मशगूल रहते।

अपनी पाँच सौ साल की उम्र में वह बग़ैर गुनाह किये मुसल्सल इबादत करते रहे। उन की वफ़ात के बाद जब फ़रिश्तों ने उन्हें ख़ुदा के हुज़ुर पेश किया तो अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि जा मैंने तुझे अपने फ़ज़्ल से बख़्श दिया।

बुज़ुर्ग को बड़ा अजीब सा लगा और उन के दिल में एक गुमान सा गुज़रा कि मेरी बख़्शिश के लिए तो मेरी पाँच सौ साल की इबादत सबब है। अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से मुझे कैसे बख़्शा?

अल्लाह तआला तो दिलों की बात भी जानता है। उस ने फ़रिशतों को हुक्म दिया कि उन्हें जन्नत में ले जाओ, मगर पैदल।

जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से हो कर गुज़रता है। पुले सिरात जो कि जहन्नम के ऊपर है उस पर से हर एक को पार होना है। अल्लाह के नेक बंदे इस पुल से बिजली की तेज़ी से गुज़र जाऐंगे, मगर जो नेक नहीं उन्हें मुश्किल होगी।

जब फ़रिश्ते बनी इस्राईल के बुज़ुर्ग को पैदल जन्नत के तरफ़ ले कर चले तो जैसे जैसे जहन्नम नज़दीक आती गई गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। बुज़ुर्ग को प्यास लगी और गला सूखने लगा। जब और क़रीब पहुँचे तो प्यास की शिद्दत इस क़दर बढ़ी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस वक़्त एक हाथ नमूदार हुआ। उस हाथ में एक का ग्लास पानी था। उस ने बुज़ुर्ग से कहा यह पानी ख़रीदना चाहते हो, तो ख़रीद लो। बज़ुर्ग की प्यास से जान जा रही थी। पूंछा कितने में दोगे? आवाज़ आई, पाँच सौ साल की इबादत के बदले। बज़ुर्ग के पास पाँच सौ साल की इबादत तो थी ही, फ़ौरन इबादत दे कर पानी ख़रीद लिया और पी लिया।

जब फ़रिश्तों ने बुज़ुर्ग की नेकियों के ज़ख़ीरे को ख़ाली पाया तो जन्नत का सफ़र रोक दिया और वापस ख़ुदा के हुज़ुर में पेश किया।

अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि मैंने तुम्हें ज़िन्दगी के हर फ़िक्र से आज़ाद किये रखा और पाँच सौ साल तक शब-व-रोज़ खाना खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा और सारी ज़रूरतें पूरी की। तुम ने पानी के एक गिलास की क़िमत पाँच सौ साल की इबादत तय की है। अब मेंने जो पाँच सौ साल तक तुम पर एहसानात किये और अपनी नेमतें अता कीं, उस का तुम ने कैसे शुक्र अदा किया, उस का हिसाब दो।

बनी इस्राईल के बुज़ुर्ग सिजदे में गिर गऐ। तौबा किया और फ़रमायाः

"ऐ अल्लाह, बेशक तु जिसे अपने फ़ज़्ल से बख़्श देगा सिर्फ़ वही जन्नत में जाऐगा।"

हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर (रजी.) का बयान है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया जो शख्स सुब्हान अल्लाह कहेगा तो उसके नामें अमाल में एक लाख नेकिया लिखी जाएगी। तो किसी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसुल! (स.) उसके बाद हम लोग किस तरह जहन्नम में जाऐंगें? आप (स.) ने फरमाया "क़सम हैं उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान हैं, आदमी क़यामत के दिन इतने आ़माल लेकर आयेगा कि अगर वह किसी पहाड़ पर रख दिए जाए तो पहाड़ भी न उठा सकें लेकिन उसका जब मुक़ाबला होगा अल्लाह की किसी नेअ़मत से तो यह नेअ़मत इसके सारे आमाल पर भारी होगी।" (इसलिए नेक आमाल पर किसी को गुरूर नहीं होना चाहीए। अल्लाह तआला की रहमत और उसके फ़ज़्ल व ऐहसान ही के नतीजें में जन्नत मिल सकेगी।) (तिबरानी)

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रजी.) का क़ौल है कि अगर अल्लाह तआला मुझे जहन्नम की सज़ा देगा तो ये उस का अद्ल (इंसाफ) होगा और अगर मुझे जन्नत अता करेगा तो ये उस का फ़ज़्ल होगा।

नबी-ए-करीम (स.) फ़र्माते हैंः

لن ینجی احد کم عمله
ولاانت یارسو اللّٰه
لاالّا ان یتغمد نی اللّٰه برحمۃ

तर्जुमा : तुम में किसी को किसी का अमल निजात नहीं दिलाऐगा बल्कि अल्लाह का फ़ज़्ल निजात दिलाऐगा।

हज़रत आईशा (रजी.) ने सवाल किया : या रसुल अल्लाह (स.) के आपका अमल भी आप को नजात नहीं दिलाएगा?

नबी अकरम (स.) ने फरमाया मुझे भी मेरा अमल निजात नहीं दिलाएगा। जबतक अल्लाह ही का फज़ल दस्तगीरी न करें और मुझे अपनी रहमत में न ढ़ाप लें। मेरा अमल भी निजात दिलाने वाला नहीं है। फज़ल ख़ुदा वन्दा ही निजात दिलाने वाला है। (मिश्कात)

नमाज़ के लिऐ पाकी शर्त है। अगर मामुली सी भी गंदगी कपड़ो में या जिस्म में लगी हो तो नमाज़ नहीं होती। आप हालते जनाबत में हों, गंदगी आप के जिस्म और कपड़ों पर लगी हो और पानी मुयस्सर न हो तो अल्लाह तआला फरमाता है कि तैयमुम कर के नमाज़ पढ़ लो। (अन्निसा : ४३)

तैयमुम में मिट्टी पर हाथ मार कर चेहरे और हाथ का मसह करना होता है। क्या सिर्फ़ मिट्टी से मसह करने से गंदगी दूर हो जाती है? नहीं ये सिर्फ़ एक फ़ार्मलीटी (अमल) है। असल में अल्लाह तआला आप की नीयत, आप का ख़ुलूस, और आप की कोशिश देखते हैं और इसी के बिना पर ऐसी इबादत जो कि क़बूल करने लायक़ भी नहीं क़बूल कर लेते हैं।

अल्लाह तआला सारी कायनात के ख़ालिक़ व मालिक हैं। उन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं और न किसी को अपने किये का हिसाब देना है। वह जैसा चाहें वैसा करें।

वह आलिम जो सारी दुनिया पर उंगली उठाते हैं और अपना मस्लक छोड़ कर बाक़ी हर एक मस्लक को ग़लत बताते हैं। जाइऐ उन से ज़रा कहिये कि "हज़रत, आप अच्छी तरह पाक हो जाइये, ख़ाना काबा में जाइऐ और पूरी तवज्जह और ख़ुलूस के साथ नमाज़ पढ़िये और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद गारंटी दीजिये के अल्लाह तआला आप की उस नमाज़ और इबादत को ज़रूर क़बूल करेंगे।

दुनिया का कोई इंसान ख़ुद अपनी इबादत की गारंटी नहीं दे सकता वह दुसरों की इबादत की गारंटी कैसे दे सकता है कि अल्लाह तआला उस की इबादत नहीं क़बूल करेंगे?"

ख़िलाफ़ते अब्बासिया में शिया-सुन्नी के इख़्तेलाफ़ का ज़ोर इस क़दर था कि इसी में ख़िलाफ़त का ख़ात्मा हो गया। मगर वहाँ के भीख मंगे फ़क़ीरों का धंदा बहुत ज़ोरों पर था और इन की कमाई उरूज पर थी। फ़कीरों का एक गिरोह दरिया-ए-दजला के पुल के एक किनारे पर होता और उन का दुसरा गिरोह दुसरे किनारे पर होता। ये पुल बीच शहर में वाक़े था।

एक गिरोह हज़रत अली (रज़ी.) और अहले बैत के मुनाक़िब गाता था। दुसरा गिरोह हज़रत अबुबक्र (रज़ी.), हज़रत उमर (रज़ी) के फ़ज़ाइल में नग़मा सुरा होता था और शिया सुन्नी गुज़रने वाले दोनों गिरोहों को खूब-खूब नवाज़ते थे और नक़दी से उन की हिम्मत अफ़ज़ाई करते। इसी तरह फ़क़ीरों के दोनों गिरोह सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी रक़म जमा कर लेते और रात को यकजा होकर आपस में बॉट लेते थे।

कयामत के दिन सबसे पहले आलिम अल्लाह तआला के सामने पेश होंगे। अल्लाह तआला फर्माऐगा कि ऐ मेरे बंन्दे मैंने तुझे दिन का इल्म दिया था बता तुने मेरे एहसान का कैसे शुक्रिया अदा किया?

आलिम कहेगा कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए इल्म को दीन रात तेरे बंदो तक पहुँचाया हैं।

अल्लाह तआला कहेगा, तू झूट कहता हैं। फरिश्ते भी इसके झूटे होने की गवाही देंगें। अल्लाह तआला फरमाऐगा तू इसलिए तक़रीरें करता था कि लोग तेरी तारीफ करें और यकीनन दुनिया में तेरी तारीफ़ हो चुकी और तुझे तेरे काम का बदला मिल चुका।

फिर उस आलिम को घसीटकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस में आगे शौहदा और अमीर के लिए इसी तरह के फैसलों का बयान हैं। (मुस्लिम)

तो कयामत के दिन वह लोग जो सबसे पहले जहन्नुम में जाऐंगें वह आलिम ही होंगे।

मुसलमानों के बाहमी इख़्तेलाफ़ात से फ़ायदा उठाने वाले बग़दाद के भीख माँगने वाले ही नहीं थे बल्कि आज भी इन की तरकीब से फ़ायदा उठाने वाले बरेलवी, देवबंदी, अहीले हदीस, शिया, सुन्नी और मुसलमानों के दूसरे इख्तेलाफी नज़रयात से फायदा उठाने वाले आलिम हमारे बीच में मौजूद हैं।

नबी करीम (स.) ने फरमायाा, अगर तुम हक पर हो फिर भी बहस व मुबाहसे में न पड़ों तो मैं तुमको जन्नत के करीब एक घर की गॅरंटी देता हूँ। (अबूदाऊद)

इस हदीस और ऐसी बहुत सारे अहादीस और कुरआनी आयात के जानने के बावजुद हज़ारों आलिम आप को ऐसे मिलेंगें जिनकी ज़िदगी का मकसद ही दुसरे मसलकों पर कीचड़ उछालना और बुरा भला कहना हैं। एक हदीस के मुताबिक जिस की रावी हज़रत अबु दरदा है जो किताब अहमद में दर्ज हैं। (मुंतखीब अबवाब सफा ११२)।

अल्लाह तआला ने बहुत सारे इन्सानों को सिर्फ जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है इसलिए इन इख्तलाफी उलमा को अपने तर्ज़ेअमल पर ग़ौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वह इन्हीं लोगों जैसे काम तो नहीं कर रहे हैं, जिनका जहन्नुम में जाना यकीनी हैं।

बुज़ुर्गों और दोस्तों! अल्लाह के लिए इनसे होशीयार रहें और इनकी इख्तीलाफी बातों पर यकीन मत कीजिए क्योंकि यह अपने ज़ाती इज्ज़त व शौहरत और फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं।

मजबूरी में जैसे गंदगी लगी होने के बावजुद तैयमुम कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी तरह की मजबूरी से सफ़रे हज में आप दो चार होंगे। आप मजबूर हैं कि न आप हरम शरीफ़ के इमाम को बदल सकते हैं और न इस का मस्लक। अल्लाह और अल्लाह के रसुल (स.) का हुक्म है कि नमाज़ जमाअत से मस्जिद में पढ़ी जाए और अज़ान सुनने के बाद बग़ैर शरई मजबूरी के घर में नमाज़ नहीं होती। इस लिए ख़ुदा के इस हुक्म को मानते हुऐ हरम शरीफ़ में जमाअत से ही नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तआला आप की कोशिश आप की नियत और आप का ख़ुलूस देखते हुए इंशा अल्लाह उसे न क़बूल करने के लायक होगी तो भी क़बूल फ़र्माऐंगे। आमीन। और वैसे भी अल्लाह तआला ख़ुलूस ही देखते हैं और मग़फ़िरत अपने फ़ज़्ल से फरमाते हैं।

आप नफ़रत के जज़्बे से अलग अकेले या जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते रहे तो जब बनी इस्राईल के बुज़ुर्ग पाँच सौ साल की इबादत के बल बुते पर भी जन्नत न हासिल कर सके तो क्या आप अपने घमंड में सहीउलअक़ीदा इमाम के पीछे या अकेले सिर्फ कुछ साल की ज़िन्दगी की इबादत के बल बुते पर जन्नत हासिल कर लेंगे?

बुज़ुर्गों और दोस्तों, हरम शरीफ में एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाज़ों के बराबर है और वही नमाज़ अगर जमाअत के साथ अदा करेंगे तो २७ लाख नमाज़ का सवाब मिलेगा।

इस लिए अल्लाह के वास्ते इस हज के मुक़द्दस सफर में मस्लक के इख़्तेलाफ़ात से बाहर आ जाऐं और कोशिश करें कि आप हर नमाज़ हरम शरीफ़ ही में पढ़ें और वह भी जमात के साथ।

अगर उलमा का बयान सुन सुन कर आप का ज़हन ऐसा हो गया है कि जमात से नमाज़ पढ़ने में आप को कराहियत महसूस हाती है तो अपनी नमाज़ बाद में दोहरा लें। मगर जमात से नमाज़ पढ़ कर २७ लाख गुना सवाब ज़रूर हासिल करें, वरना यह आप की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी महरूमी होगी।

अल्लाह तआला आप की हर इबादत को क़बुल फ़रमाए, आप की हर जाइज़ दुआ को क़बुल फर्माऐ और हजे मबरूर अता फ़रमाए। आमीन।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

मअ़ज़ूर की तरफ़ से हज

हज़रत इब्न अ़ब्बास रज़ि० से रिवायत है,के एक औरत ने अ़र्ज़ किया या रसूल अल्लाह (स०), अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फ़र्ज़ हुआ के वह बिल्कुल बूढ़े हो गये,सवारी पर ठहर नहीं सेकते,तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ...? आप सल्लल्लाहु अ़लैह वसल्लम ने फ़रमाया..हां, (बुख़री,मुस्लिम)

हज़रत लूकित बिन आ़मिर से रिवायत है,के वह नबी करीम स०की ख़िदमत में हाज़िर हुए और फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं ना हज कर सकते हैं ना उम्रा और ना ही चल सकते हैं,और ना ही सवार होने की कुव्वत ही रखते हैं,तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैह वसल्लम ने फ़रमायायके तुम अपने बाप की तरफ़ से हज बैतुल्लाह व उम्रा कर सकते हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

तवाफ के फज़ाइल

अल्लाह ताला कुरआन शरीफ़ में फ़र्माते हैं "इस क़दीम घर का तवाफ़ करना चाहिये। (कुरआन मजीद, सूरह अल-हज-२६)

रसूल अल्लाह (स.) ने फ़र्माया जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और दो रकत नमाज़ पढ़े, इस को एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इब्न माजा किताबुलमुनासिक बाब फ़ज़्लुत्तवाफ़ २६-५६)

आप (स.) का इरशाद है के जिस ने बैतुल्लाह शरीफ़ का सात बार तवाफ़ किया तो अल्लाह ताला हर हर क़दम पर इस के गुनाह को माफ़ फ़र्माते हैं और हर हर क़दम पर नेकी लिखते हैं और हर हर क़दम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इबन ख़रीमा - इब्न हबान)

रिज़्क़ में बर्कत

हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मस्उद (रज़ी) से रिवायत है, रसूल अल्लाह (स.) ने इर्शाद फ़र्माया कि, हज और उमरा पे दर पे किया करो क्यों कि हज और उमरा दोनों फक्र व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दुर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चॉन्दी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हज मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (जामा तिर्मिज़ी, निसाई)

जम्रात और जान का ख़तरा

मिना वह वादी है जहाँ से हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हज़रत इस्माईल (अ.) को ले कर ज़िबह करने के लिए गुज़रे थे और तीन जम्रात वह मुक़ाम है, जहाँ शैतान ने इन हज़रात को बहकाने की कोशिश की थी और जवाब में धुतकारा गया। शैतान उस वक़्त भी ज़लील हुआ था और हज़रत इब्राहीम (अ.) की सुन्नत अदा करके शैतान को कंकरी मार कर हाजी आज भी उसे ज़लील करते हैं।

जिस जगह हज़रत इब्राहीम (अ.) ने शैतान को कंकरियां मारी थीं, उस जगह की निशान दही के लिए सुतून खड़े किये गए हैं। इन खम्बों में शैतान नहीं है, न ही इन खम्बों को ही कंकरी मारना है, बल्कि असल कंकरी मारने की जगह इन खम्बों की बुनियाद या जड़ है। जम्रह इसी जड़ या बुनियाद को कहा जाता है। इस लिए आप की कंकरी या सीधे खम्बों की जड़ के पास गिरे या खम्बों से टकरा कर अहाते के बाहर जा गिरी तो आप की वह कंकरी बेकार होगी। इसे गिना नहीं जाएगा। इस के बदले आप को एक और कंकरी मारनी है और अगर आप ने इस की जगह दूसरी कंकरी नहीं मारी तो आप का रमी का रूक्न अधूरा रहा।

छोटे पत्थरों (कंकरीयों) के फेकने को अरबी में रमी जमार कहते हैं। (रमी यानी फेंकना, जमार यानी पत्थर की छोटी कंकरीया)।

रमी जमार हज का वाजिब रूक्न है और उसके तर्क करने पर हज़ हो जाएगा मगर दम देना लाज़िम होगा।

जम्रह के नज़दीक़ कंकरिया चुनना या नापाक जगह से कंकरिया लेना मकरूह है। कंकरियों को मारने से पहले धो लेना मुस्तहब हैं। (लाजमी नहीं हैं)

हर जम्रह को ७ कंकरीया मारी जाती हैं। अलाहिदा अलाहिदा मारना ज़रूरी है। अगर एक से ज़्यादा या सातों एक ही दफा मारें तो एक ही कंकरी शुमार कि जाएगी अगर अलग अलग गिरी हो। इस लिए बाकी गिनती पूरा करना ज़रूरी होगा।

७ कंकरीयों से ज़ायद मारना मकरूह है। शक हो जाने की वजह से ज़्यादा मारे तो कोई हर्ज नहीं।

अगर किसी ने एक दिन चार कंकरिया कम मारी हो या तीनों दिन मिलाकर ११ कंकरीया कम मारी हो या एक दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो या तीनों दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो। इन चारों गलतियों में से अगर आप सिर्फ एक गलती करें या चारों गलती करें आप को सिर्फ एक ही दम देना होगा।

अगर १० वी जिल्हिज्जा के दिन ३ या इससे कम कंकरिया न मार सके और बाक़ी दिनों क़ी रमी में से १० या उससे कम कंकरिया न मार सके। (मारने से रह गयें) तो जितनी कंकरिया कम मारे उतना सदका देना होगा। (सदका की मिकदार फित्रे के बराबर यानी पौने दो किलो गेंहू है) यानी अगर किसी ने दो कंकरिया कम मारी है तो उसे दो सदका यानी साढ़े तीन किलो गेंहू सदका करना होगा।

जम्रह से पांच हाथ की दूरी से कंकरी मारना सुन्नत हैं। इससे ज़्यादा दूर से भी मार सकते हैं मगर और करीब से मारना मकरूह है।

कंकरी पकड़नें का कोई खास तरीका नहीं है। लेकिन अगुंठे और ऊंगली से पकड़ना मुस्तहब हैं और रमी के लिए हाथ इतना ऊँचा करना भी मुस्तहब हैं कि बगल खुल जाएं।

कंकरी मारते वक्त सिर्फ एक कंकरी एक बार में मारें। कंकरी मारने से पहले यह पढ़ें:

بِسمِ اللهِ اَللهُ اَكبَرُ، رَغْمًا لِلشَّيطَانِ وَرِضًى لِلرَّحمَانِ

''बिस्मिल्लहि अल्लाहु अक्बर। रग़ु-मन लिश्शैतानि व रज़ियन लिर्रहमान।''

तर्जुमा : मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हुँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

ऊपर लिखी दुआ में अगर अल्फाज़ में फेर बदल हो जाएगा तो गुनाह होगा। इस लिए बेहतर है आप अपनी ज़ुबान में कहें कि मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हुँ और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अक्बर कह कर कंकरी मारें। कंकरी का एहाते में गिरना ज़रूरी है। एक कंकरी एक ही बार में मारें। अगर आप ने एक से ज़्यादा कंकरी एक बार में मारी तो वह एक ही गिनी जाऐगी।

१० ज़िल्हिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान (जम्रह उक़्बा) को सात सात कंकरियां मारना है और पहली कंकरी मारते हुए तलबिया पढ़ना बंद कर दें।११,१२,१३ ज़िल्हिज्जा को तीनों जुम्रे पर रमी करना है। पहले छोटे शैतान को फिर दरम्यानी शैतान को और आखिर में बड़े जम्रह को इसी तरतीब से रमी करना सुन्नत है।

रमी में कंकरिया पे दर पे मारना मसनून है। एक के बाद दूसरी कंकरियां मारने में ताख़ीर करना मकरूह है। इसी तरह एक जुम्रह पर रमी के बाद दूसरे जम्रह पर रमी में दुआ के इलावा, बिला वजह ताख़ीर करना मकरूह है।

जम्रह ऊला (छोटा शैतान) और जम्रह वस्ता (दरमियानी शैतान) पर रमी के बाद क़िब्ला रूख हो कर देर तक दुआ मांगना सुन्नत है, और यह दोनों मुक़ामात दुआओं की क़बूलियत के खुसूसी मुक़ामात में से हैं, इस लिए यहाँ रूक कर कम अज़ कम इतनी देर रूक कर दुआ करें जितनी देर में २० आयतें पढ़ी जा सकती हैं। (सुरेः बकरा पढ़ने में जितना वक्त दरकार है, नबी करीम (स.) उतनी देर रूक कर दुआएं माँगी थी)

जम्रह उक़्बा (बड़ा शैतान) के रमी के बाद किसी भी दिन दुआ के लिऐ ठहरना सुन्नत नहीं है।

रमी करते वक्त किसी ख़ास रूख़ की तरफ मुँह करके खड़े होने की कोई शर्त नहीं है। आप हर सिम्त से रमी कर सकते हैं ।१०, ज़िल्हिज्जा को जब नबी करीम(स.) ने जम्रह उक़्बा का रमी किया था, उस वक़्त आप की दाहिनी तरफ मिना और बायीं तरफ मक्का मुकर्रमा था। इसलिए इस रूख़ पर खड़े होकर रमी करना सुन्नत है। (मुअल्लिमुल हुज्जाज)

एक कंकरी के फ़ौरन बाद दूसरी कंकरी मारना और एक जम्रह पर रमी बिला ताख़ीर रमी करना सुन्नतें मुअकिदह है। इसलिए अगर कोई अपनी रमी जमार के बाद किसी और का भी रमी जमार करना चाहता है, तो अफ़ज़ल यह है, कि पहले तीनों जम्रात पर अपनी रमी पूरी कर लें, फ़िर दूसरों की रमी शुरू से करें। मगर अब यह मुम्किन नहीं क्योंकि ऐसा करने के लिए कई किलो मीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा । इस लिए अब जम्रात पर पहले अपनी कंकरियां मारें फ़िर दुसरें शख़्स की तरफ से कंकरियां मारें।

शरिअ़त के मुताबिक़ १० ज़िल्हिज़्ज़ा को रमी जुमार का अफ़ज़ल वक़्त तुलूअे आफताब से ज़वाले आफ़ताब तक है और ११,१२,१३ तारीख़ को ज़वाल से ले कर गुरूबे आफ़ताब तक है। मुबाहे वक़्त १० तारीख़ को ज़वाल से गुरूबे

आफ़ताब तक और ११,१२,१३ तारीख़ को गुरूबे आफ़ताब से सुबह सादिक़ तक है।

हर साल क़रीब ३५ से ४० लाख हाजी हज करते हैं और इतने लोगों का एक अफ़ज़ल वक़्त पर एक ही जगह जमा होना हर साल किसी न किसी हादसे की वजह बनता है और क़ीमती जानें ज़ाया होती हैं। हदीस शरीफ़ के मुताबिक़ मुसलमान का मुसलमान को नुक़सान पहुँचाना हराम है और अफ़ज़ल वक़्त पर रमी जुमार करना सिर्फ़ अफ़ज़ल है। इसलिए उल्मा ने फ़त्वा दिया है कि अफ़ज़ल काम करने की जुस्तजू में हराम काम न करें और अफ़ज़ल वक़्त जुमार करने की बजाए मुबाहे वक़्त (जो के हर तरह से बिला कराहियत जायज़ है।) पर रमी जुमार करें उल्मा की इन नसीहतों पर अमल करना हर समझदार मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग अफ़ज़ल वक़्त पर हर हाल में जम्रात पर ज़रूर जमा होंगे, इसलिए समझदार हज़रात इस मुक़ाम से अफ़ज़ल वक़्त में दूर रहकर भीड़ को कम करने में मदद करें और हादसात को टालने में मदद करें। इस नीयत और खुलूस पर अल्लाह तअ़ला और ज़्यादा अज्र देगा (इन्शा अल्लाह)

औरतों, बूढ़ों और कमज़ोरों के लिए कराहियत कंकरी मारने का वक़्त सुबह सादिक़ तक, इस फ़तवा के पहले भी था और अब तो सब के लिए है।

रमी जुमार जाने से पहले अपने एहराम की चादर कसें और अच्छी तरह से लपेट लें। कोई सामान या बैग वग़ैरह हरगिज न लें। कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसके दुसरों के क़दमों के नीचे दबने का ख़तरा हो। भीड़ में अगर आप की चादर या ओढ़नी या बैग किसी के क़दमों के नीचे दब गया, तो उसे फ़ौरन अपने से जुदा कर दें। झुककर या बैठकर कोई चीज़ निकालने या उठाने की हरगिज़ कोशिश न करें वरना जान का ख़तरा है।

कंकरी आप पुल के ऊपर से मारें, तो खुली हवा में दम घुटने का ख़तरा कम रहता है। पुल पर लोग एक तरफ़ से दाख़िल होतें हैं और दुसरी तरफ़ से निकल जातें हैं, जब कि ज़मीन पर लोग सड़क के किनारे ही ग़ैर क़ानूनी छोटे छोटे ख़ेमें लगाते हैं और सामान रख कर आराम करते हैं, इसलिए जगह और छोटी हो जाती है और जम्रात की तरफ़ लोग हर तरफ़ से आने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोगों का एक ही तरफ़ चलना रूक जाता है और भगदड़ मच जाती है।

जब जम्रात के क़रीब पहुंचे, तो दायें और बायें होकर ज़रा आगे बढ़ जायें और आख़िरी सिरे से कंकरी मारें क्योंकि जोशीले लोग जम्रात के क़रीब पहुँचते ही कंकरी मारने लगते हैं, इसलिए पहले सिरे पर बहुत अफ़रा तफ़री होती है।

बहुत सारे तंदुरूस्त लोग खुद कंकरी मारने के बदले किसी और को अपना वकील बना कर कंकरी मारने के लिए मुक़र्रर करते हैं। यह ग़लत तरीक़ा है और इस से हज का रूक्न अदा नहीं होगा। वकील के ज़रिये उसी की कंकरी मारना दुरूस्त होगी जो शरई तौर पर माज़ूर है। जो खड़े रह कर नमाज़ पढ़ सकता है और चल फिर सकता है उन्हें ख़ुद कंकरी मारना लाज़िम है। वरना दम देना होगा।

मुज़दल्फ़ा से सीधे जम्रात की रमी के लिए सामान वग़ैरह ले कर नहीं जाना चाहिए बल्कि पहले अपने ख़ेमों में जायें फिर वहाँ से रमी जम्रात करने कि लिए जायें।

हर मुल्क के लिए रमी जम्रात के अलग अलग औक़ात हुकुमते सऊदिया ने तय किये हैं, ताकि जम्रात के अतराफ़ लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ न हो जाये। अपने मुअ़ल्लिम से वक़्त माअ़लूम करके ही रमी जमार के लिए रवाना हों।

जम्रात के लिए ग्रुप में रवाना हों। ग्रुप के एक फर्द के हाथ में उंची लकड़ी, झण्डा, छतरी या कोई निशानी दे दें ताकि ग्रुप के बक़िया लोग अगर दूर दूर भी चलें, तो भी साथ साथ ही रहें और कोई बिछड़ने न पाये।

जम्रात पर किसी तरह का साज़ व सामान न ले जायें। माअ़ज़ूर को व्हील चेयर पर न लें जायें, और न ही बच्चों को ले जायें।

कंकरी मारने के बाद वापस आते वक़्त अगर आप ग़लत सड़क पर निकल आए तो आप को कई कि.मी. का का ज़ाइद सफर पैदल करना होगा। इसलिए आप सही रास्तों का ख़ुसूसी खयाल रखें।

हज के चार दिनों में चालीस लाख लोग शैतान को ४६ से ७० कंकरी मारते हैं। अगर एक जगह पर यह कंकरियां जमा की जाऐं तो कंकरियों का पहाड़ बन जाएगा। मगर जम्रात के पास आप ग़ौर कीजिए के कंकरियों का कोई ढ़ेर नहीं होता है। क्योंकि मकबूल कंकरियां फरिश्ते चुन ले जाते है और यह हदीस शरीफ भी है। (रावी हज़रत अबु सईद खुदरी-किताब-हाकिम) आप भी इस मोअ़जिज़े का मुशाहिदा करके अपने ईमान को ताज़ा कर लें।

दुआओं का बयान

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमायाः "जब तुम में से कोई शख़्स दुआ माँगे तो ऐसा न कहेंः ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दें अगर तू चाहे, मुझपर रहम कर अगर तू चाहे, मुझे रिज़्क़ अता कर अगर तू चाहे, बल्कि पूरे यकीन व ऐतिमाद के साथ माँगें (शक व शुभा का कलमा मसलन अगर तु चाहें वगैरा इस्तेमाल न करें) क्योंकि अल्लाह तआला वहीं करता हैं जो वह चाहता हैं। उसपर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती करनेवाला नहीं।" (बुख़ारी)

हज़रत नोमान बीन बशीर (रजी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमायाः "दुआ इबादत हैं।" फिर आप (स.) ने यह आयत फरमायीः

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (سورہ مؤمن آیت:٦٠)

''व का-ल-रब्बुकुमुद-ऊनी अस्तजिब लकुम।''

तर्जुमाः "और तुम्हारें परवरदीगार ने फरमाया हैं कि मुझसे माँगों, में तुम्हारी दुआ कबुल करूंगा।" (अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्ने माजा)

हज़रत सलमान फारसी (रज़ी.) रावी हैं कि रसुलें खुदा (स.) ने इर्शाद फरमायाः "तकदीर को दुआ के इलावा और कोई चीज़ नहीं बदलती और उमर को नेकि के इलावा और कोई चीज़ नहीं बढ़ाती।"(तिरमिज़ी)

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी हैं कि रसुले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमायाः "जो शख़्स चाहता हैं कि तंगी और सख़्ती के वक़्त अल्लाह तआला उसकि दुआ कबुल करें, वह उसअत व फराखी के ज़माने में बहुत दुआ करता रहें।" (तिरमिज़ी)

हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ी.) रावी हैं कि एक मरतबा मैंने नबी करीम(स.) से उम्राह करने की इजाज़त माँगी तो आप (स.) ने मुझे इजाज़त अता फरमायी और इर्शाद फरमायाः "ऐ मेरे छोटे भाई, अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेंना और दुआ के वक़्त हमें न भुलना।" हजरत उमर(रज़ी.) फरमाते हैं कि रसुल (स.) ने ऐसा कलमा इर्शाद फरमाया की अगर इसके बदलें में मुझे तमाम दुनिया भी दे दी जाएं तो मुझे खुशी न होंगी। (अबू दाऊद)

हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी.) रावी हैं कि रसुले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमायाः "तीन दुआऐं कबुल की जाती हैं। इन की कबुलीयत में कोई शक़ नहीं। एक तो बाप की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ और तीसरी मज़लूम की दुआ।" तिरमिज़ी, अबु दाऊद, इब्ने माजा)

हज़रत अनस(रज़ी.) रावी हैं कि रसुलें खुदा(स.) ने इर्शाद फरमायाः "तुम में से हर शख़्स को अपनी तमाम हाजतें अपने परवरदीगार से माँगनी चाहिए। यहाँ तक की अगर उसके जुतें का तस्मा भी टूट जाएं तो उसे भी खुदा से माँगें।"(तिरमिज़ी)

एहराम का बयान

एहराम क्या है?

१. एहराम के माअ़ने हैं बेहुरमती न करना या अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लेना।

२. हज और उमरा में हम नीयत और तल्बिया के साथ अहराम की दो चादरें पहन कर बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, जैसे; हजामत कराना, खुश्बू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना वग़ैरह वग़ैरह। इस लिए इस हालत को एहराम कहा जाता है।

३. आम तौर पर लोग सफ़ेद चादर को एहराम कहते हैं। जिसे हाजी एहराम की हालत में पहनते हैं, वह दरअसल एहराम की चादरें हैं, बज़ाते खुद एहराम नहीं हैं। इन चादरों को आप जितनी बार चाहें तब्दील कर सकते हैं, मगर एहराम की हालत से बाहर आने के लिए आप को उम्रह या हज के सारे अरकान मुकम्मल करने होंगे। यहाँ तक के अय्यामे हज में सिर मुंडवाने के बाद और घर के कपड़े पहनने के बाद भी एहराम की कुछ पाबंदियां आप पर बाक़ी रहती हैं जो के तवाफ़े ज़ियारत के बाद ही ख़त्म होती हैं। जैसे; अज़्दवाजी ताअ़लुक़ात (वैवाहिक संबंध)

४. हज का एहराम १ शव्वाल से ९ ज़िल्हिज्जा का दिन गुज़र कर सुबह सादिक तक पहन सकते है। उम्रह का एहराम हज के खास दिन के अलावा कभी भी पहन सकते है।

५. मीक़ात से बाहर रहने वालों के लिए एहराम मीक़ात से पहनना वाजिब है।

६. मर्दों का एहराम २ मिटर X १ मिटर की बग़ैर सिली हुई दो चादरें होती हैं। एक चादर को पहनना और एक को ओढ़ना होता है।(साइज की कोई पाबंदी नहीं है।)

७. बग़ैर सिली चादर का मतलब है कि उस में इंसानी जिस्म की साख़्त के एतबार से कोई चीज़ सिली हुई न हो। जैसे आस्तीन वग़ैरह। बग़ैर सिली का मतलब यह नहीं है कि उस में सुई धागा न लगे। ज़रूरत पड़ने पर आप चादर की जगह गोदड़ी या रज़ाई वग़ैरह ओढ़ सकते हैं। जो कि कई चादरों की तह को सी कर बनाई जाती है।

८. एहराम की चादरें सफेद हों तो अफ़ज़ल है। मज़बूरी में आप रंगीन चादरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

९. एहराम की हालत में पैर के ऊपर (पंजो के पीछे) की उभरी हुई हडिडयों का खुला रहना ज़रूरी है। इस लिए ऐसा जूता, चप्पल न पहिनें के हडिडयाँ छुप जायें। अगर आप हवाई चप्पल या स्लीपर पहिनें, तो यह हड्डी खुली रहती हैं।

१०. एहराम की हालत में मर्द को सिर और चेहरा खुला रखना है और औरतों को सिर्फ़ चेहरा। इसलिए एहराम की हालत में मर्द और औरत दोनों को अपने चेहरे को इस तरह ढ़ाकना मना है कि कपड़ा चेहरे को छुऐ। चेहरे के कुछ हिस्से को भी ढ़ांकना मना है जैसेः रूख़सार, नाक, या ठोड़ी वग़ैरह।(औरतें टोपी और रूमाल बांधते वक़्त एहतियात करें कि पेशानी न ढ़क जाये।)

११. एहराम पहनने से पहले खुश्बू जिस्म पर लगाना सुन्नत है। मगर एहराम पहन कर किसी भी तरह का खुश्बू का इस्तेअ़माल करना जायज़ नहीं है।(खुश्बू जिस्म पर इतना कम लगायें कि एहराम के चादर पर इस का दाग़ न पड़े)

१२. एहराम बांधने से पहले दोनों हाथों, पैरों के नाखून काटना, नापाक बाल साफ करना और गुस्ल करना मुस्तहब है। वुज़ू या गुस्ल, एहराम के लिए फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन इनको बिला उ़ज़्र तर्क करना मक्रूह है।

१३. एहराम पहन कर एहराम की नीयत से पहले दो रकअ़त नमाज़ अदा करना सुन्नत है। बिला नमाज़ भी एहराम की नीयत की जा सकती हैं मगर बिला वजह ऐसा करना मक्रूह है।

एहराम पहनने के बाद पहले से आप पर जो पाबंदियाँ थीं, वह तो बाक़ी रहती है, जैसे; बदकलामी, फ़ुहश बातें, फ़िस्क़ व फ़ुजुर और जंग व जिदाल वग़ैरह। इनके अलावा भी आप पर कुछ और मज़ीद पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। उन की तफ़सील मुंदर्जाज़ैल (नीचे दिए गए) हैं:

एहराम की पाबंदियाँ :

१. बाल न काटें न तोड़ें।(वुजु करते वक़्त खुद से जो बाल टूट जाए, तो इस पर दम नहीं है)

२. नाखून न तराशें न तोड़ें।(टूटे हुए नाखून को काट सकते है)

३. मर्द न सिर ढँपे और न ही चेहरे पर कपड़ा लगने दें। मोज़ा या दस्ताना पहनना, सिर और मुंह पर पट्टी बांधना भी मना है। आप साये में रह सकते हैं। छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर पर सामान रख कर चल सकते हैं। मगर टोपी, रूमाल, चादर या कोई चिपकने वाली चीज़ से सिर नहीं ढाँप सकते।

४. चेहरे पर कपड़ा न लगायें। अगर चेहरे से पसीना पोंछना हो, तो हाथ से पोंछ कर हाथ कपड़े से पोंछ लें।

५. अपने जिस्म के कपड़े और खाने पीने की चीज़ों में खुशबु न इस्तेमाल करें।

६. किसी शिकार किये जाने वाले खुश्की के जानवर को न मारें, न बिदकाऐ और न ही दुसरों की इस काम में मदद करें। न ही जिस्म में पैदा होने वाले कीड़ों को मारें जैसे जुँ वग़ैरह, न जिस्म का मैल धोऐं। आप नहा सकते हैं मगर बग़ैर साबुन के और बग़ैर मैल छुड़ाएं।

७. एहराम की हालत में अज़्दवाजी तअ़लुक़ात (वैवाहिक संबंध) पर भी पाबंदी होती है।

एहराम के सही हाने की शर्तेः

एहराम के सही होने के लिए इस्लाम का होना शर्त है (यानी हज करने वाला मुसलमान हो)।

एहराम की नियत और तल्बियाह और कोई ज़िक्र इस के कायम मुक़ाम करना भी शर्त है। (मुअल्लिमुल हुज्जाज, पेज १००)

एहराम की वाजिबातः

एहराम की हालत में कोई सिला हुआ कपड़ा न पहनना। (शुरू से आख़िर तक)

मीकात से या उससे पहले एहराम बांधना ।

मम्नूआ़त एहराम से बचना ।

एहराम की सुन्नतेंः

गुस्ल करना और एहराम बांधने से पहले खुश्बू लगाना।

एक लुंगी और एक ऊपर ओढ़ने वाली चादर से एहराम बांधना।

एहराम से पहले नाख़ून काटना।

एहराम पहनकर एहराम की नीयत से दो रकअत नमाज़ अदा करना।

एहराम की इब्तदा, 'लब्बैक' से करना और फिर बार बार लब्बैक कहते रहना।

एहराम के मसाइलः

अगर ख़ुद से कोई बाल गिर जाये, तो कोई सज़ा नहीं।

अगर तीन से कम बाल तोड़े, तो हर बाल पर एक मुठ्ठी गेंहूं सदक़ा करें।

तीन से ज़्यादा बाल मगर चौथाई सिर से कम बाल दूर किये, तो सदक़ा दें।(१.७५ किलो ग्राम गेंहूं)

अगर चौथाई सिर या दाढ़ी या इससे ज़्यादा बाल साफ़ किये, तो दम वाजिब है।

अगर अलग अलग हाथ पैर से एक या दो नाख़ून काटे, तो हर नाख़ून के बदले सदक़ा देना होगा।

अगर एक ही बार में चारों हाथ और पैर के नाख़ून काटे, तो एक दम देना होगा।

अगर चार बार में चारों हाथ पेर के नाख़ून काटे, तो चारें दम देना होगा।

अगर चेहरे या सिर पर एक घन्टा से कम वक़्त तक कपड़ा लग रहा था, तो एक मुट्ठी गेंहू या उसकी क़ीमत की रक़म ख़ैरात करना वाजिब है।

अगर एक घन्टा से ज़्यादा मगर एक दिन या एक रात से कम वक़्त तक कपड़ा ढ़का रहा, तो पौने दो किलो गेंहू और अगर एक दिन या एक रात तक या इससे ज़्यादा देर तक सिर ढ़का रहा और चेहरे पर कपड़ा लगा रहा, तो दम वाजिब होगा।

इसी तरह अगर पांव की बीच की उठी हुई हड्डी जूते वग़ैरह से ढ़क जाती है और अगर एक घन्टा से कम वक़्त तक ढ़की रही, तो एक मुट्ठी गेंहू। एक घन्टा से ज़्यादा पर १.७५ किलोग्राम गेंहू और एक दिन या एक रात तक या इससे ज़्यादा वक़्त तक ढ़की रही, तो एक दम देना वाजिब होगा।

सोते वक़्त रूख़सार (गाल) तकिया पर रखना जायज़ है, मगर चादर से सिर ओर चेहरा न ढ़ांकें, सोते वक़्त पैर पूरी तरह चादर में ढ़ांप सकते हैं।

एहराम की हालत में गले में फूलों का हार मक्रूह है। किसी भी ख़ुश्बू या ख़ुश्बू दार साबुन के एक बार इस्तेमाल पर सदक़ा (पौने दो किलोग्राम गेंहू) और बार बार के इस्तेअमाल पर दम वाजिब होगा।

हिंदुस्तान से हज और उम्रह के लिए जाने वालों के लिए मीक़ात यलम-लम का पहाड़ है जो मक्का से जुनूब की तरफ़ है, जो हज़रात वतन से सीधे मक्का पहुंचकर हज या उम्रह का इरादा करते हैं, उन्हें मीक़ात से पहले एहराम बांधना वाजिब है। अगर बग़ैर एहराम जिद्दा पहुंच गये, तो दम वाजिब होगा।

वतन से पहले मदीना जाने वालों के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है। हवाई सफ़र में यलम-लम जिद्दा से तक़रीबन एक घन्टा पहले है।

मर्द एहराम किस तरह पहनें :

एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहननी होती है। इसे आप जिस तरह आसानी हो वैसे पहन सकते हैं। इस के लिए कोई ख़ास क़ानून या हुक्म नही है। मगर चूंकि हज के दौरान लोगों की ज़बर्दस्त भीड़ होती है। लुंगी के नीचे भी आप को अंडरवीयर (चड्डी) और कोई चीज़ पहनने की इजाज़त नहीं है। इस लिए अगर लुंगी खुल जाए तो पूरा बर्हना (नंगा) होने का डर होता है। इस लिए एहराम की लुंगी मुंदर्जाज़ैल तरीक़े से पहनने की सलाह दी जाती है, जो ज़्यादा महफ़ुज़ तरीक़ा है।

आप पैरों को ज़रा फैला कर खड़े हो जाऐं।

तसवीर १, तसवीर २, तसवीर ३, तसवीर ४

तसवीर ५, तसवीर ६, तसवीर ७, तसवीर ८, तसवीर ९,

लुंगी के दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़ लें।

बाएं हाथ का सिरा, दाहनी कमर और पेट से चिपका ले और पकडे रहे और दाहनी तरफ के सिरे को थोडा सा खींच कर रखें। (तसवीर १)

फिर दाहने हाथ को बाएं तरफ इस तरह ले जाएं कि लुंगी का वह सिरा जो हमने दाहनी तरफ दबाया था वह वहीं जमा रहे।(तसवीर २)

दाहने हाथ के लुंगी के सिरे को बाएं तरफ पूरी तरह ले जाने के बाद भी लुंगी दो से तीन फिट बची रहेगी। फिर इस बचे हुए सिरे को दाहनी तरफ ले जाए। मगर दरम्यान से आगे न बढ़ें बल्कि दरम्यान मे नाफ़ के पास तह करके लपेट लें।(तसवीर ३-४)

लुंगी आपकी नाफ के ऊपर हो क्योंकि नाफ सतर मे शामिल है और सतर का छुपाना लाज़मी है।

एहराम सिर्फ़ दो चादरों का नाम है। इस में पट्टा शामिल नहीं।मगर चूँकि हज के दौरान रूपया वग़ैरह साथ रखना ज़रूरी होता है। इस लिए रूपया रखने के लिए पट्टा पहनने की इजाज़त है। और पट्टा पहनने से पहले इनमे रूपया रखकर पहनना चाहिए।

पट्टा नाफ़ पर या नाफ़ के उपर पहनें जिस से कि लुंगी के उपरी हिस्सा से आप की नाफ़ हमेशा छुपी रहे। एहराम की हालत में आप चश्मा, घड़ी, कान का आला वग़ैरह पहन सकते हैं।

उम्रह औेर हज के तवाफे ज़ियारत में मर्दों कों रमल और इज़्तेबा करना सुन्नत हैं। इज़्तेबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बगल से निकाल कर बाएँ हाथ के कांधे पर डाल लेते है। (तसवीर ५)

एहराम की हालत में तवाफ के सातों चक्करों में इज़्तेबा करना सुन्नत है। मगर तवाफे वाजिब नमाज़ के पहले मोंढ़े (कांधे) ढ़ांक लें। इज़्तेबा के साथ नमाज़ पढना मकरूह है।

हज के खास दिनों में जिस्म पर ३ से ४ दिनों तक एहराम होता है। एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहन कर और पट्टे से मज़बूत बांध कर हाजी बेफिकर हो जाते है। मगर ऊपरी चादर संभालना ज़रा मुश्किल काम है वह भी खास कर नमाज़ की हालत में। इस लिए बुज़ुर्ग और तजुर्बाकार हज़रात जिन्हें कई बार हज का तजुर्बा है नीचे दिए हुए तरीके सें ऊपरी चादर लपेटने का मश्वरा देते हैं।

१) पहले ऊपरी चादर कंधें पर ओढ़ कर पूरी तरह से हाथ सीधा करके सामने की तरफ फैला लें और चादर के दोनों सिरें हाथों में पकड लें। (तसवीर ६)

२) फिर सीधे हाथ का सिरा बाएँ बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ७)

३) फिर बाएँ हाथ का सिरा दाएँ बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ८)

४) फिर एहराम का कपडा़ जो हाथ के ऊपर लटक रहा होगा उसे आस्तीन की तरह समेट लें। इस तरह आपके दोंनों हाथ आज़ाद भी होंगे और ऊपरी एहराम की चादर बार बार न गिरेगी न नमाज़ में खलल पैदा होगा। (तसवीर ९)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 17 से आगे....सफरे हज में नमाज़ का बयान

मस्जिदें नबवी (स.) और मस्जिदें हराम में हज के दिनों में इतनी भीड़ होती हैं कि नमाज़ी के सामने से गुज़रने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इन हालात में अपनी तरफ से पुरी कोशिश करें कि दुसरें कौल पर अमल हों और अगर वह नामुम्किन हो तब ही पहले कौल पर अमल करें यानी नमाज़ी के मुकाम सजदे के आगे से गुज़रें।

मस्जिदें नबवी(स.) और मस्जिदे खैफ के बाहर लोग फर्ज नमाजों के लिए इस तरह सब बंदी करतें हैं कि सफ इमाम से आगे बना लेते हैं। अगर मुक्तदी इमाम से आगे हो जायें तो मुक्तदी की नमाज़ नहीं होगी।

जमात की एहमियतः-

हज़रत इब्ने मसुद (रजी.) से रिवायत हैं कि उन्होंने फर्मायाः जिस शख़्स को इसका शौक हो कि वह कयामत के दिन मुसलमान की तरह अल्लाह के सामने पेश हो वह पाँचों वक़्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती हैं बाजमात अदा करें। अल्लाह तआला ने तुम्हारें नबी को जो तरीका हिदायत अता फर्माया हैं उसमें पाँचों नमाज़ें बाजमात पढ़ना भी शामिल हैं तो अगर तुमने अपने घरों में पढ़ली जैसा यह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता हैं तो बेशक तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी, और तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गयें। हमनें किसी सहाबी को जमात से गैर हाज़िर होते नहीं देखा, जमात से वहीं शख़्स गैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफिक होता था, बीमार भी दो आदमीयों के सहारें से आकर सफ में शामील हो जाते थें।(मुस्लिम)

नमाज़ के लिए ममनु औक़ातः-

ऐन तुलु अफताब, ऐन ज़वाल अफताब, ऐन गुरूब अफताब में इन वक्तों पर नमाज़ होती ही नहीं हैं। चाहें आप अपने वतन में हो या हरम शरीफ में।

अगर आप नफिल नमाज़ शुरू करके नीयत तोड़ दे ंतो वह नफिल नमाज़ आप के लिए वाजिब हो जाती हैं। जिसे आपको दोबारा पढ़ना लाज़ीम हैं। अगर “नफिल नमाज़ ही तो थी” ऐसा कहकर छोड़ देंगे और दोहराऐंगें नहीं तो गुनाहगार होगें।

इसी तरह तवाफ के बाद दो रकअ़त नफिल अगर आपने ममनु औकात में पढ़ा हैं तो पहले तो वह नमाज नहीं होगी। इसलीए आपका तवाफ, बगैर नमाज़ के अधुरा ही रहा। फिर अगर आपने नमाज़ दोहराया नही ंतो गुनहगार भी होगें। इसलिए हरम में ममनु नमाज़ के औकात का खास ख्याल रखें।

मस्जिदे हराम में मुकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ना अफज़ल है। मगर यह मुकाम अब तवाफ करने वालों के रास्ते के बिल्कुल दरम्यान हैं। इसलीए अगर इस मुकाम पर कोई नमाज़ के लिए खड़ा हो जाए तो तवाफ करने वालों को सख़्त तकलीफ होती है। मुसलमानों को तकलीफ देना हराम हैं। इसलिए अफज़ल काम करने कि जुस्तजु में हराम काम करने से बचे।

मुकामें इबाहीम पहले खाना काबा से बिल्कुल करीब ७ फिट की दूरी पर था। जब मुसलमानों की तादात बढ़ी और तवाफ करने वाले ज़्यादा हो गयें तो इस मुकाम पर नमाज़ पढ़ने वालों से तवाफ करने वालों को तकलीफ होने लगी। तवाफ करनेवालों कि आसानी के लिए हज़रत उमर (रजी.) ने मुक़ामे इब्राहीम को हटाकर खाने काबा से ४६ फिट दूरी पर कर दिया।

(फतेह अलबारी, शरह अल हदिस ७७८३)

सारी नसीहतों को नज़र अंदाज करके अगर आप मुकामें इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने के लिए बज़ीद हैं तो यह बात याद रखें कि अब यह इस मुकाम पर नहीं हैं जिस मुकाम का ज़िक्र हैं। वह मुकाम तो खाने काबा के बिल्कुल करीब था। और दुसरी बात यह याद रखें की अमीरूल मोमीनीन हज़रत उमर (रजी.) ने जिस काम को रूकावट समझा और उस मुबारक पत्थर उसकि मुबारक जगह से हटा दिया। आज आप खुद ही रूकावट बनने के लिए वज़ीद हैं। इसलीए तवाफ करने वालों का ख्याल रखें और इतना पीछें हटकर नमाज़ पढ़ें कि आपसे किसी को कोई परेशानी न हो।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हरम शरीफ़ और मिना के क़याम में पर्दे का मसला

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ (سورہ نور آیات:۳۰،۳۱)

''कुल लिल मुअ्-मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। व कुल लिल मुअ्मिनाती यग़-ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना।''

''मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वह भी अपनी निगाहें नीची रखा करें।''

(कुरआन, सूरह नूर, आयतः ३०.३१)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ (سورہ احزاب آیت:۵۹)

''या अइ-युहन्नबिय्यो कुल लिल लि-अज़्वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्-मिनीना युद-नीना अलैहिन्ना मिन जलाबी-बिहिन्ना''

''ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मूंह पर चादर लटका कर घूंघट निकाल लिया करें।'' (कुरआन, सूरह अहज़ाब, आयतः ५६)

हज़रत आईशा (रज़ी.) का इर्शाद है, कि हम रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में होते थे, मगर जब ग़ैर मेहरम मर्द हमारे सामने से गुज़रते, तो हम पर्दा कर लिया करते थे।

एहराम में औरतों का चेहरा और हाथ खुला रहना ज़रूरी है, मगर पर्दे का जो इस्लाम में शरई हुक्म है वह ख़तम नहीं होता है। एहराम की हालत में भी औरतों को वैसे ही पर्दा करना है जैसे ग़ैर एहराम की हालत में करना है।

मक्का और मदीना शरीफ के क़याम में एक कमरे में छः से ८ या उससे भी ज़्यादा लोगों को रखा जाता है। अगर सारे लोग उम्र दराज़ और बुज़ुर्ग हों, तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती अगर उन में जवान और कम दीनदार हों, तो मस्तूरात का उन के दरमियान बग़ैर पर्दे के सोना बहुत मअ़यूब और तकलीफ़ दह काम है। कमरे में मकान मालिक की तरफ़ से पर्दे का कोई इन्तेज़ाम नहीं होता, पर्दे के लिए आप को घर से ख़ुद पर्दा, रस्सी और कम्बलें वग़ैरह ले जाना होगा और मकान मालिक की इज़ाजत से कमरे में कींलें लगाकर पर्दा करना होगा, इस लिए हज के सफ़र पर जाते वक़्त ही ये सामान साथ लेते जायें। पर्दे के कपड़े और रस्सी वग़ैरह आप को वापसी के सफ़र पर लगैज के ऊपर बांधने के भी काम आयेंगे।

मिना में क़रीब ७० मर्द और औरतों को एक ही ख़ेमे में रहना होता है। यह ख़ेमा ४०X३० फिट का होता है। हुकुमत ने इन खेमों में कूलर और लाईट का बहुत अच्छा इन्तेज़ाम किया है। साथ ही खेमे के बीच में पर्दे का इन्तेज़ाम भी है। जो के शुरू में लिपटा हुआ होता है।

मक्का में जो लोग आप के कमरे के साथी और पड़ोसी हैं यही लोग मिना में आप के खेमे में होंगे मक्का के क़याम के वक़्त ही दीनदार लोगों को पहचान लीजिए। और हो सके तो पहले ही से तय कर लीजिए। मिना पहुंच कर सब से पहले पर्दे ओर नमाज़ बाजमाअ़त का काम करना है। और पहले ही से आठ दस आदमी का उन दोनों कामों के लिए हम ख़्याल होना ज़रूरी है।

एक फेमिली के मर्द और औरतों का सामान और खना पीना एक साथ ही होता है, इसलिए ये बात अक्सर लोगों बहुत गिरां गुज़रती है और वह जल्दी पर्दे के लिए राज़ी नहीं होते, मगर जब आठ दस मर्द पर्दे की हिमायत करें, तो और लोग दब जाते हैं क्योंकि परदा करना शरीअ़त के हुक्म पर अ़मल भी है।

मिना पहुँच कर सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हिकमत और मसलिहत से लोगों को राज़ी कर के ख़ेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरत एक तरफ और मर्द दूसरी तरफ हो जायें।

हज के मौक़े पर हरम शरीफ़ मे अक्सर तवाफ के लिए बहुत भीड़ होती है। ख़ास कर रूक्न यमानी और हज्र अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक़्सर लोगों के जिस्म एक दूसरे से छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए अगर मुम्किन हो, तो औरतों को कम भीड़ के औक़ात में तवाफ़ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात मे १ बजे से ३ बजे वग़ैरह। पहले मंजिले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ़ करे, तो भी बेहतर है।, लेकिन पहले मंज़िले और छत पर दायरा वसीअ़ होने की वजह से तवाफ़ की मशक़्क़त बहुत बढ़ जाती है।

औरतों के पीछे या बग़ल में मर्दो की नमाज़ नहीं होती है। इसलिए हरम शरीफ़ में मौजूद पुलिस औरतों को पीछे की सफों की तरफ भेजती रहती हैं। अगर आप तवाफ़ के लिए औरतो को इस लिए अपने साथ ले जाते हैं, के कहीं रास्ता भूल न जायें, तो नमाज़ से कुछ देर पहले उन्हें औरतों की नमाज़ की जगह ख़ुद ले जाकर बैठा दें, और नमाज़ के बाद फिर अपने साथ ले लें नहीं, तो एक औरत की वजह से कम अज़ कम तीन हाजियों की नमाज़ ख़राब होगी। एक दायें दूसरी बायें और तीसरा पीछे और उसका गुनाह और अज़ाब आप को होगा।

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इर्शाद फरमायाः ''अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दरूस्ती बख़्शी और रोज़ी में फराख़ी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए और मेरे पास ना आए तो ऐसा शख़्श महरूमुल-किस्मत और बद-किस्मत है।''

(तरग़ीब बा हवाला इब्ने हब्बान, ज़ादे राहः ५८)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हुसूले इल्म फर्ज़ है

रसुल (स.) ने ईर्शाद फरमायाः “दिन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान (मर्द व औरत) पर फर्ज है।”(इब्ने माजा-बरीवायत हज़रत अनस रज़ी)

हज़रत इमाम हुसैन रजी फर्माते हैं कि रसुले खुदा (स.) से एक शख़्स ने अर्ज किया, “हुजूर (स.) में कमजोर भी हुँ और बुज्दील भी” फर्माया “तु ऐसा जिहाद किया कर जिसमें कांटा भी न लगे।” उसने अर्ज किया, ऐसा कौन सा जिहाद हैं जिसमें तकलीफ न पहुँचें? फर्माया “हज किया कर” (तिबरानी)

हालते एहराम में मम्नु काम और उन का कफ्फ़ारा

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाता है कि "जो शख्स इन महिनों में हज कि नियत करले तो हज(के दिनों) में न औरतों से इख्तीलात करें, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़ें और जो नेक काम तुम करोगे वह अल्लाह को मालूम हो जाएगा।"(सुरहे बकरा, १६७)

ऐसे काम जो हरम शरीफ में और एहराम पहन कर नहीं करने चाहिए, जिनायत कहलाते है। (जिनायत की जमा जिनायात है।) ऐसे काम जो एहराम पहनकर नहीं करने चाहिए, आठ तरह के है।

१. मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना और पैरों की उपर कि हड्डी को ढ़ांकना।
२. मर्द को सर और चेहरा और औरत को चेहरा ढाँकना।
३. उम्रह और हज के किसी फर्ज़ या वाजिब अरकान को छोड़ देना।
४. खुशबू इस्तेमाल करना।
५. बाल उखाड़ना या काटना, बालों से जूं दूर करना या मारना।
६. नाखून काटना।
७. अज़्दवाजी तालुकात कायम करना।
८. खुश्की के जानवर का शिकार करना।

ऐसे काम जो हरम शरीफ यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नहीं करने चाहिए वह नीचे लिखे गए हैं।

१. लड़ाई झगड़ा करना।
२. घास या दरख्त काटना, किसी दरख्त कि शाखें या काटें तोड़ना।(आप हरम के हुदुद में घास का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकते)
३. शिकार खेलना, किसी शिकार किए जाने वाले जानवर को ड़राना या अपनी जगह से हटाना।

(हरम के हुदुद में जंगली जानवरों को भी अमान है।) इनको मारना तंग करना तो दूर की बात है अगर वह साये में खड़े हों उन्हें हटाकर आप का साऐ में जाना भी हराम है।)

४. गिरी पड़ी चीजों का उठाना।

ऊपर बताए गए ममनु काम करने पर चार तरह का जुर्माना आयद होता है।

१. एक मुठ्ठी गेहुं का सदका करना जिज़ा कहलाता है।
२. फितरा के बराबर सदका यानी पौने दो किलो गेहुं या इतनी रकम के सदका को सदका कहेंगें।
३. एक छोटे जानवर की कुरबानी (बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरा) को दम देना कहते है।
४. एक बड़े जानवर कि कुरबानी यानी एक गाय या ऊंट कि कुरबानी को बिदना कहते है।

मसलाः पूरा ऊंट या गाय की कुरबानी सिर्फ दो जगह वाजिब होती है। एक जनाबत और हैज़ व निफास की हालत में तवाफ करना, दूसरे वकूफे अरफा के बाद और तवाफे ज़ियारत से पहले हमबिस्तरी करना।

(मसाइले हज व उमराह मआ आदाबे ज़ियारत, पेज नं. ११६ से १२१, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २२४ और २२५)

कुरबानी हुदुदे हरम में देना लाज़मी है और उसका गौश्त भी खुद नहीं खा सकते, इसे गरीबों में सदका करना लाज़मी है। या सदके कि कींमत कहीं भी दी जा सकती है।

ममनु काम और उनका कफ्फ़ारा

१. किसी मर्द ने एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा पहना तो अगर एक घंटा या उससे कम पहना तो जीझा देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात से कम पहना तो सदका देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात के बराबर या ज्यादा पहना तो दम वाजिब होगा।
२. एहराम की हालत में किसी वजह से अगर एक घंटे से कम वक़्फा तक सिर ढ़का रहा तो जिज़ा देना वाजिब है। अगर १२ घंटे से कम वक़्त तक सिर ढ़का रहा तो सदका करना वाजिब है। अगर १२ घंटे से ज़्यादा ढ़का रहा तो दम देना वाजिब होगा।
३. एहराम की हालत में गलें में फूलों का हार डालना मकरूह है। खुशबुदार फूल सुंघना भी मना है। खुशबूदार साबुन के एक बार इस्तेमाल से सदका और बार-बार इस्तेमाल से दम वाजिब हो जाता है।
४. बाल नोंचनें या खुजलाने वगैरह से दाढ़ी या सिर के तीन बाल तक गिरें तो हर बाल के बदलें जिज़ा दें। तीन से ज़ायद बालों पर सदका करें। अपने आप गिरने वालें बालों पर सदका नहीं है।
५. अगर एक हाथ या पॉव के पाँचों नाखून एक ही वक्त में काटें तो एक दम वाजिब होगा अगर चारों हाथ और पैरों के सारे नाखून एक ही वक्त में काटें तो भी एक ही दम वाजिब होगा। अगर चारों हाथ पैरों के सारें नाखून अलग अलग काटें तो उतने बार दम देना होगा। अगर किसी हाथ पैर के पांचों नाखून एक साथ नहीं काटें बल्कि एक-एक या दो-दो नाखून काटें तो जितने नाखून उतने-उतने सदके देनें होंगे।(यानी जब पाचों नाखुन एक साथ काटें जाएं तो दम लाज़ीम होगा वरना सदका)। टूटें हुए नाखुन को काटनें या तोड़ने पर कोई सज़ा नहीं है।
६. अगर किसी ने जंगली या मैदानी जानवर का शिकार किया या शिकार करनें में किसी की मदद की, तो इसी जानवर के मिस्ल सदका करना होगा।
७. अगर हालते एहराम में शहवत के साथ मर्द अपनी बीवी के साथ बोस व किनार होता है तो ऐसी सूरत में, इन्ज़ाल हुवा हो या ना हुवा हो दोनों सूरतों में जुर्माने में एक दुम्बा या गाय की कुरबानी वाजिब हो जाएगी। और अगर बीवी को शहवत हो जाए तो उस पर भी अलग से एक कुरबानी वाजिब हो जाएगी।
८. हज में वकूफे अरफा के बाद हलक़ और तवाफे ज़ियारत से पहले बीवी से हम-बिस्तरी हो जाए तो जुर्माना में बदना की कुरबानी वाजिब हो जाएगी। और तीनों इमामों के नज़दीक अगर वकूफे अरफा के बाद जमराह उक़बा की रमी से पहले जिमा (हम-बिस्तरी) हो जाए तो हज ही फासिद हो जाएगा। और हज़रत इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हज फासिद ना होगा अलबत्ता जुर्माना में बदना वाजिब हो जाएगा। (ग़निया जदीद, पेज २६६, ग़निया कदीम पेज १४४, अन्वारे मनासिक पेज २१६)

६. अरकान तर्क करने के मुतअ़ल्लिकः-

कामः हज और उम्रह के वाजिब अरकान का छूट जाना।

कफ्फाराः अगर हज और उम्रह का कोई भी वाजीब रूक्न छूट जाएगा, तो हज

और उम्रह हो जाएगा मगर दम देना होगा।

कामः हज और उम्रह के फर्ज अरकान का छूट जाना।

कफ्फाराः हज और उम्रह का अगर कोई भी फर्ज छूट जाएं तो हज या उम्रह नहीं होगा। ऐसी हालत में हाजी तवाफ, सई और हलक करवाकर ऐहराम उतार दें मगर फिर उसे उम्रह या हज दौहराना होगा।

१०. हरम शरीफ के हुदूद की गलतियाँ और कफ्फारा

कामः किसी ने हरम की बेहुरमती की, जैसे हरम के हुदूद में घास उखाड़ लिया या दरख्त की पत्तियाँ तोड़ ली या ऐसा कोई भी काम किया जिसकी मुमानिअत हैं।

कफ्फाराः

हरम की घास काटने से उस की कीमत के बराबर सदका करना वाजिब होगा। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६१)

किसी दरख्त के पत्ते तोड़ने अगर दरख्त को नुकसान न हो तो पत्ते तोड़ना जायज़ है, वरना जायज़ नहीं। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६२)

खुद-रौ घास या दरख्त जिसे उगाने का मअमूल नहीं है जैसे नूनिया घास वगैरा और वह फल भी नहीं देता है तो ऐसे दरख्तों को काटना और तोड़ना हुदूदे हरम में मना है। अगर ऐसे दरख्त या घास को काटा जाय तो सज़ा के तौर पर उस की कीमत का सदका वाजिब होगा।

(ग़नियतुल मनासिक पेज नं. ३०२, हज व ज़ियारत नम्बर पेज नं. १६३)

हरम का सूखा दरख्त या सूखी हुई घास तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है।

(मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६२)

कामः नापाकी की हालत में मस्जिदे हरम में दाखिल होना।

अगर औरत ने ग़फ़लत या लापरवाही में हालते हैज़ में तवाफे ज़ियारत कर लिया या तवाफे ज़ियारत के अक्सर अश्वात हालते हैज़ में कर लिए मसलन तीन शौत के बाद हैज़ आ गया और हैज़ ही की हालत में चार अश्वात पूरे कर लिए तो उस पर जर्माना में बिदना वाजिब है। और बिदना ऊंट या गाय या भैंस को कहा जाता है। और अगर औरत ने नहर के दिनों में अन्दर अन्दर तवाफ का इरादा कर लिया है या इन अश्वात का इरादा कर लिया जिन को हालते हैज़ में किया था तो कफ्फारा साकित हो जाएगा और कोई चीज़ उस पर लाज़िम न होगी। और अगर नहर के दिन गुज़र जाने के बाद एआदा करेगी तो देरी की वजह से एक दम देना लाज़िम होगा।

(ग़नियता जदीद पेज नं. २७२, कदीम पेज नं. १४५, अनवारे मनासिक पेज नं. ३४३)

और अगर हैज़ या निफास या जनाबत की हालत में तवाफे उमराह करेंगे तो जुर्माना में एक दम देना होगा। और अगर पाक होने के बाद एआदा करेंगे तो जुर्माने का दम साकित हो जाएगा

(ग़नियतुल मनासिक पेज नं. १४७-१४८ , अनवारे मनासिक पेज नं. ३२२)

ना-बालिग़ के मसाइलः

१) ना-बालिग़ ने आम लोगों की तरह हज्जे तमत्तओ कर लिया है तो आम लोगों की तरह इस तमत्ताओ की क़ुरबानी नहीं। इसी तरह क़िरान की क़ुरबानी भी लाज़िम नहीं।

(ग़निया जदीद पेज २०७, अन्वारे मनासिक पेज २०४)

२) अगर ना-बालिग ने हालते एहराम में कोई ऐसा अमल कर लिया जिस से दम या कफ्फारा वाजिब होता होजाता है जो ना-बालिग़ के ग़ैर कुकल्लफ होने की वजह से उस पर कोई कफ्फारा या दम वाजिब नहीं होगा, और उसकी वजह से उस के वली और ज़िम्मेदार पर पर भी कोई कफ्फारा ना होगा, इसलिए कि यह वली का अपना अमल नहीं है। हॉ अल्बत्ता वली के लिए मुनासिब यही है कि एहराम के वक्त उस को भी एहराम का कपड़ा पहना दे और मम्नूआते एहराम से उस को महफूज़ रखने की मुम्किन हद पूरी कोशिश करे।

(ग़निया जदीद पेज ८४,२०७, अन्वारे मनासिक पेज २०४)

(नोटः ऊपर बताएं गए कफ्फारें हमने बहुत मुख्तसर तौर पर लिखा है। अलग-अलग मसलक में अलग-अलग एहकाम है। इसलीए इस बारें में आप अपने नज़रियें के आलीमों से मश्विरा लें। मुअल्लिम- उल-हुज्जाज किताब में इनका तफसील से ज़िक्र है।)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

अरफात की दुआऐं और वज़ीफें

नबी करीम (स.) से रिवायत है, कि आप(स.) ने फरमायाः

"दुआओं में सबसे बेहतर दिन अरफा की दुवा हैं और मैंने और मुझसे पहले अंबीयाने इस रोज जो अफ्ज़ल तरीन कलमात कहें वह यह हैं"

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَه. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْر

तर्जुमाः कोई माबुद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह तआला के, वह तनहा हैं, उसका कोई शरीक नहीं, उसीके लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द हैं, वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला हैं।

एक सही हदीस में हैं कि, नबी (स.) ने फरमायाः

अल्लाह के यहाँ महबुब तरीम कलमात चार हैं:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَر

आप (स.) ने फरमायाः

दो कलमात ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्कें हैं, मिज़ाने आमाल में बहुत भारी हैं और रहेमान को बहुत महबूब हैं।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْم

हज़रत साद बिन अबी वकास (रज़ी.) से रिवायत हैं कि हम रसुल (स.) की खिदमत में हाज़िर थें कि आप (स.) ने फरमायाः

"क्या तुम में से हर एक शख़्स इस बात से आजिज़ हैं की वह हर रोज़ एक हज़ार नेकिंया कमाएं?"

हाज़रीन मज़लिस में से एक सहाबी (रज़ी.) ने अर्ज़ कियाः "या रसुल अल्लाह(स.)! हम में से हर एक शख़्स एक हज़ार नेकियां कैसे कमा सकता हैं?"

आप (स.) ने फरमायाः १०० बार सुब्हान-अल्लाह कहें तो उस के लिए एक हजार नेकियां लिख दी जाएगी और एक हज़ार गुनाह उससे माफ कर दिए जाएंगे।

औरतों का एहराम

औरतें भी हज के तमाम अफ़आल मर्दों की तरह करें लेकिन कुछ अमूर में उन के लिए मर्दों से अलग हुक्म हैं और चन्द अमूर औरतों ही के साथ मख़सूस हैं उन की तफ़सील नीचे दिए हुए तरीके सें है।

१) औरतों के लिए किसी भी सफ़र के लिए मेहरम का साथ होना ज़रूरी है। हज और उम्रा का सफ़र बग़ैर मेहरम के करना नाजायज़ है और गुनाह है।

२) अगर किसी औरत पर हज फ़र्ज़ है मगर किसी मेहरम का साथ नहीं, तो उसको चाहिए के मेहरम मिलने तक हज मुल्तवी कर दे। इस मजबूरी की वजह से हज में जो ताखीर होगी उसका कोई गुनाह न होगा और अगर उसी हालत में मौत आ गयी तो औरत को मरते वक्त हज-ए-बदल के लिए वसीयत करना वाजिब है।

३) इद्दत वाली औरतें अय्यामे इद्दत में मेहरम होने के बावजूद हरगिज हज के लिए ना जायें, ये उन के लिए हराम है।

४) मेहरम वह शख़्स है जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम है। जैसे; बाप, बेटा, भाई, भतीजा, भांजा, शौहर का बाप वग़ैरह।

५) बहनोई, फूफा, ख़ालु, वग़ैरह मेहरम नहीं हैं। तन्हा इनके साथ हज करने पर गुनाह होगा।

६) अगर औरत माल दार हो और मेहरम के साथ भी हो, तो वह शौहर कि इज़ाजत के बग़ैर पहला हज कर सकती है। क्योंके एक हज फ़र्ज़ है। नफ़ली उम्राह और हज के लिए शौहर की इज़ाजत ज़रूरी है।

एहराम का बयानः

१) औरतों का एहराम उन के रोज़ मर्रह के कपड़े हैं। सिर्फ़ इस बात का ख़्याल रखें कि ये कपड़े बारीक, चुस्त और ऐसे न हों जिस से दुसरों की तवज्जह आप की तरफ़ खिंचे। कपड़े बिल्कुल सादा और साफ़ सुथरे होने चाहिये।

२) एहराम की हालत में बाल काटना और तोड़ना मना है। ओढ़नी अगर सिर से बार बार सरकती रहे, तो उसके सरकने से बार बार सिर ढ़ाकने से हो सकता है के बाल टूट जायें, इस लिए एहतियात के लिए सिर पर एक रूमाल या टोपी बांध ली जाती है। ये सिर्फ एहतियात की तदबीर है। सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा या टोपी का एहराम से कोई वास्ता नहीं है। ये औरतों का एहराम नहीं है। मर्दों के लिए जैसे एहराम के कपड़े और एहराम की चादरें हैं इस तरह औरतों के लिए एहराम का कोई मख़सूस कपड़ा नहीं है।

३) एहराम की हालत में औरतों को चेहरा खुला रखना है। इसलिए सिर पर टोपी या रूमाल बांधते वक़्त इस बात का ख़्याल रखें के माथा ढका ना हो वर्ना सदका या दम देना लाज़िम होगा।

४) मर्दों की तरह आरतों को क़दम के उपरी हिस्से की हड्डी को खुला रखना ज़रूरी नहीं है। औरतें जूतियां पहन सकती हैं, जिससे ये हड्डी छिप जाये।

५) गुस्ल और वुज़ू करते वक़्त सिर पर बांधी हुई टोपी या रूमाल का खोलना ज़रूरी है। सिर खोल कर अगर आप ने सिर का मसह न किया, तो न वुज़ू होगा न ही आप की नमाज़ होगी।

६) उम्रह में सई के बाद, और हज में क़ुर्बानी के बाद हलाल होने के लिए तमाम सिर या कम अज़ कम एक चौथाई सिर के बालों से लम्बाई में उँगली के पोर के बराबर तक सिर के बाल काट लें। (क़रीब एक से सवा इंच) ये बाल वह खुद भी अपने हाथ से काट सकती हैं या अपने जैसे किसी और ख़ातून हाजी से जिस ने बाल काटने के पहले के सारे अरकान अदा कर लिए हों बाल कटवा सकती हैं। औरतों का अपने शौहर और अपने साथ आऐ महरम मर्द को छोड़ कर किसी ग़ैर महरम से बाल कटवाना जाएज़ नहीं है।

बाल काटने का आसान तरीक़ा है कि बाल की चोटी के आखरी सिरे को उंगली पर लपेट लें और फिर काटें। ख़्याल रहे कि एक पोर की लंबाई से कम बाल न कटे।

७) एहराम की हालत में कंघी न करें। अगर जान बूझकर कोई बाल टूट गया, तो जिज़ा देना होगा।

८) बे खुशबुदार तेल जिस्म पर और बालों में लगाया जा सकता है। बाल टुटने के ड़र से अगर न लगाया जाऐ तो बेहतर है।

९) ऑखों में ऐसा सुरमा लगाना बिला-कराहियत जायज़ है कि जिस में कोई खुश्बू ना हो। और अगर ऐसा सुरमा है कि उस में खुश्बू नुमायाँ और वाज़ेह हो तो उस सुरमे को हालते एहराम में लगाने से सदका वाजिब होगा।

(अनवारे मनासिक पेज नं.२२८, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं.११५)

१०) हालते एहराम में मेहंदी लगाना जायज़ नहीं। लिहाज़ा अगर पूरे सर पर या पूरी दाढी पर मेहंदी लगाई है या औरत ने हथेली या सर में मेहंदी लगाई है तो दम वाजिब होगा, इसलिए कि मेहंदी पूरे हिस्से पर लगाई है। और अगर कुछ हिस्से दाढी पर या हथेली और पैर के कुछ हिस्सों पर लगाई है तो सदका वाजिब हो जाएगा।

(बदाए कदीम पेज नं.१९२/२, अल-मबूत १२४/४, अल-बहरूर्राइक़ जदीद ४/३, अल-मसालिक फिल मनासिक ४७६/२, अनवारे मनासिक २३२ और २११, मुअल्लिमुल हुज्जाज २२६)

११) एहराम की हालत में औरतें ज़ेवर पहन सकती हैं। मगर ज़ेवर ऐसा न हों के दुसरों की तवज्जह आप की तरफ हो जाऐ।

औरतों के लिए मुमानिअत :

१) औरतें तल्बिया, तकबीर या और कोई तसबीह बुलंद आवाज़ से न पढ़ें । औरतों के आवाज़ का भी पर्दा है।

२) औरतें न रमल करें न सफ़ा मरवा के दरम्यान तेज़ चलें, न दौड़ लगायें।

३) नबी करीम (स.) ने रास्तों पर चलते वक्त औरतों को रास्ते के किनारे चलने का हुक्म दिया था ।

इस हुक्म के बाद सहाबे कराम (रजी.) कि औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थी कि उनके कपड़े दिवारों से रगड़ खाते थे।(अबु दाऊद.बहती)

हज़रत अबु हुरैरा(रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम(स.) ने फरमाया "मर्दो के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है और सबसे बद्तरीन सफ़ आखरी सफ़ है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ सबसे आख़री सफ़ है सबसे बद्तरीन सफ़ पहली सफ है"(अबू-दाऊद.)

४) कोई अ़मल या इबा़दत उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक

नबी करीम (स.) के हुक्म के मुताबिक़ न हो। इसलिए औरतें तवाफ़ करते वक़्त मर्दों के दरम्यान घुस कर न तवाफ़ करें न ही सई करें, और नमाज़ भी औरतों के नमाज़ के मुक़ाम पर पढ़ें, मर्दों के दरम्यान न पढ़ें।

५) अगर कोई औरत जमाअ़त में मर्दो के दरम्यान खड़ी हो जाये, तो उस औरत के दायें, बायें और पीछे खड़े होने वाले मर्दों की नमाज़ नहीं होगीं उसका गुनाह उसी औरत पर, और उसके साथ ज़िम्मेदार मर्द होगा।

६) हज के मौक़े पर हरम शरीफ़ में अक्सर तवाफ़ के लिए बहुत भीड़ होती है। ख़ास कर रूक्न ईमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस्म एक दूसरे छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है।

इस लिए अगर मुम्किन हो, तो औरतों को कम भीड़ के औक़ात में तवाफ़ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात मे १ बजे से ३ बजे वग़ैरह। पहले मंजिले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ़ करे, तो भी बेहतर है।, लेकिन पहले मंज़िले और छत पर दायरा बढा़ होने की वजह से तवाफ़ की मशक़्क़त बहुत बढ़ जाती है।

७) एहराम कि हालत में औरतों का सिर्फ चेहरा खुला रखना है। एहराम में पर्दे का हुक्म मनसूख़ नहीं है।

हज़रत आईशा (रजी.) फरमाती है, के हम औरते हज में रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में थीं, एहराम कि वजह से हम चेहरो पर नकाब नहीं डालती थी। मगर जब हमारे सामने से मर्द गुजरते तो हम अपनी चादर सिर के ऊपर से लटका लेती थी और इस तरह पर्दा कर लेती थी। और फिर जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थी। (अबू-दाउद, मआ़रिफुल हदीस)

८) पर्दा करना अफज़ल या सिर्फ सवाब का काम नहीं हैं। बल्कि औरतों पर वाजिब है। क्योंकि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताअ़ला ने वही के ज़रिए क़ुरान मजीद के आयत में नाज़िल फ़रमा दिया है और इस आयत का मफहूम इस तरह है।

“ऐ नबी (स.)! अपनी बीवियों से, और अपनी साहबज़ादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।” (क़ुरआन मजीद सूरः इहजाब आयतः५६)

इस लिए अगर आप अपने घर और मोहल्लों में पर्दा नहीं करती हो, तो भी हज़ के सफ़र से पहले बुर्क़ा या बड़ी चादर ज़रूर ले लें और हरम शरीफ़ में इस का इस्तेअ़माल ज़रूर करे। वर्ना हरम शरीफ़ में एक गुनाह ७० या १०० गुनाह के बराबर होता है।

नापाकी की हालत में इबादतः

एहराम की हालत में हाइज़ा औरतें नमाज़ और तिलावत-ए-क़ुरआन को छोड़ कर दिगर इबादात कर सकती हैं। उन के लिए जिक्र और दरूद व वज़ाइफ़ पढ़ना जायज है। मुस्तहब ये है के हर नमाज़ के वक़्त पाक साफ़ होकर वुज़ु कर के मुस्सले पर बैठ कर जितनी देर नमाज़ अदा करने में होती है उतनी देर जिक्र व दुआऐं पढ़ती रहे ताकि इबादत की आदत बाक़ी रहे।

रिवायत है, के नबी करीम (स.) ने फ़रमाया हाइज़ा औरत अगर नमाज़ के वक़्त सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ले, तो उस के लिए हज़ार बरकतें लिखी जाती हैं और सत्तर गुनाह मुआ़फ़ हो जाते हैं और उसका दर्जा बढ़ता है और उसको इस्तग़फार के हर हुरूफ़ के बदले नूर मिलता है और बदन की रग के अ़ेवज़ में हज ओर उम्रह लिखा जाता है।

(मजालिसुल अबरार बसीर)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हैज़ व निफ़ास के मसाइल

सफ़र से पहले हैज़ का आनाः

अगर किसी को मक्का शरीफ़ के सफ़र से पहले ही हैज़ शुरू हो जाए तो ऐसी हालत में वह नापाकी ही में ग़ैर ज़रूरी बाल साफ़ कर के, नाखुन तराश कर, गुसुल कर के एहराम के कपड़े पहन ले और मीक़ात पहुँच कर उम्रह की नीयत भी कर ले। मगर मक्का शरीफ़ पहुँच कर तवाफ़ और सई न करे। पाक होने तक इंतेज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर ले। इस नापाकी की मुद्दत में वह एहराम की हालत ही में रहेगी और एहराम की सारी पाबंदीयाँ उस के ऊपर आइद रहेंगी।

एहराम पहनने के बाद हैज़ आनाः

अगर किसी को एहराम पहनने और नीयत करने के बाद मगर तवाफ़ और सई से पहले हैज़ आ जाऐ, तो वह पाक होने तक इंतेज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ़ व सई कर के उम्रह पूरा कर लें और एहराम उतार दें। इन नापाकी के दिनों में एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

तवाफ़ के बाद हैज़ आनाः

अगर किसी के हैज़ के दिन क़रीब हो, तो जब तक खुन न आ जाऐ मुताफ़ में तवाफ़ करना जाएज़ है, अगर तवाफ पूरा करने के बाद हैज आ जाए तो नापाकी ही में सई करके बाल तराश के उम्रह पूरा करे। सई के लिए पाकी शर्त नहीं है। और अगर तवाफ़ करते करते हैज़ आ जाऐ तो फ़ौरन हरम से बाहर चली जाऐ और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर के उम्रह पूरा करले। जब तक उम्रह पूरा न होगा एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

हज से पहले या हज के दौरान हैज़ आनाः

अगर किसी को ८ ज़िल्हिज्जा से पहले हैज़ शुरू हो जाऐ तो उम्रह ही की तरह बाल साफ़ कर के नाखुन तराश कर गुसुल कर के एहराम की नीयत कर ले और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे हज़ के अरकान अदा कर ले। इसी तरह हज़ के दौरान भी हैज़ आ जाऐ तो नमाज़, क़ुरआन की तिलावत और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे अरकान अदा करे। तवाफ़े ज़ियारत के लिऐ पाक होने तक इंतेज़ार कर ले चाहे १२ जिल्हिज्जा गुज़र जाऐ। पाकी हासिल करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत करे। इस तरह आपका हज हो जाऐगा। मगर तवाफ़े ज़ियारत तक एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी। ताखेर की वजह से दम लाज़िम नहीं होगा।

उम्रह और हज दोनों के पहले हैज़ आनाः

किसी औरत ने तमत्तआ की नीयत से एहराम बांधा और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने से पहले या मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद उम्रह का तवाफ़ करने से पहले ही उस को हैज़ या नफ़ास शुरू हो गया और खून जारी रहा, यहाँ तक कि ८

ज़िल्हिज्जा यानी मिना जाने का दिन आ गया तो ऐसी औरत उम्रह तर्क कर दे और मम्नुआते एहराम (खुशबू लगाना, नाखून काटना वग़ैरा) में से कोई काम कर के सर के बाल खोल कर उस में तेल डाल कर कंघी कर के उम्रह का एहराम खोल दे और फिर ग़ुस्ल कर के "हज का एहराम" बांध कर तल्बियाह पढ़ ले और मिना चली जाए और हज के तमाम अफ़आल अदा करती रहे और हैज़ बंद होने के बाद पाकी का ग़ुस्ल कर के तवाफे ज़ियारत और सई करे। अब उस औरत का हज "हज्जे अफ़राद" शुमार होगा।

हज से फराग़त के बाद इस छोड़े हुए उम्रह की क़ज़ा की नीयत से एक उम्रह कर ले और क़ुरबानी यानी दम दे, वह दम जो साबिक उम्रह छोड़ने की वजह से वाजिब हुआ था।

ऐसी औरत पर "हज्जे तमत्तआ" के शुक्राने का "दम" वाजिब नहीं है। इस लिए कि उस का हज, हज्जे अफ़राद हुआ है। और हज्जे अफराद करने वाले पर क़ुरबानी नहीं है। (खैरूल फतावा २३३/४, अैनी शरह बुखारी १२३/१०, मिश्कात ३०४-३०६/५)

नोटः जिस औरत को अपनी आदत के मुताबिक इस बात की उम्मीद न हो कि वह पाक हो कर अय्यामे हज से पहले उम्रह अदा कर सकेगी। उस के लिए बेहतर यही है की वह हज्जे अफराद का एहराम बांधे ताकि उम्रह छोड़ने की वजह से जो दम वाजिब होता है, वह लाज़िम न हो।

नापाकी की हालत में तवाफ़े ज़ियारतः

२४ से २७ अक्तोबर १९९७ हज हाउस मुंबई में मुनक़िद होने वाली १० वी फिकही सेमिनार में हज व उम्रह से मुतल्लिक जो अहम तजावीज़ और फैसले सामने आए थे, उन में से एक तजवीज़ नं. १० हसबजैल करार पाई थी।

(अलिफ) तजवीज़ नं. १० :-

अगर तवाफे ज़ियारत से पहले किसी औरत को हैज़ का खून आ जाए और उस के पहले से तय शुदा प्रोग्राम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह हैज़ से पाक हो कर तवाफे ज़ियारत कर सके तो उस के लिए पहले तो ज़रूरी है कि हर मुम्किन कोशिश के ज़रिए (पाक हो कर तवाफे ज़ियारत कर सके इतने वक़्त के लिए अपना सफर मोअख्खर करवा ले) अगर यह मुम्किन न हो तो हालते हैज़ ही में तवाफे ज़ियारत कर ले, और एक बड़े जानवर की क़ुर्बानी दम-ए-जनाबत की नीयत से करे। इस तरह करने से उस का तवाफे ज़ियारत अदा हो जाएगा और तमाम पाबंदी से मुक़म्मल हो जाएगी।

बग़ैर तवाफ़े ज़ियारत के घर वापसीः

तवाफ़े ज़ियारत हज के तीन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है। अगर कोई किसी वजह से तवाफ़े ज़ियारत नहीं करेगा तो उस का हज पूरा न होगा और न वह अपने शरीके हयात से अज़्वाजी तालुक़ात क़ायम कर सकता है। दोनों एक दुसरे के लिऐ उस वक़्त तक हराम होंगे जब तक तवाफ़े ज़ियारत न कर लें। इस लिए अगर कोई १२ जिलहिज्जा के गुरूबे आफताब तक न कर सका तो तवाफे जियारत में देरी करने कि वजह से सिर्फ दम देना होगा मगर इसके बाद वह सारी उम्र मे कभी भी कर सकता है।

तवाफ़े विदा से पहले हैज़ आनाः

अगर कोई औरत हज के सारे अरकान पूरे कर चुकी और मक्का शरीफ़ से रवानगी से पहले हैज़ आ गया तो ऐसी हालत में वह तवाफ़े विदा न करे और बग़ैर तवाफ़े विदा किए अपने सफ़र पर रवाना हो जाऐ। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से हदीस मरवी है के "नबी करीम (स.) ने हाएज़ा औरत को रूख़्सत दी है कि अगर उस ने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया हो, तो तवाफ़े विदा किऐ बग़ैर ही सफ़र पर रवाना हो जाऐ" (अहमद, हदीस नं. ३५०५)

बीमारी का ख़ूनः

ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ की मुद्दत दस दिन और कुछ बच्चे की पैदाईश के बाद निफ़ास की मुद्दत चालीस दिन है। इससे ज़्यादा मुद्दत के बाद भी अगर ख़ून आये, तो वह इस्तहाज़ा यानि हैज़ की पुरानी बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह किसी औरत को हमेशा यह आम तौर पर सिर्फ तीन दिन या पांच दिन ही हैज़ का ख़ून आता हो और हरम शरीफ़ में इतने दिनों तक ख़ून आ जाये, तो ज्यादा दिन का खून भी हैज़ के बदले बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह अगर किसी औरत को तीन दिन से कम दिन खून आये, तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर ऐसी बुढी औरत जिस के हैज़ बंद हो चुके हो उन्हे खून आये तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर किसी हामिला औरत को खून आ जाए तो वो भी बीमारी के खून में शुमार होगा।

इन खून की पहचान यह है, के इन में हैज़ के खून की तरह बदबू नहीं होती है।

इस्तहाज़ा का खून या बीमारी के खून की मिसाल नकसीर; (नाक से खून आन) जैसी है। जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। इस खून से औरतों को न रोज़ा या नमाज़ छोड़ने से न तवाफ़ से महरूम होना है। ऐसी औरतों को शरीअत मे मअ्ज़ूर माना गया है।

यह औरतें नमाज़ कें पांचों वक़्त ताज़ा वुज़ु करें; (गुस्ल लाज़मी नहीं है।) हैज़ के दिनों में वह जिस तरह पैड (Sanitary Napkin) का इस्तेअ्माल करती थीं, उसी तरह साफ़ पैड का इस्तेअ्माल करके ताज़ा वुज़ू से हरम शरीफ़ में तवाफ़ और नमाज़ अदा कर सकती हैं।

▼▼▼▼▼▼▼

क्या हम भी मुसलमान हैं?

हज़रत हसन बस्री (रह.) जलील व क़द्र ताबई गुज़रे हैं। जिन्हों ने बड़े बड़े सहाबा (रज़ी.) की ज़ियरत की। आप (रह.) ऐसे ज़माने में थे जब के क़दम क़दम पर मुहद्देसीन, अइम्मा, उलमा और सुलहा मौजूद थे।

एक दिन किसी ने सवाल किया, हज़्रात सहाबा ए कराम कैसे थे? फ़र्माया के अगर तुम इन्हें देखते तो कहते के ये तो दीवाने हैं। और अगर वे तुम्हें देखते तो कहते के इन को इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं!

अन्दाज़ा कीजिए के हसन बस्री ;रह.द्ध इस ज़माने में ये बात कह रहे हैं कि अभी सहाबा ए कराम (रजी.) की ज़ियारत करने वाले लोग ला तादाद मौजुद हैं। आज हमारे अफ़आल, आमाल और किरदार को देखते तो ना

उम्र भर का कफ्फारा

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से सुना है के जिस ने हज किया और कोई बेहयाई का काम नहीं किया और फिस्क व फुजूर से बचा रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा; जैसे आज पैदा हुआ है। (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत अबू हुरैराह (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) ने फरमायाः एक उम्रह से दूसरे उम्रह तक बीच के तमाम गुनाहों का कुफ्फारा है और हज्जे मबरूर की जज़ा जन्नत है। (बुखारी, मुस्लिम)

हरम और मीक़ात का बयान

नबी करीम (स.) का इर्शाद है, कि "अ़रबों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अरबी हूँ। क़ुरआन अ़रबी में है और जन्नत की ज़बान अ़रबी है। (बैहकी हाकिम) इस लिए हम सऊदी अरब का दिल से एहतराम करते हैं"

इस क़ाबिले एहतराम मुल्क में एक वसीअ़ इल्ाक़े को अल्लाह ताअ़ला ने मुक़द्दस क़रार दिया है। सिर्फ समझने के लिए इस वसीअ़ इलाक़े को हम मुक़द्दस ज़िला का नाम देते हैं।

इस मुक़द्दस ज़िले के मर्कज़ में एक इंतेहाई मुक़द्दस शहर है, इस मुक़द्दस शहर का नाम मक्का मुकर्रमा है। इस शहर की हदूद भी अल्लाह ताअ़ला ने मुतय्यन कर दिये हैं, इस की एक मशहूर हद को तन्अ़ीम कहते हैं।

अल्लाह तअ़ाला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस ज़िले और मुक़द्दस शहर के हुदूद की निशानदही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन मुक़ामात पर बुर्ज या सतून की शक्ल में निशानी खड़ी कर दिया था।

हज़रत इब्राहिम (अ.स) के बाद हर ज़माने के हुक्मरां उन निशानियों की देखभाल और मरम्मत करते रहे और वे मिक़ात कहलाते हैं, और वह आज तक करते है।

मुक़द्दस ज़िला और मुक़द्दस शहर के वह हुदूद जिस की निशानदही हज़रत जिब्राईल (अ.स) ने हज़रत इब्राहिम (अ.स) को की थी, मिक़ात कहलाते हैं। मुक़द्दस ज़िला और मुक़द्दस शहर के मिक़ात अलग अलग हैं।

मुक़द्दस ज़िला की सरहद (मिक़ात) के कुछ मशहूर मुक़ामात इस तरह से हैंः ज़ुल ख़लीफा,(बीर अली), ज़ाते ईराक़, क़रानुलमुनाज़िल, यलमलम, जिद्दा, जिहफा, मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा की सरहद (मिक़ात) के कुछ मशहूर मुक़ामात इस तरह हैंः तन्अीम, जअ़राना, वादिए मुहल्ला, मुज़दल्फा, इज़ातुल्लैन, हुदेबिया।

मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को अहले हरम मक्कि कहते हैं। मक्का मुकर्रमा के हुदूद के बाहर मगर मुक़द्दस ज़िला के हुदूद के अन्दर की ज़मीन को 'हिल' कहते हैं और यहां के रहने वालों को 'अहले हिल' कहते हैं। मुक़द्दस ज़िला से बाहर रहने वालों को 'आफ़ाक़ी'कहते हैं।

पहले ज़माने में यह उसूल था कि जब कोई शख़्स किसी नये मुल्क में तिजारत के लिए जाता, तो पहले उस मुल्क के बादशाह के दरबार में हाज़िरी देता या तोहफा पेश करके इजाज़त तलब करता और इजाज़त मिलने पर मुल्क में घूम फिर कर तिजारत करता और मुनाफा कमाता। हर शख़्स के लिए हर मुल्क की सरहदें मुफ्त में खुली न थीं बल्कि कुछ उसूल थे और मौज़ों उसूल थे।

ऐसे ही उसूल इस मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा के लिए भी है । कोई भी शख़्स किसी भी ज़रूरत से चाहे वह इबादत की ग़र्ज से हो या तिजारत की ग़र्ज से हो दनदनाते हुए इस शहर में दाख़िल नहीं हो सकता है। उसे कुछ उसूल की पाबंदी करनी ही होगी। वह निचे दिए हैं।

१) मुक़द्दस ज़िला की सरहद (मिक़ात) में दाख़िल होने से पहले एहराम पहने।
२) तल्बिया पढ़ते हुए सारे जहां के ख़ालिक़ व मालिक के घर पर हाज़िरी दें।
३) फिर मौक़े के मुताबिक़ हज या उम्रह करें।
४) इन सब से फ़ारिग़ होकर वह फिर दूसरे काम कर सकता है।
५) मुक़द्दस शहर मक्का में अगर किसी आफ़ाक़ी को सिर्फ तिजारत के लिए जाना हो और इबादत का इरादा न हो तब भी उन उसूलों की पाबंदी करना लाज़िमी है। यानि हज या उमराह करना ही होगा।
६) अहले हिल और अहले हरम के लिए तिजारत की ग़र्ज़ या सिर्फ तवाफ की गर्ज़ से मुक़द्दस शहर और मुक़द्दस ज़िला के दरम्यान बग़ैर एहराम की पाबंदी के आने और जाने की इजाज़त है। मुक़द्दस ज़िला से बाहर जाने के बाद उन्हें भी एहराम पहन कर हरम शरीफ़ की हुदूद में दाख़िल होना है।

अहले हिल और अहले हरम को अगर उम्रह अदा करना है, तो इन मुक़द्दस शहर की सरहद पर पहुंच कर पहले एहराम पहनना है, फिर तल्बिया पढ़ते हुए सारी कायनात के ख़ालिक़ व मालिक के दरबार में हाज़िरी दे कर उम्रह के अरकान अदा करना है। तन्अ़ीम इन मुक़ामात में से एक है।

अहले हरम और अहले हिल को अगर हज करना है, तो उन्हें घर ही में एहराम पहनना है।

मुक़द्दस ज़िला से बाहरी रहने वाले यानी आफाक़ी जब मुक़द्दस शहर मक्का पहुंचकर उम्रह या हज कर लेते हैं और मक्का मुकर्रमा में ही क़याम करते हैं, तो वह भी अहले हरम की तरह हैं यानि अगर उन्हें उम्रह करना है, तो ज़िला के सरहद पर (मिक़ात) पर एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। वे अहले हरम की तरह मुक़द्दस शहर की सरहद पर जाकर एहराम बांध सकते हैं, इसलिए हाजी हज़रात मक्का के क़याम में सिर्फ तन्अ़ीम तक जाकर एहराम बाांधते हैं। मगर यही हज़रात अगर मुक़द्दस ज़िला से निकलेंगे यानी मिक़ात से बाहर चले गये, तो फिर उम्रह करने के लिए मुक़द्दस ज़िला की सरहद या मिक़ात से ही एहराम बांधना होगा। इसी लिए मक्का से मदीना जाने के बाद अगर वापस आकर फिर उम्रह करना हो, तो ज़ुल्हलेफ़ा जो के मदीना की तरफ से मुक़द्दस ज़िला की सरहद है या मिक़ात है वहां से एहराम बांधना ज़रूरी है।

अगर कोई मदीना से आते वक़्त ज़ुल्हलेफ़ा के बजाए तन्अ़ीम आकर एहराम बांधकर उम्रह करेगा, तो मुक़द्दस ज़िला में बग़ैर एहराम के दाख़िल होने के जुर्म में दम लाज़िम होगा।

आपका वतन या रिहाईश मुक़द्दस ज़िला की सरहद या मिक़ात के जिस सिम्त है, मक्का मुकर्रमा में उम्रह या हज की नीयत से आते वक़्त इस सिम्त की मिक़ात से एहराम बांधना ज़रूरी है। आप गोल चक्कर लगा कर हरम से बिल्कुल क़रीब आकर एहराम नहीं बांध सकते क्योंकि अल्लाह तअ़ाला ने अपने बंदों को एहराम की हालत में तल्बिया पढ़ता देखना पसंद करता है। आप जितना ज़्यादा वक़्त एहराम पहन कर तल्बिया पढ़ते हुऐ सफ़र करे उतना ज़्यादा वक़्त अल्लाह तअ़ाला की पसंददीदह हालत में होंगे

आप मिक़ात से गुज़रें या उसकी सीध से गुज़रें, मिक़ात पर या उससे पहले आप को एहराम पहनना ज़रूरी है। वर्ना, या तो फिर मिक़ात पर वापिस जाकर एहराम पहनना होगा या दम देना लाज़िम होगा।

हिन्दुस्तान की तरफ मुक़द्दस ज़िला की सरहद मिक़ात यलमलम का पहाड़ है, अब आप यलमलम के पास या इस की सीध से पैदल या पानी के जहाज़ या हवाई जहाज़ से गुज़रें, इस के पहले आप को एहराम पहनना लाज़मी है। हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ चक्कर काट कर दूसरी तरफ़ से जिद्दा पहुँच जायेगा और आप जिद्दा से एहराम पहन कर हुदूदे हरम में दाख़िल

(बाकी पेज 37 पर)

कुर्बानी में धोका

हज एक अज़ीम इबादत है। बहुत सारे लोग ख़िदमते ख़ल्क़ के जज़्बे से पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। मिना और अरफ़ात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हाजियों को मुफ़्त बाँटते हैं।

ऐसा ही एक तब्क़ा आप को अपनी ख़िदमत १० ज़िल्हिज्जा के दिन कुर्बानी में मदद के लिए पेश करेगा। यह आप से कहेंगे कि हर साल हम सौ या दो सौ या इस से भी ज़्यादा हाजीयों के लिए कुर्बानी कराते हैं। अगर आप चाहें तो आप के लिए भी कुर्बानी कर के आप पर एहसान कर सकते हैं। ऐसा ही आप के बिल्डिंग के ज़िम्मेदार भी कहेंगे। ख़बरदार रहिये, यह सफ़ेद पोश मददगार नहीं, धोके बाज़ हैं।

हर हाजी मक्का में नया होता है। १० ज़िल्हिज्जा के दिन बहुत ज़्यादा काम होते हैं। लंबी दूरी तय कर के मज़्बह ख़ाना जाकर कुर्बानी करने का हौसला नहीं होता है। एहराम उतारने की जल्दी होती है, इस लिए हर हाजी शॉर्ट कट इख़्तियार करना चाहता है और दलालों को रूपया दे कर बरीउज़्ज़िम्मा होना चाहता है। मगर ये बहुत बड़ी ग़लती है।

हम ने और हमारे कई साथीयों ने हज से तीन दिन पहले कअ्कई मज़्बह ख़ाना जाकर जानवर बेचने वालों से जानवरों की क़ीमत, दलालों के ज़रिये कुर्बानी, मज़्बह ख़ानों में कुर्बानी का तरीक़ा, कुर्बानी के गोश्त का मस्रफ, वग़ैरह वग़ैरह के बारे में गहराई से तहक़ीक़ात की, जिस से पता चला कि:

१. हर दलाल का जानवर बेचने वाले से एक कारोबारी संबंध होता है। अगर वह हाजियों से ३०० या ३२५ रियाल वसुल करेगा तो ऐसे जानवर ख़रीदेगा जिन की क़ीमत सिर्फ़ २७० से २८० रियाल तक होगी।
२. वह जानवर बेचने वाले से भी कमीशन वसूल करेगा।
३. अगर सौ कुर्बानी के लिऐ रूपया वसूल किया है, तो सिर्फ़ ७० या ८० जानवरों की कुर्बानी कराएगा।
४. कुर्बानी का एक तिहाई गोश्त ग़रीबों को बांटना होता है लेकिन अगर हाजी अपनी कुर्बानी का गोश्त छोड़ दें, तो दलाल पूरा का पूरा गोश्त होटलों में बेच देगा।
५. कुर्बानी करते वक़्त किसी भी हाजी का नाम नहीं लिया जाता है।

हम लोग तहक़ीक़ कर ही रहे थे कि उस वक्त तक हर हाजी किसी न किसी दलाल को रूपया दे चुका था। हम में से कई हाजियों ने दलालों से रूपया वापस ले लिए और जो न ले सके उन्होंने अपने दिल के इत्मिनान के लिए फिर से कुर्बानी की।

मक्का मुकर्रमा में तीन मज़्बह ख़ाने हैं एक मिना और मुज़्दल्फ़ा के बीच में है, और मिना से बहुत नज़्दीक है। जहाँ आप पैदल जा सकते हैं। दुसरा कअ्कई में है।और तीसरा और सब से बड़ा अल्-मईसम (Al-Meaysem) है। कअ्कई मज़्बह खाना मक्का मुकर्रमा शहर से ५ कि.मी. दूर है। यहाँ जाने के लिए आप को हरम में मिस्फ़िला इलाके से टेक्सी मिलेगी। अगर आप शेयर-टेक्सी से सफर करें तो २ से ५ रियाल किराया होगा। और अगर अकेले सफर करें तो २० रियाल भी किराया हो सकता है।

मईसम मज़्बह खाना बहुत बड़ा है और यहाँ से ही सारी दुन्या में कुरबानी का गोश्त गरीब मुल्कों में भेजा जाता है। यह मज़्बह खाना मिना और मुज़्दल्फ़ा के दरमियान है, यह फैसल पुल और अब्दुल अज़ीज़ पुल के दरमियान वाक़े है। अगर आप अरफात की तरफ रूख करें तो यह मिना के बाऐं तरफ पहाड़ी के पीछे है। फैसल पुल से यह ३ कि.मी. की दूरी पर है और अब्दुल अज़ीज़ पुल से दूरी २ कि.मी. है और वहाँ पहोंचने के लिए सुरंग से होकर गुज़रना होगा।

मईसम और कअ्कई में कुर्बानी का अच्छा इन्तेज़ाम है, जहाँ बकरे, दुंबे, गाय और ऊंट वग़ैरह आप अपनी इस्तेताअत के मुताबिक़ ख़रीद सकते हैं। जानवर ख़रीद कर आप उन्हें मज़्बह ख़ाने में जमा कर दीजिऐ। वे बकरे की क़र्बानी का ३० रियाल, गाय का १५० रियाल और ऊंट का २५० रियाल लेंगे। कुर्बानी हुकुमत के आदमी ही करते हैं मगर आप गैलरी में खड़े रह कर देख सकते हैं। जानवर जमा करने पर आप को एक कूपन मिलेगा। जिसे दिखा कर अगर आप चाहें तो जानवर का पुरा गोश्त घर ले जा सकते हैं और नहीं तो हुकुमत उसे ग़रीब मुल्कों में भेज देगी।

मिना मज़्बह ख़ाने में भी ऊंट और गाय बैल के कुर्बानी का ऐसा ही इंतेज़ाम है। दुसरा आसान तरीक़ा बैंक में रूपया जमा करना हैं। ये भी सही तरीक़ा है। बैंक में रूपया जमा करने में कोई हर्ज नहीं। क्यों के कुर्बानी की ज़िम्मेदारी हुकुमत लेती है और हुकुमत दिल व जान से हाजियों की ख़िदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

अगर लोगों की भीड़, वक्त की कमी, खो जाने का ड़र, कमज़ोरी वगैरा से आप खुद कुर्बानी नहीं कर सकते, तो बैंक के ज़रिए कूपन ले कर कुर्बानी कर दीजिए। वरना कुर्बान गाह जा कर कुर्बानी कीजिए, जो कि ज़्यादा बेहतर है। मगर हर हाल में दलालों से होशियार रहिए। अगर आप हज से पहले मज़्बह ख़ाना जा कर कुर्बानी के जानवरों के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल कर चुके हैं तो ही हज के दौरान खुद कुर्बानी कीजिए वरना मदरसा सौलतिया या बैंक के ज़रिए कुरबानी कीजिए, क्योंकि नए लोगों को हज के शदीद भीड़ वाले दिनों में खुद कुर्बानी करने में कई बार बहुत मुश्किलात पेश आती हैं।

मक्का शरीफ़ में हरम से बाहर मदरसा सौलतिया है, जो वर्षो से हाजियों की ख़िदमत करता चला आ रहा है और एक ज़िम्मेदार और दीनदार इदारा है। मदरसा सौलतिया बाबे फ़हद के करीब हारतुल बाब इलाके में बच्चियों के कब्रस्तान के करीब हैं। अगर आप मदरसा सौलतिया के ज़रिए कुर्बानी करें तब भी सही है। वह आप के बताए हुए वक्त पर ही कुर्बानी करेंगे। या फिर उनसे पूछ लें की वह आपकि कुर्बानी किस दिन और किस वक्त करेंगें। फिर उसके बाद सिर मुँडवाएं। इस तरह आप के अरकान सही तरतीब से अदा हो जाऐंगे।

हाजी के लिए दो कुर्बानियां हैं एक हज की कुर्बानी और दूसरी ईदुज़्ज़ुहा की कुर्बानी। हज की कुर्बानी मुतम्आ और क़ारिन पर हुदूदे हरम में वाजिब और मुफ़र्रिद पर मुस्तहब है। जबकि ईदुज़्ज़ुहा की कुर्बानी के लिए यह हुक्म है, कि अगर हाजी मुसाफिर हो, तो उस पर यह कुर्बानी वाजिब नहीं है और अगर मुसाफिर नहीं है, तो वाजिब है। यह कुर्बानी वह हुदूदे हरम में भी कर सकता है और अपने वतन में भी। इस लिए अगर किसी को कुर्बानी अपने वतन में करना हो, तो पहले ही से अपने घर वालों को कुर्बानी की हिदायत देकर रक्खे।

किसी ग़लती पर अगर दम लाज़िम हो गया हो, तो वह कुर्बानी भी हुदूदे हरम में देना लाज़िम है, और उसका गोश्त आप खुद इस्तेअ्माल नहीं कर सकते।

बकरी, मेंढ़ा दुम्बा वग़ैरह पर सिर्फ एक ही कुर्बानी होगी। ऊंट,बैल वग़ैरह पर सात कुर्बानी के हिस्से हो सकते हैं।

(बाकी पेज 37 पर)

तारीखे मक्का मुकर्रमा और काबा शरीफ़

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ी.) रावी हैं कि आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़माने में पानी की सतह से सब से अवव्ल काबा का मुकाम नमुदार हुवा। फिर इस के बाद ज़मीन इस के नीचे से फैलाई गई। (मअ्रेफत काबा, पेजः ५)

अल्लाह तआला फरमाते हैं। लोगों के लिए इबादत की गरज़ से बनाया जाने वाला पहला घर मक्का में हैं जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है। (सूरह आले इमरान, ६६)

काबा शरीफ की तअ्मीर १२ मरतबा हुई। इस में पांच बहुत मशहूर हैं।

(१) फरिश्तों ने पहली बार तअ्मीर किया। (२) हज़रत आदम (अलै.) ने दूसरी बार तअ्मीर किया। (३) हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने तीसरी बार तअ्मीर किया। (४) हुज़ूर (स.) जब २५ साल के थे तब कुरैश ने मरम्मत किया। (५) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ी.) ने ६५ हिजरी में नए सिरे से तअ्मीर किया।

हज़रत इब्राहीम (अलै.) के ज़माने तक हतीम खाना काबा का हिस्सा था। कुरैश ने जब काबा शरीफ की फिर से मरम्मत की, तो हलाल और पाक दौलत की कमी की वजह से खाना काबा को पहले शक्ल में न बना सके और हतीम का हिस्सा खाना काबा में शामिल न कर सके।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ी.) ने जब खाना काबा की मरम्मत की तो हतीम भी खाना काबा में शामिल कर लिया और पहले की तरह खाना काबा में दो दरवाज़े कर दिए। एक मश्रिक और एक मग़रिब की तरफ। जब हुज्जाज मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बना तो उस ने हज़रत ज़ुबैर (रज़ी.) को शहीद कर दिया और खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान की इज़ाजत से हतीम को फिर ख़ाना काबा से बाहर कर दिया और मगरिबी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। खलीफा को जब हज़रत आइशा (रज़ी) की हदीस पहुँची तो बहुत पछताया। मगर उस ने खाना काबा को इसी तरह रहने दिया और आज तक खाना काबा इसी हालत में है।

कुरआन शरीफ में मक्का मुकर्रमा के पांच नाम हैं।

मक्का, बक्का, अल—बलद अल—अमीन, उम्मुल कुरा, करया

दूसरी मज़्हबी किताबों में भी खाना काबा का ज़िक्र है। हिंदुओं कि किताबों में खाना काबा के निम्नलिखित नाम हैं।

इलास्पद- इला यानी अल्लाह, और अस्पद यानी मकाम. (अल्लाह का मुकाम)

नाभा-पृथिव्या, नाभ यानी नाफ, पृथिव्या यानी पृथ्वी या ज़मीन (नाफे ज़मीन)

नाभी कमल- नाभी यानी नाफ कमल यानी कमल का फूल (उनके मुताबीक खाने काबा कि जमीन पहले कमल की फूल की तरह पानी से उपर आयी फिर चारों तरफ फैल गई और इस कमल का दरम्यानी हिस्सा खाने काबा है।)

अदि पुश्कर तीर्थ-आदि पुश्कर यानी बेहद मुक्कदस तीर्थ यानी मुक्कदस मुकाम (या बेहद मुक्कदस मुकाम)

मुक्तेश्वर- मक्त यानी मक्का, मक्का मुक्कर्रमा ईश्वर यानी परमेश्वर या खुदा (मक्तेश्वर यानी खुदा का मक्का)

और भी कई नाम है जैसे दारदुकाबन, अलायास्पद वगैरह

बाइबल में मक्का मुकर्रमा को बक्का के नाम से याद किया गया है। और खाने काबा को अल्लाह का घर बयान किया गया है।(पासल्मस ८४:४:६)

अल्लाह तआला ने काबा शरीफ के इतराफ एक बड़े इलाके को हरम करार दिया है। हज़रत जिब्राईल (अलै.) ने इस इलाके की निशान-दही हज़रत इब्राहीम (अलै.) को की थी। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने हरम की सरहद पर निशानी के तौर पर बुर्ज बना दिए थे। हर दौर में इस की मरम्मत होती रही। और आज तक बाकी है। इस में से एक तनूअ़ीम है। जहाँ से उमरे के लिए हाजी एहराम बांधते हैं। इस इलाके में हर जानदार को अमान है। अल्लाह तआ़ला फरमाते हैं, "जो शख्स इस हरम में दाख़िल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है।" (आले इमरान, ९८)। इस इलाके मे अगर कोई कत्ल करके भी दाखिल हो जाए, तो न इसे हरम में कत्ल किया जाएगा न गिरफ्तार, जब तक वह हरम से बाहर न आ जाए। हाँ! अगर वह हरम में जुर्म करे तो सज़ा मिलेगी क्योंकि इस ने हरम की बेहुर्मती की है।

हुज़ूर (स.) का इरशाद है कि मस्जिदे हराम की एक नमाज़, एक लाख नमाज़ों से भी बढ कर है। (मस्नद अहमद)

यानी एक वक़्त की नमाज़ ५५ साल की नमाज़ों से ज़्यादा है और यह एक लाख गुना ज़्यादा सवाब का मिलना सब नेकियों के लिए है। इसी तरह मक्का मुकर्रमा में जिस तरह नेकियां बढ़ती हैं उसी तरह गुनाह भी बढ़ते हैं।

मुकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै.) के लिए नरम कर दिया था और इस पर खड़े हो कर वह खाना काबा की तअ्मीर करते थे और इस पर हज़रत इब्राहीम (अलै.) के कदमों के निशान हैं। पहले यह पत्थर खाना काबा से बिल्कुल लगा हुआ था। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम मुकामे इब्राहीम को जा-नमाज़ बनाओ। (बुखारी ७०२)

मुसलमानों की तादाद ज़्यादा होने के बाद मुकामे इब्राहीम पर नमाज़ पढने वालों से तवाफ करने वालों को दुश्वारी होने लगी तो हज़रत उमर (रज़ी) ने मुकामे इब्राहीम को खाना काबा से तकरीबन १४ मीटर दूर कर दिया था और आज तक उसी जगह है। (फतेह अल-बारी, शरह हदीस ७७८३)

खाने काबा का रक़्बा तकरिबन १६०० स्कवायर फिट है अगर हतिम को भी शामील कर लिया जाए तो ये २३०० स्कवायर फिट है खाने काबा कि ऊंचाई ४६ फिट है।

खाने काबा की छत को तीन उमुदी सुतूनो (कॉलम) का सहारा है।

खाने काबा के अंदरूनी हिस्से कि सजावट बिल्कुल मस्जिदे नबवी के रियाजुल जन्ना की तरह है। अंदरूनी हिस्से कि सफाई का विडीयो आप इंटरनेट यु टयुब पर देख सकते है।

खाना ए काबा पर पहली बार ग़िलाफ़ दौरे जाहिलियत में तबअ अस्अदुल हमैरी ने चमड़े का पहनाया था। हुज़ूर (स.) ने फतहे मक्का के बाद यमनी कपड़े का गिलाफ पहनाया था। नासिर अब्बासी ने पहली बार काले रंग का गिलाफ पहनाया था। तब से अब तक ग़िलाफ़ काले रंग का ही पहनाया जाता है।

हजरे अस्वद और मकामे इब्राहीम यह दोनों जन्नत के दो चमकदार पत्थर थे, लेकिन अल्लाह तआला ने उन का नूर खत्म कर दिया। अगर अल्लाह तआ़ला उन का नूर खत्म न फरमाते तो यह ज़मीन व आसमान के दरम्यान या मश्रिक और मग़रिब के दरम्यान पूरी दुनिया को रौशन कर देते। (मस्नद अहमद २१३/२)

ज़मीन पर बेहतरीन पानी आब ए ज़म ज़म है। यह खूराक भी है और बीमारी से शिफा भी। (मोअज्जा कबीर, तिबरानी, हदीस ११९६८)

हजरे अस्वद और काबा के दरवाज़े की दरम्यान जगह को मुल्तज़म कहा जाता है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, जो इस जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेगा, अल्लाह तआला ज़रूर उस की दुआ कबूल फरमाऐंगे। (तारीख ए मक्का, अज़रकी ३६८/२) हुज़ूर (स.) यहाँ दीवार से इस तरह चिमट कर दुआ मांगा करते जैसे बच्चा अपनी माँ से चिमट जाता है और यहाँ इस तरह दुआ मांगना सुन्नत है।

मक्का मुकर्रमा के तारीख़ी मुक़ामात

मौलिदे रसूल यानी हुज़ूर (स.) की जा-ए-पैदाइशः-

यह वह मुकाम है जहाँ २२ अप्रैल ५७१ हिजरी सन को नबी करीम (स.) रहमते आलम बन कर दुनिया में तशरीफ लाए थे। अब इसी मुकाम पर एक लायब्रेरी और मदरसा है। यह मुक़ाम हरम शरीफ से ३ फर्लांग की दूरी पर सफा मरवा की जानिब टैक्सी स्टैण्ड के पास है।

जन्नतुल मुअल्लाः- यह मक्का मुकर्रमा का कब्रस्तान है। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा (रज़ी), बहुत सारे सहाबा ताबैन और औलिया-ए-किराम (रज़ी) मदफून हैं। मस्जिदे जिन्न के क़रीब मीना जाने वाली सड़क पर है।

मस्जिद अल-राया :- यह वह जगह है जहाँ नबी करीम (स.) ने फतहे मक्का के मौके पर अपना झंडा नसब फरमाया था।

मस्जिदे जिन्न :- इस जगह नबी करीम (स.) ने जिन्नातों से बैत ली थी।

जबल ए नूर :- यह पहाड़ मक्का मुकर्रमा से मिना जाने वाले रास्ते पर तकरीबन ३ मील की दूरी पर है। इस की उँचाई तकरीबन २००० फिट है। इस की चोटी पर ग़ार ए हिरा है, जहाँ पहली बार नबी करीम (स.) पर वही नाज़िल हुई थी।

जबल ए सौर :- यह पहाड़ मक्का मुकर्रमा से तकरीबन ६ मील की दूरी पर है। इस की चोटी पर ग़ार ए सौर वाक़ेअ है, जिस में नबी करीम (स) ने हिजरत के वक्त हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक (रज़ी) के साथ तीन दिन कयाम फरमाया था। इन दोनों पहाड़ों पर कमज़ोर, ज़ईफ और बीमार न चढ़ें।

मस्जिदे आइशा (रज़ी):- इस मस्जिद को मस्जिदे तनईम भी कहते हैं। यह हुदूदे हरम के बाहर है। मक्का मुकर्रमा में रहते हुए अगर किसी को उम्रह करना हो तो इस मुकाम पर आ कर उम्रह का एहराम बांधा जाता है।

हज़रत ख़तीजा (रज़ी) का घर :- इस मुकाम पर नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करने तक कयाम फरमाया। हज़रत इब्राहीम (अलै.) के इलावा आप (स.) की सारी औलादें इस मुकाम पर पैदा हुईं। यह मुकाम मरवा की तरफ छपरा बाज़ार में दाखिल होते ही दाएं जानिब ज़रगरों की पहली गली में है। अब यहाँ दारूल हुफ्फाज़ कायम कर दिया गया है, जहाँ बच्चे कुरआन पाक हिफ्ज़ करते हैं।

मस्जिदे खैफ़, मस्जिदे नमरा, मस्जिदे शअ़रूल हराम, जबल ए रहमत, जम्रात यह वह मुकामात हैं जहाँ आप को हज के पांच खास दिनों में जाना होगा। मगर लोगों के हुजूम की वजह से आप किसी भी मुकाम को ठीक से नहीं देख पाऐंगे। इस लिए हज से पहले या बाद में इत्मिनान से इन मुकामात को ज़रूर देखें।

कुछ मशहूर नामों का तआ़रूफ़ः

काबा या बैतुल्लाहः अल्लाह तआ़ला का घर जिस का हज और तवाफ किया जाता है। उसको काबा या बैतुल्लाह कहते हैं, और वह मस्जिद जिस में बैतुल्लाह वाक़ेअ है उसे मस्जिदे हराम कहते हैं।

रूक्न यमानीः ख़ाना ए काबा का जुनूब मग़रिबी कोना है। यमन की सिम्त वाक़ेअ है।

रूक्न ईराक़ः ख़ना ए काबा का ईराक़ की सिम्त का कोना है।

रूक्न शामीः ख़ाना ए काबा का शाम की सिम्त का कोना है।

हज्रे अस्वदः दीवार काबा में रूक्ने यमानी के बाद वाले कोने में नसब वह पत्थर जिसे बोसा दे कर या जिसकी तरफ मुंह कर के दूर से हाथ उठाकर तवाफ़ का हर चक्कर शुरू किया जाता है।

मुल्तज़िमः हज्रे अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान की दीवार जिस पर लिपट कर दुआ मांगना मसनून है।

हतीमः बैतुल्लाह से मुतसिल सुमाली जानिब का वह हिस्सा जो खाना ए काबा में शामिल था। यह बैतुल्लाह ही का हिस्सा है, जो कुरैश की तअ़मीर के वक़्त हलाल कमाई के कम पड़ने की वजह से बैतुल्लाह से बाहर छोड़ दिया गया था।

मिज़ाबे रहमतः ख़ाना ए काबा की छत से हतीम की तरफ़ बारिश के पानी के गिरने की जगह (परनाला) यह वह जगह है, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहस्सिलाम ने बैतुल्लाह को तअ़मीर किया था।

तन्ई़मः यह एक मिकात है, जहां से मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान उम्रह के लिए एहराम बांधते हैं।

मिकातः उस जगह को कहते हैं जहां से हुदूदे हरम से बाहर रहने वालों के मक्का मुकर्रमा के लिए उम्रह या हज की नीयत से आने के लिए एहराम बांधना ज़रूरी होता है।

जुल्हुलैफाः मदीना से मक्का की तरफ़ तक़रीबन दस किलो मीटर पर वाक़ेअ है, जो मदीना वालों का मिक़ात है।

ज़ाते ईराक़ः मक्का से ईराक़ की तरफ़ तक़रीबन तीन रोज़ की मुसाफ़रत पर है, जो ईराक़ से आने वालों के लिए मिक़ात है।

यलम्लमः मक्का से जुनूब की तरफ़ दा मंज़िल पर एक पहाड़ है, यह हिंदोंस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए मिक़ात हैं।

जहफाः शाम की तरफ़ मक्का से तीन तीन मंज़िल पर है,जो शामियों के लिए मिक़ात है।

क़रनुल मनाज़िलः नज्द की तरफ़ से आने वालों के लिए मिक़ात है।

सफ़ाः काबा के क़रीब जुनूब में एक पहाड़ी है जहां से सई शुरू करते हैं। यही वह पहाड़ी है जहाँ खड़े होकर नबी-ए-करीम (स.) ने सब से पहले कुरैश को इस्लाम की दावत दी थी।

मरवाः काबा के सुमाल मश्रिक़ी गोशे के क़रीब एक पहाड़ी है, जहाँ से सई ख़त्म करते हैं।

मसाः सफा और मरवा के बीच सई करने की जगह।

मीलैन अख़्दरैनः इस जगह से खाना-ए-काबा के पास लेटे हुए नन्हे हज़रत इस्माईल नज़र नहीं आते थे इसलिए इस जगह से हज़रत हाजरा (रज़ि.) दौड़ कर गुज़रती थीं। इस जगह की निशान-दही के लिए दो हरे रंग के सुतून खड़े कर दिए गए हैं। हज़रत हाजरा (रज़ि.) की सुन्नत अदा करने के लिए मर्द हाजियों को यहाँ दौड़ कर गुज़रना है।

अ़रफातः मिना से तकरीबन ६ किलो मीटर दूर एक मैदान है जहां की मस्जिद में हज का ख़ुत्बा दिया जाता है और जहां हज के दिन हाज़िर होना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है, के सिर्फ मस्जिद नुम्रा में ही हाज़िर हों बल्कि मैदाने अ़रफ़ात में जहां कहीं भी हाज़िर हों, जायज़ है। याद रहे, कि अगर आप अ़रफ़ात के मैदान में हाज़िर नहीं हुए, तो हज न होगा।

जबले रहमतः अ़रफ़ात में वह पहाड़ जिसके क़रीब नबी करीम (स.) ने हज्जतुलविदा का ख़ुत्बा दिया था। यहीं पर ज़मीन पर पहली बार माँ हव्वा और हज़रत आदम (अ.स.) की मुलाकात हुई थी।

हमतः यह वह वादी है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम (अ.स.) ने हज़रत इस्माईल (अ.स.) की कुरबानी देने की कोशिश की थीं। यहाँ पर हाजियों को कम अज़ कम तीन दिन रहना वाजिब है।

(बाकी पेज 37 पर)

हज क्या है?

हज क्या है?

ख़ाना-ए-काबा की तरफ़ ख़ुदा के हुक्म के मुताबिक़ आना, तवाफ़ व सई करना और अ़रफ़ात में ठहरने और रसूल करीम (स.) के सिखाए हुऐ तरीक़े के मुताबिक़ अरकान अदा करने को हज कहते हैं।

हज हर मुसलमान, बालिग़, आ़क़िल, समझदार और हर मालदार पर, ज़िन्दगी में एक बार फ़र्ज़ है।

अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं, कि

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (سورہ آل عمران، آیت:۹۷)

''व लिल्लाहि अलन्नासि हज्जल बैति मनिस तताआ इलैहि सबीला।''

तर्जुमाः "लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है, कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तेताअ़त रखता हो वह उसका हज करे।" (सूरह आले इमरानः ९७)

नबी करीम (स.) ने फ़रमायाः "ऐ लोगों! अल्लाह तआ़ला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, इस लिए हज करो।" (मुस्लिम निसाई)

नबी करीम (स.) का इर्शाद है, किः "जो हज का इरादा रखता हो, वह जल्दी करे"(अहमद अबू दाऊद)

इमाम अहमद (रह़.) इमाम अबु हनीफ़ा (रह़.) और इमाम मालिक (रह़.) फरमाते हैं, कि इन्सान माली और जिस्मानी तौर से हज करने के क़ाबिल जैसे ही होता है। उस पर हज फ़ौरन वाजिब हो जाता है। (इसमें देर नहीं कर सकते) लेकिन इमाम शाफ़ई(रह़.) का ख़्याल है, कि कुछ वक़्फ़ा देर की जा सकती है, लेकिन आख़िर उम्र तक नहीं बल्कि हमेशा हज का इरादा किये रहे जब तक पूरा न कर लें (और जितनी जल्दी मुम्किन हो हज कर ले) वरना गुनाहगार होगा।

हज की फ़ज़ीलतः

जिस शख़्स ने हज किया और ज़िना और गुनाह से महफ़ूज़ रहा, तो वह तमाम गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे कि माँ के पेट से पैदा होने के रोज़ पाक था। (बुख़ारी,मुस्लिम)

हज़रत अबु हुरैरा (रजी.) से रिवायत है, कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया कि उम्रह, दूसरे उम्रह तक के गुनाहों का कफ्फारा है, जो इन के दरम्यान सरज़द रहा और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। (बुख़ारी,मुस्लिम)

हज न करने पर वईदः

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रजी.) फ़रमाते हैं, कि जो शख़्स तंदरूस्त हो, हज के अख़्राजात रखता हो, फिर भी बग़ैर हज किए मर जाये, तो क़यामत के दिन उसकी पेशानी पर काफ़िर लिखा होगा। (दुर्र मन्सुर)

हज़रत अबी इमामा (रजी.) फ़रमाते हैं, कि रसूल अल्लाह (स.) फ़रमाया के जिस शख़्स को किसी ज़रूरी हाजत या ज़ालिम बादशाह या शदीद मर्ज़ ने हज से नहीं रोका और उस ने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर मरे। (दारमी)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फ़रमाया के इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। (१)कल्मा (२)नमाज (३)ज़कात (४)रोज़ा (५)हज, तो जो शख़्स इन में से किसी रूक्न को तर्क करता है, तो वह इस्लाम की इमारत को ढ़हाना चाहता है। (बुख़ारी शरीफ़)

फ़लसफ़-ए-हजः

जिस्म में दिल की और दौराने ख़ून की क्या अहमियत है?

दौराने ख़ून के अ़मल से खून जिसे सफ़ाई की ज़रूरत हैदिल तक पहुंचाता है। और वहां से सफाई के लिए भेजा जाता है और फिर साफ खून तमाम जिस्म में वापस लौटाया जाता है, ताकि तमाम जिस्म बिल्कुल तंदुरूस्त रहे। जिस्म के वह हिस्से जिस में खून का दौरान कम होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं और जिस्म का वह हिस्सा जिस में खून का दौरान रूक जाता है, सड़ जाते हैं।

ज़मीन का मर्कज़ कहाँ है?

अगर हम ज़मीन का नक़्शा देंखे, तो जो ख़ुश्क़ी का इलाक़ा है और जहां इंसान बसते हैं वह ख़ते उस्तवा (Equator) के ४० डिग्री जुनूब में है और ८० डिग्री शुमाल के दरम्यान है। यानि ख़ते इस्तवा ख़ुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि ख़ुश्क़ी के मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री शुमाल की तरफ़ बढ़ना होगा।

इसी तरह ज़ीरो डिग्री ख़ते तूलुल बलद ग्रीन विच मुक़ाम से गुज़रता है, मगर यह भी इंसानी आबादी और ख़ुश्की के मर्कज़ से नहीं गुजरता बल्कि ख़ुश्की कि मर्कज से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री मश्रिक़ की तरफ बढ़ना होगा।

ज़मीन के आबादी वाले इलाक़ों का मर्कज़ अगर हम उपर बताए गये तरीक़े से तलाश करें, तो जिस मुक़ाम पर हम पहुंचेगे वह शहर मक्का मुकर्रमा होगा जिसे आप ख़ुद नक़्शे में देख सकते हैं।

(मक्का शहर दुनिया के नक़्शे में तुलुल बलद Longitude 38.5 डिग्री और अरजुल बलद Latitude 21.5 डिग्री पर है।)

यह शहर ज़मीन का मर्कज़ और इस के दिल की तरह है। अल्लाह तआ़ला ने क़ुरान शरीफ़ में फ़रमाया है -:

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

(سورہ آل عمران، آیت:۹۶)

''इन्ना अव्वला बैतिंव-वुज़ेआ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुबा-रकंव व हुदल-लिल-आलमीन''

तर्जुमाः''पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुक़र्रर किया गया है, वही है, जो मक्का मुकर्रमा में हैं। बा बरकत और जहाँ के लिए मौअजिब हिदायत।'' (आले इमरानः९६)

तो यह घर लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और यह बात क़यामत तक के लिए अटल रहेगी और मक्का मुकर्रमा सही दीन का हमेशा सर चश्मा रहेगा।

जैसे अल्लाह तआला ने कुरआन की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी खुद ली है और क़यामत तक कोई इस में तब्दीली नहीं कर सकता। इसी तरह ख़ाना काबा के उलमा और उस के ज़िम्मेदारों से दुनिया को हमेशा हिदायत का रास्ता मिलेगा। इस की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह तआला ने खुद ली है। इस मुक़द्दस घर को अल्लाह तआला कभी गुमराही फैलाने वाले इमाम और आलिम की सरपरस्ती में नहीं देगा। या यहाँ से दुनिया में कभी गुमराही नहीं फैलेगी।

तूफ़ाने नूह और गुमराहीः

तूफ़ाने नूह एक आलमी सज़ा थी इस में हज़रत नूह (अ़लै.) और उनके साथियों के इलावा सारी दुनिया हलाक हो गयी थी। बाद में सारी दुनिया हज़रत नूह (अ़लै.) और उनके साथियों से ही आबाद हुई। इस लिए दुनिया की हर क़ौम में इस तूफ़ाने नूह का ज़िक्र मौजूद है, मगर अहम बात यह है, कि हर क़ौम के तूफ़ाने नूह की तफ़सील में ज़मीन आसमान का फर्क़ है।

(इंटरनेट पर Flood Legend के उनवान से आप खुद तलाश करके इस मौज़ू पर पढ़ सकते हैं।)

दुनिया नये सिरे से हज़रत नूह (अ़लैहिस्सलाम) और उनके साथियों से आबाद हुई, तो सारी दुनिया में जहां भी ये बसे, तुफान का किस्सा एक जैसा होना चाहीए था, मगर इस लिए नहीं है कि, हर दौर में जब इस किस्से को कहने सुनने में कुछ कुछ ग़लती होने लगी, तो इसकी इस्लाह करने वाला कोई न था। ख़ता पर ख़ता होती चली गयी और आख़िर में सारा किस्सा असल से बिल्कुल मुख़्तलिफ़ हो गया।

जो तूफ़ाने नूह अ़लैहिस्सलाम के किस्से के साथ हुआ वही तमाम मज़ाहिब के नज़रयात के साथ हुआ। किसी पैग़म्बर ने शिर्क और बुत परस्ती की तालीम नहीं दी थी, मगर जब नज़रयात में बिगाड़ पैदा हुआ, तो लोगों ने इस की इसलाह की कोशिश न की या उन्होंने इस निज़ाम पर अ़मल नहीं किया, जिससे इसलाह हो।

हज यह दुनिया की दाईमी हिदायत और इस्लाह का ज़रिया है। इस हज की इबाबत के जरिए दौरान-ए-खून की तरह सारी दुनिया के इन्सानों को ज़मीन के दिल यानी मर्कज़ (मक्का मुकर्रमा) में जमा होता है और अपने इस्लाह के बाद फिर सारी दुनिया में फैल जाता है। जब तक लोग मर्कज़ में आते जाते रहेंगे उनका मज़हब और नज़रियात बिल्कुल सही रहेगें। न कभी नमाज़ का तरीका बदलेगा न ही रोजे का न कभी ज़कात का न कभी हज का। इस्लाम हमेशा अपनी असली शक्ल में बरकरार रहेगा। मगर मर्कज से रिश्ता कमज़ोर हो गया या कट गया तो फिर सड़े हुऐ जिस्म कि हालत होती है वही उस कौम की होगी।

अल्लाह तआला ने हर कौम को इस मर्कज़ पर जमा होकर इबादत करने कि तलकीन की है मगर उन्होंने नज़र अंदाज किया और खुद गुमराह हो गये। मिसाल के तौर पर चार हज़ार साल पुराने ऋग्वेद में हैं;

"ए इबादत गुजारों और मुल्क में समंदर के किनारे दारदुकबन (खाना काबा) है। जिसे कभी इंन्सान ने नहीं बनाया इसमें इबादत करों ताकि अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाख़िल हो सको।" (ऋग्वेद, ३-१५५-१०)

दो हज़ार साल पुराने बाईबिल में है। (Pslam 84:1:12)

ऐ खुदा आपका घर कितना खुबसुरत है।
मेरी रूह तडपती है तेरे घर के दिदार के लिए।
मेरा जिस्म मेरा दिल रोता है इस हमेशा ज़िंदा रहने वाले खुदा के लिए।
ऐ अज़ीम और सारी क़ायनात के शहनशाह
वो खुश नसीब है जिन्हें तेरे घर का दीदार हुआ
वो तेरी इबादत कसरत से करते है।
वो खुश नसीब है जिनका तुझ पर भरोसा है।
वो खुश नसीब है जिसने तेरे घर पर हाज़िरी (हज का इरादा किया)।
जब वो वादी ए मक्का (मक्का मुकर्रमा) से गुजरते है।
तो इस चश्मा (ज़मज़म) के पास ठहरते है।
जिसे बरसात का पानी (तेरी रहमत भी भर देता है)।
ऐ अल्लाह! तेरे घर का एक दिन दुसरी जगहों के हजार दिन के बराबर है।
मेरे लिए तेरे घर का दरबान बनना किसी गुनहगार के घर में रहने से बेहतर है।
ऐ अज़ीम मालिक! वो खुशनसीब है जिनका ईमान तुझ पर है।

(ये अल्फाज हज़रत दाऊद अलैसलाम के दुआ के अल्फाज है। जो उन्होंने फलस्तिन कि फतेह से पहले अल्लाह तआला से माँगे थे) इससे यह बात साबित होता है कि उस जमाने में भी लोगो को मक्का मुकर्रमा, खाने काबा, ज़मज़म और हज के बारे में पूरा इल्म था।

हरमैन शरीफैन के ईमामों और आलीमों का मज़हब और आकिदा बिल्कुल सही है क्योंकि अल्लाह तआला ने इन मुक्कदस मुकामात के हिदायत का ज़रिया होने की ज़िम्मेदारी ले रखी है। (सूरह आले इमरान : ९६)। वो सारे मसलक भी सही है जो हरमैन शरीफैन के ईमाम और उल्मा को सही समझते है और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई कराहत महसूस नहीं करते और वह सारे मसलक और जो लोग हरमैन शरीफैन के ईमाम और उल्मा को गलत कहते है, उनके कहने का मतलब ऐसा है कि किसी ज़माने में हरम हिदायत का ज़रीया हुआ करता था अब नहीं रहा और यह इसलिए हुआ के (नऊज़बिल्ला) अल्लाह तआला ने इसकि हिफाजत कि जो ज़िम्मेदारी ले रखी थी वह पूरी न कर सके। ऐसे नज़रियात रखना गुनाह है।

कुरआन शरीफ में अल्लाह तआला फरमाता हैः

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

(سورہ انفال، آیات:۳۴)

''वमा लहुम अल्ला युअज़्जि-बहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हरामि वमा कानू औलिया-अहू। इन्ना औलिया-उहू इल्लल मुत्तकूना वला किन्ना अक्-स-र-हुम ला यअ-्लमून।''

''और अब उन के लिए कौन सी वजह है कि वह (अल्लाह तआला) उन्हें अज़ाब ना दे, जबकि वह मस्जिदे हरम में (लोगों को) नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं और वह इस के मुतवल्ली भी नहीं हैं। इस के मुतवल्ली तो सिर्फ परहेज़गार हैं। लैकिन इन में से अक्सर नहीं जानते। (सूरह अन्फाल, आयत ३४)

इस आयत की रू से जो भी इस मस्जिदे हरम के मुतवल्लियों को गुमराह कहेगा और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने से रोकेगा वह भी खुदा के अज़ाब का मुस्तहिक होगा। हरम शरीफ कि ज़ियारत इस अकिदे से करे कि चारों मुसल्लें बरहक है और चारों मसलकों में से कोई भी ग़लत नहीं है। और इस मस्जिद के इमाम भी हक पर हैं और उन के पीछे नमाज़ पढ़ना सही है। और सारी नमाज़ें भी बा जमाअत हरम में पढ़ें।

हज आख़िरत की रिहर्सल

उलमा कहते है कि हज दरअ़सल सफरे आख़िरत की एक रिहर्सल है जब किसी का इन्तेकाल होता है तो दोस्त ऐहबाब उसे नहेला धुलाकर, कफन पहनाकर, कब्रस्तान ले जाकर छोड आते है। मरनेवाला विराने में कयामत तक पडा रहता है, फिर कयामत के दिन वह अपनी कब्र से निकलकर हश्र के मैदान में जाएगा और खुदा के सामने अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। अगर किसी वजह से अमाल का वज़न कम हुआ तो उसे कोई और मौका नहीं मिलेगा बल्कि सज़ा होगी।

यह अल्लाह तआला का एहसान व करम है कि उसने इन्सानों पर हज फर्ज करके सफरे आख़िरत की रिहर्सल का मौका दिया और इस बात का मौका दिया कि दुनिया के हश्र के मैदान में आकर अमाल का पलड़ा हल्का है बंदा रो रोकर दुआ माँगें और अपनी मग़फ़िरत करा ले।

हाजी कफन (ऐहराम) पहन कर वीराने (मिना) में जाते है, और वहाँ कयात कयाम करते हैं। फिर वहाँ से हश्र के मैदान (अरफात) जाते है और दिनभर अल्लाह की ईबादत करते है और रो रोकर पिछले सारे गुनाह माफ कराकर अपनी मग़फिरत करा लेते हैं।

अल्लाह तआला के इस एहसान और करम की कद्र करनी चाहिए हज की एहमियत को समझना चाहिए और इससे पहले कि मौत आजाए या सूरज सवा नैज़े पर आ जाए, सही तरीके से हज करके अपने आख़िरत संवार लेना चाहीए।

रिज़्क में बरकतः-

हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद (रजी.) से रिवायत है कि रसुल(स.) ने इर्शाद फरमाया कि हज और उम्रह पे दर पे किया करो क्योंकि हज और उम्रह फक्र व मोहताजी और गुनाहो को इस तरह दुर कर देते है जिस तरह लोहार और सोनार की भट्‌टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है और हजे मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (ज़ामे तिरमीजी, निसाई)

ऊपर बयान किये गए मज़मून से वाज़ेह होता है कि,

१. हज का मकसद सारी दुनिया की इस्लाह और हिदायत है।

२. हज आख़िरत की रिहर्सल है।

३. अल्लाह तआला ने हज-ए-मबरूर के ज़रिए तमाम इन्सानों को गुनाहों से पाक होने का एक नुस्खा दिया है।

४. हज एक बा बरकत इबादत है। इसको करने से माल व दौलत में इज़ाफा होता है।

(जो लोग हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते और दुसरे तरह के गुनाह करते हैं। चूंकि हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है इसलिए हज के बाद वह लोग अक्सर बर्बाद या मज़ीद बद्‌दीन हो जाते है, जो लोग खुलूस के साथ इबादत करने की कोशिश करते है वह हमेशा हज के बाद तरक़्क़ी करते हैं और खुशहाल हो जाते हैं। यह मेरा ज़ाती तजरिबा और मुशाहिदा है।)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

रमज़ान का उम्रह

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ;रजिद्ध से रिवायते के रसुल अल्लाह (स.) ने फर्माया रमजान का उमराह हज करने के बराबर है जो मेरे साथ किया जाए। (बुखारी-मुस्लीम)

पेज 31 का बकाया.....

(हरम और मीक़ात का बयान)

हों तब आप गुनाहगार होंगे और आप को दम देना होगा।

हरम की हुदूद में नीचे दी गई बातें हराम हैंः

१) लड़ाई झगड़ा करना।

२) घास या पेड़ काटना, किसी पेड़ की शाख़ें या काँटे तोड़ना। (आप हरम के हुदूद में घास का एक तिन्का भी नहीं तोड़ सकते)

३) शिकार खेलना, किसी शिकार किये जाने वाले जानवर को डराना या अपनी जगह से हटाना।

(हरम के हुदूद में जंगली जानवरों को भी अमान है उन को मारना तंग करना तो दूर की बात है। अगर वह साये में खड़े हों उन्हें हटा कर आप का साये में जाना भी हराम है)

४) गिरी पड़ी चीज़ों का उठाना।

इन कामों में से कोई अगर एक भी काम करता है, तो गुनाहगार होगा और कफ़्फ़ारा देना होगा। मिना और मुज़दल्फ़ा भी हुदूद हरम में शामिल हैं और नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा को भी हरम करार दिया है।

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाते है कि "जो शख्स इन महीनों में हज की नियत करले तो हज (के दिनों) में न औरतों से इख्तेलात करे, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़े और जो नेक काम तुम करोगे वह खुदा को मालूम हो जाएगा।" (सूरह बक़रा, १६७)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 32 का बकाया.....

(कुरबानी में धोका)

कुर्बानी के वक्त ऊंट कि उम्र कम से कम पाँच साल की हो। गाय दो साल की हो। बकरा, मेंढा, दुम्बा वगैरा दो दाता हो (मुसिन्ना) यह सामने के दो दात सव्वा साल में आ जाते है। भेड़ कि कुछ किस्मों में एक साल में ही दो दात हो जाते हैं। इससे कम उम्र के जानवर कि कुर्बानी का ऐतबार नहीं।

नबी करीम (स.) ने हज के मौक़े पर अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी। इस लिए हमें भी चाहिए कि अपनी कुर्बानी के साथ अपने शफ़ीक़ नबी करीम (स.) कर तरफ से भी क़ुर्बानी करें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 34 का बकाया.....

(मक्का मुकर्रमा के तारीख़ी मुक़ामात)

मुज्दल्फाः मिना से अ़रफ़ात की तरफ़ तकरीबन एक किलो मीटर की दूरी पर वाक़ेअ मैदान जहाँ अ़रफ़ात से वापसी पर हुजाज किराम को रात खुले आसमान के नीचे बसर करनी होती हैं और अपना वक़्त बादत में गुज़ारना होता है।

वादी ए मुहस्सिरः मुज़ल्फ़ा से मिला हुवा मैदान जहाँ से गुज़रते वक़्त दौड़ कर निकलते हैं। यहाँ क़याम करना मना है। इसी वादी में उस लश्कर को अल्लाह तआला ने हलाक व तबाह कर दिया था, जो काबतुल्लाह को ढ़ाहने आ रहा था। इस लिए यह जा ए अ़ज़ाब है। यहाँ से दौड़ कर, अगर नहीं, तो जल्दी गुज़रना सुन्नत है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

नबी-ए- करीम (स.) का हज

नबी करीम (स.) ने सिर्फ एक बार हज किया है। इस हज को ४ नामों से याद किया जाता है। हज्जतुल बलागा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल विदा, हज्जतुल अत्माम वल अक्माम।

सन १० हिजरी माहे ज़िल्कअदा में जब आपने हज का इरादा फर्माया तो ऐलान करा दिया। इस ऐलान पर तकरीबन १ लाख २४ हज़ार (कुछ रिवायतों मे १ लाख ४४ हज़ार) लोग मक्का मुर्करमा पहुँचते पहुँचते आप के साथ हो गए।

आप ने २५ ज़िल्कअदा सन १० हिजरी को ज़ोहर की नमाज़ के बाद कूच किया और मदीना से ६ मील दूर मिकाते जुल हलैफा में कसर करके अस्र की नमाज़ पढ़ी और शब गुज़ारी।

ज़ोहर के बाद गुस्ल करके एहराम बांधा और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर ब अवाज़ बुलंद तल्बिया पढ़ा।

आप (स.) ने हुक्म दिया कि जो कुर्बानी के जानवर साथ लाए हैं वह हज्जे किरान कि नीयत करें और जो नहीं लाए हैं वह हज्जे तमत्तों कि नीयत करें।

उम्मुल मुअ मिनीन हज़रत आईशा (रजी) मक्का मुकर्रमा से बारह मील की दूरी पर हज से पहले ही हाइज़ा हो गई। आप(स.) ने हज़रत आईशा (रज़ी.) को हुक्म दिया कि उम्रह का एहराम उतार दो और हज का एहराम पहन लो और तवाफे ज़ियारत को छोड़कर सारे अरकान अदा करती रहें। हज़रत आईशा (रज़ी.) ने उम्हरे का एहराम उतारने के लिए सिर खोलकर कंघी किया और फिर हज का एहराम बांध लिया। हज के बाद फिर आपने तनअीम से उम्रह का एहराम बांधकर छुटे हुए उम्रह को दोहराया।

बहुत से लोग हुज़ूर (स.) के साथ पैदल सफर कर रहे थे इसलिए यह सफर ८ दिन में तय किया। रास्तें में आपका सामान से लगा ऊंट खो गया, मगर बाद में फिर मिल गया।

रास्तें में किसी बिमारी के सबब आप (स.) नें सिर में पिछनें लगवाएं (फासिद खून निकलवाया)।

४ ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में दिन के वक्त दाखिल हुए। खाने काबाह पर नज़र पढ़ी तो यह दुआ की :

"ऐ अल्लाह, इस घर की व ताज़ीम, तकरीम व हैबत में इज़ाफा फर्मा। जो शख्स इस घर को शर्फ व अज़मत दें और इसका हज और उम्रह करें तो इसकी तशरीफ, तकरीम, ताज़ीम व नेकी में इज़ाफा फरमा।"

आप (स.) ने वुजु फरमाकर तहियतुल मस्ज़िद नमाज़ नहीं पढ़ी बल्कि सीधे तवाफ शुरू किया। तवाफ से पहले इस्तेबा किया और पहले तीन चक्करों में रमल किया और बाद के चार चक्कर मामुली रफ्तार से मुक्कमल किए। हर चक्कर में हज़्रें अस्वद का इस्तेलाम(बोसा देना) किया और रूक्ने यमानी को छुआ।

रिवायत है के जब आप (स.) हज्रे अस्वद के सामने आए तो मुहज्जीन (एक आसा जिसका सिर टेढ़ा था) से इशारा फरमाते और फिर मुहज्जीन के सिर को बोसा देते और कभी लबे मुबारक को संगे अस्वद पर रखकर बोसा देते।

तवाफ मुक्कमल करके जब मुकामें इब्राहीम पर तशरीफ लाए तो यह आयत पढ़ीः

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى (سورہ بقرہ، آیت:۱۲۵)

"वत्तखिज़ू मिम मक़ामे इब्राहीमा मुसल्ला" (सूरह बकराः१२५)

तर्जुमाः और मकामें इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लों।

मुकामें इब्राहीम पर आप (स.) ने दो रकअत नमाज़ अदा फरमाऐं। पहली रकात में सुरेः काफीरून और दुसरी रकअत में सुरेः इख्लास की तिलावत फरमाईं नमाज़ के बाद हज्रे अस्वद को बोसा दिया। उसके बाद आबे ज़मज़म नौश फरमाया और उसके बाद सफा पहाड़ी की जानीब तशरीफ ले गए और पहाड़ी के करीब पहुँचकर यह आयत तिलावत फरमाईः

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآىِٕرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (سورہ بقرہ، آیت:۱۵۸)

"इन्नस्सफा वल मर्वता-मिन शआ -इरिल्लाहि, फमन हज्जल बैता अविअ्त-म-रा फला जुनाहा अलैहि अंय यत्तव्वफा बिहिमा। व मन त-तव्वआ खैरन फ-इन्नलाहा शकिरून अलीम। (सूरह बकराः १५८)

"बेशक कोहे सफा और मरवाह अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खना ए काबा का हज या उमराह करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे। बल्कि तवाफ एक किस्म का नेक काम है और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह क़द्र शनास और दाना है।"

कोहे सफा पर चढ़कर बैतुल्ला की तरफ रूख किया और तौहिद व किब्रीयाई बयान फरमाईं।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَا عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ، اَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَ حَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ.

"ला इलाहा इल्लल्लहु वह-दहु ला शरी-क-लहू। ल-हुल मुल्कु व-ल-हुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शइ-इन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लहु वह-दहु। अन्जज़ा वअ्-दहू व न-स-रा अब्दहू व ह-ज़्-मल अह-ज़ाबा वह-दहू।"

तर्जुमाः "अल्लाह के सिवाय कोई माबुद नहीं। वह अकेला है। इसका कोंई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है। सब तारीफ उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वह तनहा है। उसने अपना वादा पूरा किया अपने बंदे कि मदद फरमाईं और उस अकेले ने तमाम लश्करों को शिकस्त दे दी।"

फिर दुआ मागीं और यह अमल तीन बार दोहराया। सफा से मरवा की तरफ पैदल सई शुरू की। जब हुजूम बढ़ गया तो ऊंटनी पर सवार हो गए। बतने वादी में तेजी से और चढ़ाई पर आहिस्ता चलें।

मरवा पर पहुँचकर वैसा ही तकबीर और दुआ का अमल किया जैसा सफा पर किया था। उसी तरह ७ वा चक्कर पूरा किया। सई के बाद आप (स.) ने सिर के बाल नहीं मुँडवाएं।

आप (स.) ने इर्शाद फरमाया कि,"जिस शख़्स के साथ कुर्बानी का जानवर न हो वह उम्रह के अरकान अदा करके एहराम खोल दे। हजे तमत्तु करने वालों के पास भी अगर (कर्बानी करने की इस्तेताअत न हो या) जानवर मयस्सर न हो तो अय्याम हज में तीन रोज़े रखें और बाक़ी ७ रोज़े अपने घरों पर पहुँचकर रखें।" आप (स.) उम्मत के लिए आसानी पसंद करते थें। इसलिए आफ़ाकी के लिए आप (स.) ने हाजे तमत्तु को ज़्यादा पसंद किया।

उम्रह के बाद आप (स.) ने मक्का के बाहर ४ दिन कयाम फरमाया। उस दौरान नमाज़े कसर करके अदा फरमाईं।

८ ज़िल्हिज्जा सन १० हिजरी यौमें तरविया को आप और तमाम सहाबा (रज़ी.) ने मुकामें अबताह में एहराम बांधा। तल्बिया कहते हुए मक्का मुकर्रमा से मिना की तरफ रवाना हुए।

मिना में अपने अपने वक्त पर ज़ोहर, अस्र, मगरीब, ईशा की नमाज़े अदा की। ९ ज़िल्हिज्जा की रात भी हुज़ूर (स.) ने मिना में बसर फरमाईं। फज़्र अदा की। सुरज निकल आया तो अरफात रवाना हुए। अरफात में आप (स.) ने नमरा मुकाम पर कम्बल के खैमें में कयाम फरमाया। ज़वाल के बाद ऊंटनी कसवा को तैयार करने का हुक्म दिया। उस पर सवार होकर बत्नेवादी में तशरीफ लाए और लोगों को खुत्बा फरमाया।

आप (स.) का यह खुत्बा, खुत्बऐ हज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है। यह खुत्बा तो मुख्त़सर था मगर इसमें इन्सानों के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का निचोड मौजुद हैं।

खुत्बा हज्जतुल विदा के बाद हुज़ूर (स.) ऊंटनी से उतरे और हज़रत बिलाल (रजी.) को फर्रमाया के अज़ान दो। अज़ान दी गई और आप (स.) ने नमाज़े ज़ोहर और अस्र दो-दो रकअ़त करके एक के बाद एक कसर पढ़ाईं।

अहले मक्का जो आपके साथ हज के लिए आए थे वह मुकामी थें। मगर उन्होंने भी हुज़ूर(स.) के साथ ही कसर नमाज़ पढ़ी।

नमाज़ से फारिग़ होकर हुज़ूर (स.) कसवा ऊंटनी पर सवार हुए और मैदाने अरफात में आए। वहाँ दामने कोह में बड़े बड़े पत्थरों पर किब्ला रूख होकर ऊंटनी पर खड़े हुए और दुआ़ वज़ारी शुरू की। यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। फिर आप (स.) ने फरमाया कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यही मखसुस जगह नहीं है। जहाँ चाहे खड़े हो।

अरफात में आप (स.) दुआ़ के लिए सीने तक हाथ उठाते थें और इस तरह दुआ माँगते थे जैसे कोई मिस्कीन रोटी तलब करता है। आप (स.) का इरशाद है कि हज यौमें अरफा हैं और बेहतरीन दुआ यौमें अरफा की दुआ़ हैं।

गुरूबे अफताब पर आप (स.) मुज़दल्फा के लिए रवाना हुऐं और उसामा बिन ज़ैद (रजी.) को कसवा ऊंटनी पर पीछे सवार कर लिया और ऊँटनी को आहिस्ता चलाने के लिए महार खीचें रखा। रास्तें में आप (स.) लोगो से फरमातें थें, "ऐ लोगों! आहिस्ता चलों। दौड़ना ठीक नही और भाग दौड़ परहेज़गारी के खिलाफ है।"

आप (स.) एक रास्तें से अरफात गए और दुसरे रास्तें से आए। रास्तें में आप (स.) तल्बिया फरमाते रहें। रास्तें में आप (स.) ने इस्तन्जा किया और वुजु किया मगर मग़रिब कि नमाज़ के लिए नहीं रूके।

मुज्दल्फा में आप (स.) ने दस ज़िल्हिज्जा कि रात मशअरूल हराम के पास कयाम फरमाया और फरमाया कि पूरा मुज्दल्फा वकुफ का मुकाम हैं सिवाय बतने महस्सर के। मुज़दल्फा पहुँचकर फिर वुज़ू किया और एक अज़ान और दो अकामतों के साथ मग़रिब और ईशा कि नमाज़ जमा करके ईशा के वक्त अदा फरमायी। नमाज़े कसर की और दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी गई। अलबत्ता बराबर लब्बैइक कहते रहे। रातभर आराम फरमाया। यहाँ तक के मामुल की तहजुद के लिए भी बेदार नहीं हुए। फज्र कि सफेदी फैलने के बाद नमाज़ें फज़्र अदा फरमायीं।

सुबह की नमाज़ के बाद अल्लाह तआला से फिर मज़लुम व ज़ालीम के बारें में दुआ़ दोहराई जो कबूल हो गई और आप (स.) के चेहरे पर तबस्सुम के आसार नुमाया हुए।

हज़रत सौदा (रजी.) और अहले बैत के कमज़ोर अफराद को रात ही में मिना जाने कि इजाज़त दे दी। साथ में हज़रत अब्दुल्ला बीन अब्बास (रज़ी.) थें। नमाज़े फज्र के बाद कसवा पर सवार हो कर शअरूल हराम के पास खुब रोशनी फैलने तक किब्ला रूख होकर तसबीह व तैहलील, तकबीर और दुआ़ओं में मश्गूल रहें।

तुलु आफताब के बाद मुज़दल्फा से मिना रवाना हुए। आप (स.) जुम्रें उक्बा (बड़े शैतान) तक बराबर तल्बिया कहते रहें। हुजूम बहुत ज़्यादा था। आप बराबर लोगों को आहिस्ता चलने की तल्किन फरमाते रहें।

बत्नें महस्सर को छोडकर आएं तो रमी के लिए चने से बड़े और छोटे बेर से किसी कदर छोटी कंकरी जमा करने का हुक्म दिया। लोगों ने तअमिल की। फज़ल बिन अब्बास (रज़ी.) ने आप (स.) के लिए ७ कंकरियां चुनी।

आप (स.) जम्रह उक्बा के करीब पहुँचकर एक दरख्त के नीचे रूक गएं। उस वक्त आप के बाएं जानीब मिना और दाएं जानीब मक्का मुर्करमा था। आप (स.) ने कसवा पर ही से हर बार अल्लाहहु अकबर कहकर ७ कंकरिया जुमरे उक्बा (बड़े शैतान) पर मारी। यह रमी जुमार आप (स.) ने आफताब के तुलु हो जाने के बाद फरमाई और तल्बियां मौकुफ कर दिया।

चाश्त का वक्त् था। आप (स.) ने उंटनी पर बैठकर फरमायाः "मुझसे मनासिक हज सीख लों, मुझें नहीं मालुम की इस हज के बाद दुसरा हज कर सकुंगा या नहीं।" जुमरे उक्बा से आप मिना के लिए रवाना हुए। हज़रत उसामा (रज़ी.) साथ बैठे धूप से बचने के लिए चादर ताने हुए थें। हज़रत बिलाल (रज़ी.) कसवा की महार थामे हुए थें। इसके बाद आप (स.) ने खुत्बा दिया।

१० ज़िल्हिज्जा के इस खुत्बे के बाद कुरआन शरीफ कि सुरहे अल माएदा कि आयत नं ३ नाज़िल हुई। जिसका मफहूम हैं कि आज मैंने तुम्हारें दीन को तुम्हारे लिए मुक्कमल कर दिया और अपनी निअ़मत तुम पर पूरी कर दि और तुम्हारें लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसीयत से कबूल कर लिया है।

कुछ रिवायतों के मुताबीक यह आयत अरफात के खुत्बे के बाद नाज़िल हुई।

ईमाम शाफई (रह.) फरमाते है, कि इस खुत्बे में आप (स.) ने मनासिक हज बयान फरमाया। खुत्बे के बाद आप (स.) से पुछा गया की कुर्बानी व कंकरिया मारने और बाल कटवांने में अरकान आगे पीछे हो जाएं तो क्या हुक्म हैं? आप (स.) ने फरमाया, लाहर्ज, लाहर्ज। यानि कोई मुज़ाईका नहीं, कोई मुज़ाईका नहीं।

यहाँ से आप (स.) कुर्बानगाह की तरफ तशरीफ लें गए और हज़रत अनस बिन मालीक (रजी.) के मुताबिक ७ ऊंट अपने हाथों से नहर (कुर्बान) किए। उसके बाद हज़रत अली (रज़ी) के साथ ५६ ऊंट कुर्बान किए और हज़रत अली (रजी.) ने ३७ ऊंट कुर्बान किए इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए।

कुर्बानी के बाद आप (स.) ने सिर मुंड़वाए। हज़रत मुअम्मिर बिन अब्दुल्ला अददी (रज़ीं.) ने आपका सिर मुंड़ा। सारे बाल एक-एक दो-दो हाज़रीन में तक्सिम कर दिए गए। आप (स.) ने सिर मुंडाने वालो के लिए ३ बार और तरशवाने वालों के लिए १ बार दुआ़ फरमायीं।

ज़वाल आफताब से पहले आप (स.) तवाफे ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। लोगों के हुजूम की वज़ह से कसवा पर ही सवार हो कर बैतुल्ला का तवाफ फरमाया। तवाफ के बाद ज़मज़म पर तशरीफ लें गए और पानी नोश फरमाया। हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने खजुर का शरबत पेश किया तो वह भी नोश फरमाया।

हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने पानी पिलाने की खिदमत की ख़ातिर ११,१२,१३ ज़िल्हिज्जा की रात में मिना कि बजाए मक्का में रहने की इज़ाजत तलब की। आप (स.) ने इजाज़त दे दी।

इसके बाद आप (स.) मिना वापस तशरीफ ले गएं।

११,१२,१३ ज़िल्हिज्जा को तीनों जुमरों को कंकरिया मारी। जुमराह उला पर रमी के बाद किब्ला रूख होकर हाथ उठाकर बड़ी देर तक दुआ़ मांगी, इतनी देर कि, १ आदमी इसमें सुरेः बकरा पढ़ लें। जुमरें वस्ता पर भी ऐसा किया। जम्रह उक्बा पर कंकरिया मारी लेकिन ठहरें नहीं। वापस चलें आएं।

अय्यामें तशरीक के वस्त में सुरेः अल अस्र नाज़िल हुई। आप (स.) १०, ११, १२, १३ ज़िल्हिज्जा को रोज़ा रखने से मना फरमाया। आप (स.) ने फरमाया कि यह खाने पीने के और जिक्र के दिन हैं।

आखरी दिन ज़वाल के बाद रमी फरमायीं और मिना से मक्का के लिए रवाना हुए। रात में मक्का मुकर्रमा से बाहर मुहस्सीब (मुआबदा) में कयाम फरमाया। हज़रत आईशा (रज़ी.) ने तनअीम से उम्रह किया। यह १४ ज़िल्हिज्जा की रात थी।

१४ ज़िल्हिज्जा को सहरी के वक्त़ बेदार होकर तवाफे विदा के लिए मस्जिेदे हराम तशरीफ लें गएं। तवाफ के बाद मुल्तज़ीम पर वकुफ फरमाया। यहाँ से चाह ज़मज़म पर जाकर खुद अपने दस्ते मुबारक से डोल खींचा। किब्ला रोह होकर पानी नोश फरमाया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया।

बैतुल्ला से विदा होते हुए आप (स.) मगमुम, आबदीदा और हज़न व मलाल से मगलुब थें। आप (स.) सुरज निकलने से पहले मआअहबाब मक्का से रवाना हो गऐ और मकामे "ज़ी तवा" में जाकर पड़ाव डाला। वहीं रात गुज़ारी और सुबह को मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर गामज़न (रवाना) हुए। यहीं से दुसरें मुसलमान अपने अपने वतन को जाने वाले रास्तों पर चल पड़े।

आप (स.) ने कुल १० दिन मक्का में कयाम फरमाया था। नमाज़ में कसर अदा किया। सलाम के बाद इर्शाद फरमाते थें :"मक्का वालों! सुनो, अपनी नमाज़े पूरी करों। हम तो मुसाफिर हैं।"

सफर में एक मुकाम "खम" आया जो हजफा से ३ मील पर हैं। यहाँ नमाज़े ज़ौहर के बाद सहाबा कराम (रज़ी.) को हम्द व सना के बाद फरमायाः "मैं तुम्हारे दरम्यान दो अम्रे अज़ीम छोड़े जाता हूँ। कुरआन मजीद और मेरी सुन्नत। इनके हुकूक की रियाअत रखना (मज़बुती से पकडे रहना।) यह दोनों चीज़ें तुमसे जुदा न हो ताकि तुम हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलो।"

हज्जतुल विदा के मौके पर ६ मुकामात पर रसुल (स.) ने काफी देर रूक कर दुआ माँगी वह मुकामात यह हैः

१. सफा की पहाड़ी, २. मरवा की पहाड़ी, ३. अरफात (ज़ोहर के बाद से गुरूबे आफताब तक) ४. मुज़दल्फा (फज्र की नमाज़ से तुलु आफताब तक) ५. जुमरा-ए-उला यानी छोटा शैतान

(आप (स.) ने इतनी देर दुआ़ की, कि एक आदमी सुरेः अल बकराह (सव्वा दो पारा) पढ़ लें।)

६. जुमरा-ए-वस्ता यानी दरम्यानी शैतान

(यहाँ पर भी आप (स.) ने इतनी देर दुआ़ की, कि एक आदमी सुरेः अल बकराह मुकम्मल पढ़ लें।)

हुज़ूर (स.) कि बिमारी माहे सफर के आखीर में सरदर्द और बुखार से शुरू हुईं। लोगों ने नमुनीया ख़्याल किया। मगर आप (स.) ने उम्मे अल बशर से फरमायाः "यह वह मर्ज है जो मैंने तेरे बेटे के साथ खैबर में गोश्त का तुकड़ा चख लिया था। आज उसी ज़हर कि तकलीफ से रगे जान फटी जाती है।"(सही बुखारी-जिल्द २, सफा ६६५, हदीस नं.१५५४)

तकरिबन चौदा दिन बिमार रहने के बाद और हज्जे विदा के ६१ दिन आप (स.) ने इस दारे फानी से कूच किया और रफीके आला से जा मिले।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

जन्नत की तअ़मीर

(१)''नाफेउल्ख़लाएक़'' में है कि एक रोज़ एक एराबी रसूल (स.) की ख़िदमत में आया और फक्र व फ़ाक़ा से रोया। रसूल (स.) ने फ़र्माया के हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दस बार 'इन्ना अन्ज़ल्ना', 'सुरह कद्र' पढ़ा करो और जुमा के दिन नाखुन कटवाया करो। एराबी ने ऐसा ही किया और मालदार हो गया।

(२) एक बार एक सहाबी ने हुज़ुर (स.) से फर्माया के या रसूल अल्लाह (स.) दुनिया मुझ से रूठ गई है। हुज़ुर (स.) ने फ़र्माया सुबह १०० बार पढ़ा करो।

कुछ दिन के बाद वह सहाबी वापस आए और कहा कि या रसूल अल्लाह (स) अल्लाह तआला ने मुझे इतना दिया है कि रखने की जगह नहीं।

अल्लाह तआला को ये कलमात सारे कलमात से ज़्यादा पसंद हैं। हुज़ुर (स.) ने फ़र्माया कि ये कलमात कहने में आसान और वज़न में बहुत भारी है।

(३) हुज़ुर (स.) दिन में सत्तर सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे।

(४) दरूद शरीफ़ के इतने फ़ायदे हैं के यहाँ बयान करना मुश्किल है। सालेहीन और औलिया कराम की इबादत का ज़्यादा तर हिस्सा दरूद शरीफ़ होता था।

(५) सुरह फ़ातेहा बहुत ही बाबर्कत सुरह है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ़ में इस की तारीफ़ सात आयतों वाली बाबर्कत सुरह के नाम से किया है। इस के पढने से रोज़ी में बरकत होती है, बीमारियों से शिफ़ा होती है, क़र्ज़ दूर होता है और किसी तरह के भी जिन्न और शयातीन परेशान करते हों तो सुबह सुन्नत और फ़र्ज के दरम्यान ४१ बार पढ़ने से दूर हो जाते हैं।

(६) मेराज की रात हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हुज़ुर (स.) से फ़र्माया के जन्नत एक वीरान मैदान है जब बन्दा दुनिया में अल्लाह तआला का ज़िक्र करता है तो एक खुबसूरत दरख़्त जन्नत में इस के लिए लगाया जाता है। एक दुसरी रिवायत में है के फ़रिश्ते मोमिन का महल जन्नत में उस वक़्त तक तामीर करते रहते हैं जब तक उन के पास तामीर का सामान पहुँचता रहता है। जब तामीर का सामान पहुँचना बन्द हो जाता है तो वह फ़रिश्ते भी काम रोक देते हैं। और ये तामीर का सामान मोमिन के नेक आमाल हैं जो वो दुनिया में करता है।

(७) दुनिया की ज़िन्दगी इतनी मस्रूफ़ है के हमारे पास आख़िरत और अपनी जन्नत संवारने का वक़्त ही नहीं है। अब जब के सफ़र हज के लिए हम ने दुनिया से चालीस दिन की छुट्टी ले ही ली है, तो इस सुनहरे मौक़े का फ़ायदा उठा कर अपनी जन्नत भी संवार लें। हम कोशिश करें के अपनी आसानी के मुताबिक़ दरूद शरीफ़, इस्तग़फ़ार और तस्बिहात का मुतवाज़िन विर्द इबादत का मामूल बनाऐं। और चालीस दिन इस पर अमल करते रहें जिस से कि एक आदत सी पड़ जाए और फिर वापस जाकर इसी इबादत पर अमल करना आसान हो। अगर रिज़्क़ में बरकत वाली तस्बिहात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब तो मिलेगा ही और साथ में माली हालत भी और बेहतर होगी।

कुरआन शरीफ़ पढ़ने के भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। इस मुक़द्दस सफ़र में कम से कम दो बार कुरआन शरीफ़ भी ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर एक छोटा कुरआन शरीफ़ जिसे आसानी से हरम में ले जा सकें साथ ले लें तो और आसानी होगी। असर के जमात के बाद मताफ और मस्जिद ए हरम के दरम्यान सहन में बहोत सारे उलमा का बयान होता है। उर्दु में बयान दरवाजा नम्बर ५० और ५२ के सामने होता है। आप भी उन बयान में शामील हो कर अपने ईमान को ताज़ा किया किजीए।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

तवाफ का बयान

तवाफ के फ़ज़ाईलः

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में फरमाते हैं

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذٰلِكَ وَمَنْ
يُّعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ (سورہ حج، آیت ۲۹-۳۰)

''वल-यत्तव्वफू बिल बैतिल अतीक। ज़ालिका व मंय युअज़्जिम हुरूमातिल्लहि फहुवा खैरूल्लहू इन्दा रब्बिही।''

"(लोगों को चाहिए कि) बैतुल्लाह का तवाफ करें। यह हमारा हुक्म है। जो शख़्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुक्कर्रर की है (यानी हज, उम्रह, तवाफ वगैरा) कि अज़मत रखेगा तो यह अल्लाह तआला के नज़दीक उसके लिए बेहतर है।"(अलू हज, २९-३०)

रसूल अल्लाह (स.) ने फरमायाः जो बैतुल्लाह का तवाफ करे और दो रकअ़त नमाज़ पढ़े उस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इब्ने माजा, किताब अल-मनासिक, बाब फज़लुतुतवाफ २९-५६)

आप (स.) का इर्शाद है : जिस ने बैतुल्लाह शरीफ का ७ बार तवाफ किया तो अल्लाह तआला हर हर क़दम पर उस के गुनाह को माफ़ फरमाते हैं और हर हर कदम पर नेकी लिखते हैं और हर हर कदम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इब्ने खज़ीमा, इब्ने हब्बान)

हज़रत इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने अपनी किताब 'अह्या उल उलूम' में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि) की रिवायत नकल की है कि हुज़ूर (स.) ने फरमाया के खाना-ए-काबा का तवाफ बहुत किया करो, वह बड़ी बुज़ुर्ग चीज़ है। जिस को तुम कयामत के रोज़ अपने नामा-ए-आमाल में पाओगे और इस के बराबर कोई दूसरा अमल रश्क के काबिल न पाओगे। (सातवाँ बाब, हज के असरार और उस की मुमानिअत)

हुज़ूर (स.) ने इर्शाद फरमाया बैतुल्लाह का तवाफ नमाज़ की तरह है। अल्बत्ता तुम इस में बात कर सकते हो, तो जो भी दौराने तवाफ बात करे, उसको अच्छी बात करनी चाहिए। (जामे तिर्मिज़ी, किताब उल हज, हदीस ९६)

नबी करीम (स.) का इर्शाद है जिसने ५० मर्तबा तवाफ किया, तो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। (तिरमिजी)

तवाफ की शर्तेंः-

तवाफ में भी नमाज़ की तरह शर्तें हैं।

जैसे नमाज़ के लिए वुजु जरूरी है वैसे तवाफ के लिए भी वुजु ज़रूरी है।

जैसे नमाज़ के लिए कपड़े पाक और सतर छुपा हुआ हो। वैसे तवाफ के लिए कपड़े पाक हो और सतर छुपा हुआ हो।

जैसे नमाज़ के लिए नीयत ज़रूरी है वैसे तवाफ के लिए हज्रे अस्वद से पहले नीयत करें।

जैसे नमाज़ तकबीर कह कर शुरू करते है वैसे तवाफ के लिए हज्रे अस्वद के सामने होकर तकबीर कहें और हज्रे अस्वद को बोसा दें। (इसको इस्तलाम कहते है।)

जैसे नमाज़ में एक रकआत के बाद फौरन दुसरी रकआत पढ़ी जाती है वैसे ही तवाफ में खाने काबा के अतराह दर पे दर चक्कर लगाए। दो चक्करों में वक्फा न हो।

जैसे नमाज़ में नज़र सजदा कि जगह पर होती है वैसे तवाफ करते वक़्त नज़र चलने की जगह पर हों।

जैसे नमाज़ में किब्ले की तरफ या आसमान की तरफ नज़र उठाना मकरूह है वैसे तवाफ करते वक्त खाना काबा को देखना मकरूह है।

जैसे नमाज़ सलाम फेर कर पूरी कि जाती है वैसे ही दो रकअत तवाफ वाजिब नमाज़ पढ़कर तवाफ पूरा किया जाता है।

जैसे नफिल नमाज़ की नीयत करने के बाद अगर हम नमाज़ तोड दे तो फिर इस नफिल नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। इसी तरह तवाफ के कुछ चक्कर लगाकर छोड दे तो फिर इसका दोहराना या पूरा करना वाजिब होगा।

तवाफ के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात

अगर तवाफ करते करते नमाज़ के लिए जमाअत खड़ी होगी तो तवाफ रोक कर जमाअत से नमाज़ पढ़ लें और छुटे हुए चक्कर नमाज़ के बाद पूरे कर लें। ऐसे वक़्त अगर तीन से कम चक्करों के बाद भी वक्फा हो जाए तो कोई मुज़ाईका नहीं।

अगर तवाफ करते हुए चार चक्करों के पहले आप का वज़ू टूट जाए तो बेहतर है कि वज़ू कर के फिर से तवाफ करे और अगर वहीं से मुकम्मल कर ले तो यह भी जायज़ है। (ग़नियतुल मनासिक १२७)

तवाफ शुरू करने से पहले सिर्फ हज्रे अस्वद के सामने ही आपका चेहरा और सीना खाना काबा के सामने होगा। इस के बाद दौराने तवाफ सीना खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह है और पीठ खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के बराबर है।

एक चक्कर की जितनी दूरी आप ने खाना ए काबा की तरफ सीना या पीठ करके तय की उसे फिर से दोहरा लें। वह दूरी तवाफ के चक्करों में शामिल नहीं होगी।

अगर आप ने सात चक्करों के बजाए आठ चक्कर लगा लिए हो तो फिर आपको ६ चक्कर और लगाकर दुसरा तवाफ़ भी पूरा करना वाजिब होगा।

अगर किसी ने मक्का मुकर्रमा में तवाफ वाजिब नमाज न पढ़ी तो इसको अदा करना वाजिब है ज़िम्मे से साकित न होगी तमाम उम्र में अदा कर सकता है। हरम से बाहर इस नमाज़ को पढ़ना ताख़ीर करना बुरा और मकरूह है।

तवाफ हतीम के बाहर से करें। क्योंकि हतीम खाना-ए-काबा का हिस्सा है और तवाफ़ खाना-ए-काबा के बाहर से किया जाता है।

तवाफ के दौरान कोई खास दुआ या आयत का पढ़ना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।

जो कुछ दुआऐं हज की किताबों में लिखा है उसे देखकर पढ़ने से बेहतर है कि आपको जो दुआएँ याद है वह समझकर माँगें। देखकर पढ़ने और आवाज़ करने से दुसरे हाजियों को तकलीफ होती है और दुसरों को तकलीफ पहुँचाना गुनाह का काम है।

तवाफ में दुआ पढ़ना कुरान पढ़ने से अफ़जल है। दुआ तवाफ में बगैर हाथ उठाएँ माँगना चाहीए।

रूक्ने यमानी और हजरे अस्वद के दरम्यान ७० हजार फरीश्ते तवाफ करने वालों की दुआ पर आमीन कहते है।

एहराम की हालत में तवाफ के सातों चक्करों में इज़्तेबा करना सुन्नत है।

ऐसा तवाफ जिस के बाद सई करना है उस के शुरू के तीन चक्करों में रमल है। ऐसा तीन बार होगा। पहला उमरा के तवाफ़ में, दूसरा तवाफ़े ज़ियारत में और तीसरा ८ ज़िल्हिज्जा को अगर मिना जाने से पहले आप तवाफ़ और सई करते हैं तब।

८ ज़िल्हिज्जा को अगर आप ने तवाफ और सई कर ली तो १० ज़िल्हिज्जा के बाद सिर्फ आप को तवाफ के ७ चक्कर बगैर रमल के लगाने है। उस के बाद सई करने की ज़रूरत नहीं।

रमल सुन्नत है। अगर कोई रमल वाले तवाफ मे रमल करना भूल जाएं तो यह खिलाफे सुन्नत होगा। मगर तवाफ हो जाएगा। तवाफ दोहराने की ज़रूरत नहीं। या किसी ने सातों चक्कर में रमल कर लिया तो भी यह मकरूह है। मगर तवाफ हो जाएगा।

तवाफ का सवाब किसी को भी पहुँचाया जा सकता है। जो इंतेकाल कर गए उन्हें और जो जिंदा हैं और मक्का मुकर्रमा से दूर हैं उन्हें भी।

मअ्ज़ूर, सवारी पर बैठ कर तवाफ कर सकते है।

खाना ए काबा पर १२० रहमतें उतरती हैं। जिन में से ६० रहमतें तवाफ करने वालों पर, बक्या ४० रहमतें नमाज़ पढने और २० खाना ए काबा को देखने वालों के लिए हैं।

रूकने यमानी को तवाफ के दौरान सिर्फ हाथ लगाना सुन्नत है। बोसा देना खिलाफे सुन्नत है। अगर भीड़ हो तो दूर से गुज़र जाऐं। इस्तलाम भी न करें। रूकने यमानी के पास रूक कर सीना खाना ए काबा की तरफ कर के हाथ लगाना या भीड़ लगाना खिलाफे सुन्त है, और मम्नू हैं।

अस्र के बाद क़ज़ा फर्ज़ नमाज़ों को छोड़ कर और नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इस लिए अस्र के बाद हरम में ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ कीजिए मगर आखरी की दो रकअ्त तवाफे वाजिब मत पढ़िये और मग़रिब के बाद आप ने जितने तवाफ किए हैं उन के हिसाब से हर तवाफ के लिए दो रकअ्त अलग अलग पढ़ लीजिए। इस तरह हरम शरीफ के अंदर आप का हर लम्हा बेहतरीन इबादत में गुज़रेगा।

मसाइले तवाफ

१) तवाफे ज़ियारत में तरतीब वाजिब नहीं है।

(मसाइल व मअ्लूमाते हज व उमराह पेज ८१, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज २१३, १७६, अहमदुल्लाह वासिआ पेज २४६)

२) तवाफे ज़ियारत, रमी और हलक़ यानी हजामत के बाद करना सुन्नत है वाजिब नहीं।

(मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज २१३, १७६, अन्वारे मनासिक पेज २७३)

३) अगर कोई यौमुन्नहर में हलक़ व क़ुरबानी से पहले तवाफे ज़ियारत कर ले तब भी बिला-कराहियत जायज़ है। (अन्वारे मनासिक पेज ३४०)

मकरूहाते तवाफ (यह चीज़ें तवाफ में मकरूह हैं)

१) फुज़ूल और बे फायदा बात चीत।

२) खरीद व फरोख्त करना या इस की बात चीत करना। (तवाफ करते वक्त अगर फोन आ जाए तो आप के ना चाहते हुए भी आप को सामने वाले के सवालों के जवाबात देने होंगे। आप के जवाबात हो सकता है मुबाह या मकरूह हों, इसलिए मस्जिदे हरम में मोबाइल बंद रखें)

३) दुआ या कुरआन बुलन्द आवाज़ में पढना जिस से तवाफ करने वालों और नमाज़ियों को तकलीफ हो या खलल हो।

४) नापाक कपड़ों में तवाफ करना।

५) रमल और इज़्तेबा को बिला वजह तर्क करना।

६) इज़्तेबा की हालत में नमाज़ पढ़ना। (नमाज़ दोनो मोंढे यानी कंधे ढांक कर पढ़ें।)

७) तवाफ के फेरों के दरमियान ज़्यादा वक्फा करना। (किसी वजह से कुछ देर के लिए तवाफ रोक देना।)

८) बगैर वजह दो तवाफ एक के बाद एक 'बगैर तवाफे वाजिब के' पढ़ना। (मकरूह वक्त पर इजाज़त है।)

९) दोनों हाथ तवाफ की नियत के वक्त बगैर तकबीर के उठाना।

१०) हरम शरीफ में खुतबा और फर्ज़ नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाने के वक्त तवाफ करना।

११) तवाफ के दरमियान खाना खाना। कुछ उलमा ने पीने को भी मकरूह कहा है।

१२) पेशाब पाखना के तकाज़े के वक्त तवाफ करनां।

१३) भूक और गुस्से की हालत में तवाफ करना।

१४) तवाफ करते हुए नमाज़ की तरह हाथ बांधना या कमर पर हाथ रख कर चलना या गरदन पर हाथ रख कर चलना या किसी के गले में हाथ डाल कर चलना।

१५) औरतों का ऐसे वक्त या इतने हुजूम में तवाफ करना जब औरतों का जिस्म गैर मर्दो को यकीनन छू जायगा तो ऐसे वक्त औरतों का तवाफ करना हराम है।

(इस मज़मून के सारे मसले ''मुअल्लिमुल हुज्जाज'' से लिए गए हैं।)

तवाफ का तरीका हम इन्शा अल्लाह उमराह के बयान में सीखेंगे।

हज की अदाएगी में जल्दी करें।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमायाः "ए लोगो! अगर तुम पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो तो उस की अदाएगी में जल्दी करो, इस लिए कि तुम में से कोई नहीं जानता कि कब क्या रूकावट पेश आ जाए।" (तरग़ीब)

जमाअत की अहमियत

हज़रत इब्ने मसऊद ;रजि.द्ध से रिवायत है कि उन्हों ने फरमायाः जिस शख्स को इस का शौक हो कि वह क़यामत के दिन मुसल्मान की तरह अल्लाह के सामने पेश हों, वह पांचों वक्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती है बा-जमाअत अदा करे। अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी ;सद्ध को जो तरीका ए हिदायत अता फरमाया है उस में पांचों नमाज़ें बा-जमाअत पढ़ना भी शामिल है। तो अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसा ये पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता है तो बेशक तुम ने अपने नबी ;स.द्ध की सुन्नत तर्क कर दी। और तुम ने अपने नबी ;स.द्ध की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गए। हम ने किसी सहाबी को जमाअत से ग़ैर हाज़िर होते नहीं देखा। जमाअत से वही शख्स ग़ैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफ़िक़ होता था। बीमार भी दो आदमियों के सहारे से आकर सफ में शामिल हो जाते थे। (मुस्लिम)

अरकाने उम्रह और हज का बयान

उम्रह के सिर्फ़ दो फ़राईज़ और दो वाजिबात हैं, जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का उम्रह हो जाऐगा।

इसी तरह हज के ३ फ़राइज़, ६ वाजिबात और १० सुन्नतें हैं जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का हज हो जाऐगा।

इस किताब में हम सफ़र के अलग अलग मरहलों के लिऐ अलग अलग दुआऐं अज़्कार और नफ़िल नमाज़ का ज़िक्र करेंगे। ये सिर्फ़ हज और उम्रह की इबादत को और अफ़ज़ल बनाने के लिऐ हैं। उन के न करने पर न कोई गुनाह होगा और न हज और उम्रह की इबादत में कोई फ़र्क़ आऐगा।

१) उम्रह के फ़राईज़ :

१) मीक़ात से एहराम बाँधना, नीयत करना और तल्बिया पढ़ना।
२) ख़ाने काबा का तवाफ़ करना और तवाफ़ के बाद दो रकअ़त नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना।

२) उम्रह के वाजिबात :

१) सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करना।
२) बाल कतरवाना या मुंडवाना।

३) हज के फ़राईज़ :

१) एहराम पहन कर हज की दिल से नीयत करना और तल्बिया कहना।
२) वक़ूफ़ अरफ़ात यानी ९ ज़िल्हिज्जा को ज़वाल आफ़ताब से ले कर १० ज़िल्हिज्जा की सुबह सादिक़ तक अरफ़ात में किसी वक्त ठहरना। अगर एक लम्हा के लिऐ ही क्यों न हो।
हुज़ूर (स.) ने फरमाया ''हज अरफात में ठहरने का नाम है।''
(जामे तिर्मिज़ी, हदीस ८८६)
३) तवाफ़े ज़ियारत जो दसवीं ज़िल्हिज्जा की सुबह से लेकर बारहवीं ज़िल्हिज्जा के मग़रिब तक किया जा सकता है।

४) हज के वाजिबात :

(१) अरफात में सूरज डूबने तक ठहरना।
(२) मुज़्दल्फा मे वक़ूफ़ के वक्त ठहरना।
(३) सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई करना।
(४) शैतान को बा-तरतीब कंकरी मारना।
(५) क़ुर्बानी करना।
(६) सिर के बाल मुंडवाना या क़ुतरवाना।
(७) मिक़ात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना।(अहले हरम और अहले हिल पर वाजिब नहीं है, सिर्फ़ मुस्तहब है।)
(८) १०,११,१२ तारीख को रातें मिना में गुज़ारना।

५) हज की सुन्नतें :

१) मुफ़रद आफ़ाक़ी और क़ारिन को तवाफ़ क़ुदूम करना।
२) इमाम का तीन मुक़ाम पर ख़ुत्बा पढ़ना। सातवीं ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में, नवीं ज़िल्हिज्जा को अरफ़ात में और ग्यारहवीं को मिना में।
३) नवीं ज़िल्हिज्जा की रात में मिना में रहना।
४) तुलू अ़े आफ़ताब के बाद नवीं ज़िल्हिज्जा को मिना से अरफ़ात को जाना।
५) अरफ़ात से इमाम के चलने के बाद चलना।
६) अरफ़ात में ग़ुस्ल करना।

इन के इलावा भी और बहुत सी सुन्नतें हैं।

सफरे हज पर निकलने से पहले नीयत का बयानः-

हज तीन तरह के होते है और सफरे हज में हज के साथ उम्रह भी किया जाता है, तो जब आप घर से एहराम पहन कर निकलेंगे, तो क्या नीयत करेंगे? उम्रह की या हज की और किस तरह के हज की?

हज की तीन किस्में हैं १.हजे इफ्राद २. हजे किरान ३. हजे तमत्तो

हजे अफराद में हाजी एहराम सिर्फ हज कि नीयत से पहनते है और सिर्फ हज करके एहराम उतार देते हैं।

हजे किरान में हाजी हज और उम्रह दोनों की नीयत से एहराम पहनते है और दोनों करने के बाद ही एहराम उतारते है। अहले हरम और अहले हिल सिर्फ हजे अफराद ही कर सकते है। हजे किरान और तमत्तुअ इन के लिए मना है आफाकी के लिए छूट है कि वह तीनों में से जिस का चाहे एहराम बाँधे।

हजे तमत्तो में हाजी पहले उम्रह की नीयत से एहराम पहनते है और उम्रह करके एहराम उतार देते है। फिर ८ ज़िल्हिज्जा को एहराम हज की नीयत से पहनते है और हज करके उतारते है। हिन्दुस्तान से जानेवाले हाजियों को हजे तमत्तों ही आसान होता है। इसलिए हम इस हज को सीखेंगें।

इसलिए अगर आपकी फ्लाईट जिद्दा के लिए हो और ८ ज़िल्हिज्जा से पहले की हो तो आपको मक्का शरीफ पहुँचकर पहले उम्रह करना है। इसलिए आप एहराम भी उम्रह की नीयत से पहनेंगें और पहले नीयत भी उम्रह ही की करेंगे।

अगर आप कि फ्लाईट मदीना के लिए हो तो न आप घर से एहराम पहनकर निकलेंगे और न किसी चीज़ की नीयत करेंगे, बल्कि मदीना ४० वक्त कि नमाज़ पुरी करके जब आप मदीना से मक्का रवाना होंगे तब आपको एहराम पहनकर उम्रह की नीयत करना होगा।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

	अरकान	तारीख़	हजे तमत्तओ	हजे क़िरान	हजे अफराद
	तवाफेक़ुदूम		⊗	सुन्नत	सुन्नत
सिलसिलावार उम्रह के अरकान	अहरामे उम्रह	८ जिल्हिज्जा से १३ जिल्हिज्जा के दरमियान उ़म्रह नहीं किया जा सकता।	फर्ज़	फर्ज़	⊗
	तवाफे उम्राह		फर्ज़	फर्ज़	⊗
	सई उम्रह		वाजिब	वाजिब	⊗
	सिर मुंडवाना		वाजिब	⊗	⊗
सिलसिलावार हज के अरकान	अहरामे हज	८ जिल्हिज्जा	फर्ज़	उ़मराह का एहराम	फर्ज़
	क़यामे मिना	८ जिल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	वक़ूफे अ़रफ़ा	९ जिल्हिज्जा	फर्ज़	फर्ज़	फर्ज़
	वक़ूफे मुज़्दल्फ़ा	१० जिल्हिज्जा की रात	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	रमी जमरा उ़कबा	१० जिल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	कुरबानी	१०,११,१२ जिल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	इख़्त्यारी
	सिर मुंडवाना	१०,११,१२ जिल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफे ज़ियारत	१०,११,१२ जिल्हिज्जा	फर्ज़	फर्ज़	फर्ज़
	सई	२९ जिल्हिज्जा से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	क़यामे मिना	११,१२,१३ जिल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	रमी जमार	११,१२,१३ जिल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफ़े विदा	वापसी से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब

सफ़रे हज का आग़ाज़

सफरे हज पर निकलने से पहले की तैयारियाँः-

१. ६ से ८ अच्छे और दीनदार लोगों के साथ ग्रुप बनाकर हज का फार्म भरें। क्योंकि एक कमरे में ६ से ८ लोगों को रखा जाता है। अगर यह लोग हमख्याल और नेक हो, तो बड़ी आसानी होती है।

२. दिल में यह यक़ीन जमाएँ कि मुझे मेरा माल, मेरी ताकत, मेरी सलाहियत मुझे हज के सफर पर नहीं ले जा रही है बल्कि मुझे मेरा अल्लाह ले जा रहा है। कई लोग दुनिया में मालदार है, बा सलाहियत है, ताकतवर है लेकिन उन्हें अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, वह नहीं जा सकते।

मैंने ज़ाती तौर से महसूस किया कि हज न सिर्फ अल्लाह कि तौफिक से हम कर पाते है। बल्कि हज के अरकान भी अल्लाह तआला अपने फज़्ल से पूरा कराते है। ३० से ४० लाख के मज्मे में अगर अल्लाह तआला की मदद न होती, तो में और कई हाजी अरफात और मुजदल्फा वक्त पर न पहुँच पाते और यह अरकान हमसे फौत हो सकते थे।

३. हाजी कहलाने का शौक, ख़रीदारी वग़ैरह भी हज की नीयत के साथ शामिल हो तो तौबा करें और हज कि नीयत खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें।

४. कारोबार और घर की सारी ज़रूरीयात और ऊमुर से मुतअ़ल्लिक वसीयत नामा लिख दे, लेना देना, हक हुकूक सब मुफसल दर्ज कर दे और किसी मामला शनास और दीनदार शख़्स को अपना कायम मुकाम बना दे।

५. घरवालों को आप की गैर मौजूदगी में भी नमाज़ पढ़ते रहने और पूरी तरह दिन पर चलते रहने की नसीहत कर दे।

६. सदके से बलाएं टलती है इसलिए सफर में जान और माल कि हिफाज़त के लिए सदका खैरात कर दे या गरीबों को खाना खिला दे।

७. अगर किसी का हक अदा न किया हो तो अदा करें। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी माँग लें। अल्लाह तआला बेनियाज है वह खुद के हुकूक माफ कर देगा लेकिन बंदो के हुकूक माफ नहीं करेगा। उसे तो आपको बंदो से ही माफ कराने होंगे।

८. सफरे हज की सामान कि मुकम्मल फेहरिस्त बना ले और उसके मुताबिक सामान एक या दो दिन पहले ही पैक कर ले।

९. एक अलग हॅन्ड बैग में पासपोर्ट जहाज़ का टिकट, शनाख्ती कार्ड और दुसरे जरूरी सामान रख लें। यह बैग ऐसा हो की उसे आप १४ घंटे के सफर में हमेशा अपने कंधे से लटकाए रह सके।

१०. बाल साफ कर ले, नाखून काट लें और नहा धोकर अच्छी तरह पाक हो जाए और एहराम पहन ले।

घर से रवानगीः-

अच्छी तरह नहा धो कर साफ़ सुथरे हो जाएं और एहराम पहन लें।

इस मुबारक सफ़र की कामयाबी के लिऐ अल्लाह से दुआऐं मांगें। दुआ ज़्यादा असर रखती है जब ये नफ़िल नमाज़ पढ़ कर मांगी जाऐ। इस लिऐ दो-दो रकअ़त कर के दस रकअ़त नफ़िल नमाज़ इस तरह पढ़ें।

दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ सलातुल्हाजात की नीयत से पढ़ें, और अल्लाह तआला से दुआ करें के अल्लाह तआला आप का सफ़रे हज आसान और कामयाब करे और आप को हजे मबरूर अता फ़रमाऐ।

दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ सलातुल्तौबा की नीयत से पढ़ें। इस नफ़िल नमाज़ के बाद आप अल्लाह तआला के दरबार में सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करें।

दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ शुक्राने की पढ़ें और अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि उस ने ये तौफ़ीक़ आप को दी, कि आप हज के सफ़र पर जा रहे हैं।

दो रकअ़त नमाज़ अपने और अपने घर वालों की बलाओं और मुसीबतों से हिफ़ाज़त की नीयत से पढ़ें और दुआ करें की अल्लाह तआला आप को सफ़र में और घर वालों को वतन में अपने अमान और हिफ़ाज़त में रखे और तमाम मुसीबतों से महफ़ूज़ रखे।

आख़री दो रकअ़त नमाज़ एहराम की नीयत से पढ़ें। सारी नमाज़ें आप एहराम की चादर से सर ढांप कर पढ़ें और आख़री दो रेकत का सलाम फेर कर सिर खोल दें मगर अभी उम्रह की नीयत न करें। उम्रह की नियत अगर आप जहाज़ में यलम लम मिक़ात से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। यलम लम मिक़ात जिद्दा उतरने से एक घंटा पहले आता है और जहाज़ का अमला मिक़ात आने पर आप को इसकी ख़बर कर देगा।

कुछ याद रखने लायक बातेंः-

बुज़ुर्गों से सुना है कि एहराम की हालत में इंसान जो भी काम करता है उस पर मुहर लग जाती है। फिर वह जिन्दगी भर उसे दोहराता रहता है। वैसे तो हर वक़्त गुनाहों से बचना चाहिये मगर एहराम की हालत में गुनाहों से सख़्त परहेज़ करना चाहिये और पूरी तरह से सुन्नत के मुताबिक़ शब-व-रोज़ गुज़ारने की कोशिश करना चाहिये।

कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन की हमें आदत सी है और उन के गुनाह होने का हमे एहसास तक नहीं होता। जैसे ग़ीबत, नज़रों का गुनाह वग़ैरह और यह गुनाह हम उस वक़्त करते हैं जब हम दुनियादारी की बातें करते हैं या बाज़ारों में घुमते हैं। एहराम की हालत में और वैसे भी हरम के हुदूद में इन दोनों से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त क़ुरआन शरीफ़ की तिलावत, तवाफ़, नफ़िल नमाज़ और वज़ाइफ़ पढ़ते हुऐ गुज़ारें। आप जिस जगह जा रहे हैं (मक्का शरीफ) वहाँ एक नेकी का सवाब एक लाख गुना बढ़ा कर मिलता है। इसी तरह एक ग़लती का गुनाह भी एक लाख गुना मिलेगा। हज़रत नुह (अलै.) की उम्र ९५० साल थी। अगर आप चार दिन हरम शरीफ़ में इबादत करें तो चार लाख दिन के बराबर इबादत का सवाब मिलेगा। जो के १००० साल की इबादत से ज़्यादा है। यानि आप हज़रत नूह (अलै.) की उम्र से भी ज़्यादा अरसे तक इबादत करते रहे। इस से आप अन्दाज़ा लगाऐं कि अगर आप एक महीने हरम में इबादत करते रहे, तो कितना सवाब मिलेगा? वह लोग ख़ुश नसीब हैं, जो इस बात को समझ कर इस सुनहरे मौक़े का फ़ायदा उठाते हैं।

अपने वतन में एक फ़र्ज़ नमाज़ छूट जाऐ तो उस का गुनाह ७० गुनाहे कबीरा के बराबर होता है जिसकी जहन्नम की सज़ा कई लाख साल है। यही गुनाह अगर हरम शरीफ़ में हो जाऐ तो यह एक लाख गुना और बढ़ जाऐगा। नमाज़ छोड़ने के साथ अगर किसी ने ग़ीबत भी की, नज़रों का गुनाह भी किया, झगड़ा वग़ैरह भी किया और महीने भर करता रहा तो ऐसा शख़्स जब हज के सफ़र पर निकलता है तो कुछ नेक होता है और गुनाह का ज़ख़ीरा भी उसकी उम्र के मुताबिक़ पचास साठ साल का होता है। मगर जब हज से वापस आता है तो हज़ारों साल की उम्र के गुनाह के बराबर गुनाहों का ज़ख़ीरा लेकर आता है। ऐसा बदबख़्त इंसान हज कर के हाजी के बदले पाजी नहीं बनेगा, तो और क्या बनेगा! इस लिऐ कुछ लोग हज के बाद ज़्यादा बद्‌दीन हो जाते हैं। अल्लाह तआला हमें आप को और सारे

मुसलमानों को दीन समझने और उस पर सही तरीक़े पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन।

वह मुक़द्दस ज़मीन जिसे देखने के लिऐ लाखो आँखें तरस्ती हैं। वहाँ आप को सिर्फ़ चालीस दिन रहना है। इन चालीस दिनों के लिऐ अगर आप दुनियादारी छोड़ देंगे, तो क्या क़यामत आ जाऐगी? घर से निकलते वक़्त अपनी दुनियादारी को यहीं छोड़ कर सफ़रे हज पर रवाना हों और आने वाले हर लम्हे को ग़नीमत समझें और जितनी नेकी अपने दामन में समेट सकते हों समेट लें। मौत की किसे ख़बर, हो सकता है यह आप का आख़री सफ़र हो?

मुकद्दस सफर का पहला कदमः-

स्टील का कड़ा पहन लें, पासपोर्ट, एअर टिकट और दुसरा ज़रूरी सामान हैंड बैग में रखकर कांधे पर लटकालें। सारे सामान पर अपना नाम पता और कवर नंबर फिर एक बार जाँच लें और घर वालों के लिऐ अल्लाह तआला से दुआ करें, उन्हें अल्लाह तआला की अमान में दें और यह दुआ पढ़ें।

اَسْتَوْدِعُ اللّٰہَ دِیْنَکَ وَ اَمَانَتَکَ وَاٰخِرَ عَمَلِکَ، زَوَّدَکَ اللّٰہُ التَّقْویٰ، وَیَسَّرَلَکَ الْخَیْرَ حَیْثُ کُنْتَ.

''अस्तौदिउल्लाहा दी-नका व अमा-न-त-का व आखि-र-अ-म-लिका। ज़व्व-द-कल्लाहुत्तक्वा, व यस-स-र-ल-कल खै-र-हैसु कुन्ता।''

तर्जुमा : अच्छा जाओ तुम और तुम्हारा दीन और तुम्हारी दीन व दुनिया की अमानत और तुम्हारे कामों का अंजाम अल्लाह तआला के सुपुर्द है। अल्लाह तआला तुम को तक़वा की दौलत से नवाज़े और तुम्हारे लिऐ नेकियाँ आसान करे, जहाँ कहीं रहो।

घर से पहला कदम निकलते हुऐ यह दुआ पढ़ें।

بِسْمِ اللّٰہِ تَوَ کّلْتُ عَلَی اللّٰہِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّۃَ اِلاَّ بِاللّٰہِ

''बिस्मिल्लाहि तवक्कल-तु अ-लल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।''

तर्जुमाः शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर इमान और उसी पर भरोसा है, और यह यक़ीनी बात है कि अल्लाह तआला के हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं अल्लाह ही के सहारे सफ़र शुरू करता हूँ

सवारी आ जाऐ तो सवारी पर सुन्नत तरीक़े से सवार हों। सवारी पर सवार होने का सुन्नत तरीक़ा :

हज़रत अली बिन रबीया (रज़ी.) से रिवायत है कि अली (रज़ी.) बिन अबी तालिब के लिऐ जब सवारी लाई गई तो इस वक़्त मैं मौजुद था। इन्हों ने जब इस की रेकाब पर पैर रखा तो बिस्मिल्लाह कहा। फिर जब पीठ पर बैठ गऐ तो कहा अलहम-दु-लिल्लाह फिर फरमाया-

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۙ وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (سورہ زخرف، آیات:۱۳-۱۴)

''सुब्हानल्लज़ी सख्ख-र-ल-ना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक्रिनीना व इन्ना इला रब्बाना ल-मुन-कलिबून।''

तर्जुमा : उस अल्लाह की तारीफ़ है जिसने इस को हमारे लिऐ मुसख़्ख़र कर दिया। हम इस की ताक़त नहीं रखते थे और हम अपने रब की तरफ़ पलटने वाले हैं। (सूरह ज़ुख्रूफ, आयतः १३-१४)

फिर तीन मरतबा अलहम-दु-लिल्लाह कहा, फिर तीन बार अल्लाहु अकबर कहा। फिर ये दुआ पढ़ीः

سُبْحَانَکَ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَا غْفِرْلِیْ فَاِنَّہٗ لاَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ.

''सुब्हा-नका इन्नी ज़-लम-तु नफ-सी फग़-फिर-ली, फ-इन्नहू, ला यग़-फिरूज़्ज़ुनूबा इल्ला अन्ता।''

तर्जुमा : पाक है तू। बेशक मैं ने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। बस मुझको बख़्श दे और तेरे सिवाय कोई बख़्श्ने वाला नहीं।

यह कह कर हंस दिये, लोगों ने कहा ऐ अमीरूल मोमिनीन आप हंसते क्यों हैं। इन्होंने फरमाया कि मैं ने हुज़ुर (स.) को इसी तरह करते देखा था जिस तरह मैंने किया और जब आप हंसे तो मैंने भी अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह (स.) किस बात ने आप को हंसाया। आप (स.) ने फ़रमाया था तुम्हारा रब पाक है। इस के बंदे जब कहते हैं, कि ऐ रब! मुझे बख़्श दे, तो फिर वह खुश होता है कि मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवाय कोई बख़्शने वाला नहीं।(अबु दाऊद-तिर्मिज़ी)

इस दुआ को याद कर लीजिए और हज के दौरान और उसके बाद भी जब भी सवारी पर सवार होना हो, इसे जरूर पढ़े।

हवाई सफर का आगाज़

जिन जहाज़ों से हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को ले जाया जाता है उसमें सिर्फ हाजी ही सफर करते है। उन में सफर करने की आम मुसाफिरों को इजाज़त नहीं होती, उन जहाज़ों से सफर करनेवाले हाजियों के टिकटों पर सीट नंबर भी नहीं होते है। इसलीए जो हाजी पहले पहुँच जाते है, उन्हें अपने सारे ग्रुप के साथ बैठने के लिए अच्छी सीटे मिल जाती है और जो देर से जहाज़ में दाखिल होते है, तो उन्हें जो बची हुई खाली सीट होती है उसी पर बैठना पडता है। ऐसे में अक्सर ग्रुप बिखर जाता है और हो सकता है कि आप को मजबूरन गैर मैहरम के बगल में जगह मिले।

हज के अय्याम में आम दिनों से ज़्यादा वक्त एअरपोर्ट पर सामान की चेकिंग और दुसरे कामों में लगता है इसलीए ३ से ४ घंटे पहले एअरपोर्ट पर पहुँच जाए और जल्द अज़ जल्द जहाज़ में सवार होने की कोशिश किजिए।

एयरपोर्ट पर दाख़िल होते ही पहले आप को ज़रे मुबादला मिलेगा। उसे आप हिफ़ाज़त से अपने हैंड बैग के अंदर वाली जेब में रख लें। ताकि अगर बार बार बैग खोलना हुआ तो पैसा गिरने या खो जाने का डर न हो।

ज़रे मुबादला मिलने के बाद आप के लगेज का सेक्युरिटी चेक होगा। फिर आप का सामान वज़न होगा, उसके बाद आप का सामान जहाज़ पर लोड होने चला जाऐगा और आप को जहाज़ पर सवार होने से पहले वेटिंग हॉल ;पजपदह भ्ंसस्द्ध में जाकर इंतेज़ार करने के लिऐ कहा जाऐगा। इस हॉल में आप पेशाब पाख़ाना से फ़ारिग़ होकर वुज़ु करलें। हज कमेटी की तरफ़ से नमाज़ पढ़ने का भी इंतेज़ाम किया जाता है। वक़्त हो तो नमाज़ भी पढ़ लें।

जहाज़ का सफ़र साढ़े चार से पाँच घंटे का होता है। जहाज़ में टॉयलेट (Toilet) तो है मगर नापाक होने का ख़तरा रहता है और वुज़ु का इंतेज़ाम भी नहीं, इस लिए पहले से ही तैयार रहें।

जब जहाज़ में सवार होने का ऐलान किया जाऐ तो सवारी की दुआ पढ़ते हुऐ जहाज़ में दाख़िल हों और जब जहाज़ रवाना हो तो ये दुआ पढ़ें :

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (سورہ ہود، آیت:۴۱)

''बिस्मिल्लाहि मज्रीहा व मुर्साहा। इन्ना रब्बी ल-गफ़ू-र्रहीम।''

तर्जुमा : जहाज़ों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है, बेशक मेरा रब बख़्श्ने वाला और रहम करने वाला है।

(सूरह हूद, आयतः ४१)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हज़रत अबू मुसा अशारी (रज़ी.) बयान करतें हैं कि रसुल अल्लाह (स) ने फरमायाः "हाज़ी अपने खानदान के ४०० आदमियों की शिफाअत करेगा। हाजी अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता हैं गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हैं।" (बज़ार)

हवाई सफ़र और मक्का मुकर्रमा में आमद

हवाई सफ़र साढ़े चार घंटे का है सफ़र के दौरान कोल्ड्रिंक, खाना और खुशबूदार काग़ज़ के रूमाल मिलेंगे। अगर आप ने सफ़र शुरू करने से पहले उम्रह की नीयत कर ली है, तो खुशबूदार मश्रूबात (Cold Drink), खुशबूदार रूमाल और खुशबूदार खाने से परहेज़ करें क्यों कि एहराम की हालत में खुशबू लगाना और खाना दोनों की मुमःनिअत है। अगर उम्रह की नियत न की हो तो शौक़ से खाऐं।

तीन घंटे सफ़र के बाद नीयत करने की तैयारी कीजिए। मीक़ात आने के पहले ही जहाज़ का अमला आप को ख़बर कर देगा। मिक़ात आने पर उम्रह की नीयत इस तरह करें :

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اُرِیْدُالْعُمْرَۃَ فَیَسِّرْهَالِیْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّیْ

"अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्र-त-फ-यस्सर-हाली व तकब्बल-हा मिन्नी।"

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! में उम्रह की नीयत करता हूँ/करती हूँ। इसे तू मेरे लिए आसान कर और क़बूल फ़र्मा।

नीयत के बाद मर्द बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन धीमी आवाज़ में तीन बार तल्बिया पढ़ें।

"लब्बैक अल्लहुम्मा लब्बैक।" لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ

हाज़िर हूँ मेरे मौला आपके हुजुर हाज़िर हूँ।

"लब्बैक ला शरी-क-ल-क-लब्बैक।" لَبَّیْکَ لَاشَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ

मैं हाज़िर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं मैं हाज़िर हूँ।

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ،

"इन्नल हम-दा वन्निअ्-मता लका वल मुल्क।"

सारी हम्द व सताईश के आप ही सज़ावार हैं। और सारी नेअ्मतें आप ही की हैं और सारी कायनात में हुकूमत भी आप ही की है।

"ला शरीका लक।" لَا شَرِیْکَ لَکَ

आप का कोई शरीक व सहीम नहीं।

नीयत करने और तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की सारी पाबंदियाँ आइद हो गईं। इस के बाद आप के लिए सब से अफ़ज़ल तस्बीह ज़िक्र तल्बिया ही है।

जो हवाई जहाज़ हाजियों को ले जाते है वह इस बात का ख़याल रखते हैं के मुसाफ़िरों को मिक़ात की ख़बर दें। मगर जो आम फ़्लाइट हैं उस में इस बात का ख़्याल नहीं रखा जाता कि मिक़ात की ख़बर करें। इस लिए अगर आप टूर से और आम फ़्लाइट से जा रहे हों तो एहतियात के तौर पर सफ़र के दो घंटे बाद ही नियत कर के तल्बिया पढ़ लें।

जिद्दा पहुँच कर जहाज़ से उतरने के बाद एक बस के ज़रिये आप को एयरपोर्ट की इमारत में ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट की इमारत में दाख़िल होने के बाद आप को तीन मरहलों से ग़ुज़रना है।

पहले मरहले में आप को एक जंगले से घिरे हुऐ हॉल में रूकाया जाएगा और आप के पासपोर्ट पर दाख़ले की मुहर लगेगी।

दुसरे मरहले में आप को बग़ल के दुसरे हॉल में जाकर अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा करना है और उस की सेक्यूरिटी जाँच करानी है। जाँच के बाद आप का सामान फिर ले लिया जाएगा और उसे बस अड्डे पर पहुँचा दिया जाएगा।

तीसरे मरहले में आप को क़रीब दो सौ मीटर दूर हिन्दुस्तान के बस अड्डे की तरफ जाना है। जिद्दा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और खोजाने का ख़तरा रहता है। इस लिए अपने साथियों के साथ रहें और बोर्ड देखते हुऐ और रास्ते में खड़े गाईड से पूछते हुऐ हिन्दुस्तान के बस अड्डे पर पहुँचें। इस काउंटर पर ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने, वुज़ु करने और नमाज़ पढ़ने की सहूलतें मुहय्या हैं। इस लिए ज़रूरियात से फ़ारिग़ होकर वुज़ु बना कर नमाज़ पढ़ लें। जो सामान आप से जाँच के बाद ले लिया गया था, कुली उसे यहाँ पहुँचा देते हैं। अब आप अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा कर लें और अपना पासपोर्ट काउंटर पर दिखायें।

(नोटः जो कुली आप का सामान बस डिपो तक पहुँचाने में आप की मदद करते है, उन का बिल्ला नम्बर ज़रूर नोट कर लें।)

यहाँ आप को ग्रुप बना कर मुअल्लिम के हवाले किया जाएगा। मुअल्लिम एक बस में जितने लोग सवार हो सकते हैं उतने लोगों को जमा करेंगे। उन का सामान एक ट्रॉली पर लाद कर बस तक ले जाऐंगे और बस में सवार कर देंगे। आप इस बात का ख़्याल रखें कि आप इसी बस में सवार हों जिस में आप का सामान लादा जाऐ। बस में सवार होते वक़्त मुअल्लिम आप से आप का पासपोर्ट ले लेंगे और मक्का शरीफ़ में आप के रिहाईशगाह पहुँच कर आप को आप का रिहाईशगाह कार्ड, अपना शिनाख़्ती कार्ड और प्लास्टिक पट्टा हाथ में पहनने के लिए देंगे।

एयरपोर्ट और बस में हर जगह तल्बिया का ज़िक्र जारी रखें। जब बस मक्का शरीफ़ की हद में दाख़िल हो, तो यह दुआ पढ़ेंः

"या अल्लाह यह आप का और आप के रसूल (स.) का हरम है। इसमें जानवरों को भी अमन है। ऐसे मोहतरम मुक़ाम की बरकत से आप मेरे गोश्त, खून और हड्डियों को आग पर हराम कर दे और मुझे अपने वलियों और अताअत गुज़ारों में शामिल फरमा।"

जब मक्का शहर पर पहली नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़ेंः

या अल्लाह मेरे लिऐ मक्का शहर में ठिकाना फ़रमा दे और हलाल रोज़ी दे,

या अल्लाह हम को मक्का मुकर्रमा में बरकत इनायत फ़रमा।

या अल्लाह इस शहर के मेवे हमें नसीब फ़रमा।

या अल्लाह अहले मक्का को हमारी नज़रों में मेहबुब बना दे।

या अल्लाह हमें भी अहले मक्का की नज़रों में मेहबूब बना दे।

बस आप को आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देगी। कुली आप का सामान बस से उतार कर आप के कमरे तक पहुँचा देंगे। सामान कमरा में रखकर कुछ खा पी लें। ज़रूरत हो तो कुछ देर आराम कर लें। जो रियाल आप को एयरपोर्ट पर मिले थे, उन्हें सूटकेस में हिफाज़त से रख दें। अपने साथ हरम में हरगिज़ न ले जाऐ। फिर उम्रह की तैयारी करें। मक्का मुकर्रमा पहुँच कर आप जितनी जल्दी उम्रह करेंगे उतना अफ़ज़ल है।

हज व रमज़ान के दिनों में हरम शरीफ में नमाज़ व नमाज़ के बाद तवाफ करने वालों का ज़बरदस्त हुजूम होता है जिस वजह से उम्रह के अरकान अदा करने में काफी परेशानी होती है। सुबह इश्राक के बाद दोपहर २ बजे से ४ बजे के बीच और रात में ईशा और खाने के बाद हरम शरीफ कुछ खाली होता है। लेहाज़ा इन दो वक़्तों में अगर आप उम्रह करें, तो कदरे आसानी होगी।

खाना-ए-काबा और मुताफ़ की तफ्सील

उम्रह कैसे करें ?

मस्जिदे हराम में दाख़ला :-

काबा शरीफ़ के चारों तरफ़ जो अज़ीमुश्शान इमारत बनी हुई है, इस को मस्जिदे हराम कहते हैं। इसमें सौ से ज़्यादा दरवाज़े हैं। हुज़ुर (स.) का घर मरवा से शुमाल मश्रिक़ की सिम्त था और हुज़ुर (स.) बाबुस्सलाम जो कि सफ़ा और मरवा के बीच है अक्सर इसी दरवाज़े से मस्जिदे हराम में दाख़िल हुआ करते थे। इस लिए अगर मुम्किन हो तो बाबुस्सलाम से दाखिल हों वरना किसी भी दरवाजे से दाख़िल हो सकते हैं। मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त दाहीना कदम मस्जिद में रखें और पढ़ें।

بِسْمِ اللّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ ۔ اَللّٰھُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ.

''बिस्मिल्लाही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्मफ तह-ली, अब्वा-ब-रह-म-तिका।''

तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाख़िल होता हुं और रसूलअल्लाह (स.) पर दरूद व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे! रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।

पहली नज़र और दुआ :-

काबा शरीफ़ पर पहली बार जब आप की नज़र पड़ेगी, तो पलक झपकने से पहले आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तआला उसे क़ुबुल फ़रमाऐंगे। इस लिऐ ये लम्हा बहुत अहम है इस लम्हा से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैज़याब होने के लिऐ पहले से ही तैयारी कर लें। मस्जिदे हराम में दाख़िल होते वक़्त नीची नज़रें रखें। फिर क़रीब दो सौ क़दम आगे बढ़ते जाऐं। इस दौरान आप को दो बार सीढियाँ उतरनी होगी। जब आप सेहन में पहुँचें तो रास्ते से एक तरफ़ हट कर खड़े हो जाऐं और नज़रें उठा कर अल्लाह के उस घर को देखें जिसकी तरफ़ रूख़ करके आप सारी उम्र सजदे करते रहे। ख़ाना काबा पर नज़र जमा दें, बग़ैर पलक झपके ये दुआ पढ़ें। "या अल्लाह इस के बाद, मैं जो भी ख़ैर की दुआ मांगूँ क़बूल फ़रमा"।

इस के बाद तीन मतर्बा ये दुआ पढ़ें। اَللّٰہُ اَکْبَرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

''अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाह।''

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मअ़बूद सिवाय अल्लाह के।

दुआ के बजाऐ आप तकबीर शरीफ़ भी पढ़ सकते हैं।

اَللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ، اَللّٰہُ اَکْبَرُ، وَلِلّٰہِ الْحَمْدُ.

''अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, व लिल्लाहिल हम्द।''

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मअ़बूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है और तमाम तअ़रीफें सिर्फ़ अल्लाह के लिऐ हैं।

इस के बाद दरूद शरीफ़ पढ़िये फिर दिल भर कर दुआऐं मांगिये। ये ग़नी का दरबार है। मांगने वाला मांगते मांगते थक जाऐगा। मगर देने वाला देते देते न थकेगा। अपने लिऐ, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिऐ, दोस्त अहबाब के लिऐ, उम्मते मुस्लिमा के लिऐ, अपने मुल्क के लिऐ और हर एक के लिऐ सुकून से रो रो कर दुआ मांगें।

तवाफे उम्रहः-

उम्रह के दो फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ आप एहराम पहन कर पूरा कर चुके, अब दुसरा फ़र्ज़ (तवाफ़) अदा करना है। तवाफ़ हज्रे अस्वद से शुरू होगा हज्रे अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हज्रे अस्वद काबा शरीफ़ के मश्रिक़ी कोने पर लगा हुआ जन्नत का एक पत्थर है। जिस के चारों तरफ़ चाँदी का फ्रेम बना हुआ है। तवाफ़ हज्रे अस्वद को छु कर और बोसा देकर शुरू करना होता है। मगर लोगों के हुजूम की वजह से यह नामुम्किन है। इस लिए हम मुम्किन और आसान तरीक़े से उम्रह करने का तरीक़ा बयान करेंगे।

तवाफ हज्रे अस्वद को नज़दीक से या दूर से बोसा ले कर शुरू किया जाता है। मगर हज्रे अस्वद की सीध का अंदाज़ करने के लिए मश्रिक की तरफ मताफ में दीवार पर और अतराफ की मस्जिदे हरम में छत (Terrace) पर खम्बों पर हरे रंग की ट्यूब लाईट लगा दी गई है। इन्ही निशान से आप हज्रे अस्वद की सीध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप का तवाफ़ इसी निशान से शुरू होगा और इन्हीं पर ख़त्म होगा।

पहली नज़र की दुआ के बाद आप हिज्रे अस्वद की सीध में आ जाऐं। वहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों के मुख़ालिफ़ सिम्त चलने के बजाऐ तवाफ़ करने वालों में शामिल हो जाऐं और इन के साथ चलते चलते हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के दरम्यान में पहुँचें।

इज़्तबा की हालत में खुला हुवा सीधे हाथ का कंधा

रमल : एक तवाफ़ पूरा करने के लिए ख़ाना ए काबा के गिर्द सात चक्कर लगाने होते हैं और दो रकअ़त नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना होता है। उम्रह के तवाफ़ और हज के तवाफ़े ज़ियारत में पहले तीन चक्करों में मर्दों को पहलवानों की तरह शान से अकड़ कर, छोटे छोटे कदम रख कर तेज़ी से चलना होता है। इसे रमल कहते हैं। और रमल करते वक़्त सीधा हाथ का कंधा खुला रखते हैं, इसे इज़्तबा कहते हैं। इज़्तबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बग़ल से निकल कर बाऐं हाथ के कंधे पर डाल लेते हैं। रमल इस तवाफ में होता है जिसके बाद सई करनी होती है और नफ़्ली तवाफ़ में न रमल नहीं है। मगर जब भी आप एहराम पहन कर तवाफ करे इज़्तबा करना सुन्नत है। हाँ नमाज़ पढ़ते वक़्त दोनों कांधे ढांक लें।

तवाफ़ का पहला चक्कर :-

- लोगों के हुजूम के साथ जब आप तवाफ़ करते करते हज्रे अस्वद तक पहुँचें तो हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध और दरम्यान से आधा फिट पहले रूक जाऐं और हज्रे अस्वद की तरफ रूख कर के तवाफ की नीयत इस तरह करें।

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ طَوَافَ بَیْتِکَ الْحَرَامِ ، سَبْعَۃَ اَشْوَاطٍ لِلّٰہِ تَعَالٰی ، فَیَسِّرْہُ لِیْ ، وَتَقَبَّلْہُ مِنِّیْ.

''अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदू तवाफा बैति-कल हराम, सब-अता अश्वतिन लिल्लाहि तआला, फ-यस्सर ली, व तकब्बल-हु मिन्नी।''

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! में आप के इस हुर्मत वाले घर का तवाफ़ आप की रज़ा और खुश्नूदी के लिए कर रहा हूँ। आप इस को मेरे लिऐ आसान करें और क़बुल फ़रमाऐं।

हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में आधा फिट पहले हज्रे अस्वद की तरफ रूख़ कर के नियत करें।

नीयत करने के बाद आप दाहिनी तरफ़ इतना हटें के हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के बिल्कुल दरम्यान सीध में आ जाऐं। इस के बाद मुंदर्जाज़ैल तकबीर पढ़ते हुऐ कानों तक इस तरह हाथ उठाऐं जिस तरह नमाज़ में उठाते हैं।

بِسۡمِ اللّٰہِ، اللّٰہُ اَکۡبَرُ، وَلِلّٰہِ الۡحَمۡد

''बिस्मिल्लाहि, अल्लाहु अक्बर, व लिल्लाहिल हम्द।''

तर्जुमा : शुरू करता हुं अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिऐ हैं।

हज्रे अस्वद के बिल्कुल सामने आकर और हज्रे अस्वद की तरफ रूख़ कर के कानों तक हाथ उठा कर तकबीर कहें।

तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ दें फिर हज्रे अस्वद की सिम्त में दोनों हथेलियाँ कंधों की ऊँचाई तक इस तरह फैलाऐं के गोया आप हज्रे अस्वद को छूने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसे चूम लें। यह अमल हज्रे अस्वद को बोसा देने के बराबर है और इसे इस्तेलाम कहते हैं।

तकबीर पढ़ने के बाद हाथ छोड़ दें। हज्रे अस्वद की तरफ हाथ फ़ैला कर उसे चूम लें और तवाफ़ शुरू करें।

खाने काबा की तरफ सीना करके तवाफ करना मकरूह है और पीठ करके तवाफ करना मकरूए तहरीमी है। इन दोनों हालतों में आप जितनी दूरी तय करेंगे वह तवाफ में शुमार नहीं होगा इतनी दूरी आपको फिर से तय करना है इसलिए हज्रे अस्वद के इस्तेलाम के बाद फौजीयों की तरह बिल्कुल जगह पर घुमकर अपना रूख़ तवाफ करने के सिम्त में कर लिजीए और तवाफ शुरू कीजीए। (सीना और चेहरा खाना-ए-काबा की तरफ करके एक कदम भी मत चलिए।)

हजरे अस्वद के इस्तेलाम के बाद बिल्कुल जगह पर घूम कर अपना रूख़ तवाफ़ करने की सिम्त में कर लीजिए और तवाफ शुरू कीजिए

हज की तमाम किताबों में हर तवाफ के लिए लंबी लंबी दुआएं लिखी हुई है। यह सब बुज़ुर्गाने दीन का तरीका है, नबी करीम (स.) से साबित नहीं है। हुज़ूर(स.) से सिर्फ निचे दी गई दुआएं साबित है।

१. रूक्ने यमानी पहुँचकर :

اَللّٰھُمَّ اِنِّی اَعُوذُبِکَ مِنَ الۡکُفۡرِ وَالۡفَاقَۃِ وَمَوَاقِفِ الۡخِزۡیِ فِی الدُّنۡیَا وَالۡاٰخِرَۃِ

''अल्लाहुम्मा इन्नी अ-ऊज़ु-बिका मिनल कुफ़्री वल फा-क-ती व मवा-क़्फ़िल खिज़्यी फिद-दुन्या वल आखिराह।''

तर्जुमा : ए अल्लाह मैं पनाह चाहता कुफ्र से और फाके से और दीन व आखीरत की रूसवाई से।

२. रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरम्यान:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّفِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (سورۃ البقرۃ)

''रब्बिना आतिना फिद दुन्या ह-स-नतंव व फिल आखि-रती ह-स-नतंव व किना अज़ाबन्नार।''

तर्जुमा : ऐ हमारे रब! हमे दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा और आख़िरत में भी और हमको दोज़ख़ के अज़ाब से बचा ले। (सूरह बकराह)

३. तवाफ के दौरान

اَللّٰھُمَّ اِنِّی اَسۡئَلُکَ الرَّاحَۃَ عِنۡدَ الۡمَوۡتِ وَالۡعَفۡوَ عِنۡدَ الۡحِسَابِ.

''अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलु-कर्रा-हता इन्दल मौति वल अफ-वा इन्दल हिसाब।''

तर्जुमा : ऐ अल्लाह में तुझसे सवाल करता हूँ मौत के वक़्त राहत और हिसाब के वक्त आफियत का।

तवाफ करते वक़्त किसी आयत या दुआ़ का पढ़ना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए जो भी याद हो पढ़ सकते है। मगर जो भी दुआ़ पढ़े समझकर और बगैर किताब देखे पढ़ें। दुआ़ ही असर रखती है जो समझकर दिल से की जाए।

तवाफ करते वक़्त देखकर दुआ पढ़ने से दुसरों को तकलीफ होती है इसलिए सफरे हज से पहले दुआए याद करले फिर दौराने तवाफ पढ़े।

हमेशा नबी करीम(स.) से साबित दुआ़ओं को तर्जिह दें। क्योंकि सुन्नत पर अमल हमेशा सबसे ज़्यादा नफ़ा देता है।

अगर आपके लिए किताबों में लिखी गई दुआएं याद करना और पढ़ना मुश्किल है, तो हर चक्कर के शुरू से यानि हज्रे अस्वद से रूक्ने यमानी तक जो कुर्आन शरीफ की आयतें याद हों तो उसे पढ़े या तीसरा कलमा पढ़ेः

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ، وَلَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ، وَاللّٰہُ
اَکۡبَرُ وَلَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الۡعَلِیِّ الۡعَظِیۡمِ.

''सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि, व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला हिल अलिय्यिल अज़ीम।''

तर्जुमा : अल्लाह तआला पाक हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिऐ हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं। अल्लाह तआला सब से बड़े हैं और गुनाहों से बचने की ताक़त और इबादत की तरफ़ राग़िब होने की क़ुव्वत अल्लाह ही की तरफ़ से मिलती है।

और रूकुने यमानी से हज्रे अस्वद तक अपनी मादरी ज़बान में दुआए माँगे।

तवाफ़ करते हुऐ काबा शरीफ़ की तरफ़ मुँह करना मकरूह है और पीठ करना मकरूहे तहरीमी है जो कि हराम के दर्जा में आता है। इस लिए तवाफ़ करते हुऐ सीधे चलें और निगाहें चलने की जगह पर रखें।

तवाफ़ का दुसरा चक्कर :

रूक्ने यमानी से दुआ पढ़ते हुए जब आप हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में पहुँचें तो हज्रे अस्वद की तरफ़ अपना रूख और सीना करके इसी तरह इस्तेलाम कीजिए जैसे; पहले चक्कर के वक़्त किया था यानि हथेलियों को हज्रे अस्वद की तरफ़ दिखाकर तकबीर कहते हुऐ चूम लें।

तकबीर :

بِسْمِ اللّٰہِ، اللّٰہُ اَکبَرُ، وِلِلّٰہِ الْحَمْد

''बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।''

इसके बाद अपनी जगह पर ही बगैर एक भी कदम आगे बढ़ाए अपना रूख तवाफ की सिम्त करें और तवाफ शुरू करें।

पहले ज़माने में तवाफ करने वाले लोग बहुत कम थे इसलिए हर कोई हज्रे अस्वद को चूम सकता था। तवाफ के दरम्यान सिर्फ हज्रे अस्वद को चूमते वक्त सीना काबे की तरफ करने की इजाज़त है, दौराने तवाफ नहीं। मगर अब ५० से १०० फिट दूर से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करना होता है और शदीद भीड में अंदाज़ा गलत हुआ तो हज्रे अस्वद की सीध से कुछ आगे बढ़ने का भी अन्देशा होता है। इसलिए एहतीयात के लिए कुछ उल्मा कहते है कि अगर आप बगैर सीना घुमाए सिर्फ अपना चेहरा हज्रे अस्वद की तरफ करके इस्तिलाम करे तो यह गलतियों से बचने का बेहतरीन तरीक़ा होगा।

ख़ाना काबा की तरफ़ बग़ैर सीना घुमाए सिर्फ अपने चेहरे का रूख़ करें और इस्तेलाम करें।

इस्तिलाम के बाद पहले की तरह रूकुन यमानी तक तीसरा कल्मा पढ़ीये और रूकुन यमानी से हज्रे अस्वद के दरम्यान दुआ़। इसी तरह सातों चक्कर पूरे कीजीए।

हाथ में सात दानों वाली तस्बीह रखिये और हर चक्कर पर एक दाना कम करते रहिये और चक्करों का शुमार करते रहिये। सातवाँ चक्कर पूरा होने पर हज्रे अस्वद का तकबीर पढ़ते हुऐ इस्तेलाम किजीये। (यह आप का आठवाँ इस्तिलाम था) और दाहीना कांधा जो अब तक खुला था ढाँप लें और मुक़ाम इब्राहीम के पीछे आजाऐं। इस तरफ़ ख़ाना ए काबा का दरवाज़ा भी है। फिर तवाफ़ करने वालों के लिऐ जगह छोड़ कर दो रकअ़त नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ की नीयत से पढ़ें। इतना अमल करने से आप का तवाफ़ पूरा हुआ और उम्रह का दुसरा फ़र्ज़ भी।

ज़मज़म का पानी पीना :

दो रकअ़त वाजिबुत्तवाफ़ नमाज़ पढ़कर आप खूब सैर होकर पानी पीयें। पानी खड़े होकर क़िब्ला रूख़ होकर बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियें और पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़ें।

اَلّٰھُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقًاوَاسِعًا وَ شِفاءًمِنْ کُلّ دَاء.

''अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका इल्मन नाफिआ, व रिज़्कंव वासिअन व शिफा अम मिन कुल्लि दा इन।''

तर्जुमा : ''ऐ अल्लाह! मुझे नफ़ा वाला इल्म दे, रिज़्क़ में वुस्अत और फ़राख़ी दे और हर बिमारी से शिफ़ा अता फ़र्मा''

हज़रत जाबिर (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया। ''आबे ज़म ज़म इस के लिए है जिस के लिए उस को पिया जाऐ।'' (इब्ने माजा) यानि पीने वाला जिस नीयत से भी पीता है अल्लाह तआ़ला उसकी वह नीयत पूरी फ़रमाते हैं।

ज़म ज़म का पानी पीने के बाद फिर हज्रे अस्वद और हरी ट्यूब लाइट के दरम्यान और सीध में आ जाऐं और एक बार फिर हज्रे अस्वद का तकबीर कहते हुऐ इस्तेलाम कीजिये। यह आप का नवाँ इस्तिलाम था। इस्तेलाम के बाद आप हरी ट्यूब लाइट की तरफ और ख़ाना ए काबा से दूर चलते चलते जाऐं, इस तरह आप सफ़ा पर पहुँच जाऐंगे। तवाफ पुरा करने के बाद खाने काबा की तरफ पीठ करना जायज़ है उसमें कोई कराहियत नहीं है।

सफ़ा और मरवा की सई :

सफ़ा और मरवा पहले दो पहाड़ियाँ थीं। अब सिर्फ़ थोड़ी सी ऊँचाई है। हुकूमत ने सफ़ा, मरवा और सई की सारी जगहों को हरम की इमारत में शामिल कर लिया है। पहले सफ़ा और मरवा के बीच बाज़ार हुआ करता था और हाजी धूप और बाज़ार की भीड़ भाड़ में सई करते थे। अब सारी इमारत एयर कंडीशन है और फ़र्श पर संगे मरमर लगा हुआ है।

सफ़ा पर पहुँच कर ख़ाना काबा की तरफ़ रूख़ करके सई की नीयत इस तरह करें।

اَلّٰھُمَّ اِنّی اُرِیْدُ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَۃَ سَبْعَۃَ
اَشْوَاطٍ لِوَجْھِکَ الْکَرِیمِ، فَیَسِّرْہُ لِی وَتَقَبَّلْہُ مِنّی

''अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस सअ-या बैनस सफा वल मर्वता सब-अता अश्वतिल लि-वज-हि-कल करीम, फ-यस्सिर हु ली व तकब्बल हु मिन्नी।''

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं सफ़ा और मरवा के दरम्यान सात चक्करों से सई करना चाहता हूँ, महज़ तेरी ज़ाते बुजुर्ग की रज़ा के लिए, बस मेरे लिए सई करना आसान फ़रमा और क़ुबूल फ़रमा।

नीयत करते वक़्त हाथ दुआ़ की तरह उठाऐं। नमाज़ की तकबीर की तरह न उठाऐं।

सफ़ा, मरवा और सई की जगहें वह मुक़ाम हैं जहाँ दुआ़ ज़रूर क़ुबूल होती है इस लिए सई के दौरान और सई पूरी कर के जब भी आप सफ़ा और मरवा पर रूकें तो खूब दुआऐं मांगें।

सफ़ा और मरवा पर जब भी रूकें, तो तीन बार चौथा कल्मा और एक बार तीसरा कल्मा पढ़ें और सई के दौरान ज़्यादा चौथे कल्मे का विर्द करें। यह आसान इबादत का तरीक़ा है। वैसे सफ़ा मरवा की सातों सई की अलग अलग दुआऐं हैं, जिन्हें आप हज की किताब से देख कर याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।

हज़रत हाजरा (रज़ी.) सफ़ा और मरवा के दरम्यान जो वादी थी वहाँ से दौड़ कर गुज़रती थीं क्योंकि हज़रत इस्माईल (अलै.) जो कि ख़ाना काबा शरीफ़ के पास थे नज़रों से ओझल हो जाते थे। उनकी यह सुन्नत आज भी अदा

की जाती है। हुकूमत ने दो हरे रंग के सुतून और ट्यूब लाईट निशान के तौर पर लगा दिये हैं इन्हें मिलीन अख़ज़रीन कहते हैं। इन के दरम्यान मर्दों को हल्के से दौड़ना होता है। औरतें अपनी रफ़्तार से ही चलेंगी।

सफ़ा से चल कर मरवा तक पहुँचना यह एक का एक चक्कर हुआ। फिर मरवा से चल कर सफा तक पहुँचना यह दूसरी सई का दूसरा चक्कर हुआ। इस तरह आप सई के सात चक्कर पूरे करेंगे और सातवीं सई आप की मरवा पर ख़त्म होगी।

सई करने की जगह बहुत महदूद है इस लिए हज के खास दिनों में यहाँ लोगों का ज़बरदस्त हुजूम होता है और तवाफ से ज़्यादा वक्त सई में लगता है। ऐसी हालत में अगर पहले मंज़िले या छत पर सई करें तो बहुत आसानी होगी।

सई पूरी कर के दो रकअ़त नमाज़ शुक्राने की पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब या ज़रूरी नहीं है।

दो रकअ़त नमाज़ पढ़ कर मरवा की तरफ़ के दरवाज़े से बाहर निकल जाऐं। अब आप को उम्रह का आख़री रूकून अदा करना है, वह है सिर के बाल कतरवाना या मुंडवाना। मरवा के बाहर दर्जनों हज्जामों की दुकानें हैं। किसी भी दुकान में जाकर सिर मुंडवा दीजिऐ। औरतें अपने चौथाई सिर का अपनी ऊंगली के एक पौर बाल काटें। वह लोग जो उम्रह के सारे अरकान पूरे कर चूके हैं और सिर्फ बाल काटना बाक़ी हैं, वह अपने खुद के भी बाल काट सकते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों के भी बाल काट सकते हैं। जिन का सिर्फ बाल काटने का सिर्फ आख़िरी रूक्न बाकी है, औरतों का सिर्फ अपने शौहर और महरम मर्द (जिन से किसी भी सूरत में निकाह नहीं हो सकता) से बाल कटवाना जाइज़ है। ग़ैर महरम से बाल कटवाने पर गुनाह होगा।

मरवाह के नज़दीक़ हज्जाम की दुकान पर सिर मुंडवाने का हुजूम होता है। वक्त की क़िल्लत और लोगों की भीड़ की वजह से उनके पास बालों को देर तक नम करने का वक़्त नहीं होता है और वह बड़ी तेजी से सिर मुंडतें हैं। तेजी से काम करने की उनकी आदत सी हो गई है इसलीए सिर मुंडाते वक़्त बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए जब आप अपने रिहायीश से हरम की तरफ जाए तो रास्ते ही में हज्जाम की दुकान देख लीजिए और उम्रह कर के रिहाईश पर आते वक़्त अपनी रिहाईश के नज़दीक के हज्जाम से सिर मुंडवाइये।
सिर मुंडाते ही एहराम की सारी पाबंदियाँ आप पर से ख़त्म हो गईं और अल्हम्दुलिल्लाह आप का उम्रह पूरा हुआ। अब घर जाकर नहा धोकर अपने रोज़ मर्रह के कपड़े पहन लीजिऐ।

जो लोग मक्का शरीफ़ के रहने वाले हैं उन के लिए हरम में नफ़िल नमाज़ पढ़ना बेहतर इबादत है। मगर जो मक्का शरीफ़ से दूर रहते हैं उन के लिए हरम में नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ से ज़्यादा अफ़ज़ल है क्योंकि नफ़िल नमाज़ वह अपने वतन जाकर भी पढ़ सकते हैं मगर तवाफ़ का मौक़ा और कहीं नहीं मिलेगा। इस लिए जब तक मक्का मुकर्रमा में हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करने की कोशिश करें और सारी नमाज़ हरम शरीफ़ में बाजमाअत अदा करें।

हरम शरीफ की हुदूद ने १५ मुकामात दुआ की कबुलियत के हैं। इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआए माँगे।

मक्का शरीफ में १५ मुकामात ऐसे हैं जहाँ दुआऐं ज़रूर कुबूल होती हैं:

(१) मुताफ (जहाँ तवाफ किया जाता है), (२) मुल्तज़िम (खाना-ए-काबा की चौखट), (३) मीज़ाबे रहमत के नीचे (खना-ए-काबा की छत का परनाला), (४) हतीम, (५) खाना-ए-काबा के अंदर, (६) ज़म ज़म के कुंऐं के करीब, (७) मकामे इब्राहीम के पीछे, (८) हज्रे अस्वद और रूक्ने यमानी के दरमियान, (९) हज्रे अस्वद के करीब, (१०) सफा, (११) मरवा, (१२) सफा व मरवा के दरमियान सई की जगह खुसूसन दोनों सब्ज़ सुतूनों के दरमियान, (१३) अरफात, (१४) मुज्दल्फा, (१५) मिना में छोटे और दरमियानी शैतान के नज़दीक।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

४० हदीसे याद करने की फज़ीलत

हज़रत अबु दर्दा (रजी.) फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह (स.) से पुछा गयाः इल्म की कौनसी मिकदार और हज हैं जिस तक पहुँचने से आदमी "फकी" यानी आलीम हो जाता है? (और आखिरत में उल्मा के जमरान में शुमार होने की सआदत हासिल कर लेता हैं) तो रसुल(स.) ने इर्शाद फरमायाः "जो शख़्स मेरी उम्मत के नफे के लिए दीनी उमूर से मुतअल्लिक़ चालीस (४०) हदीसें याद करेगा, अल्लाह तआला (आखिरत में) इसको फकीह बनाकर उठाएगा, और मैं उसके लिए कयामत के दिन शिफाअत करने वाला और उसकी नेकी व भलाई पर गवाही देने वाला हूंगा।" (बेहकी)

इस किताब में ४० से ज़्यादा हदीसें हैं। हज के मालूमात के साथ अगर आप हदीसे भी गौर से पढ़ें और याद करलें तो इंशा अल्लाह कयामत में आपका शुमार आलीमों में होगा।

पैदल चलने की फ़ज़ीलत

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी.) ने बिमारी की हालत में अपनी औलाद के सामने बयान किया, मैंने रसूल अल्लाह (स.) से सुना हैं जिसने मक्का मुअज़्ज़मा से पैदल हज किया उसके हर कदम पर ७०० नेंकिया लिखी जाती हैं यहाँ तक की मक्का वापस आजायें और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होती हैं। इब्ने अब्बास (रज़ी) से इनकी औलाद ने पूछा हरम की नेकी क्या हैं?फरमाया हर नेकी एक लाख नेकियों के बराबर हैं। (इब्ने खज़िमा)

मतलब यह हैं की हाजी अपने मकान से तो सवारी कर जायें लेकिन मक्का पहुँचकर मिना और अरफात पैदल जाएं और वापस मक्का मुअज़्ज़मा भी पैदल ही आएं।

इस हिसाब से ७०० नेकियां, ७०० करोड़ नेकियों के बराबर होंगी और हर-हर कदम पर यह सवाब हैं तो सारे हज के सवाब का क्या अंदाज़ा हो सकता हैं।

हज़रत इब्नें अब्बास (रजी.) फरमाते हैं कि अंबियाए किराम (अ.) का मामुल पैदल हज का था। (इन्खाफ)

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) ने इन्तेकाल के वक्त अपनी औलाद को वसीयत फरमायीं कि पैदल हज किया करों।

नबी करीम (स.) उम्मत के लिए हमेशा आसान तरीका पसंद फरमाया है अपने आख़री हज के मौके पर आप (स.) ने देखा कि एक बूढ़ा दो लोगों के सहारें पैदल चल रहा हैं। पूछने पर पता चला कि उसने पैदल हज करने की नज़र मानी है इसलिए मजबूरन चल रहा हैं। तो आप (स.) ने इसे सवार हो जाने के लिए कहा।

इस लिए पैदल चलना बहुत अफ़ज़ल हैं मगर अपनी कुव्वत और इस्तकामत को देखतें हुए मुशक्कत उठाएं।

अय्यामे हज के ख़ास ६ दिन

हज की किताबों में १३ जिल्हिज्जा के मिना के कयाम के अमल को इतना सरसरी तौर से और इस तरह बयान किया जाता हैं जैसे वह कोई नफिल अमल है या हज का एक ज़ाईद अमल है, जिसका करना और न करना हाजी की मर्जी पर मुनहसर है। १०, ११, और १२ तारीख को रात मिना में गुज़ारना वाजिब अमल है, जिस के न करने पर दम देना होगा और १३ तारीख के लिए रहिम व करीम रब ने छूट दी है कि अगर किसी मज़बूरी से कोई मिना से चला जाएं तो गुनाह नहीं है। (सुरह बकरा) मगर वह मुअल्लिमे इन्सानियत (नबी करीम स.) जिस ने खुद हज करके हमें हज करने का तरीका सीखाया है, उन्होंनें १२ तारीख के शॉर्ट कट का रास्ता नहीं सीखाया। बल्कि आप(स.) खुद और आप (स.) के साथ तकरिबन सवा लाख सहाबे कराम में १३ तारीख का दिन भी मिना में ज़िक्र व अज़्कार में गुजारा और रमी जुमार के बाद मिना से मक्का मुकर्रमा के लिए कुच किया। तो १३ तारीख का मिना में कयाम, यह नबी करीम(स.) और आप (स.) के साथ सवा लाख सहाबा की सुन्नत है और हमें भी इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

हरम शरीफ़, मिना, मुज़्दल्फ़ा और अरफ़ात का क़रीबी नक्शा

हज कैसे करे?

८ ज़िल्हिज्जा का दिनः-

८ ज़िल्हिज्जा से १३ ज़िल्हिज्जा हज के अय्याम है। इन्हीं दिनों में इस्लाम का अहम रूक्न हज मुकम्मल होता है।

नया अग्रेंजी दिन या तारीख, रात के बारह बजे से शुरू होता है। मगर इस्लामी दिन या तारीख सूरज डूबते ही शुरू हो जाता है। इसलिए ७ ज़िल्हिज्जा गुज़रकर जो शाम होगी वह ८ ज़िल्हिज्जा की रात होगी। यानि हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे।

७ ज़िल्हिज्जा के दिन ही अच्छी तरह साफ हो जाएं। नाखून तराश लें। मुछें छोटी करवा लें। नापाक बाल साफ करले। सुन्नत के मुताबीक एहराम की नीयत से गुसल कर ले, तो अफज़ल है वरना वुजु भी कर सकते है। अगर पसीने में बदबू की शिकायत है, तो खुशबू लगा लें। मगर इतनी कम लगाएं कि एहराम की चादर पर इतर का दाग न लगें। इसके बाद एहराम की चादर पहन लें। (एहराम पहनने के पहले खुशबू लगाना सुन्नत है और बाद में मना है।)

अगर आप के पास वक्त है, तो एहराम पहनकर हरम शरीफ तशरीफ ले जाए और अगर आप के लिए मुनकिन हो तो तवाफे तहिया करें। (ये तवाफ फर्ज़ या वाजिब नहीं है। इस तवाफ में इस्तेबा और रमल भी नहीं है।)

नफ़िल तवाफ करके सिर ढ़ाक कर दो रकअत वाजिबे तवाफ पढें अगर भीड़ हो या कमजोरी कि वजह से नफ़िल तवाफ करने का इरादा न हो तो मकरू वक़्त कि निगरानी करके अव्वल दो रकात तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़े, इसके बाद सिर खोलकर एहराम की (हज की) नीयत कर ले और तल्बिया पढ़े।

अगर आपके साथ कमज़ोर, ज़ईफ और औरते है और १० वी ज़िल्हिज्जा "योमुलखर" के दिन तवाफे ज़ियारत में सफा-मरवा की सई करने में ज़्यादा भीड़ के ख़्याल से पहले ही ८ ज़िल्हिज्जा को सई कर लेना चाहते है, तो इस की भी इजाज़त है।

ऐसी सूरत में मगरिब की नमाज़ से पहले यानी ७ तारीख के दिन ही एहराम वगैरा पहन लें, और हज की नीयत करलें। सूरज डूबने के बाद यानी ८ तारीख शुरू होते ही मगरिब की नमाज़ के बाद तवाफ करने की कोशिश करें। तवाफ के पहले इज़्तेबा करें और तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल करें। फिर तवाफ के सातों चक्कर के बाद २ रकुअ़त तवाफ ए वाजिब अदा करें। इसके बाद सफा-मरवा की सई करें। सई के बाद बाल न तराशें न सिर मुंडायें। फिर अपनी आसानी के मुताबिक मिना रवाना हो जाएं। इस तरह पहले ही तवाफ और सई करने की वजह से हज के आखरी रूक्न तवाफे ज़ियारत में आपको तवाफ करना काफी होगा, सई की ज़रूरत न होगी।

(नोटः एहराम की चादर पहनने के पहले या बाद में और उम्रह और हज की नीयत करने के पहले या बाद में दो रकअ़त नफिल नमाज़ पढ़ना या नफिल तवाफ करना वाजिब या फर्ज़ नहीं हैं।)

सूरज निकलने के बाद मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होना सुन्नत है मगर लोगों की भीड़ कि वजह से मुअ़ल्लिम हाजियों को रात ही से मिना ले जाना शुरू कर देते है। अगर वह आप को रात ही को ले जाना चाहें, तो आप को उनके साथ चले जाना चाहिए। इसमें आपके लिए आसानी है।

अपने मुअल्लिम से आप बस की रवानगी का वक़्त पता करले और वक़्त इजाज़त दे, तो एहराम पहन कर हरम शरीफ जाऐ। अगर वक़्त इजाज़त न दे तो अपने कमरे में ही एहराम पहन कर दो रकअत नफिल नमाज़ पढ़ कर हज कि नीयत करे और तल्बिया पढ़ ले। तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की तमाम पाबंदियाँ लाज़िम हो जाएगी।

नीयत इस तरह करें

اَللّٰهُمَّ اِنِّی اُرِیْدُالحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّی

''अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा-फ-यस्सर-हू-ली व तकब्बल-हु मिन्नी।''

तर्जुमाः या अल्लाह में आप की रज़ा हासिल करने के लिए हज की नीयत कर रहा हूँ आप इसे मेरे लिए आसान फरमाईए और कबुल फरमाईए।

नीयत करके तलबीया पढ़े।

لَبَّیْکَ اَللّٰهُمَّ لَبَّیْکَ

''लब्बैक अल्लहुम्मा लब्बैक।''

हाज़िर हूँ मेरे मौला आपके हुज़ूर हाज़िर हूँ ।

لَبَّیْکَ لاشَرِیْکَ لَکَ لَبَّیْکَ

''लब्बैक ला शरी-क-ल-क-लब्बैक।''

मैं हाज़िर हूँ आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ।

اِنَّ الْحَمْدَوَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ

''इन्नल हम-दा वन्निअ्-मता लका वल मुल्क।''

सारी हम्द व सताईश के आपही सज़ावार है और सारी नेअमतें आप ही की है और सारी कायनात में हुकूमत भी आप की ही है।

لا شَرِیْکَ لَکَ

''ला शरीका लक।''............ आपका कोई शरीक नहीं।

तल्बिया एक बार पढ़ना फर्ज़ है और तीन बार पढ़ना सुन्नत है। तल्बिया पढ़ते ही आप मोहरीम हो गये और एहराम की सारी पाबंदिया आप पर लाज़िम हो गई।

मक्का मुर्करमा से मिना रवाना होने से पहले आप अपना मिना के लिए शिनाख्ती कार्ड, खैमे का पता और हो सके, तो मिना का नक्शा भी मुअल्लिम से ले ले, और मुअल्लिम की बस से मिना के लिए रवाना हो जाए।

हज की कोई किताब साथ रखे और एक बार "एहराम की हालत में ममनु काम" को सरसरी नज़र से पढ़ें। मिना के क़याम का मक़सद यह है कि बंदा दुनिया से कटकर यकसु होकर अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारें। मगर लोग इस मिना के कयाम और यक्सुई का इस्तेमाल दुसरी तरह से करते है। इनका सारा वक़्त बहस मुबाहिसा, गपशप और तफरीह में गुज़रता है। इसलीए आप किताबे, तसबीह वगैरा साथ रखें ताकि अल्लाह की इबादत और इल्म हासिल करने में आपके वक़्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो।

मिना में आपको खरीद कर खाना खाना है, कुर्बानी करनी है और हो सकता है टैक्सी से मिना से अरफात का सफर तय करना पड़े। इसलिए बस इतनी रकम साथ ले लिजीए की ज़रूरत पूरी हो जाए। सारी रक़म साथ ले कर मिना और अरफात का सफर करना सही नहीं है। बकिया रक़म को मुअल्लिम या मदरसे सौलतिया में जमा करा कर रसीद ले ले।

अगर आप ने आठ ज़िल्हिज्जा के पहले खुद कुर्बानगाह जाकर कुर्बानी के

बारे में मालूमात हासिल कर ली है, तो फिर १० ज़िल्हिज्जा को खुद जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकते है और अगर आपने हज के अय्याम से पहले मालुमात हासिल नहीं की है, तो फिर मदरसा सौलतिया से या बँक के ज़रिए ही कुर्बानी कीजिए। वरना आप परेशान हो जाऐंगे इसलिए मिना रवाना होने से पहले किसी एक जगह पर कुर्बानी का पैसा जमा करा दे।

अगर मदरसे सौलतिया में आप पैसा जमा कराते हैं, तो उनसे वक़्त भी मालूम करले कि किस वक़्त वह आपके लिए कुर्बानी करेंगे। उसी वक़्त के मुताबिक फिर आपको सिर मुंडवाना आसान होगा। हनफि मसलक के मुताबिक अरकान की तरतीब लाज़मी है। यानि पहले रमी जुमार फिर कुर्बानी फिर कसर। अगर अरकान आगे पिछे हो गए तो दम लाज़िम होगा।

मक्का मुकर्रमा से मिना को रवानगी के वक़्त ख़ाना ख़ाने की प्लेट, ग्लास, एहराम के अतिरिक्त चादरे, शाल, हवाई तकिया, मिसवाक, आपकी दवाऐं और ज़रूरी सामान साथ ले ले।

मिना में खैमा में कालीन बिछा हुआ होगा। इसलिए बिस्तर की ज़रूरत नहीं है। खाना ख़रीदकर ख़ाना है। टॉयलेट का अच्छा इतेंज़ाम है इसलिए बाल्टी वगैरह की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप जितना कम सामान ले कर सफर करेंगे उतनी आसानी में रहेंगे।

मिना रवाना होने से पहले मक्का मुकर्रमा में अपना सारा कींमती सामान अपने बैग में लॉक कर दे, और बहुत कम और ज़रूरी सामान लेकर ही मिना को रवाना हो। अपना पहचान कार्ड और कलाई बंद भी अपने साथ रखे।

तल्बिया पढ़ते हुए मिना को रवाना हो। मिना में खैमे में पहुँचकर मर्दो को जमा करे और सलाह व मश्विरे से खैमा के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरतो को एक तरफ कर दे और मर्द एक तरफ हो जाऐं और हर एक आराम से सोने की जगह इन्साफ से आपस में बांट लें।

अगर खैमा दूर हो, तो मस्जिदे खैफ तक पाँचों नमाज़ों के लिए आना जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलीए खैमें में दो इमाम और दो मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर ले।(दो इसलिए मुकर्रर करें कि अगर गैर हाज़िर हो तो दुसरा नमाज़ पढ़ा सके।)

मिना में आठ ज़िल्हिजा के दिन, ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और ६ ज़िल्हिजा कि फज्र पढ़ना सुन्नत है। आप मिना और मुज़्दल्फा, मक्का मुकर्रमा शहर में दाखिल है। इसलिए हज के अय्याम को मिलाकर अगर किसी का कुल कयाम १५ दिनों से ज़्यादा होगा तो वह मुकामी होगा और उसे पूरी नमाज़े पढ़नी होगी इस तरह अब ज़्यादातर लोग मुकामी ही होते है। इसलीए ईमान को मुकामी हज़रात में से मुन्तखिब कर ले ताकि मुकामी हज़रात को नमाज़ पढ़ने में आसानी हो।

अल्लाह तआला का हुक्म हैः ''और (कयामें मिना के) दिनों में (जो) गिनती के (चंद दिन ही है) अल्लाह को याद करो।'' (सुरेः बकरा)

इसलिए मिना के क़याम में पूरी कोशिश करे, कि आपका सारा वक़्त अल्लाह की इबादत में गुज़रे। हज की नीयत करने से लेकर बड़े शैतान को कंकरी मारने तक हाजी के लिए सबसे अफज़ल तसबीह तल्बिया कहना है इसलिए कसरत से इसका विर्द करे।

हरम शरीफ की हुदूद में १५ मुकामात दुआ़ की कबूलियत के है। इसलिए इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआ़एं माँगें।

६ ज़िल्हिज्जा का दिनः-

नबी करीम (स.) ने ६ ज़िल्हिज्जा को मिना में ही फ़ज्र की नमाज़ अदा की थी और तुलूअ़े अफताब के बाद अरफात की तरफ कूच किया था। मगर मौजूदा ज़माने में चूँकि ३० लाख से भी ज़्यादा लोग हज के अरकान एक साथ अदा करते है इसलिए लोगों की भीड की वज़ह से हज के अरकान अदा करते वक़्त कई मसाईल पैदा हो जाते है और हाजियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

हाजियों की आसानी और भीड़ को कम करने के लिए और मुअल्लिम ८ ज़िल्हिज्जा की रात को ही हाजियों को बससे अरफात ले जाते है।

किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। मुअल्लिम का रात ही में हाजियों को अरफात में ले जाने का मकसद सिर्फ हाजियों को इस तकलीफ से बचाना है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक न होने के बावजूद भी ये जायज़ है और सुबह के पहले हाजियों का अरफात पहुँचने में कोई मुज़ाइका नहीं है। सुबह के वक़्त अफरातफरी का माहोल होगा। सुबह को बस छूट गई तो फिर ११ या १२ बजे दुसरी बस मिलेगी और अगर नहीं मिली तो तनहा अरफात जाना, मुअल्लिम के खैमे से दूर रहने, खाने व पीने का खुद इंतजाम करना वगैरा काफी मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करके मुअल्लिम के बस से ही अरफात पहुँचे। मुअल्लिम आपको अपने खैमे में ठहराएगा अरफात के खैमे मिना के खैमों की तरह बेहतरीन तो नहीं होते मगर ज़मीन पर एक दरी और सिर पर एक चादर ज़रूर होती है। यहाँ आप अपने खैमे के लोगों के साथ जमाअ़त बनाकर नमाज़ पढ़ सकते है, थोडी देर लेट कर आराम कर सकते है। दोपहर का ख़ाना मुअल्लिम की तरफ से होगा इसलिए आप इत्मिनान से सिर्फ इबादत पर तवज्जा दे सकते है। खैमे के करीब गुसुलखाने और टॉयलेट भी जरूर होते है इसलिए आप को ज़रूरीयात से फारिग़ होने में आसानी होगी। वापसी के लिए बस भी खैमे के पास से ही रवाना होगी।

वकुफे अरफाः-

हुज़ुर (स.) ने फरमायाः "हज अरफात में ठहरने का नाम है।"(जामे तिरमीजी, हदीस ८८६)। तो यही अरफात का क़याम और इसमें की जाने वाली इबादत ही असल हज है। अपने हज को मबरूर बनाने के लिए इन क़ीमती लम्हात को ग़नीमत जानिए और दिल की गहराईयों से अपने माबुद-ए-हकीकी की इबादत किजीए।

नबी करीम (स.) ने ज़वाल के बाद खुत्बा दिया था और ज़ोहर और अस्र की नमाज़े एक अज़ान और दो तकबीरों से कसर करके अदा फरमाई थी और इसके बाद गुरूबे आफताब तक अल्लाह के हुज़ूर में खड़े होकर दुआ़ वज़ारी ने मसरूफ रहें।

हम में इतनी ताकत नहीं कि नबी करीम (स.) की तरह इबादत कर सके मगर जितना मुमकिन हो नमाज़ के बाद किब्ला रूख होकर रो रो कर अपने रहीम व करीम रब से दुआऐं और गिरया विज़ारी करनी चाहीए।

हूज़ुर (स.), हज के अय्याम में मुसाफिर थे इसलिए आप कसर नमाज़ अदा करते थे। मस्जिदे हरम में आप मुकामी लोगों को पूरी नमाज़े पढ़ने की तलक़ीन करते मगर अरफात में जब मुकामी लोगोनें मुकामी होने के बावजुद कसर नमाज़ पढ़ी तो आपने मना नहीं किया। इसलिए मालिकी और हम्बली मसलक में अरफा के दिन सारी नमाज़ें कस्र पढ़ने का हुक्म है। मगर हनफी मसलक में सिर्फ मुसाफिर ही कसर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुकामी को अपनी नमाज़ पूरी पढ़नी होगी। इसलिए अगर आप मस्जिद से दूर अपने खैमे में हैं और आप मुकामी है (कसर लाज़िम नहीं है) तो फिर हनफी वक्त के मुताबीक ज़ोहर के वक़्त अज़ान देकर जमात से पूरी ज़ोहर पढ़े और अस्र के वक्त अज़ान देकर जमात से पूरी अस्र पढ़े।

वकुफे अरफात का वक़्त अरफात के दिन ज़वाल-ए-अफताब के वक़्त से शुरू हो जाता है। नमाज़ से फारिग़ होकर वकुफ-ए-अरफा में मसरूफ हो जाए। मुमकिन हो सके तो किब्ला रूख खड़े होकर मगरिब तक वकुफ करें और अगर पूरे वक़्त खड़े रहना मुम्किन न हो, तो बैठना और लेटना भी जायज़ है।

यह वक़्त दुआओं, मनाजात, तौबा व इस्तग़फ़ार की कबुलियत का है। ऐसा मोहतरम वक़्त और ऐसी मुक़द्दस जगह बस खुशनसीबी से मिलती है और पता नहीं जिंदगी में दोबारा इस बारगाहे रहमत में हाज़िरी का मौका नसीब होता है या नहीं। इसलिए हर लम्हा को ग़नीमत जानिए और हर दुआ को दिल से माँगिये।

अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं। अल्लाह तआला उन्हें सारे गुनाहों से बचाए रखता है। नबी करीम (स.) ने अरफात में गुरूब-ए-अफताब तक रो रोकर जो दुआएं मांगी, इसमें ज्यादा हिस्सा इस उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए था। इस शफीक नबी (स.) पर अगर हम दरूद न भेजे तो कैसी एहसान फरामोशी होगी इसलिए हुज़ूर (स.) पर बेईन्तिहा दरूद भेजे।

हूज़ूर पाक (स.) और उनसे पहले जितने अम्बिया गुज़रें हैं उन्होंने चौथे कलमें को दुआ का दर्जा दिया और कसरत से इसी का विर्द किया। इसलिए वकुफ़-ए-अरफा में सौ बार इस कलमें का ज़रूर विर्द करें।

अस्र का वक़्त ख़ास दुआ की कबुलीयत का है। अल्लाह तआला आपसे आप की रग जान से भी ज़्यादा क़रीब है और आपके दिल की धड़कन को सुन रहा है। अपने लिए दुआऐं माँगे, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदेन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वतन के लिए और इस उम्मतें मुस्लिमा के लिए। हर एक के लिए निहायत आजीज़ी व इन्कसारी के साथ दुआऐं माँगे।

हमने मक्का मुकर्रमा से मिना और मिना से बस से सफर करने की सलाह इसलिए दी थी कि दोनों जगह खुद से मुअल्लिम का खैमा ढूंढ़ना एक मुश्किल काम है और अरफात पैदल न जाने की एक वजह यह है कि दिन भर की इबादत के लिए आप तरो ताज़ा रहें। मगर वकुफ़-ए-अरफा के बाद आप बस से सफ़र करने में परेशानी होगी और पैदल चलने में सहुलत और आसानी है।

अस्र का वक़्त जो कि खास दुआ का वक्त है, बहुत सारे लोग इबादत तर्क करके बस की सवारी के लिए चल पडेंगे और कुछ ही देर में बस छतों के ऊपर तक भर जाएगी। यह उनकी बड़ी महरूमी होगी।

आप दुनिया से गाफिल हो कर अपनी इबादतो, दुआओं और गिरया विज़ारी में मसरूफ रहे और गुरूब-ए-अफताब के बाद ही बगैर मबरीब पढ़े अरफात से रवाना हो।

मुज़्दल्फा के लिए रवानगीः-

पैदल चलने वाले और बसे सब गुरूब-ए-अफताब के बाद एक साथ अरफात से रवाना होंगे। मगर इन्शा अल्लाह आप पैदल चलकर ईशा के वक़्त या इससे पहले मुज़्दलफा की हुदूद में दाखिल हो जायेंगे और बसें कभी कभी ईशा तक अरफात ही में खड़ी रह जाती हैं और मुज़्दलफा पहुँचते पहुँचते सुबह के चार बज जाते है।

इसलिए आप अपनी इबादात खत्म करके इत्मिनान से मुज़्दलफा की तरफ पैदल सफर किजिए। इस किताब में मक्का मुकर्रमा, मिना, मुज़्दलफा और अरफात का नक्शा है, इसे भी समझ लीजिए, इसमें आप देखेंगें कि पैदल चलने के दो रास्तें अरफात से निकल कर मुज़्दलफा में शारूल हराम मस्जिद की तरफ जाते है। इस रास्ते पर मुज़्दलफा में बहुत भीड़ होती है। इसलिए हो सके तो रास्ता बदलकर मुज़्दलफा में दाखील हों।

अरफात और मिना के दरम्यान मशरिक की जानिब एक ३ मील का मैदान है, इसको मुज़्दलफा कहते है। इस मैदान की आख़िरी हद पर एक पहाड़ है जिसे मशअरूल हराम कहते है। इसी का ज़िक्र क़ुरआन शरीफ में आया है। नबी करीम(स.) मशरूल हराम के पास कयाम फरमाया था। मगर सारे मुज़्दलफा के मैदान में कही भी मौकुफ किया जा सकता है।

मुज़्दलफा में रात के कयाम के लिए कोई खैमा वगैरह नहीं है। रात खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठकर गुज़ारी जाती है। वैसे तो जगह जगह मुज़्दलफा में टॉयलेट है, फिर भी आप जहाँ ठहरें, हो सकता है टॉयलेट वहाँ से दूर हो। इसलिए अरफात के दिन अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखें ताकि ज़रूरियात से फारिग़ होने के लिए आप मुज़्दलफा में बेचैन न हो जाए। और कुछ ज़्यादा पानी साथ रखें कि कभी टीले के पीछें ज़रूरियात से फारिग़ होना हो तो पानी की क़िल्लत न हो।

मुज़्दलफा अगर आप ईशा से पहले भी पहुँच जाएं तब भी ईशा कि नमाज़ के वक़्त तक इंतजार करें और ईशा के वक़्त एक अज़ान और एक तकबीर से पहले मग़रिब की फर्ज़ नमाज़ पढ़े, फिर ईशा की फर्ज़ नमाज़ पढ़ें फिर मग़रिब की सुन्नत व नफिल पढ़ें। फिर ईशा की सुन्नत, वितर और नफिल पढ़ें।

मुज़्दलफा की यह रात हाजियों के लिए शब-ए-कदर से ज्यादा अफज़ल है। अल्लाह तआला क़ुरआन मजीद में फरमाता हैः

فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ
وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۹۸)

''फ-इज़ा अफज़-तुम मिन अ-र-फातिन फज़ कुरूल्लाहा इन्दल मश्अरिल हराम, वज़ कुरूहु कमा हदाकुम, व इन कुन्तुम मिन कब्लिही ल-मिनज़्ज़ाल्लीन।''

''फिर जब अरफात से चलो तो मशअरूल हराम (मुज़्दलफा) के पास ठहर कर अल्लाह को याद करों और इस तरह याद करों जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है। वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे।''

(सुरेः बकरा-आयत १६८)

नबी करीम (स़.) उम्मत के लिए आसानी चाहते थे। इसलिए आपने इस रात आराम फरमाया था। इसलिए अगर आप थक कर चूर हों, तो घंटा दो घंटा आराम कर लें। फिर ताज़ा दम हो कर इबादत में मश्गूल हो जाएं। सोने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, यह रात खुशनसीबों को मयस्सर होती है, इसकि कदर करें। इसी रात के आख़िरी पहर में जब नबी करीम(स़.) ने ज़ालिम और मज़लूम वाली अपनी दुआ दोहराई जो अरफात में कबूल होने से रह गई थी वह मुज़्दलफा में कबूल हो गई। तो यह मुकाम और यह रात दुआओं कि कबूलियत की रात है। यहाँ पर भी मालिक-ए-कायनात से अपने एहल व आयाल, अपने वालिदेन और उम्मते मुस्लिमा के लिए बखशिस और सेहत व करम की दुआएं माँगे।

सुबह सादिक के वक़्त हुकूमत की जानिब से तौप का गोला दागा जाता है। ताकि सारे हाजी हज़रात फज़्र की नमाज़ सही वक्त पर अदा कर सके। तो आप गोले की आवाज़ के बाद अज़ान दे कर जमात से फज़्र की नमाज़ अदा करें और तुलू अफताब से कुछ पहले तक दुआ व अज़्कार में मसरूफ रहें। सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर मुज़दल्फा में वकुफ करना वाजिब है।

रमी जुमार के लिए मिना से भी कंकरी चुनी जा सकती है। मगर आप वहाँ हर जगह पक्की सड़क और क्रांक्रिट का फर्श ही पाएंगे। इसलिए मुज़्दलफा से ही ७० से ही कुछ ज्यादा कंकरीया चुन ले। अगर नापाकी का ड़र हो, तो धो ले वरना धोना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।

सूरज निकलने से कुछ पहले मिना कि तरफ कूच करें। आप मुज़्दलफा कि हुदूद में है तभी सूरज तुलू हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मुज़्दलफा से मिना में अपना खैमा तलाश करते वक़्त अक्सर व बेश्तर लोग रास्ता भूल जाते है। इसलिए मिना में अपने खैमे के करीब सूतून का नंबर हमेशा याद रखें और अगर आप मिना में अपने खैमे के करीब से गुज़रने वाले पुल का नाम याद रखें, तो आपको अपना खैमा तलाश करने में बड़ी आसानी होगी। वरना

सारे खैमे एक जैसे लगते है और लोग घंटो दर बदर भटकते रहते है।

मुज़्दलफा और मिना के दरम्यान एक वादी है जिसे 'वादी-ए-महसर' (नया नाम 'वादी-ए-निहार') कहते है। इस जगह अस्हाब-ए-फिल पर आज़ाब नाज़िल हुआ था। हुकूमत ने इस जगह को खारदार तारों से घेर दिया है और पैदल चलने वाले हाजियो को दूर रखने के लिए पुलिस का पहरा भी होता है। इसलिए अगर इसके करीब से गुज़रना पड़ा तो दौड़कर गुज़रें।

१० ज़िल्हज्जा का दिनः-

आज ईद उल अज़्हा का दिन है। सारी दुनिया ईद की नमाज़ पढ़ेगी। मगर हाजी के लिए ईद की नमाज़ के बजाय कुछ और हुक्म है। आज उसे चार अहम काम करने है।

१. रमी जमार, २. कुर्बानी, ३. हलक, ४. तवाफ-ए-ज़ियारत

पहले तीन काम तो वाजिब है जबके चौथा फर्ज़ है।

रमी जमारः-

मुज़्दलफा से रमी जमार के लिए सीधे न जाए क्योंकि अब सऊदी पुलिस वाले सामान लेकर रमी जमार के रास्ते पर ही चलने नहीं देते है। इसलिए पहले मिना में अपने खैमे पर आ जाए, ज़रूरियात से फारिग़ हो जाए, आराम कर लें। आज रमी जमार का अफज़ल वक़्त इशराक से ज़वाल तक है। इस अफज़ल वक़्त में रमी के लिए लोगों की बहुत भीड़ होती है। इसलिए सब्र से काम ले और ज़ोहर बाद जाएं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों के लिए रमी का अलग अलग वक़्त तय किया है। मुअल्लिम से पता करलें कि हिन्दुस्तानी हाजियों के लिए कौनसा वक़्त तय है। फिर इसी वक़्त रमी करें। शदीद भीड़ का मसला २००६ इसवी तक था। इसके बाद सऊदी हुकूमत ने जमरात के मुकाम पर कई मन्ज़लात पुल बना दिए है कि अफज़ल वक़्त में सारे हाजी रमी कर सके। इसलिए मिना में मुअल्लिम से हालात दरयाफ्त कर लें और इसे सलाह मश्विरा के बाद ही जुमरात की तरफ जाएं।

आज के दिन सिर्फ जुमरा उकबा (बड़े शैतान) को कंकरिया मारनी है। कंकरी मारने से पहले तल्बिया पढ़ना बंद कर दे। एक एक करके सात कंकरिया मारे और हर कंकरी मारते वक़्त पढ़े।

بِسۡمِ اللّٰہِ اَللّٰہُ اَکۡبَرُ رَغۡماً لِّشَّیۡطَانِ وَرِضًی الرَّحۡمَانِ

''बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर, रग-मश्शैतानि व रज़ियर्रमान।''

तर्जुरमाः मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है। कंकरी मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

किसी भी जम्रह को चारों तरफ से कंकरी मारना जायज़ है। १० ज़िलहिज्जा को नबी करीम (स.) ने जम्रह उक्बा को जब कंकरीया मारी थी, उस वक़्त आपकी दाहनी जानिब मिना और बाऐं जानिब मक्का मुकर्रमा (बैतुल्ला) था। इसलिए इस तरह कंकरी मारना सुन्नत है।(मुअल्लिमुल हज्जाजः१७०)

कंकरी मारने की जगह उस जमरात के सुतून या दीवार की बुनियाद है। इसलिए ऐसे कंकरीया मारे जैसे आप किसी हौज़ में कंकरीया फेंक रहें हैं। दीवार या सुतुन को इतने ज़ोर से न मारे कि कंकरीया टकराकर अहाते से बाहर जा गिरें। अगर ऐसा हुआ तो वह गिनी नहीं जाएगी। इसके बदले आपको फिर एक कंकरी मारनी है वरना दम लाज़िम होगा।

कुर्बानीः-

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में अरकाने हज के बारे में फरमाता हैः

وَيَذۡكُرُوا اسۡمَ اللّٰهِ فِيۡۤ اَيَّامٍ مَّعۡلُوۡمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمۡ مِّنۡۢ بَهِيۡمَةِ الۡاَنۡعَامِ‌ ۚ فَكُلُوۡا مِنۡهَا وَاَطۡعِمُوا الۡبَآئِسَ الۡفَقِيۡرَ ﴿۲۸﴾ ثُمَّ لۡيَقۡضُوۡا تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوۡفُوۡا نُذُوۡرَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُوۡا بِالۡبَيۡتِ الۡعَتِيۡقِ ﴿۲۹﴾ (سورہ حج، آیت:۲۸،۲۹)

''व यज़-कुरूस्मल्लाहि फी अय्यामिम मअ-लूमातिन अला मा र-ज़-कहुम मिम बही-मतिल अन्आम, फकुलू मिन्हा व अत-इमुल बाइसल फकीर। सुम्मल यक्ज़ू त-फ-सहुम वल यूफू नुज़ू रहुम वल यत्तव्वफू बिल बैतिल अतीक।''

''इन मुकर्ररा दिनों में (हज के अय्याम में) अल्लाह का नाम याद करें (अल्लाहु अकबर कहते हुए कुर्बानी करें) इन चौपाहों पर जो पालतु है। फिर आप भी खाए और भूखे फकीरों को भी ख़िलाएं। फिर वह अपना मैल कुचैल दूर करें (सिर मुंड़वाए) और अपनी नज़्रे पूरी करें और अल्लाह के क़दीम घर का तवाफ करें (तवाफ-ए-ज़ियारत करें)।'' (सुरह अल हज : २८-२६)

अल्लाह तआला कुर्बानी के बारे में फरमाता हैः ''अल्लाह तआला को कुर्बानीयों का गोश्त नहीं पहुँचता न उनका खून। बल्कि उसे तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है'' (सुरेह अल हज ३७)

नबी करीम (स.) ने तुलुअे आफताब के बाद रमी जमार किया था। उसके बाद खुत्बा दिया था। इसके बाद अकेले सात ऊंटों को कुर्बान किया था। और हजरत अली (रज़ी.) के साथ ५६ ऊंट। इसके बाद हज़रत अली (रज़ी.) ने अकेले ३७ ऊंट कुर्बान किए,(इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए) कुर्बानी के बाद सिर मुंडवाया था। फिर ज़वाल से पहले मक्का मुकर्रमा में तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो गए और तवाफे ज़ियारत अदा करके रात गुज़ारने फिर मिना वापस आ गए तो अरकान अदा करने का यह सुन्नत तरीका है।

कुर्बानी के अरकान, यह इस अज़ीम कुर्बानी की यादें है, जो हज़रत इब्राहिम (अ.स.) ने अपने बेटे की अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करके दी थी।

इन्तेहाई खुलूस के साथ कुर्बानगाह जाकर खुद कुर्बानी करें। या बँक या मदरसे सौलतिया के ज़रीए कुर्बानी करें। फिर दिल में यह मज़बूत इरादा रखें कि बकिया ज़िंदगी में भी इसी तरह अल्लाह की राह में अपनी दौलत, वक़्त और नफ्स की, खुशी की कुर्बानी देते रहेंगे।

हलक (सिर मुंड़वाना) और तवाफे ज़ियारतः-

अब दो अरकान बचे हैं, हलक करवाना और तवाफे ज़ियारत।

मस्ज़िदे हराम में अगर बाहर के सहन को भी शामिल कर ले तो दस लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते है।

मुताफ में एक ही वक़्त में अंदाजन २० से २५ हज़ार लोग तवाफ कर सकते है।

जब लोगों कि भीड़ कम हो, तो एक तवाफ में आधा घंटे से ज़्यादा वक़्त लगता है और शदीद भीड़ के वक़्त एक घंटे से ज़्यादा वक़्त दरकार है।

अगर १० लाख हाजी जो मस्जिदे हराम में मौजूद है। एक के बाद एक (२५ हज़ार के ग्रुप में) तवाफ करना चाहे तो सारे नमाज़ियों को तवाफे ज़ियारत करने के लिए तकरीबन २० घंटो से ज़्यादा वक़्त लगेगा।

अगर हम मुकामी लोगों को शामिल किया जाए, तो हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते है। अगर एक के बाद एक (२५ हज़ार के ग्रुप में) यह सब हाजी तवाफे ज़ियारत करे तो कम अज़ कम २ दिन दरकार है। इसलिए हाजियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से सुन्नत तरीके से और अफज़ल वक़्त पर अरकान अदा करना अब मुम्किन ही नहीं रहा। नबी करीम (स.) ने आसान तरीका (अगर ग़लत न हो तो) पसंद फरमाया।

इसलिए खुद भी आसान रास्ता इख्तेयार कीजिए और दुसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए।

मेरी बहन कनीज़ फातमा ने सन २००६ इस्वी में हज किया था। १० ज़िल्हिज्जा के अस्र के वक़्त जब वह मस्जिदे हराम पहुँची, तो पुलिस ने सारे मस्जिदे हराम के अतराफ घेरा ड़ाल रखा था, और किसी को अंदर दाखिल होने नहीं दिया। क्योंकि मस्जिदे हराम हाजियों से भरी हुई थी और अंदर मज़ीद हाजियों कि गुंजाईश नहीं थी। वह ईशा तक इंतज़ार करती रही और मजबूरन खाली हाथ मिना लौट गई और दुसरे दिन ११ ज़िल्हिज्जा तवाफे ज़ियारत किया।

अगर पुलिस आपको न भी रोके और आप किसी तरह अंदर दाख़िल हो जाए तो भी इतनी शदीद भीड़ में आप को और दुसरे हाजियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उल्मा और वह लोग जो बार बार हज कर चुके हैं, यह मश्विरा देते है कि आप ११ ज़िल्हीज्जा को मग़रिब मिना में पढ़कर मक्का मुकर्रमा के लिए पैदल रवाना हों, तो इशा की जमाअत आपको मस्जिदे हराम में मिल जाएगी। बाहर सहन में नमाज़ पढ़े नमाज़ के बाद खाना खा ले। कुछ देर आराम करके फिर तवाफ़-ए-ज़ियारत और सई करे और फिर इत्मिनान से रात ही को मिना लौट जाएं। इस तरह अरकान अदा करने से काफी आसानी होगी और अरकान भी अच्छी तरह अदा होगे।

अगर आप सौलतिया मदरसे के ज़रिए कुर्बानी करेंगे तो हाजियों कि तादात ज़्यादा होने की वजह से वह आपको कुर्बानी का वक़्त, १० तारीख की शाम या ११ तारीख का कोई वक़्त बताएंगे। आप उस वक़्त तक इंतज़ार कीजिए और फिर इस से भी १ या २ घंटा देरी से हलक़ करवा ले (मुंड़वा ले)। एहराम उतारकर रोजमर्राह के कपड़ें पहन लें। वक़्त पर नमाज़ पढ़े और अपनी आसानी के मुताबिक तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो। तो कुर्बानी के वक़्त के मुताबिक भी अगर आप हलक करेंगे, तो तवाफे ज़ियारत के लिए आप को ११ ज़िल्हिज्जा तक इंतज़ार करना ही होगा। इसलिए सब्र के साथ एहराम पहने रहे और सुकून व इत्मिनान और सहूलत के साथ अरकान अदा करें।

तवाफे ज़ियारत का अफज़ल वक़्त तो १० वी ज़िल्हिज्जा है। मगर इसे १२ वी तारीख के आफताब गुरूब होने से पहले तक कर सकते है। अगर १२ वी तारीख गुज़र गई और तवाफे ज़ियारत नहीं किया तो ताखीर की वजह से दम वाजिब होगा, मगर फर्ज़ अदा हो जाएगा। चुँकि तवाफे ज़ियारत हज का एक फर्ज़ रूक्न है। इसलिए जब तक तवाफे ज़ियारत न कर ले हज पूरा न होगा। एहराम की एक पाबंदी आप पर आयद रहेगी यानी आप अपनी बीवी से अज़वाजी तालुकात कायम नहीं कर सकते। १२ तारीख गुज़र गई तो दम लाज़िम होगा मगर आप फिर उसे कभी भी कर सकते है। जैसे नफिल नमाज़ पढ़ने की नीयत करने के बाद अगर आप नीयत तोड़ दें, तो फिर उसका अदा करना आप पर वाज़िब हो जाता है इसी तरह हज की नीयत करके अगर आप उसे अधूरा छोड़ेंगे तो उसका दौहराना आप पर फर्ज़ ही रहेगा। इसलिए अगर आप का तवाफे ज़ियारत छूट गया तो ज़िंदगी भर इसका अदा करने का फर्ज़ आप पर बाकि रहेगा और अज्दवाजी ज़िंदगी पर पाबंदी भी।

इस तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल भी है। एहराम की चादरे जिस्म पर न होने की वज़ह से इस्तबा नहीं है।

अगर आप ने ८ ज़िल्हिज्जा को एहराम बाँधने के बाद नफिल तवाफ किया है जिस में रमल इज़्तबा और सई कर ली है तो फिर तवाफे ज़ियारत में दोबारा सई करने की ज़रूरत नहीं है और आपका तवाफ भी बगैर रमल होगा। क्योंकि जिस तवाफ के बाद सई होती है रमल इसी में किया जाता है।

शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना और सिर मुँड़वाना यह तरतीब सुन्नत है और ज़रूरी है। अगर यह रूक्न आगे पीछे हो गए तो हनफी मसलक के मुताबिक दम लाज़िम होगा।

हम्बली मसलक (सऊदी उल्मा) और इमाम गज़ाली(रह.) के मुताबीक अगर मजबूरी में अरकान आगे पीछे हो गए तो दम लाज़िम नहीं होगा।

(अहया-उल-उलूम उर्दु जिल्द अव्वल सफा ४०८)

अगर किसी वजह से तवाफे ज़ियारत के बाद सई १२ तारीख के गुरूबे आफताब तक जो के अफज़ल वक़्त है न कर सके तो ज़िल्हिज्जा महीने के आखिर तक कर सकते हैं। ताखैर (देरी) की वजह से दम लाज़िम ना होगा। मगर शर्त यह है कि तवाफ और सई के दरमियान हज का रूक्न अदा ना किया जाए। अगर कोई दूसरा रूक्न अदा करेगा तो सई से पहले एक तवाफ करना वाजिब होगा।

११ और १२ ज़िल्हिज्जाः-

तवाफे ज़ियारत में आप को चाहे जितना वक़्त लग जाए मगर रात गुज़ारने आप को मिना ही लौटकर आना है। मक्का शरीफ मे अपनी कयामगाह पर आप रात नहीं गुज़ार सकते।

रात मिना में गुज़ारे, पाँचों वक्त नमाजे पढ़े।

यह अय्याम तशरीक के दिन है, इस मे कसरत से तकबीर कहना मसनून है।

जुमरात को कंकरिया मारना भी अल्लाह का जिक्र करना है। ज़वाल के बाद कंकरीया मारना अफज़ल है मगर सहूलत के मुताबिक लोगों की भीड़ का ख़्याल रखकर रमी जुमार के लिए जाए। पहले छोटे शैतान फिर दरम्यानी शैतान और फिर बड़े शैतान को कंकरी मारे। छोटे और दरम्यानी शैतान पर रमी के बाद नबी करीम (स.) ने किब्ला रूख हो कर इतनी देर तक दुआएं माँगी थी कि कोई उतने देर में सुरेः बकरा (सवा दो पारा) पढ़ सकता है। इसी सुन्नत के मुताबिक आप भी दुआओं का एहतेमाम करें। बड़े शैतान पर रमी के बाद दुआएं न माँगे।

हज की इबादत, इब्राहीम (अ.स) के ज़माने से है। आम इन्सानों के अलावा हजारों वलियों और सेंकड़ों पैगम्बरों ने हज किया है। हर एक ने मिना में कयाम किया होगा और हर एक ने मस्जिदे खैफ में नमाज़ पढ़ी होगी। मिना के क़याम में वक़्त फारिग़ करके इस मुबारक मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर आप भी रूहानी फैज़ हासिल करने की कोशिश करें।

१३ ज़िल्हिज्जाः-

जुमा के दिन मस्जिदो को देखकर बड़ी खुशी होती है। मगर यह खुशी आरज़ी होती है। जहाँ इमाम ने सलाम फेरा कि लोग दुम दबाकर ऐसा भागते है कि अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। चंद मिनटों में दरवाज़ें के बाहर तक लबालब भरी हुई मस्जिदे आधी से ज़्यादा खाली हो जाती है।

ऐसा ही मामला १२ ज़िल्हिज्जा की शाम को मिना में होगा। वह लोग जो अफज़ल औकात में अरकान सही तरीके से करने के लिए टुटें पडते थें १२ तारीख कि शाम को अपना बोरीया बिस्तर लपेटकर मिना से गायब हो जाएंगें। क्योंकि १३ तारीख को मिना में रूक्ना वाजिब नहीं है। ''बस सुन्नत ही तो है।''

नबी करीम(स.) ने हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों को बार बार फरमाया कि,''लोगो! मुझ से हज सीख लो, हो सकता है यह मेरा आखरी हज हो।'' आप (स.) ने खुद ऐसा तरीका उम्मत के सामने पेश किया जो आसान था। मिसाल के तौर पर आप (स.) ने सहाबा (रज़ी.) से फरमाया कि अगर कुर्बानी के जानवर साथ नहीं है, तो उम्रह के बाद एहराम उतार दे और हाजे तमत्तओं करें। आप (स.)ने नमाज़े कसर करके पढ़ी। आप (स.) ने

(बाकी पेज 66 पर)

हज्जे बदल

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि से रिवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआ़ला ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फ़र्ज़ हुआ कि वह बिल्कुल बूढ़े हो गये, सवारी पर ठहर नहीं सकते तो मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ, आप (ﷺ) ने फर्माया, ''हां'' (बुखारी,मुस्लिम)

हज़रत लुक़ीत बिन आमिर (रज़ी.) से रिवायत है कि वह नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुऐ और अर्ज़ किया कि ''या रसूलुल्लाह'' मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं, ना हज सकते हैं ना उम्रह और ना चलने और सवार हाने की कुव्वत है। आप (ﷺ) ने फर्माया तुम अपने बाप की तरफ से हज व उम्रह कर लो (अबु दाउद,तिर्मिज़ी)

हजे बदल के माअ़ने हैं किसी दुसरे की तरफ से नफ़िले हज या उम्रह करने के लिए कोई शर्त नहीं है। सिर्फ़ हज करने वाले में अहलियत यानि इस्लाम और अ़क्ल व तमीज़ का होना काफ़ी है। अलबत्ता किसी दुसरे शख़्स से फ़र्ज़ हजे बदल कराने के लिए (२०) शर्तें हैं।

इन शराइत को जानने से पहले यह याद रखें कि हज कराने वाले को आ़मिर(हुक्म करने वाला) कहते हैं और जो दुसरे के हुक्म से हजे बदल करता है उसको मामूर (हुक्म के मुताबिक़ काम करने वाला) कहते हैं।

२० शर्तें ये हैं:-

१) जो शख़्स अपना हज कराये उस पर हज फ़र्ज़ हो।

२) हज फ़र्ज़ होने के बाद ख़ुद हज करने से आ़जिज़ या मजबूर हो गया हो।

३) मरते वक़्त तक आ़जिज़ी रहा हो।

४) आमिर और मामूर दोनों मुसलमान हों।

५) आमिर और मामूर दोनों आ़क़िल हों।

६) मामूर को इतनी तमीज़ हो कि हज के अफ़आ़ल समझता हो। अगर औ़रत मर्द की तरफ़ से हज बदल करे तो जायज़ है मगर मर्द से हज कराना अफ़ज़ल है और अपना हज ऐसे शख़्स से हज कराना अफ़ज़ल है जो आ़लिम बा अ़मल हो,मसाइल से वाक़िफ़ हो और अपना हज अदा कर चुका हो।

७) अगर अपनी ज़िन्दगी में हजे बदल कराये तो दूसरे शख़्स को अपनी तरफ से हज करने का हुक्म देना और अगर वसीयत कर के मर गया तो वारिस का हुक्म देना शर्त है। अगर मय्यत ने वसीयत नहीं की लेकिन वारिस या किसी अजनबी शख़्स ने उस की तरफ से ख़ुद हज किया या किसी दूसरे शख़्स से करवाया तो इन्शसस अल्लाह तआ़ला उस मय्यत का फ़र्ज़ अदा हो जायेगा और उस सूरत में आगे आने वाली कोई शर्त लाज़िम नहीं होगी।

८) सफ़र में सारा माल या उस का अकस़र हिस्सा हज कराने वाले के माल से ख़र्च होना। अगर मामूर ने अपने रूपये से हज किया और बाद में आमिर के माल से वसूल कर लिया तो आमिर का हज अदा हो जायेगा। वर्ना नहीं होगा।

९) एहराम बांधते वक़्त या हज के अफ़आ़ल शुरू करने से पहले आमिर की तरफ से हज की नीयत करना।

१०) सिर्फ एक शख़्स की तरफ से हज का एहराम बांधना।

११) सिर्फ एक एहराम बांधना।

१२) अगर आमिर ने किसी मुईन शख़्स का नाम लिया हो तो उसी शख़्स का आमिर की तरफ से हज करना और अगर इख़्तियार दिया हो कि किसी से भी करवाया जाये,तो किसी भी जा सकता है और आमिर के लिए भी यही मुनासिब है।

१३) मामूर मुईन का मुतअ़य्यन होना यानि अगर आमिर दल यह कहा हो कि फलां शख़्स ही हज करे, कोई दूसरे से कराना जाइज़ ना होगा ओर अगर दूसरे की नफी नहीं की तो जाइज़ हो जायेगा, लेकिन जिसको नामज़द किया गया है अगर उस ने इंकार कर दिया और वारिस दल किसी दूसरे से कराया तो जाइज़ है।

१४) अगर तिहाई तर कि ख़र्च के लिए काफ़ी हो तो आमिर के वतन से हज कराना वर्ना मीक़ात से पहले गुंजाइश के मुताबिक़ जिस जगह से हो सके अदा करवाया जाये।

१५) अगर तिहाई माल में गुंजाइश हो तो सवारी पर हज करना।

१६) हज या उम्रह जिस चीज़ का हुक्म किया है उसी के लिए सफ़र करना।अगर हज का हुक्म किया था लेकिन मामूर ने अव्वल उम्रह किया फिर मीक़ात पर लौट कर उसी साल या आइंदा साल हज का अहराम बांधा तो आमिर का हज अदा ना होगा।

१७) आमिर की मीक़ात से एहराम बांधना अगर मामूर ने मीक़ात से उम्रह का उहराम बांधना और मक्का शरीफ जाकर हज का उहराम बांधा और हज कर लिया तो आमिर का हज अदा ना होगा। इस से यह मालूम हुआ कि मक्का या मदीना मुनव्वरा में रहने वालों से हज बदल कराना ग़लत है। इस सूरत में हज करने वाले का अपना हज अदा होगा। जिस की तरफ से कराया गया है उस का नहीं होगा, लेकिन नफ़ली हजे बदल किसी से भी कराया जा सकता है।

१८) हज का फ़ासिद ना होना।

१९) हज का फौत ना होना।

२०) आमिर के हुक्म की मुख़ालिफत ना करना। अगर आमिर ने इफ़राद यानि सिर्फ हज का हुक्म किया था और मामूर ने तमत्तओ़ या क़िरान कर लिया तो मुख़ालिफ हो और आमिर को रूपये वापस करना होगा और वह हज मामूर का अपना होगा। यहाँ तीन बातें याद रक्खें।

(अ) हजे बदल करने कसे हजे अफराद करना चाहिए।

(ब) हजे किरान करना, आमिर की इजाज़त से जाइज़ है, लेकिन दमे किरान अपने पास से देना होगा। आमिर के रूपये से बिला इजाज़त देना जाइज़ नही है।

(क) हज तमत्तओ़ करना, हजे बदल में तमत्तओ़ करने का मस्ला ज़रा पेचीदा है और उस की वजह यह है कि तमत्तओ़ में हज का एहराम आमिर की मीक़ात ये नहीं होता बल्कि मक्का मुकर्रमा में ८ ज़िल्हिज्जा को बांधा जाता है इस लिए मुहतात उल्मा ने हज में तमत्तओ़ की मुमानिअ़त की है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर आमिर अपनी तरफ से हज तमत्तओ़ की इजाज़त दे दे तब भी आमिर का हज नहीं होगा, जैसा कि मुअ़ल्लिमुल्हुज्जाज में उल्मा तहक़ीक़ से मनक़ूल है और इसी को राजेह क़रार दिया है।

बाक़ी दूसरी कुतुबे फ़िक़्ह की इबादत से जो मालूम होता है वह यह है कि आमिर की इजाज़त से हज तमत्तओ़ करने से आमिर की तरफ से हज हो जायेगा। इस इख़्तिलाफ का हल यह है कि आमिर अगर ख़ुद ज़िन्दा है,मआ़ज़ूरी की बिना पर हज नहीं कर सकता, और हज तमत्तओ़ की इजाज़त देता है तो ऐसी सूरत में आमिर की इजाज़त से हज तमत्तओ़ हो जायेगा। इस तरह जिस पर हज फ़र्ज़ हुआ और मरते वक़्त वसीयत की, कि मेरी तरफ से हज तमत्तओ़ करवाया जाये, तो ऐसी हज तमत्तओ़ करने से

आमिर की जानिब से हज हो जायेगा। लेकिन मरने वाले ने अगर मुतलक़ हज की वसीयत की है और वरसा ने हज बदल करने वाले को हजे तमत्तओ़ की इजाज़त दे दी तो ऐसी सूरत में वरसा इजाज़त से तमत्तओ़ करना दुरूस्त नहीं है। क्योंकि मय्यत का हज मीक़ाती होना ज़रूरी है,ओर जो हज तमत्तओ़ करेगा उस का हज, हज मक्का हो जायेगा। अगर वरसा की इजाज़त से तमत्तओ़ करेगा तो मामूर पर रूपये वापस करना लाज़िम नहीं है लेकिन आमिर का हज अदाना होगा। हज बदल कराने वालों को इस मुआ़मले में ख़ास एहतियात करनी चाहिए। एहराम की तवालत से आमिर का हज ख़राब ना करना चाहिए, इस मुआ़मले में अक्सर लोग हजे बदल के मसाइल से नावाकिफ़ होने की वजह से ग़लती कर बैठते हैं।

नोटः-

१) जिस पर खुद हज फर्ज़ नहीं है और उस ने पहले हज रहीं किया है उस को हजे बदल के लिए जाना इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक जाइज़ है, लेकिन बेहतर यह है कि हजे बदल के लिए उस को भेजा जाये जिस ने अपना हज कर लिया है।

२) जिस पर हज फ़र्ज़ हो गया है और अभी अदा नहीं किया है, उस को हजे बदल के लिए जाना जाइज़ नहीं है।

३) वाल्दैन में से कोई फौत हो जाये और उन के ज़िम्मे हज फ़र्ज़ हुआ और अदाएगी की वसीयत ना की हो तो बेटे के लिए मुस्तहब है कि वाल्दैन की तरफ से बतोर एहसान हज अदा कराये या खुद उन की तरफ से हज कर ले। ऐसी हालत में शर्त नम्बर ७, के बाद वाली शराइत आइद नहीं होंगी ओर अगर खुद या किसी देसरे शख़्स से मक्का मुकर्रमा ही से हज कराये तो भी इंशा अल्लाह तआ़ला मय्यत का फर्ज़ हज अदा हो जायेगा।

४) वाल्दैन में से कोई ऐसी हालत में फौत हो जाये कि उन पर हज फर्ज़ नही हुआ था और बेटे साहिबे हैसियत हो जायें तो वाल्दैन की तरफ से फ़र्ज़ वाला हजे बदल तो नहीं करवाया जायेगा, इस लिए कि उन पर हज फ़र्ज़ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बेटे को चाहिए कि वाल्दैन की तरफ से बराए सवाब हज करवा दे या खुद उन की तरफ से हज कर ले। ऐसी हालत में भी शर्त नम्बर ७, के बाद वाली शर्तें आइद नहीं होंगी और खुद या किसी दूसरे शख़्स से मक्का मुकर्रमा से भी हज करा सकता है इस सिलसिले में यह हदीष याद रक्खें, रसूलुल्लाह (ﷺ) का पाक इर्शाद है कि वाल्दैन की वफ़ात के बाद उन के लिए ख़ैर व बरकत की दुआ़ करते रहो और अल्लाह से उन के वास्ते मग़फ़िरत और बख़्शिश मांगों।

हज के ज़रिये वाल्दैन को सवाब पहुंचाना मग़फ़िरतऔर बख़्शिश मांगने के बराबर है।

५) एक हदीष में है, जिस ने अपने मां-बाप की तरफ से हज किया या उनका कोई और फर्ज़ अदा किया तो बेशक उसने उनकी तरफ से हज अदा कर दिया और खुद उसको दस ज़ाइद हज का सवाब मिलेगा।

एक और हदीष में है, जिस शख़्स ने अपने वाल्दैन की तरफ से हज किया या उनका कोई और फर्ज़ अदा किया तो ऐसा करने वाला क़यामत के दिन अबरार के साथ उठाया जायेगा।(कनजुल अमाल)

६) जिस ने अपना फर्ज़ हज अदा कर लिया हो उस के लिए नफ़िल हज करने के बजाए हजे बदल करना अफ़ज़ल है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि जिसने मय्यत की तरफ से हज किया तो मय्यत के लिए एक हज लिखा जायेगा और हज करने वाले को सात हज का सवाब होगा।

७) उज्रत पर हज कराना किसी हालत में जाइज़ नहीं है इस लिए ठेका या उज्रत पर हज करने वालों से हजे बदल ना करायें। बअ़ज़ लोग मसारिफ का ठेका कर लेते हैं। ऐसा करना जाइज़ नहीं है। सूना गया है कि बअ़ज़ मुअ़ल्लिमीन और ठेका पर काम करने वाले लोग चन्द आदमियों की तरफ से रूपये वसूल कर के एक आदमी से हज करा देते हैं और सब को सवाब बख़्श देते हैं, अगर ऐसा होता हो, तो बहुत ही बुरी बात है, इससे एहतियात करें।

नोटः-

हजे बदल की नीयत इस तरह करें:

(१) या अल्लाह! मैं अपने वालिद या फलां की तरफ से हज की नीयत करता हूँ उस को मेरे लिए आसान बना दे और क़ुबूल फरमा ले।

(२) ज़िन्दा या मुर्दा लोगों की तरफ से तवाफ़ या उम्रह करें तो उसकी नीयत भी इसी तर्ज़ पर होगी।

हज बदल के अख़राजात से मुतअ़ल्लिक़ ज़रूरी मसाइलः

(१) हजे बदल करने वाले को इतना ख़र्च मिलना चाहिए कि आमिर के वतन से मक्का मुकर्रमा तक जाने और वापस आने के लिए दरम्यानी तौर पर काफी हो जाये, ना तंगी हो और ना फजूल ख़र्ची।

(२) मसारिफ में सवारी, खाने पीने का सामान, सफर के कपड़े, कपड़ों की धुलाई, हमाली, मकान का किराया वग़ैरह जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, मामूर की हैसियत के मताबिक़ सब दाख़िल हैं और आमिर के माल से बिला तंगी व फज़ूल ख़र्च करना जाइज़ है।

(३) मामूर को आमिर के माल से किसी की दावत करना, किसी को खाने में शरीक करना, या सदक़ा देना या क़र्ज़ वग़ैरह देना जाइज़ नहीं। हां! अगर आमिर ने सब आमूर की इजाज़त दी हो तो जाइज़ है।

(४) फ़क़ीह अबुल लैस (रह.) ने हर उस चीज़ में आमिर का माल सर्फ करना जाइज़ कहा है जिस को आ़म तौर पर हुज्जाज करते हों, और ज़ख़ीरा में उसी को मुख़तार लिखा है,मगर फिर भी एहतियात उसी में है कि आमिर से जुम्ला अमूर में सर्फ करने की इजाज़त हासिल कर ले ताकि तंगी और मुअ़ख़िज़ह ना हो, आमिर को भी चाहिए कि मामूर को हज के नफ़क़े के अलावा कुछ ज़ाइद रक़म भी बतौर हदिया दे दे ताकि ख़र्च करने में सहुलत रहे और हिसाब किताब रखने की तकलीफ ना हो। अलबत्ता यह ख़याल ज़रूर है कि हज के लिए दिए जाने वाला नफ़क़ह मामूर को हिबा (बख़्शिश) ना करे, क्योंकि इस सूरत में वह मामूर की मिल्क हो जायेगा और आमिर का हज अदा ना होगा।

(५) मामूर से कोई जिनायत हो जाये तो दमे जिनायत अपने माल से दे, बिला इजाज़त आमिर उसके माल से देना जाइज़ नहीं है।

(६) हज से फराग़त के बाद आमिर के माल से नक़द रक़म सामान वग़ैरह आमिर या उस के वरसा को वापस करना वाजिब है। हां! अगर वह हिबा कर दे तो लेना दुरूस्त है।

हज्जे बदल के मसाइल

१) फुक़हा ने लिखा है कि हज्जे बदल में हज्जे अफराद या हज्जे क़िरान ही किया जाया सकता है, हज्जे तमत्तओ नहीं किया जा सकता है। मगर फुक़हा की बअ़ज़ इबारतों से हज्जे तमत्तओ का भी जायज़ होना मअ़लूम होता है। चुनांचा दुर्रे मुख़्तार में हज्जे बदल की सूरत में तमत्तओ की क़ुरबानी के खर्च उस शख़्स के ज़िम्मे रखे गए है जिस की तरफ से हज किया जा रहा है

क़िरान व तमत्तओ और जनायत की क़ुरबानी हज करने वाले ही पर होगी। गो हज का हुक्म देने वाले ने (जिस की तरफ से हज्जे बदल कर रहा हो) इस की इजाज़त दी हो। मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहब (रह.) ने भी बअ़ज़ शर्तों के साथ इस की इजाज़त दी है।

इस ज़माने में हज व उमराह करने में आम आदमी आज़ाद नहीं है कि जब और जिस वक्त चाहें जा सकें और लम्बे एहराम से बचने के लिए हज के

(बाकी पेज 66 पर)

मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

मस्जिदे नबवी (स.):-

मस्जिदे नबवी (स.) की दीनी फ़ज़ीलतें तो हैं ही दुनियावी लिहाज़ से भी इस का एक खास मुकाम है। इस की तफसीलात जान कर आप को हैरत होगी। यह दुनिया का खूबसूरत तरीन महल है। इतना कीमती और खूबसूरत महल इन्सानी तारीख में पहले कभी नहीं बना है। इसे बनाने में तकरीबन ३६० अरब रूपये खर्च हुए हैं। इसे टी. व्ही. के डिस्कवरी चैनल ने दुनिया की ८ अज़ीम इमारतों में से एक कहा है और 'गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' ने इसे दुनिया की सब से खूबसूरत इमारत तस्लीम किया है। इस की खूबसूरती देखने के साथ समझने से भी तअल्लुक रखती है। हज की इस मुख़्तसर किताब में इस की ज़्यादा तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। आप इसे ''तअ़मीरे मस्जिदे नबवी'' वीडिओ सी.डी. में देख लीजिए या फिर ''तारीखे मदीना मुनव्वरा'' किताब में पढ़ लीजिए। यह दोनों चीज़ें आप को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में किसी भी किताबों की दुकान में मिल जाएगी।

इस मस्जिद से मुतअल्लिक सिर्फ दो बातें यहाँ बयान करूंगा। जिस से आप इस की तअ़मीर के बारे में कुछ अंदाज़ा कर सकेंगे।

१) अगर आप सरसरी तौर पर मस्जिदे नबवी (स.) का दरवाज़ा देखेंगे तो आप को बहुत खूबसूरत लगेगा। लकड़ी का यह दरवाज़ा खलिस सोने और गोल्ड प्लेटेड स्टील से जोड़ा गया है। इस दरवाज़े को बनाने के लिए आफ्रिका के जंगलो से खास लकड़ी चुनी गई। फिर इसे सिज़ीग के लिए जर्मनी भेजा गया। फिर इसे कनाडा (Canada) के माहिर कारीगरों ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया है। हर दरवाजे का वज़न कई टन है। इतने वज़न के बावजूद एक आदमी आसानी से इसे खोल या बंद कर सकता है।

२. इस मस्जिद कि टाइल्स बहुत खूबसूरत है आप सोच रहे होंगे कि यह बेहतरीन टाईल्स दुनिया कि सबसे बेहतरीन टाइल्स बनाने वाली कंपनीयों से खरीदे गए होगें। नहीं, बल्कि इस मस्जिद के लिए सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और आला टेकनिक वाली टाईल्स बनाने कि फेक्टरी क़ायम की है। फिर इसमें टाईल्स बनाकर इस्तेमाल किए गए। इस तरह इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला हर पुर्ज़ा और हर चीज़ अपनी मिसाल आप है। आप इसे दिमाग से समझकर अपनी आखों में बसा लें। तसव्वरात की दुनिया अपने महबूब(स.) के इस महल में जब आप कदम रखेंगे, तो आप अपने आप को जन्नत में महसूस करेंगे।

मस्जिदे कुबाः- जब नबी करीम (स.) हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो सब से पहले आप (स.) ने इसी मस्जिद की बुनियाद रखी और खुद इस की तामीर में शरीक हुए। दर हकीकत यही वह पहली मस्जिद थी जिस में आप ने अपने सहाबा (रज़ी.) को एलानिया बा-जमाअत नमाज़ पढ़ाई। मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने की फज़ीलत के बारे में सहल बिन हनीफ़ (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया ''जो शख़्स घर से निकल कर इस मस्जिदे कुबा में आए और यहाँ २ रकअतें नमाज़ पढ़े इसे एक उम्रह का सवाब मिलेगा।

मस्जिदे इजाबाः- इस मस्जिद में नबी करीम (स.) ने तीन दुआएँ फरमाई थी, इन में से दो दुआऐं अल्लाह तआला ने कबूल फरमा लीं, लेकिन एक दुआ कि मेरी उम्मत में आपसी इख़्तेलाफ न हों इस दुआ को कबूल न फरमाया।

मस्जिदे जुमाः- इसे 'मस्जिदे जुमा' इस लिए कहा जाता है कि नबी करीम (स.) जब कुबा बस्ती में चंद दिन ठहर कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चले तो इसी मुकाम पर आप (स.) ने पहला जुमा पढ़ाया। सहाबा किराम (रज़ी.) ने इसी जगह मस्जिद बना दी।

मस्जिदे क़िब्लतैनः- नबी करीम (स.) बनी सल्मा के इलाके में अपने सहाबा (रज़ी.) के साथ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप (स.) ने अभी २ रकअतें ही पढ़ी थी के किब्ले की तब्दीली का हुक्म आ गया। आप (स.) नमाज़ ही में काबा की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस मस्जिद में एक नमाज़ दो क़िब्लों की तरफ मुंह कर के पढ़ी गई थी इस लिए इसे मस्जिदे क़िब्लतैन कहा जाता है।

मस्जिदे बनी हारसा (मस्जिदे सुत्राह): नबी करीम (स.), ग़ज़वा-ए-ओहद से वापसी के वक्त आराम करने के लिए इस जगह कुछ देर ठहरे थे इस लिए इसे मस्जिदे सुत्राह कहा जाता है। यह मस्जिद, नबी करीम (स.) के दौरे मुबारक में ही तअ़मीर कर दी गई थी।

मस्जिदे फ़तहः- मस्जिदे फतह, मदीना मुनव्वरा की शुमाल में एक पहाड़ 'सलअ' में वाके है। इस को मस्जिदे फतह इस लिए कहा जाता है के अल्लाह तआला ने ग़ज़वा-ए-ख़ंदक़ के दौरान इस जगह नुस्रत व फतेह की वही नबी करीम (स.) पर नाज़िल की थी और नबी करीम (स.) ने सहाबा कराम (रज़ि) से फरमाया था के ''अल्लाह तआला की तरफ से नुसरत व फतेह की वही पर खुश हो जाओ''।

मस्जिदे ग़मामाः- यह मस्जिद, मस्जिदे नबवी (स.) के जुनूब-मग़रिब में बाबे सलाम से आधा किलो मीटर के फासले पर वाक़ेअ है। यह इस मैदान में है जिसे रसूल अल्लाह (स.) ने नमाज़े ईद के लिए मुन्तखब फरमाया था। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम (स.) ने नजाशी (रज़ी.) की गायबाना नमाज़े जनाज़ा भी इस जगह पढ़ाई थी। इसे मस्जिदे ग़मामा इस लिए भी कहा जाता है के नमाज़ के दौरान एक बादल ने आप (स.) को धूप से साया किये रखा था।

जबले ओहदः- ओहद पहाड़ एक बड़ा पहाड़ है जो मदीना मुनव्वरा की शुमाल की जानिब और मस्जिदे नबवी (स.) से साढ़े पांच किलो मीटर के फासले पर वाक़ेअ है। यह हरम की हुदूद के अंदर है। इस की लम्बाई ६ किलो मीटर और रंग सुर्ख़ी माइल है।

नबी करीम (स.) ने इस की फज़ीलत के बारे में इर्शाद फरमाया ''यह एक ऐसा पहाड़ है, जो हम से मुहब्बत करता है और हम इस से मुहब्बत करते हैं।''

ओहद पहाड़ ही के पास ग़ज़वा-ए-ओहद हुआ था, जिस में नबी करीम (स) के चचा सैय्यिदना हमज़ा (रज़ी.) और दूसरे मुसलमान शहीद हुए थे। आप का रूबाई दांत टूट गया था। आप का चेहरे अनवर जख़्मी हुआ था और आप के होंठ मुबारक पर भी ज़ख्म आए थे। इस पहाड़ के दामन मे शोहदा-ए-ओहद की क़ब्रें हैं।

जन्नतुल बक़ीः- यह मस्जिदे नबवी (स.) से बिल्कुल क़रीब एक कब्रस्तान है जिस में तकरीबन १० हज़ार सहाबा (रज़ी.) मद्फून हैं। नबी करीम (स.) की औलादे अत्हार (रज़ी.) और अज़्वाजे मुतह्रात (रज़ी.) भी यहीं मद्फून हैं।

मदीना मुनव्वरा के कई बाज़ार मुहल्ले और बाग़ों का ज़िक्र हदीस शरीफ में आया है। इन मुकामात के कुछ आसार अब भी बाक़ी है। जिनकी फेहरिस्त नीचे दी गई है। मदीना मुनव्वरा में जब आप ज़ियारत के लिए निकलें, तो

(बाकी पेज 70 पर)

रौज़ा-ए-मुबारक की तफ़सील

१) सन ८७ हिजरी तक मस्जिदे नबवी के मशरिक़ी जानिब अज़्वाजे मुतहरात के हुजरात शरीफ़ा मौजुद थे और हुज़ूर (स.) की क़ब्र मुबारक मस्जिद के बाहर हज़रत आईशा सिद्दीक़ा (रज़ी.) के हुजरे में थी।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने सन ८७ हिजरी में सारे हुजरात ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लेने का फ़ैसला किया क्योंकि उस वक़्त तक सारी अज़्वाजे मुतहरात फ़ौत हो चुकी थीं और मस्जिद में जगह की सख़्त क़िल्लत थी।

मस्जिद के तौसी के वक़्त हज़रत आईशा सिद्दीक़ा (रज़ी.) के हुजरे को छोड़ कर सारे हुजरे मस्जिद में शामिल कर लिऐ गऐ। उस वक़्त हज़रत आईशा (रज़ी.) के हुजरे की दीवारें कच्ची और छत लकड़ी की थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हुजरे के अतराफ़ बग़ैर खिड़की, दरवाज़े की ऊँची मज़बूत दीवार तअ्मीर कर दी। हुजरा चौकोर था मगर बाहरी दीवारें पाँच कोनों की बनाई गईं ताकि इस की मुमासिलत काबा शरीफ़ से न हो। अगले छः सौ साल तक मस्जिद की छत और हुजरा की उपर की छत एक ही थी कोई गुंबद न था, सिर्फ़ निशान के तौर पर रौज़ा मुबारक के उपर मस्जिद की छत को थौड़ा ऊँचा कर दिया गया था ताकि कोई ग़लती से रौज़ा मुबारक के ऊपर वाली छत पर न चला जाऐ।

२) सन ६६८ हिजरी में पहली बार सुल्तान रूक्नउद्दीन बेबरस ने हुजरा के अतराफ़ पाँच कोनों वाले कमरा के अतराफ़ लकड़ी की जाली लगवाई थी जो कि दस से बारह फ़िट ऊँची थी। सन ६६४ हिजरी में शाह ज़ैनउद्दीन कुतुबग़ा ने इस जाली को ऊँचा कर के मस्जिद की छत तक कर दिया। फिर सन ८८६ हिजरी में सुल्तान क़ातिबाई ने इन जालियों को लोहे और पीतल से बदल दिया। अब क़िब्ला की तरफ़ की जाली पीतल की है और बाक़ी तीनों तरफ़ लोहे की जालियाँ हैं जिन पर सब्ज़ रंग चढ़ा हुआ है।

इन जालियों में चार दरवाज़े हैं। एक क़िब्ला की तरफ़ बाब-उल्तौबा, दुसरा मग़रिब की तरफ़ बाबे-उल्वफ़ूद, तीसरा मश्रिक़ की तरफ़ बाबे-फ़ात्मा और चौथा शुमाल की तरफ़ बाबे-उल्तहजूद। इन दरवाज़ों से दाख़िल होकर भी पाँच कोनों वाले अहाते के बाहर तक ही पहँचा जा सकता है। रौज़ा-ए-मुबारक को देखना या इस तक पहुँचना किसी के लिए भी मुम्किन नहीं है।

३) सन ८७८ हिजरी में सुल्तान क़ातिबाई के दौर में दीवारें कमज़ोर हो जाने की वजह से इन की फिर तअ्मीर की गई। चूँकी ईसाई और यहूदी तरह तरह की साज़िशें किया करते थे। इस लिए सुल्तान ने हुजरे की दीवारों को भी मज़्बूत पत्थर का बना दिया। सीधी (Flat) छत चूंकि कमज़ोर होती है और बार बार मरम्मत करना पड़ती है और मरम्मत के वक़्त मज़दूरों को रौज़ा मुबारक के ऊपर छत पर भी काम करना पड़ता है जो एहतेराम के ख़िलाफ़ है। इस लिए सुल्तान ने छत को भी मज़बूत गुंबद की तरह बनाने का हुक्म दिया। इन दीवारों और गुंबद में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। सिर्फ़ ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा सूराख़ है जिस से रौज़ा मुबारक आसानी से नज़र आता है।

सन ८७८ हिजरी में दीवारों की तजदीद के वक़्त अल्लामा समहूदी को हुज़ूर (स.) की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। वह लिखते हैं कि तीनों क़ब्रें कच्ची हैं। ज़मीन के बराबर हैं या सिर्फ़ थोड़ी से उभरी हुई हैं। क़ुबूर के अतराफ़ कोई पत्थर या ईंट वग़ैरह लगी हुई नहीं हैं। दीवारों और गुंबद की तअ्मीर के बाद फिर किसी को यह सआदत हासिल नहीं हुई क्योंकि यह इमारत आज भी वैसी ही है।

४) रौज़ा शरीफ़ के ऊपर मस्जिद की छत पर पहली बार गुंबद, शाह मंसूर क़लाउन सालेही ने सातवीं सदी के आख़िर में बनवाया था। ये लकड़ी का था और ऊपर से सीसा (Lead) के पतरे चढ़े हुऐ थे। सीसा चूँकी सिलेटी होता है इस लिए गुंबद का रंग भी सिलेटी था।

सन ८८७ हिजरी में मस्जिद में आग लग गई थी जिस से इस गुंबद को नुक्सान पहुंचा इस लिए सुल्तान क़ातिबाई ने इसे दोबारा मज़बूत इंटों और पत्थरों से तअ्मीर करवाया। अगले साढ़े तीन सौ साल तक यह गुंबद इसी तरह रहा। इस वक़्त गुंबद सफ़ेद या सिलेटी रंग से रंगा जाता था।

५) सन ११६२ ई. में दो इसाईयों ने सुरंग लगा कर हुज़ूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक तक पहुँचने की कोशिश की थी। नूरूद्दीन ज़ंगी ने उन्हें पकड़ कर क़त्ल किया और रौज़ा-ए-मुबारक के चारों तरफ़ पानी की सतह तक मज़बूत सीसा और पत्थर की दीवार बना दी, जो आज तक मौजूद है।

सन १२३४ हिजरी में सुल्तान महमूद उस्मानी ने इसे फिर से तअ्मीर करवाया, और हरे रंग से रंगा। यानी गुंबद ख़िज़्रा तअ्मीर हुऐ तक़रीबन दो सौ साल हो चुके हैं। इस गुंबद में एक छोटा सा सूराख़ है, जो कि नीचे बने हुजरा के गुंबद के ठीक ऊपर है। यह सूराख किब्ला की तरफ है। जब सूरज ठीक ऊपर होता है, सूरज की रौशनी रौज़ा-ए-मुबारक पर पड़ती है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी भी रौज़ा-ए-मुबारक पर टपकता है।

६) हुज़ूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक और मस्जिद का नक़्शा ज़ुबानी बयान किया जाऐ तो वह इस तरह है। के आप (स.) की क़ब्र मुबारक कच्ची है। क़ब्र ज़मीन से कुछ ही ऊँची है। उस के बाहर पत्थर का बना हुआ चौकोर कमरा है। जिस पर एक छोटा गुंबद है। उस के बाहर पाँच कोनों की दीवार का अहाता है। जो मज़बूत है और पत्थ्रों से बना है। पहले इस पर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। जो कि आज भी उस पर पड़ा हुआ है। इस अहाते के बाहर लोहे और पीतल की जाली का अहाता है। हम और आप इसी जाली के सामने जाकर अपना दुरूद व सलाम पेश करते हैं। इन सारी इमारतों को घेरे हुऐ मस्जिद की इमारत है और मस्जिद की छत पर ठीक रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर हरा गुंबद है। रौज़ा-ए-मुबारक के अतराफ़ के कमरे और दीवारों में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। ऊपर के दोनों गुंबदों में सिर्फ़ एक छोटा सा सूराख़ है। जो कि एक सीध में है रौज़ा-ए-मुबारक से आसमान नज़र आता है। इस सुराख़ से सूरज की रौशनी क़ब्र मुबारक पर पड़ती है।

रियाजुल्जन्नत, मिम्बर और सुतून का बयानः-

१) रियाजुल्जन्नतः-

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी) से रिवायत है कि नबी अकरम (स.) ने फ़रमाया, ''मेरे घर और मिंबर के दरम्यान जो जगह है वह जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है और मेरा मिम्बर क़यामत के दिन हौज़ (कौसर) पर होगा। (बुखारी शरीफ)

पहले रियाजुल्जन्नत की लंबाई और चौड़ाई 15 x 26.5 मीटर थी। मगर अब चुँकि कुछ हिस्सा जालियों के अंदर चला गया है इस लिए ये अब 15 x 22 मीटर बचा है।

२) मिम्बर शरीफः-

शुरू शुरू में हुज़ूर (स.) ज़मीन पर खड़े होकर एक ख़जूर के पेड़ के तना का सहारा ले कर ख़ुत्बा दिया करते थे। मगर चुँकि देर तक खड़ा रहना

तकलीफ़देह था इस लिए सहाबा-ए-किराम (रज़ी.) ने तीन सीढ़ीयों का एक मिम्बर बना दिया। आप (स.) तीसरी सीढ़ी पर बैठते और दूसरी सीढ़ी पर पांव रख कर खुत्बा दिया करते थे।

ये मिम्बर लकड़ी का था जब बोसीदा हो गया तो हज़रत अमीर मुआविया (रज़ी.) ने इसे नौ सीढ़ियों वाला बना दिया। उस के बाद ये कई बार बदला गया। अब जो मिम्बर मस्जिदे नबवी में है वह सन ९९८ हिजरी में सुल्तान मुराद सुव्वम उस्मानी का भेजा हुआ है और बारह सीढ़ीयों का है। सऊदी हुकूमत ने इस पर सोने की पालिश वग़ैरह कर के और खुबसूरत बना दिया है।

मिम्बर कई बार बदले गऐ मगर जगह आज तक वही रही जो हुज़ूर (स.) के वक़्त में थी।

निसाई में हज़रत उम्मे सलमा (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अकरम (स.) ने फ़रमाया ''मेरे मिम्बर के पास बहिश्त की सीढ़ी होंगी।''

३) मेहराबे नबवीः-

जिस जगह आप (स.) नमाज़ पढ़ा करते थे। आप (स.) की वफ़ात के बाद हज़रत अबुबकर सिद्दीक़ (रज़ी) ने आप (स.) के सिजदा की जगह दीवार बना दी ताकि आप (स.) के सिजदे की जगह किसी के क़दम न पड़ें। चारों खुल्फ़ाए राशदीन के ज़माने में कोई मेहराब वग़ैरह नहीं थी। सन ९१ हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में इस दीवार को एक मेहराब की शकल दे दी। जो कि आज तक क़ायम है। अब जो कोई इस मेहराब की सामने नमाज़ पढ़ेगा तो आप (स.) के क़दम मुबारक की जगह पर सिजदा करेगा।

इस मेहराब के पीछे मेहराब की दीवार में ही एक सुतून है जिसे सुतून हिनाना भी कहा जाता है। इस जगह पहले एक खजूर का तना था हुज़ूर (स) इसी जगह खड़े होकर खुत्बा दिया करते और नफ़िल नमाज़ पढ़ा करते थे।

आज कल जिस मेहराब या मुसल्ले पर इमाम खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाते हैं यह मेहराब उस्मानी है क्योंकि यह हज़रत उस्मान जुल्नूरैन (रज़ी.) ने बनवाया था। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी) को मेहराबे नबवी पर ही ख़ंजर से हमला कर के शहीद किया गया था। जब मस्जिद की तौसी हुई, तो हज़रत उस्मान (रज़ी.) ने क़िब्ला की तरफ़ मस्जिद की तौसी कर के नया मुसल्ला या मेहराब बनाया और अगली सफ़ों को जाली से घेर दिया ताकि उसी तरह नमाज़ के दौरान उन पर भी हमला न हो। अब वह जालियाँ तो नहीं हैं। मगर मेहराब वहीं है।

४) सुतूने आईशा(रज़ी.)ः-

हुज़ूर (स.) ने फ़रमाया के मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है कि अगर लोगों को इस की फ़ज़ीलत मालूम हो जाऐ तो वहाँ नमाज़ की अदाईगी के लिए आपस में क़ुरा अंदाज़ी करें। चुँकि हज़रत आईशा (रज़ी.) ने इस जगह की निशानदही की थी इस लिए इसे सुतूने आईशा(रज़ी.) कहा जाता है।

५) सुतूने अबु लबाबाः-

ग़ज़्व-ए-ख़ंदक़ के बाद हज़रत अबु लबाबा से ग़ैर शउरी तौर पर एक ग़लती हो गई थी। जिस के लिए वह बहुत नादिम हुए और तौबा इस्तग़फ़ार किया और अपने आप को इस सुतूने से बांध लिया और ये अहद किया कि जब तक अल्लाह तआला मेरी तौबा क़ुबूल न करेंगे में इस सुतून से बंधा रहूँगा।

अल्लाह तआला ने इन की तौबा क़ुबूल की तब उन्होंने अपने आप को आज़ाद कराया। इस सुतून को इस लिए उन के नाम से याद किया जाता है। यहाँ आप (स.) नमाज़ अदा किया करते थे।

६) सुतूने सरीरः-

इस जगह रमज़ान के आख़री अशरा में एतिकाफ़ के लिए हुज़ूर (स.) का बिस्तर बिछाया जाता था। आप (स.) के बाद हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) ने भी यहीं एतिकाफ़ किया और इमाम मालिक (रह.) मस्जिद में इसी जगह बैठा करते थे।

७) सुतूने हिर्सः-

इस सुतून के पास वे सहाबा किराम बैठा करते थे, जो आप (स.) की हिफ़ाज़त पर मामूर होते थे।

८) सुतूने वफ़ूदः-

जब अरब के वफ़ूद हाज़िरे ख़िदमत होते तो आप (स.) उन से इसी जगह मुलाक़ात फरमाया करते।

सुतूने सरीर, सुतूने हिर्स और सुतूने वफ़ूद अब आधे जाली के अंदर हो गऐ हैं।

सहाबा किराम (रज़ी.) नमाज़ों के लिए सुतूनों की तरफ़ जल्दी पहुँचते क्योंकि सुतून नमाज़ियों के लिए सतरा (आड़) का काम भी देता है। हज़रत बुख़ारी (रह.) ने हज़रत अनस (रज़ी.) से रिवायत की हैं के मैंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा किराम (रज़ी.) मग़रिब के वक़्त मस्जिद की सुतूनों की तरफ़ दौड़ पड़ते। सहाबा किराम (रज़ी.) ने सुतूनों के पास नमाज़ पढ़ी है इस लिए उन के पास नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है।

९) सुतूने तहजुदः-

यह वह सुतून है जहाँ नबी करीम (स.) नमाज़े तहजुद अदा किया करते थे।

१०) सुतूने जिब्रईलः-

यह वह मुकाम है जहाँ नबी करीम (स.) की हज़रत जिब्रईल (अ.स.) से मुलाकात हुई थी। विसाल से पहले वाले रमज़ान में नबी करीम (स.)ने हज़रत जिब्रईल के साथ कुरआन शरीफ का दौर इसी जगह फरमाया था। यह दोनों सुतून बिल्कुल रोज़े मुबारका के अंदर आ गए है। इसलिए बाहर से नज़र नहीं आते। गुम्बदे ख़िज़रा इन्हीं पर क़ायम किया गया है।

११) असहाबे सुफ्फाः-

सुफा साएबान और साएदार जगह को कहा जाता है। क़दीम मस्जिदे नबवी के (स.) के शुमाल में मशरिकी किनारे पर मस्जिद से मिला हुआ एक चबूतरा था। यह जगह इस वक़्त बाबे जिब्रईल से अंदर दाखिल होते वक़्त मकसूरा शरीफ के शुमाल में मेहराबे तहजुद के बिल्कुल सामने दो फिट उँचें कटहरें में घिरी हुई है। इसकी लंबाई चौडाई ४० ग ४० फिट है इसके सामने खुद्दाम बैठे रहते है और यहाँ लोग कुरआन पाक की तिलावत में मसरूफ रहतें हैं।

नबी करीम (स.) ने औरतों को बा जमाअ़त नमाज़ पढ़ते वक़्त उन्हें आख़िरी सफ़ में खड़े होने का हुक़्म दिया।, और इस का भी हुक़्म दिया के वह मर्दों के बाद सिजदे से सिर उठाऐं,ताके मर्दों के पोशिदा सतर पर नज़र ना पड़े ।

इस हुक्म के सहाबा किराम रज़ि० की औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थीं के उनके कपड़े दीवारें से रगड़ खते थे।

हिकमत व दानाई की बात मोमीन की खोई हुई चीज़ है। लिहाज़ा जहाँ भी उसको पाएं वह इसका ज़्यादा हकदार हैं।

(तिरमीज़ी-इब्ने माजा-बरिवायत हज़रत अबु हुरैरा(रजी.))

हुज्रा आईशा (रज़ी.) और रियाजुल्जन्नत की तफ़सील

जन्नतुल बकी का यह एक नायाब नक्शा है। सदी हुकूमत ने क़ब्रों पर सारे निशानात मिटा दिए हैं, और ना ही किसी को किसी क़ब्र की निशान-दही की इजाज़त है। इस नक्शा के ज़रिए आप हज़रत उस्मान (रज़ी.), उम्महातुल मोमिनीन, हज़रत हलीमा और दीगर मोहतरम हज़रात के मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं।
जन्नतुल बकी
रौज़ा ए मुबारक और रियाजुल्जन्नत
मस्जिदे नबवी (स.)
सुफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब (रसुल अल्लह की फूफी)
हज़रत अबू सईद उल खदरी
हज़रत उस्मान बिन अफ्फान (रज़ी.)
बीबी हलीमा
शोहदा ए उहद
हज़रत नाफ़े मौला अब्दुल्लाह बिन उमर
हज़रत इब्राहीम बिन मुहम्मद रसूल अल्लाह (स.)
उम्महातुल मोमिनीन, अज़्वाजे मुतह्हरात
हज़रत सैयदा आईशा सिद्दिका (रज़ी.), हज़रत सौदा (रज़ी.), हज़रत बिन्ते ज़मआ (रज़ी.),
हज़रत हफसा (रज़ी.), हज़रत उम्मे सल्मस (रज़ी.), हज़रत सुफ्या (रज़ी.),
हज़रत जुवैरिया (रज़ी.), हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ी.), हज़रत ज़ैनब बिन्ते खज़ीमा (रज़ी.),
हज़रत ज़ैनब बिन्ते हजश (रज़ी.)
हज़रत उम्मे कुल्सूम (रजी.)
हज़रत रूक़य्या (रजी.)
हज़रत ज़ैनब (रजी.)
अक़ील बिन अबी तालिब
हज़रत इमाम जअ़फर सादिक
हज़रत इमाम बाक़र
हज़रत इमाम ज़ैनुल आबेदीन
हज़रत इमाम हसन
हज़रत इमाम मालिक (रह.)
हज़रत सुफ्यान बिन हारिस (रज़ी.)
सैयदतुन्निसा फातेमा तुज़्ज़ोहरा (रज़ी.)
हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ी.)
जन्नतुल बकी का दरवाज़ा
हज़रत सुफ्या (रजी.)
हज़रत अतीका
हज़रत उम्मे बैनिन
मस्जिदे नबवी (स.)
जन्तुल बक़ी का एक नायाब नक्शा

पेज 58 का बक़िया....हज कैसे करें ?

मुज्दल्फा की रात आराम किया। आप (स.) ने औरतों और कमज़ोर लोगों को रात में मिना जानें की इजाज़त दी। आप (स.) ने हज्रे अस्वद को दूर से ही इस्तलाम करने की इजाज़त दी वगैरह वगैरह।

मगर जहाँ तक मिना से गैर हाज़िर रहने की बात है तो सिर्फ हज़रत अब्बास (रज़ी) ने आप (स.) से हाजियों को पानी पिलाने के लिए मस्जिदे हरम में रहने की इजाज़त माँगी थी और मैंने एक भी ऐसी रिवायत नहीं पड़ी जिसमें सवा लाख असहाबे किराम में से किसी ने १२ तारीख की शाम मक्का लौटने की आप (स.) से इजाज़त माँगी हो। नबी करीम (स.) और तकरीबन सवा लाख सहाबे कराम(रजी.) जिन्होंने आप (स.) के साथ हज किया, १३ तारीख को रमी जुमार के बाद ही मक्का मुकरमा लौटे।

अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में फरमाया की अगर कोई १२ तारीख को मक्का लौट जाएं तो कोई गुनाह नहीं, तो यह आसानी का मामला अल्लाह का करम है। मगर नबी करीम (स.) की सुन्नत १३ तारीख को ज़वाल के बाद, रमी जुमार के बाद मक्का मुकर्रमा लौटना है।

८ ज़िल्हिज्जा से १३ ज़िल्हिज्जा यह अय्याम तशरीक कहलाते है। नबी करीम (स.) ने फरमाया, "अय्यामें तशरीक खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र व अज़्कार करने के दिन होते है।"(मुस्लिम)। तो इन दिनों में कसरत से अल्लाह तआला का ज़िक्र और इबादत करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो १३ तारीख को मिना में ही रूके, इबादत में दिन गुज़ारे, ज़वाल के बाद रमी जुमार करें और इसके बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो।

अगर कोई मजबूरी हो तो कोशिश करें की १२ तारीख की शाम से पहले मिना से रवाना हो जाएं क्योंकि शरीयत के मुताबीक अगर मिना में सूरज गुरूब हो गया तो आपको मिना में रूकना ज़रूरी है। मगर अब चुँकि रमी जमार में ज़वाल के बाद बहुत भीड़ होती है और उल्मा ने सुबह सादिक तक रमी जमार की सलाह दी है और कहा है कि इन्शा अल्लाह यह मकरूह नहीं होगा। इसलिए अब अगर आप सुबह सादिक तक भी मिना से निकल गएं तो इन्शा अल्लाह गुनाह न होगा।

इस तरह अल्लाह तआला के करम और फज़्ल से आप के हज के सारे अरकान पूरे हुए। मक्का मुकर्रमा में सिर्फ एक ज़रूरी और वाजिब अमल आप का बाकी रहा वह है तवाफे विदा।

तवाफे विदाः-

हज के बाद जब मक्का मुकर्रमा से वतन या मदीना जाना हो तो रूकसती का तवाफ या तवाफे विदा किया जाता है। यह हर बाहर रहने वाले "आफाक़ी" पर वाजिब है।

मक्का मुकर्रमा या मिकात की हुदूद में रहने वाले और सिर्फ उम्रह की नीयत से आने वालों पर यह वाजिब नहीं है।

तवाफे विदा भी उसी तरह किया जाता है, जैसे; नफिल तवाफ करते है। तवाफ के बाद सई नहीं है और न तवाफ में रमल है।

तवाफे विदा के बाद अल्लाह तआला से उस घर की बार बार ज़ियारत की तौफिक देने की दुआ करें। अपने अपने रिश्तेदारों और उम्मतें मुस्लिमा की दोनों जहांन में कामयाबी के लिए दुआ करें और आंसू का नज़राना पेश करते हुऐ अपने वतन वापसी के सफर पर रवाना हो।

तवाफे विदा के बाद अगर किसी वजह से मक्का शरीफ में रूकना हुआ तो आप जितनी बार चाहे तवाफ कर सकते है और नमाज़ें पढ़ सकते है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 60 का बक़िया....हज्जे बदल

दिनों के बिल्कुल करीब सफर करें। हर तरफ हुकूमतों की पाबंदियां शदीद हैं। इसलिए अगर किसी हज्जे बदल करने वाले को वक्त से ज़्यादा पहले जाने की मजबूरी हो तो और लम्बे एहराम वाजिबाते एहराम की पाबंदी मुश्किल नज़र आए तो उस के लिए हज्जे तमत्तओ कर लेने की गुन्जाइश है। (जवाहरूल फिक़ा, जिल्द अव्वल, पेज ५१६)

इस लिए मौजूदा हालात में अगर अफराद और क़िरान की वजह से इतने दिन हालते एहराम में रहना पड़े कि हाजी के लिए इस को बरदाश्त करना मुश्किल हो तो हज्जे बदल में भी हज्जे तमत्तओ की गुंजाइश है। (जदीद फिक़ही मसाइल, जिल्द अव्वल, पेज १६७, २६८)

३) हज्जे बदल में मामूर को हज्जे अफराद करना चाहिए ताकि हज्जे आफाकी और हज्जे मीक़ाती हो जाए। क्यूंकि तमत्तओ करने में उमराह तो आफाक़ी हो जाता है, मगर हज हजे-आफाकी नहीं होता बल्कि हजे मक्की हो जाता है। लैकिल ग़ौर तलब बात यह है कि हज्जे बदल में मामूर कुल्ली तौर पर आमिर की नियाबत करता है और आमिर को हज की तीनों किस्मों में से किसी एक का इख्तियार करने का हक़ हासिल था जो आमिर जो फाइले मुख्तार है अगर वह अपने मामूर को तीनों किस्मों में से किसी एक का इख्तियार दे दे तो क्या अश्काल है?

जवाबः इस लिए आमिर की इजाज़त से हज्जे बदल में तमत्तओ बिला तरद्‌दुद जायज़ होना चाहिए। अल्बत्ता तमत्तओ का दम आमिर के माल से ना होगा बल्कि मामूर पर लाज़िम होगा। लैकिन अगर मामूर ब-खुशी अदा करता है तो यह भी जाइज़ है। हाँ अल्बत्ता हज्जे बदल में हज्जे अफराद करना ज़्यादा अफ़ज़ल होगा। (जवाहरूल फिक़ा, जिल्द अव्वल, पेज ५१३, ५१४, ईफाहुल मनासिक पेज १७२, अहसनुल फतावा जिल्द ४, पेज ५२३, अन्वारे मनासिक पेज ५५०)

४) इस ज़माने में आफाक़ी का हज्जे तमत्तओ करना ही ज़्यादा मअ़रूफ है। इसलिए उरफन आमिर की तरफ से हज्जे तमत्तओ की इजाज़त साबित होती है, लिहाज़ा सराहत के साथ इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं। (ईफाहुल मनासिक पेज १७२, अहसनुल फतावा जिल्द ४, पेज ५२३, अन्वारे मनासिक पेज ५५०)

५) अब हज्जे तमत्तओ का मसला ग़ौर तलब है कि जब आमिर ने तमत्तओ की इजाज़त दे दी तो कुरबानी भी उसी के माल में से होगी।

मइयत की तरफ से हज्जे बदल हो तब भी यही हुक्म है जबकि सब वारिस मिल कर ब-खुशी इस की इजाज़त देते हों।(अन्वारे मनासिक पेज ५५१)

६) हज्जे बदल में चूंकि बहुत से फुक़हा ने आमिर की इजाज़त के साथ तमत्तओ करने की इजाज़त दी है। इस लिए शदीद मजबूरी तमत्तओ करने की आ जाए तो और तमत्तओ कर ले तो अल्लाह तआला से उम्मीद है कि हज कराने वाले का फर्ज़ अदा हो जाएगा। (अह्‌कामे हज पेज १२०, हज़रत मौलाना मुहम्मद शफी साहब (रह.)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

बच्चे के हज का सवाब माँ को

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) रोहा(१) में एक काफ़िले से मिले । आप (स.) ने फ़रमाया, तुम लोग कौन हो? अर्ज़ किया हम मुसलमान हैं और आप कौन हैं। फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो एक औरत ने (कजावे से) बच्चे को ऊंचा कर के दिखाया और अर्ज़ किया ''क्या इस के लिए हज है? आप (स.) ने फरमाया, हाँ! है, लेकिन सवाब तुमको मिलेगा''।

मदीना मुनव्वरा का सफर

नबी करीम(स.) का इर्शाद है कि जिस ने भी मेरी मस्ज़िद(मस्ज़िदे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त की नमाज़ें बा जमात अदा की और कोई नमाज़ कज़ा न की, तो वह निफ़ाक़ और जहन्नुम के आज़ाब से निजात पाएगा।

मस्जिदे नबवी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त बा जमात नमाज़ पढ़ने की इतनी बड़ी फज़ीलत है इसलिए आपका मदीना का कयाम कमअज़कम ६ दिन का होगा। ताकि ८ दिन आप पाचों वक़्त की नमाज़ बाजमआत अदा कर सके।

अगर आप की फ्लाईट हज के अय्याम से बहुत पहले है, तो पहले आप मदीना मुनव्वरा जाएंगें। फिर वहाँ ४० वक़्त की नमाज़ पढ़कर मक्का मुकर्रमा का सफर करेंगे।

अगर मक्का मुकर्रमा से पहले मदीना मुनव्वरा का कयाम हो तो, सफर से पहले एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मदिना मुनव्वरा के कयाम के बाद में आप मदिना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए सफर करेंगें तब आपको एहराम पहनना होगा।

मदिना मुनव्वरा में रिहाईश के लिए सबके दर्जे एक जैसे है मक्का मुकर्रमा की तरह पहला, दुसरा और तीसरा दर्जा वगैरा नहीं है।

मदीना मुनव्वरा में सर्दी का मौसम मक्का मुकर्रमा से ज्यादा शदीद होता है। इसलिए अगर आपका मदीना मुनव्वरा का कयाम सर्दीयों के मौसम में हैं तो गरम कपडे जरूर साथ ले जाएं।

मक्का मुकर्रमा कि बनिस्बत मदीना मुनव्वरा systematic और पुरसुकून शहर है। शहरी शरीफ और ईमानदार है। अगर आप हस्सास तबीयत के मालिक है तो मदीना मुनव्वरा में आप को हमेशा रहमत व सकीनत का एहसास होगा।

मदिना मुनव्वरा भी मक्का मुकर्रमा कि तरह हरम शरीफ है। यहाँ पर भी जानवरों का मारना, ड़राना झाडियों को या घास तोड़ना, झगड़ा करना, रास्ते पर पड़ी चीज़े उठाना वगैरा हराम है।

हदीस शरीफ के मुताबिक दुनिया में सिर्फ तीन मुकामात की ज़ियारत के लिए सफर किया जा सकता है। १. मस्जिदे हराम (मक्का मुकर्रमा), २.मस्जिदे नबवी(स.), ३. मस्जिदे अक्सा। तो जब आप सफर करें तो नीयत मस्जिदे नबवी(स.) में नमाज़ पढ़ने कि करें।

एक हदीस के मुताबिक मस्ज़िदे नबवी की एक नमाज़ का सवाब दुसरी मस्ज़िदों से पचास हज़ार गुना ज़्यादा है।

हाज़िरी के आदाबः-

अल्लाह तआला का कुरआन शरीफ में हुक्म हैं कि :

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝٢

(سورہ حجرات،آیت:۲)

''या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर फऊ अस्वा-तकुम फौका सौतिन्नबिय्यी वला तज-हरू लहू बिल कौलि क-जहरि बअ-ज़िकुम लि-बअ-ज़िन अन तह-ब-त अअ्-मालुकुम व अन्तुम ला तश-उरून।''

"ऐ ईमानवालों! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करों और न नबी (स.) के साथ ऊँची आवाज़ से बात किया करों, जिस तरह तुम आपस में एक दुसरें से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे नेक आमाल सब बर्बाद हो जांए और तुमको खबर भी न हो।" (सुरहे हुजरात : २)

मस्जिदे नबवी की हाजिरी किसी भी शहनशाह के दरबार में हाजिरी से बढ़कर हैं। एक बादशाह के दरबार में बे अदबी से सिर्फ जान का खतरा रहता हैं। और नबी (स.) के दरबार में बे अदबी से आखिरत की बरबादि का खतरा रहता है। इसलिए वह लोग जो नबी(स.) की अज़मत को समझते थें, उन्होंने नबी (स.) कि ताज़ीम की वह मिसाल कायम की है कि तारीख में और कहीं ऐसी मिसालें नहीं मिलती। इनकी ताज़ीम की चंद मिसाले नीचे दी गई है।

१. हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) ईमान लाने के पहले नबी करीम(स.) और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थें। नजाशी के दरबार में आप ही मुसलमानों को तकलीफ पहुँचानें गए थें। आप सख्त जंगजू और इंन्तिहाई ज़हीन थें। हज़रत उमर (रज़ी.) के ज़मानें में आप (रज़ी.) ही ने मिस्र फतेह किया था। हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) कहतें हैं कि ईमान लाने के बाद मैंने कभी नज़र भरकर हुजूर (स.) के चेहरे अनवर को नहीं देखा। नबी करीम (स.) के दरबार में अदब से हमेशा सिर झुकाए रखता।

हज़रत इमाम बुखारी(रह.) की हदीस की किताब कुरआन शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मौअतबर मानी जाती है। हज़रत इमाम बुखारी(रह.) और हज़ारों अल्लाह वालों ने मदीना शरीफ की मुकद्दस जमीन पर ऐहतराम की वजह से न कभी जुते पहने और न कभी सवारी पर सवार हुऐं।

तुर्की के हुक्मराह जिनसे यूरोप और एशिया के मुमालिक कांपते थें, जब मस्जिदें नबवी बनाने का इरादा किया, तो पहलें हाफ़िज़ मर्द और हाफ़िज़ औरतों को चुना। फिर उनका निकाह किया। फिर उनसे जो औलाद हुई उन्हें भी हुकूमत की सरपरस्ती में हाफ़िज़ बनाया और साथ-साथ इमारत बनानें का हुनर सिखाया और माहिर कारीगर बनाया फिर इन माहिर कारीगरों ने दिली एहतराम के साथ दरूद व सलाम और कुरआनी आयात का विर्द करतें हुए मस्जिदें नबवी की इमारत को तअमीर किया। पत्थर तराशनें का काम शहर से बाहर करते और जब कभी किसी पत्थर को मज़ीद तराशने की नौबद आती तो फिर उसे मदिना मुनव्वरा सें १२ मील दूर ले जाकर तराशा जाता है कि नबी करीम(स.) को आवाज़ से तकलीफ न हो।

मस्जिदें नबवी (स.) एअर कंडीशन्ड हैं। मगर आज भी इसकी एअर कंडीशनींग मशीन मस्जिद में नहीं है बल्कि मस्जिदे नबवी (स.) से ७ किलो मीटर दूर हैं और वह मशीनें इतनी दूर से मस्जिद को पाईपलाईन के जरिए ठंडा करती हैं।

एक बार एक बुजूर्ग ने मदीना के क़याम के वक्त़ मदीना के दही की शिकायत की, कि बहुत खट्टी होती है। रात को एक बुजूर्ग हस्ती ने उनको तंबी किया कि अगर आपको यहाँ की दही पसंद नहीं हैं, तो मदीना से निकल जाओं।

एक बार मैं मस्जिदे नबवी (स.) में जमात से बहुत पहले पहुँच गया। नमाज़ी कम थें इसलीए में पलथी मारकर बैठ गया। जमात का वक्त करीब आया तो मस्जिद भर गई। एक हिंदुस्तानी भाई मुझे हिंदुस्तानी पहचानकर मेरे करीब आऐ और दरखास्त की, कि अगर में दो ज़ानो बैठ जाऊं, तो उनके बैठने

(बाकी पेज ८१ पर)

गुम्बदे ख़िज़रा
मस्जिद
क़िब्ला की सिम्त
सेक्यूरिटी ऑफ़िस
बाबुस्सलाम
रौज़ा-ए-नबवी (स.) की
आउट लाइन (नक्शा)
गुंबदे ख़िज़रा
सुराख़
सुराख़
मस्जिद
हज़रत फ़ातिमा (रज़ी.) का हुज्रा
सिक्युरिटी ऑफ़िस
क़िब्ला की सिम्त
ग़िलाफ़
ज़मीन की सतह
जाली
जाली
चौकोर कमरा पर गुंबद
पाँच कोनी कमरा की दीवार
पाँच कोनी
कमरा की दीवार
हुज़ूर (स.) की क़ब्र
मुबारक जो के कच्ची है
जाली
आप यहाँ खड़े होकर
दुरूद व सलाम पढ़ेंगे
हज़रत अबुबकर (रज़ी.)
की क़ब्र मुबारक
ग़िलाफ़
चौकोर हुज्रा का कमरा
हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.)
की क़ब्र मुबारक
सीसा पिलाई दीवार जो के
पानी की सतह तक है और
रौज़ा-ए-मुबार के चारों तरफ़ है
सीसा पिलाई दीवार जो के
पानी की सतह तक है और
रौज़ा-ए-मुबार के चारों तरफ़ है
पानी की सतह
पानी की सतह

दरबारे रिसालत कि पहली हाज़री

नबी करीम(स.) की अपनी उम्मत से मोहब्बतः-

मौहसीन इन्सानीयत (स.) जो इस मस्जिदे नबवी में आराम फरमां है, वह आपसे बेइंन्तिहा मोहब्बत करते है और इसकी गवाही कुरआन शरीफ इन अल्फाज़ में देता हैः

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (سورہ توبہ، آیت:۱۲۸)

''ल-कद जा-अकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअ्-मिनीना रऊफुर्रहीम।''

"बेशक तुम्हारे पास अल्लाह के पैग़म्बर आए है, जो तुम ही में से है। उन पर वह चीज़ें गिराँ गुज़रती हैं जिस से तुम को तकलीफ़ पहुँचे। वह तुम्हारी भलाई का हरीस है। और इमान वालों पर बड़ा शफ़्क़त करने वाला है।"
(सुरहे तौबा आयत १२८)

नबी करीम(स.) ने फरमायाः "मुसलमानों में जिसका कोई वारिस नहीं है उसका मैं वारिस हूँ और अगर वह अपना कर्ज चुँकाए बगैर मर जाए, तो मैं उसका कर्ज चुँकाउंगा।"(बुख़ारी शरीफ)

एक हदीस का मफहुम है कि "ऐ लोगो! मैं तुम लोगों को कमर से पकड पकड कर जहन्नुम के घड़े से दूर लिए जाता हूँ और तुम हो कि उसकी तरफ लपकते रहते हो।"(मुस्लिम)

एक हदीस का मफहूम है कि एक मोमिन की जान पर खुद उस मोमीन से ज्यादा मेरा (नबी करीम (स.) का) हक़ है। (मिशकात)

आप पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान व करम है कि उसने आप को अपने घर (खाने काबा) के दीदार का शर्फ बख्शा और हज का फरीज़ा अदा करने कि तौफिक अता फरमाई। इसके बाद अल्लाह तआला का मज़ीद एहसान व करम हुआ कि उसने आप को नबी करीम (स.) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और आप(स.) के रोज़े मुबारक के रूबरू खड़े होकर दरूद व सलाम पढ़ने की तौफिक अदा फरमांई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल की गहराईयों से अदब और एहतराम के साथ मस्जिदे नबवी की तरफ क़दम उठाएं।

मस्जिद में दाखलाः-

१) अच्छी तरह से नहा धो कर, नया कपड़ा पहन लें। खुश्बु लगा लें और दुरूद व सलाम पढ़ते हुऐ मस्जिदे नबवी की तरफ़ चलें।

२) मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त दाहिना क़दम मस्जिद में रखें और यें दुआ़ पढ़ें

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِیْ اَبْوَابَ رَحْمَتِکَ.

''बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलमु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्मफ-तह-ली अब्वा-ब-रह-मतिका।''

तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाख़िल होता हुँ और रसूल अल्लाह (स.) पर दुरूद व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे रब; मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।

३) अगर जमाअत का वक़्त न हो तो दो रकअ़त तहीयतुल्मस्जिद पढ़ लें और अगर जमात का वक़्त हो, तो पहले जमात से नमाज़ अदा कर लें।

४) रौज़ा मुबारक, मस्जिद में क़िब्ला की तरफ; (जुनूब की सिम्त) है और रौज़ा मुबारक की ज़ियारत के लिए आप को मग़रिब की सिम्त से दरवाज़ा नंबर एक बाबुस्सलाम से दाख़िल होना होगा।

५) इंतेहाई अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आगे बढ़ें। यह अदब का मुक़ाम है। आवाज़ नीची रखें, किसी से ग़ैर ज़रूरी बात चीत से परहेज़ करें और पूरा ध्यान दोनों जहाँ के शहिंशाह के सामने अपनी हाज़िरी पर रखें।

६) रौज़ा मुबारक के सामने तीन जालियाँ हैं। मगर आप (स.), हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ (रज़ी.) और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) आप तीनों हज़रात दरम्यानी जाली के पीछे ही आराम फरमा हैं। अपने रौज़ा मुबारक में हुज़ूर(स.) का क़दम मश्रिक़ की तरफ़, सर मगरिब की तरफ और चेहरा अनवर का रूख़ क़िब्ला की तरफ़ है (जुनूब की तरफ़)। जब आप रौज़े मुबारक के सामने खड़े होंगे तो आप की पीठ क़िब्ला की तरफ़ होगी और आप का रूख़ हुज़ूर (स.) की चेहरा अनवर की तरफ़ होगा।

आप के पीछे (शुमाल की तरफ़) और कंधों की बराबरी में हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ (रज़ी.) आराम फरमा हैं और हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ (रज़ी.) के पीछे (शुमाल की तरफ़) और कांधों की बराबरी में हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) आराम फरमा हैं।

हुज़ूर (स.) पर दरूद व सलामः-

७) दरम्यानी जाली में तीन गोल सूराख़ हैं। पहले सूराख़ के सामने आप (स.) का चेहरा अनवर है। यहाँ पहुँच कर रूक जाऐं और इस तरह सलात व सलाम पढ़ें।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْکَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْکَ يَانَبِیَّ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْکَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْکَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْکَ يَاخَاتَمَ الْاَنْبِيَاءِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْکَ يَا سَيِّدَ
الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ.

अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह

अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खै-र-खल्किल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खा-तमल अम्बिया
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अम्बियाए वल मुर्सलीन व रह-मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू

रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के रसुल (स.)
रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के नबी (स.)
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के हबीब (स.)
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ बेहतर अल्लाह कि मखलुफ
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ खातम-उल-अंबीया(आखरी नबी)
दरूद और सलामती हो तुझपर ऐ नबियों के सरदार
और भेजे हुए पैगंबरों को अल्लाह कि रहमत और उसकी बरकत

हुज़रत अबु बक्र सिद्दीक (रजी.) पर दरूद और सलामः

८) हुज़ूर (स.) पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहीनी तरफ़ बढ़ कर दुसरे सूराख़ के सामने रूक जाऐं। इस सुराख़ के सामने हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ (रज़ी) का चेहरा मुबारक है। यहाँ इस तरह से सलाम पढ़ें।

اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا اَبَابَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ
اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِى الْغَارِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

अस्सलामु अलैका या अबा बक्रिनिस्सिद्दीक
अस्सलामु अलैका या खली-फता रसूलिल्लाह
अस्सलामु अलैका या वज़ी-र-रसूलिल्लाह
अस्सलामु अलैका या या साहि-ब-रसूलिल्लाहि फील ग़ारी व रह-मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू।

जनाब अबुबक्र सिद्दीक़ (रज़ी) आप पर सलाम हो,
रसूल अल्लाह (स.) के ख़लीफ़ा आप पर सलाम हो,
रसूल अल्लाह (स.) के वज़ीर आप पर सलाम हो,
रसूल अल्लाह (स.) के ग़ार के साथी आप पर सलाम, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों।

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) पर दरूद व सलामः-

९) हज़रत अबुबक्र सिद्दीक़ (रज़ी.) पर सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहीनी तरफ़ बढ़ें और तीसरे सूराख़ के सामने रूक जाऐं। इस सूराख़ के सामने हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) का चेहरा मुबारक है। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ी.) पर इस तरह सलाम पढ़ें।

اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِؓ
اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا عِزَّالاسْلام وَالْمُسْلِمِيْنَ
اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا وَزِيْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
اَلسَّلامُ عَلَيْکَ يَا اَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالاَرَامِلِ وَالاَيْتَامِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

अस्सलामु अलैका या उ-म-रब्निल खत्ताब
अस्सलामु अलैका या इज़्ज़ल इस्लामि वल मुस्लिमीन
अस्सलामु अलैका या वज़ी-र-रसूलिल्लाह
अस्सलामु अलैका या अमीरूल मुअ्-मिनीना वल अरामिलि वल अैतामि व रह-मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू।

आप पर सलाम हो, ऐ उमर बिन अल्ख़ताब (रजी.),
आप पर सलाम हो, ऐ मुसलमानों के अमीर,
आप पर सलाम हो, ऐ इस्लाम और मुसलमानों की आबरू बढ़ाने वाले,
आप पर सलाम हो, ऐ फ़क़ीरों, ज़ईफ़ों, बेवाओं और यतीमों की दस्तगीरी और मदद करने वाले और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों।

१०) हुज़ूर (स.) का इर्शाद है कि जब कोई मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह तआला मेरी रूह को मेरे जिस्म में वापस भेज देता है और मैं उस का जवाब देता हूँ।(मिश्कात)

आप (स.) का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने एक फ़रिश्ता मेरी क़ब्र पर मुकर्रर कर रखा है। दुनिया में जब कोई मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो वह फ़रिश्ता मुझे उस की ख़बर करता रहता है।
(तरगीब-रावी हज़रत हसन(रजी.))

आप (स.) का इर्शाद है कि फ़रिश्ते दुनिया में सियाहत करते रहते हैं, और दुनिया में जो कोई भी मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है वह मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। -(रावी हजरत आली (रजी.))

इस लिए आप कहीं से भी हुज़ूर (स.) पर दुरूद व सलाम भेजेंगे वह हुज़ूर (स.) को ज़रूर पहुँचेगा और आप (स.) उस का जवाब देंगे। इस लिए रौज़ा मुबारक के सामने सेक्युरिटी गार्ड और लोगों के हुजुम को हटा कर जाली छूने, चूमने, रूकुअ् की तरह झुकने और हर तरह की बेअदबी से बचें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज ६१ का बक़िया....मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

अपने गाईड को इन मुकामात की सैर कराने का ज़रूर इसरार करें।

१) ***खाके शिफ़ाः-*** इस मिट्टी से हुजुर (स.) ने इलाज का तरीका बताया था।

२) ***कबीला बनी नज़र के मकानातः-*** यह हुजुर (स.) कि वालिदा का कबीला था।

३) ***बागे समुनः-*** यह उस यहुदी का बाग है जिसमें हज़रत अली (रज़ी.) काम करते थें।

४) ***बागे सलमान फारसीः-*** इस बाग को हुजुर (स.) ने हजरत सलमान फारसी (रज़ी.) को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपने हाथों से लगाया था।

५) ***बैरे खातमः-*** इस कुएं में हुजुर (स.) कि अंगुठी हज़रत उस्मान (रजी.) की उंगली से निकलकर कुंए में गिर गई थी और बहुत तलाश के बाद भी न मिल सकी।

६) ***बैरे उस्मानः-*** इस कुए को हज़रत उस्मान (रज़ी.) ने खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था।

७) ***कबीले बनु सलमा कब्रस्तानः-*** इस कब्रस्तान में हज़रत जिब्रईल (अ.स.) ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करके हुजुर (स.) के सामने गुफ्तगू की थी।

मस्ज़िदे सबक, कबीले सलमा, मस्जिदे बुखारी, कबीला बनु जाफर, कबीला ऐर, जबलै राया इन तारीखे मुकामात के बारे में गाईड से दरयाफ्त करें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हजरत जाबीर (रजी.) कहते हैं कि रसुले खुदा (स.) ने फर्मायाः "सलाम कलाम से पहले हैं।" (यानी मुलाकात के वक़्त पहले सलाम करों फिर बातचित करों।) (तिरमिज़ी)

आप (स.) ने यह भी फर्माया कि, "पहले सलाम करने वाला तक्कबुर से पाक हैं" (बेहकी)

नबी-ए-करीम (स.) का ईसार और हमारी ज़िम्मेदारियां

नबी करीम (स.) की हमसे मोहब्बत की रिवायतें हम ने पिछले सफ़हात में पढ़े।आप (स.) ने हमारे लिए जो तकलीफ बर्दाश्त कीं और कुर्बानियां दीं, उस की भी मुख़्तसर तफ़सील पढ़ते हैं।

नुबूवत के वक़्त नबी करीम (स.) के पास पच्चीस हज़ार दीनार थे।(जो कि पाँच हज़ार पाँच सौ तौले सोना या तक़रीबन नौ करोड़ रूपयों के बैंक बैलेंस के बराबर है।) और अच्छी तरह चलता हुआ मुनाफ़ा बख़्श कारेबार था। (एक हज़ार साढ़े तीन आना के बराबर है और सोलह आना का एक तौला होता है।) यह सारी रक़म जो कि आप (स.) ने कारोबार से कमाया था,मुसलमानों के लिए ख़र्च कर दिया। आप (स.) की वफ़ात के वक़्त घर में चिराग़ जलाने के लिए भी तेल न था। माँ आयशा (रज़ी.) ने इंतक़ेाल की रात एक पड़ोसी के यहाँ से क़र्ज़ लेकर चिराग़ रौशन किया था।

नुबूवत के चौथे साल नबी करीम (स.) ने जैसे ही ख़ाना काअ़बा की सिहन में तौहीद का ऐलान किया कुफ्फ़ारे क़रैश आप (स.) पर टूट पड़े और आप (स.) को बचाने की कोशिश में हज़रत ख़दीज़ा (रज़ी.) के पहले शौहर के बड़े लड़के हज़रत हारिस बिन अबी हाले (रज़ी.) शहीद हो गये।

अबु लहब और उक़्बा बिन अबी मुअ़ीत, नबी करीम (स.) के पड़ोसी थे। एक दीवार का इस के घर से मिलती और उक दीवार उस के घर से । ये दोनों कमीने मुसलसल आप (स.) के घर में गंदगी फेंकते और दरवाज़े पर गंदगी डालते।

नुबूवत के पहले नबी करीम स. अ. की साहब ज़ादियां हज़रत रूक़ैय्या और हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.), अबु लहब के बेटों उत्बा और उतैबा के निकाह में थीं।(रूख़्सती नहीं हुई थी।) अ़रब के शरीफ़ घरानों में तलाक़ बड़ी बे-इज़्ज़ती की बात समझी जाती थी। नबी करीम (स.) को ज़हनी अज़ीयत देने के लिए अबु लहब ने बेटों पर दबाव डालकर दोनों को तलाक़ देने पर मजबूर कर दिया। एक मौक़े पर कमीने उत्बा ने नबी करीम (स.) के मुँह पर थूंका और गिरेहबान पकड़ कर ऐसी गुस्ताख़ी की कि नबी करीम (स.) की ज़ुबान से इस के लिए बद्दुआ़ निकल गई। इस तलाक़ के बाद तक़रीबन दस साल तक हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.) बिन ब्याही अपने घर बैठी रहीं।

नुबूवत के पांचवे साल एक बार आप (स.) हरम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। जब आप (स.) सिजदे में गये तो आप (स.) के पड़ोसी उक़्बा बिन अबी मअ़ीत ने आप स.अ. की गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी (आंत) रख दी जो इतनी वज़नी थी कि आप (स.) अपनी गर्दन न उठा सके। जब आप (स.) के घर वालों को ख़बर हुअई तो बीबी फ़ात्मा (रज़ी.) दौड़ी दौड़ी आयीं और गंदगी को गर्दन से उतारा। इस मंज़र को देखकर कुफ़्फ़ार हंसते और मज़ाक़ उड़ाते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ी.) कहते हैं कि मैं ग़ुलाम ओर मजबूर था और आप (स.) की मदद न कर सका। आप (स.) की इस हालत पर मुझे बेहद तकलीफ़ हुई।

एक बार नबी करीम (स.) हरम शरीफ़ में नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ की हालत में ही उत्बा बिन अबी मुअ़ीत आया और आप (स.) की गर्दन में चादर फंदा डाल कर पेच देने लगा। गला मुबारक घुटने से आप (स.) की आँखें निकल पड़ी। हज़रत अबु बक्र (रज़ी.) ने बीच में पड़कर आप (स.) को फंदे से आज़ाद कराया।

हज के क़याम में मिना में लोगों का बड़ा मजमअ़ (भीड़) होता था और आप(स.) अक्सर उन में तब्लीग़ के लिए तशरीफ़ ले जाते। ऐसे मुवाक़ेअ़ पर अबु लहब भी पीछे चलता ओर लोगों से कहता कि यह शख़्स लात व उज़्ज़ा को छोड़ने की दावत देता है। तुम इस की बात हर्गिज़ न मानो, न ही इसे सुनों नुबूवत के तेहरवें साल भी आप (स.) मिना तशरीफ़ ले गये और बनी आमिर सअ़सअ़ (क़बीला) को दावते हक़ दी, तो उन्होंने आप (स.) की हिमायत की हामी भरी, मगर तब उनका सरदार बहरा बिन फ्रास क़ैशरी आया तो आप (स.) से बड़ी बेरूखी से मिला और कहा, ''जाइये और अपनी क़ौम से मिल जाइये''।अगर आप (स.) मेरी क़ौम की अमान मे न होते, तो मैं आप स.अ. का सिर तन से जुदा कर देता''। ये सुन कर हुज़ूर अकरम (स.) उठ खड़े हुए और अपनी ऊंटनी पर सवार हो गये इसके बाद उस बरबख़्त ने आप स.अ. की ऊंटनी के पेट पर इस ज़ोर से डंडा मारा। जिससे वह उछल पड़ी और आप (स.) ऊंटनी की पीठ पर से ज़मीन पर आ गिरे।

एक सहाबी कहते हैं, कि इस्लाम करने से पहले मैंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान है ओर लोगों को दावत देता फिर रहा है।सुबह से चल रहा है और कलमे की तरफ बुला रहा है। मैंने पूछा,''यह कौन है?'' किसी ने कहा यह कुरैश का एक नौजवान मुहम्मद (स.) है, जो बेदीन हो गया है। सुबह से वह नौजवान दावत देता रहा, यहां तक कि सूरज सिर पर आ गया। इतने में एक आदमी ने आकर उसके मुंह पर थूक दिया,दूसरे ने गिरहबान फाड़ दिया, तीसरे ने सिर पर मिट्टी डाल दी और चौथे ने चेहरे अनवर पर थप्पड़ मारा, लेकिन खूबसूरत नौजवान की ज़बान से बद्दुआ का एक लफ़्ज़ न निकला। इतने में एक लड़की ज़ारो क़तार रोती हुई पानी का प्याला लेकर आयी। लड़की को रोता हुआ देखकर आप (स.) की आंखें ज़रा नम हुईं और कहा, "बेटी अपने बाप का ग़म न कर तेरे बाप की अल्लाह हिफ़ाज़त कर रहा है, और मेरा कलमा बुलंद होगा। उन सहाबी(रज़ी.) ने किसी से पूछा,"यह लड़की कौन है?" किसी ने कहा इसकी बेटी ज़ैनब(रज़ी.) है।(बसीरत अफ़रोज़ वाक़आतः सफ़्हे नंबर २२)

हुज़ूर करीम (स.) की बड़ी साहबज़ादी हज़रत ज़ैनब(रज़ी.) जब मक्का से मदीना के लिए रवाना हुयीं, तो रास्ते में मुश्रिकों ने घेर लिया।उकरमा बिन अबु जहल और उसके साथियों ने आप (स.) के ऊंट को ज़ख़्मी कर दिया जिससे आप ऊंट की पीठ से ज़मीन पर आ गिरीं और ज़ाअ़े हो गया। सिर में चोट लगी, बहुत सा ख़ून बह गया, और इसी ज़ख़्म में कई साल बाद इंतक़ाल फ़रमाया।

नुबूवत के दसवें साल आप (स.) ने तायफ़ का सफ़र किया ताके वहां भी इस्लाम की रोशनी फैलायें। वहां के तीनों सरदार अब्दिया लैल मसऊद और हबीब का जवाब गुस्तख़ाना और तक़लीफ़दह था, न वह ख़ुद सुनना चाहते थे और न यह चाहते थे, कि आप (स.) इनकी क़ौम में तब्लीग़ करें। इसलिए शहर के बदमाश और गुंडों को आप (स.) के पीछे लगा दिया कि आप जहां जायें आप की हंसी उड़ायें और आप (स.) जिधर से भी गुज़रें आप पर पत्थर फेंकें आप (स.) दस या बीस दिन तक ये मुसीबतें झेलते और सब्र करते रहे। आख़िरी दिन उन्होंने ज़ुल्म की हद कर दी। वह अपने हाथों में पत्थर ले कर सफ़-ब-सफ़ खड़े हो गये। आप (स.) क़दम उठाते ओर ज़मीन पर रखते तो वह बद-बख़्त आप (स.) के टख़्नों पर पत्थर मारते। चूंकि क़त्ल का इरादा न था सिर्फ अ़ज़ीयत देनी थी इसलिए तीन मील तक वह आप (स.) का इसी

तरह पीछा करते रहे ओर पत्थर बरसाते रहे, भागते-भागते जब आप (स.) थक कर और ज़ख़्मों से चूर होकर बैठ जाते तो फ़िर वह गुंडे आप (स.) का बाज़ू पकड़कर खड़ा कर देते, गालियां देते, तालियां बजाते, आवाज़ कसते और वलने पर मजबूर करते और फिर पत्थर की बारिश करते। पत्थरों से इतनी चोंटें आयीं कि आप (स.) के नालेन (जूता) मुबारक ख़ून से भर गया। जिस्म ज़ख़्मों से चूर हो गया और फ़िर आप (स.) बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत ज़ैद (रज़ी.) आप (स.) को अपनी पीठ पर उठा कर आबादी से बाहर लाये।

मक्का में तक़रीबन दस साल तक हुज़ूर (स.) तकालीफ़ उठाते, ज़लील हरकतें करते, उबाशों के झण्डे आप (स.) के पीछे आवाज़ें कसते, रास्ते में ग़िलाज़त ऊपर डाली जातीं, रातों में गुज़र गाह में कांटें बिछाये जाते, गालियों से तवाज़ो की जाती, सिरे अक़्दस पर ख़ाक फेंकी जाती। अबू जहल ने खुद एक बार आप (स.) को पत्थर से हलाक करने की कोशिश कर डाली। इस तरह ऐसी हज़ारों मुसीबतें आप (स.) बर्दाश्त करते रहे। दौरे नुबूवत के तेहरवें साल कुरैश के चालीस दरिन्दों ने आप (स.) का शहीद करने के इरादे से रात भर आप (स.) के घर को घेरे रखा। मगर आप (स.) ब-हिफ़ाज़त मदीना हिजरत कर गये।

ग़ज्व-ए-अहद के दिन अब्दुल्लाह इब्न क़ुमैय्या ने इस ज़ोर ाक हमला किया कि आप (स.) का रूख़्सार मुबारक ज़ख़्मी हो गया। 'ख़ुद' के दो हल्क़े (Ring) रूख़्सार मुबारक में धंस गये। उत्बा अबी वकास ने पत्थर फेंक कर मारा जिससे नीचे के दंदाने मुबारक शहीद हो गये और होंठ कट गया। अब्दुल्लाह बिन शहाब ज़ौहरी ने पत्थर मारकर पैशानी लहूलुहान कर दिया। हज़रत अबु उबैद इब्न जर्राह ने 'ख़ुद' के एक हल्क़े को दांतों से पकड़कर इस ज़ोर का खींचा कि ज बवह रूख़्सारे मुबारक से निकला तो हज़रत अबु उबैद इब्न जर्राह का दांत भी टूट गया और हज़रत अबु उबैद (रज़ी.) पीठ के बल ज़मीन पर गिर पड़े। इसी तरह जब दूसरा हल्क़ा दांत से पकड़कर खींचा तो इतना ज़ोर से लगाना पड़ा कि हल्क़ा निकालते वक़्त दूसरा दांत भी टूट गया। हुज़ूर (स.) के ज़ख़्मों से ख़ून किसी तरह बंद न होता था। ज़ख़्मी हालत में कुछ दूर चले ताकि महफ़ूज़ मक़ाम पर मुंतक़िल हो जायें । कि अबु आमिर फ़ासिक़ के खोदे हुए गड्ढे मे गिर गये। जिसे उसने पत्तों से ढांक रखा था। हज़रत अ़ली (रज़ी.) और हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह (रज़ी.) की कदद से बड़ी मुश्किल से गड्ढे से निकल कर ऊंचाई पर तशरीफ़ ले गये।

मदीना मुनव्वरा में भी आप (स.) और आप (स.) के घर वालों को जो भी माले ग़नीमत मिलता सब ग़रीबों पर ख़र्च कर देते।तीन तीन माह घर में चूल्हा जलता, तीन तीन दिन फ़ाक़े होते। रोटी खते भी तो 'जौ' की। हर इंसानों को जहन्नम से बचान की इतनी फ़िक्र थी कि रात रात भर रो कर दुआ़एं मांगा करते और इस क़दर मशक़्क़त उठाते कि वह अल्लाह जिस ने आप स.अ. को पैग़म्बर बनाकर लोगों तक दीन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी दी थी, उसे भी कहना पड़ा कि : لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝۳ (سورہ شعراء، آیت:۳)

''ल-अल्ल-क बाखिउन नफ-सका अल्ला यकूनू मुअ-मिनीन।''

(आप इस तरह मशक़्क़त क्यों उठाते हो?) ऐ पैग़म्बर (स.)! शायद तुम इस रंज से कि यह लोग ईमान नहीं लाते। अपने आप को हलाक कर लोगे!

(क़ुराने करीम, सूरह शोअ़रा, आयतः३)

वह जिस के सदक़े में अल्लाह तआ़ला ने इस क़ायनात को ज़ीनत बख़्शी। वह जिसका हम पर हमसे ज़्यादा हक़ है। वह शफ़ीक़ हजे अल्विदा के मौक़े पर जब आप (स.) ने अपने सवा लाख सहाबा (रज़ी.) से पूछा कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह तआ़ला के फ़रमान पहुंचा दिया और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया तो सब ने एक ज़ुबान हो कर कहा कि बेशक हम गवाह हैं कि आप (स.) ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया।

नबी करीम (स.) ने तो अपनी सारी दौलत और आराम व सुकून और सारी ज़िन्दगी हम तक दीन पहुंचाने के लिए क़ुर्बान कर दी और अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब बारी हमारी है कि अपना फ़र्ज़ अदा करें। नबी करीम (स.) का इर्शाद है कि कोई शख़्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे ख़ुद उस की जान से ज़्यादा अ़ज़ीज़ न हो जाऊं।(मुस्लिम-बुख़री)

जान से ज़्यादा अ़ज़ीज़ होने का क्या मतलब है? कि इंसान को नबी करीम(स.) के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ करने से ज़्यादा आसान जान देना लगे। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम (स.) ने हमें क्या हुक्म दिया है?

यह किताब हज के मौज़ुअ़ पर है, इस लिए हम इस में नबी करीम (स.) के सारे इर्शादात शामिल नहीं कर सकते। नबी करीम (स.) ने अपने आख़िरी हज के मौक़े पर अ़रफ़ा के मैदान में अपने उम्मतियों को जो हुक्म दिया था सिर्फ़ वही यहाँ नक़ल करते है। आप (स.) ने इर्शाद फ़रमायाः

''सारे इंसान बराबर हैं। न कोई किसी से बड़ा है न छोटा। अगर कोई किसी से ज़्यादा इज़्ज़त दार है तो वह तक़्वा के बुनियाद पर है।

''सारे मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं।

''मुसलमानों की जान-व-माल और इज़्ज़त एक दूसरे पर हराम है। कोई एक दूसरे को न जान से मारे, न माल बर्बाद करे, न बेइज्जत करें।

''औ़रतों से बेहतर सलूक करो। तुम में बेहतर वह है जो उसकी बीवी के लिए सब से बेहतर हौ सूद हराम है। न कोई सूद ले, न दे।''

''अल्लाह तआ़ला की किताब और मेरी सुन्नत को मज़बूती से पकड़े रहना। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी गुमराह न होगे। जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है वह उन लोगों तक पहुंचा दें, जिन तक नहीं पहुंची। चाहे वह एक ही आयत क्यों न हो। नबी करीम (स.) ने फ़रमाया कि, ऐ मुआ़सरूलमुस्लिमीन तीन बातें सीने को पाक रखती हैं।(१) अअ़्माल में इख़्लास (२) दीनी भाईयों की ख़ैरख़्वाही (३) मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद।

क्या हम उन में से एक भी नहीं इर्शादे नबुवी पर अ़मल करते है? क्या हम मुस्तक़बिल में आप (स.) के दूसरे अहकामात पर अ़मल करेंगे।

एक समझदार के लिए हर दिन ज़िन्दगी की नई शुरूआ़त होती है। इस हज के मुबारक सफ़र में जब अल्लाह तआ़ला इंसानों को गुनाहों से बिल्कुल पाक-व-साफ़ कर देता है, हम फ़िर से अपनी रूहानी ज़िन्दगी की शुरूआ़त करें। हम और आप अपने शफ़ीक़ और करीम नबी (स.) के रौज़-मुबारक के सामने यह अ़हद करे कि जो हो चुका सो हो चुका। इन्शा अल्लाह नई ज़िन्दगी में आप (स.) के एक बार भी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्ज़ी नहीं करेंगे, और पूरे ख़ुलूस के साथ सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे।

हर पीर और जुमेरात के दिन उम्मत के अअ़्माल नबी करीम (स.) के सामने पेश किये जाते हैं। हम और आप उस अ़हद के बाद जो कुछ करेंगे वह नबी करीम (स.) के सामने हर हफ्ता पेश होगी अगर हम आप (स.) के इर्शादात की ख़िलाफ़ वर्ज़ी की तो शफ़ीक़ और करीम (स.) को उससे बड़ी सख़्त तकलीफ़ होगी, और हमारा शुमार भी सच्चे और पक्के मुसलमानों में नहीं होगा बल्कि उन मुश्रिकीन और मुनाफ़िक़ीन की तरह के लोगों में होगा जो ज़िन्दगी भर नबी करीम (स.) को सख़्त तकालीफ़ पहुंचाते रहे, और अब हम और आप (स.) की आराम गाह (क़ब्रे अनवर) में भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं।

इस लिए आईये! हम वतन वापसी के सफ़र के साथ एक नई ज़िन्दगी की शुरूआ़त करें जो पूरी तरह नबी करीम (स.) की सून्नत के मुताबिक़ हो।

अल्लाह तआ़ला हमें, आप को और सारी दुनिया के मुसलमानों को दुनिया और आख़िरत में सुर्ख़रूह और कामयाब फ़रमाये। आमीन !!

▼▼▼▼▼▼▼

हज से मुतअ़ल्लिक़ चन्द मशहूर ग़लतियाँ

नबी करीम (स.) ने दौलत होने के बावजूद हज न करने वालों से सख़्त नाराग़ी का इज़हार किया है। बहुत सारे लोग बहाना करते है कि कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। बच्चे छोटे हैं वग़ैरह वग़ैरह आज कल कुछ टूर वाले सिर्फ सात से दस दिन में हज कराते हैं। इतने सारे वसाइल ओर पैसा होने के बावजूद हज न करना एक बहुत बड़ी ग़लती है।

कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, मगर फ़िर भी ह करना चाहेते हैं। वह इसके लिए लोगों से पैसा मांगते फिरते है। बहुत ग़लती और लोगों को तकलीफ़ देने का काम है। जब आप के पास पैसा होगा तब ही हज फ़र्ज़ होगा। इसके बाद ही हज कीजिएं चंदा मांग कर लोगों को परेशान मत कीजिए।

ऐसा खानदान जो पहले गरीब था फिर बच्चे बड़े हुए और रूपया कमाने लगे और हज हो गया। तो हज उस पर फर्ज़ होता है जो रूपया कमाता है। अगर लड़का कमाता है तो हज लड़के पर पहले फर्ज़ होगा। अगर ऐसा लड़का हज सिर्फ मॉं-बाप को कराता है और खुद हज किए बगैर मर जाता है तो गुनाहगार होगा। मॉं-बाप को हज ज़रूर कराऐं मगर हज फर्ज़ होते ही खुद भी हज करें वरना गुनाहगार होंगे।

नबी करीम (स.) की एक हदीश का मफहूम है कि आने वाले ज़माने में लोग तीन वजह से हज करेंगे। अमीर तफ़रीह के लिए हज करेंगे, ग़रीब भीख मांग कर हज करेंगे और दरम्यानी तबक़े के लोग तिजारत के लिए। इन तीनों वजहों से हज करना बहुत बड़ी ग़लती है।

उम्रह हज-ए-असग़र है और हज, हज-ए-अकबर है। अब यह हज चाहे जिस अदन भी हो, हजे अकबर ही माना जायेगा। सिर्फ़ जुमअ़े के दिन के हज को 'हजे-अकबर' समझना ग़लत है।

अपने हज का बार बार तज़किरह करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप के हाजी होने का इल्म हो। एक रियाकारी है।

घर से हज के सफ़र पर कफ़न ले जाना और उस हज का एक हिस्सा समझना ग़लत है। पचास साल पहले सऊदी अ़रबिया एक ग़रीब मुल्क था। हज का बहरी और रेगिस्तानी सफ़र भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी की मौत हो जाये, तो कफ़न का इंतेज़ाम मुश्किल होता है। इसलिए हाजी अपने साथ कफ़न रखते थे। आज के दौर में सऊदी अ़रब दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। सफ़र भी आसान हो गया है। कफ़न अब आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए कफ़न साथ ले जाना ज़रूरी नहीं रहा। हज के बाद बहुत से लोग अपने इस्तेअ़माल शुदा एहराम को अपने कफ़न के लिए महफ़ूज़ कर लेते है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं।

लोग हज से पहले न हज का तरीक़ा अच्छी तरह सीखते हैं, न हरम के चालीस दिन के क़याम के बारे में मअ़लूमात हासिल करते हैं। इस वजह से कभी कभी खुद उनकी अपनी ग़लती की वजह से और कभी टूर और हिंदोस्तानी सफ़ारत ख़ाने की मजबूरी या लापरवाही की वजह से हाजियों को सख़्त तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। जिसे तकलीफ़ हूई है, पहले इस बात को समझे कि उसे ऐसी तकलीफ़ क्यों हुई? फिर क़ानूनी व दीग़र तरीक़ों से कोशिश करें कि दूसरे हाजियों को फिर ऐसी तकलीफ़ न हो। दौराने हज की अपनी तकलीफ़ों का बार बार बयान करने से लोग सफ़रे हज से ख़ौफ़ज़दा हो जाते हैं, और हज न करने या देर से करने के बहाने तलाश करने लगते हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ों का इस तरह ज़िक्र करना कि कोई ख़ौफ़ ज़दा हो जाये, ग़लत काम है। हज के सफ़र में जितनी तकलीफ़ आप को होगी अल्लाह तआ़ला उसका अज्र आप को देंगे।

मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इबादत का मज़ा और मस्जिदों की पूर नूर फ़िज़ा जन्नत से कम नहीं। इसलिए हज के मुद्दतों बाद तक लोग उसके सरवर और मस्ती में मस्त रहते हैं, और बे इख़्तियारी तौर पर उनके ज़बान से वहाँ की ऐसी तअ़रीफ़ निकलती है, कि दिल वहाँ की इबादत की ख़्वाहिश में तड़पतने लगता है। ग़रीबों के सामने ऐसी तअ़रीफ़ों और बयानात से बचना चाहिए। जिससे उनके दिल अपने मालिक का घर और महबूब का गुम्बद देखने के लिए तड़प जाये और फिर अपनी मजबूरी और बेबसी पर उदास और ग़मग़ीन हो जाये। किसी मोमिन का दिल दुःखाना और तकलीफ़ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है।

हज नमाज़ की तरह एक इबादत है। हज के सफ़र पर, अ़ज़मत, वक़ार, सादगी और आजिज़ी के साथ निकलना चाहिए। फूलों का हार पहन कर ढोल बाजों के साथ घर से निकलना ग़ैर इस्लामी तरीक़ा और रियाकारी है।

इस्लाम किसी भी औ़रत को बग़ैर महरम के, न किसी सफ़र की इजाज़त देता है और न इसके साथ तन्हाई में रहने की इजाज़त देता है। एक औ़रत चाहे वह किसी भी उम्र की हो, अगर बग़ैर महरम के हज के सफ़र पर जाती है, तो एक बड़ा गुनाह करती है। और हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाहों के बराबर है।

लोगों के पास हज न करने का एक और बहाना है, कि हमारा पैसा हलाल नहीं है। पहली बात तो यह कि जब पैसा हलाल नहीं था, तो कमाया ही क्यों?और दूसरी बात यह कि हज दौलत आने पर फ़र्ज़ होता है, न कि सिर्फ़ हलाल दौलत के आने पर। जब आप अपनी दौलत से खा पी रहे हैं और बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो हज भी कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह तआ़ला बे नियाज़ भी है और कह्हार और जब्बार भी है। उसे किसी की भी इबादत की ज़रूरत नहीं है और उसने वआ़दा भी किया है कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूंगा।

बड़े उम्रह और छोटे उम्रह की कोई हक़ीक़त नहीं है। जो आफ़ाक़ी हैं उन्हें उम्रह का एहराम 'हील' की बाहरी सरहद (मिक़ात) से बांधना होता है। जो अहले हिल हैं वह हिल की हुदूद में कहीं भी एहराम बांध सकते हैं। जो अहले हरम या मक्की हैं उसका असर उम्रह या हज की फ़ज़ीलत पर नहीं पड़ता। अगर अहले हरम तन्ई़म के बदले, ज़ुल्हुज़ैफ़ा जाकर उम्रह का एहराम बांधें, तो यह उनके उम्रह की फ़ज़ीलत तो नहीं बढ़ायेगा अल्बत्ता वक़्त बर्बाद ज़रूर करेगा।

हज और उम्रह की अदाएगी के दौरान होने वाली बअ़ज़ आ़म ग़लतियांः-

एहराम की इब्तेदा से मुनासिक हज की इन्तेहा तक इज़्तिबाअ़ की हालत में रहना।(तवाफ़ के इलावा इज़्तिबाअ़ करना मकरूह है।)

एहराम बांधने के बाद नीज़ अरफ़ात व मुज़्लफ़ा में तल्बिया कहते वक़्त आवाज़ बुलन्द न करना या तल्बिया छोड़ ही देना।

तवाफ़ या सई के दोरान हर चक्कर के लिए बाअ़-ज़ दुआओं को ख़ास करना, जबकि इस दौरान सिर्फ़ यह मशरूअ़ है कि जो चाहे दुआ मांगे या

अल्लाह का ज़िक्र करे या क़ुर्-आन मजीद की तिलावत करे।

तवाफ़ के दौरान बुलन्द आवाज़ से मिल कर दुआऐं पढ़ना जो दूसरों के लिए तशवीश का बाअ़ेस बनती है।

सफ़ा पर चढ़ते हुए कअ़बा की तरफ़ इशारा करना।

सब्ज़ निशानियों के दरम्यान बाअ़-ज़ औ़रतों का दौड़ना, जबकि यह हुक्म सिर्फ़ मर्दों के लिए है।

बाअ़-ज़न लोग यह समझते हैं कि 'सफ़ा' से सई शुरू करके वापस 'सफ़ा' पर पहुंचना यह एक चक्कर है, यह सही नहीं है। सही यह है कि जब 'सफ़ा' से शुरू करके 'मरवा' पर पहुंच गया, और जब 'सफ़ा' पर वापस आयेगा तो यह दूसरा चक्कर होगा।

एहराम से हलाल होते वक़्त सिर का कुछ हिस्सा मुंडवा देना ओर कुछ को छोड़ देना। या पूरे सिर के बाल मुंडवाने या कटवाने की बजाय चन्द बालों को काट लेना।

वक़ूफ़े अ़रफ़ात के दौरान दुआ़ मांगते वक़्त क़िब्ले रूख़ न होना।

अ़रफ़ात में दुआ़ के लिए 'जब्ले रहमत' पर चढ़ने की कोशिश करना।

अरफ़ात में मिना में और अय्यामे तशरीक़ की रातों के दौरान बिला मक़सद कामों या बातों में वक़्त ज़ाअ़े करना।

ऐसा जानवर ज़बाह करना जो क़ुर्बानी की उम्र को न पहुंचा हो, या ऐबदार जानवर ज़बाह करना या ज़बाह करने के बाद जानवर को फेंक देना।

अ़रफ़ा के दिन अस्र के बाद बहुत से हाजी कूच की तैयारियों में लग जाते हैं, बावजूद इसके कि यह वक़्त दुआ़ के लिए अफ़ज़ल तरीन वक़्त है, और इस वक़्त अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों का ज़िक्र फिक्रिया अंदाज़ में फ़रमाता है।

बहुत से हुज्जाजे किराम का मुज़्दल्फ़ा की रात मग़रिब और ईशा की नमाज़ों के लिए क़िब्ले की सिम्त मअ़लूम किये बग़ैर जल्दी करना और इसी तरह फ़ज्र की नमाज़ में भी करना जबकि वाजिब यह है कि क़िब्ला की सिम्त मअ़लूम करने की कोशिश करनी चाहिए या जिसको मअ़लूम हो उससे पूंछ लेना चाहिए।

बहुत से हुज्जाज का मुज़्दल्फ़ा से आधी रात से क़ब्ल ही निकल जाना, हालांकि मुज़्दल्फ़ा में रात गुज़ारना हज के वाजिबात में से है।

बअ़-ज़ क़ुव्वत रखने वालों का किसी दूसरे को रमी जुमार के लिए वकील बनाना, जबकि यह इजाज़त सिर्फ़ मअ़जूरों के लिए है।

जम्रात कंकरियां मारते वक़्त जूतियां या बड़े बड़े पत्थर वग़ैरह फेंकना।

बअ़-ज़ हाजी (अल्लाह इनको हिदायत दे) ईद के रोज़ यह समझते हुए दाढ़ी मुंडवाते हैं, कि यह ज़ीनत का बाअ़स है। हालांकि ऐसा करना अफ़ज़ल जगहों और अफ़ज़ल वक़्त में अल्लाह की नाफ़रमानी है।

बअ़-ज़ औक़ात हज्रे अस्वद के बोसा के लिए धक्कम पेल करना, जिसमें कभी-कभार लड़ाई, गाली गलौच और दुश्मनी तक जा पहुंचती है।

बअ़-ज़ लोगों का यह समझना है कि हजरे अस्वद ब-ज़ाते ख़ुद नफ़ा देता है, लिहाज़ा आप उन्हें हजरे अस्वद को हाथ लगाकर उसे जिस्म पर मलते देखेंगे। मगर यह जिहालत है। नफ़ा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है।

हज़रत उमर (रज़ी.) ने हजरे अस्वद को हाथ लगाते हुए बड़ा तारीख़ी जुम्ला कहा थाः ''मैं जानता हूँ, कि तुम एक पत्थर हो और अपने तौर पर किसी को नफ़ा या नुक़सान नहीं दे सकते। अगर मैंने रसूल (स.) को तुम्हें बोसा देते हुए न देखा होता, तो तुम्हें कभी बोसा न देता''।

बअ़-ज़ हाजी साहिबान क़ाबा के तमाम कोनों को छूते हैं और कभी उसकी दीवारों को हाथ लगाते हैं और फ़िर उनको अपने जिस्म पर फेरते हैं, हालांकि यह जिहालत है।

बअ़-ज़ लोग रूकने यमानी को भी बोसा देते हैं और यह ख़ता है इसलिए कि रूकने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाने का हुक्म है, बोसा देने का नहीं।

बअ़-ज़ हाजी साहिबान हतीम के अन्दर से तवाफ़ करते हैं। यह सही नहीं है।

बअ़-ज़ लोग मिना में क़याम के दौरान नमाज़े जमा करके पढ़ लेते हैं। यह भी ठीक नहीं।

बअ़-ज़ हाजी साहिबान सबसे पहले बड़े जम्रह को फ़िर दरम्यानी जम्रह को और आख़िर में छोटे जम्रह को कंकरियां मारते हैं। जबकि सही यह है कि इसके बरअक्स तरतीब से कंकरियां मारी जायें ।

बअ़-ज़ लोग सातों कंकरियां मुट्ठी में लेकर एक ही बार फेंक देते हैं,और यह बहुत बड़ी ग़लती है। अहले इल्म कहते हैं कि अगर किसी ने एक ही बार एक से ज़्यादा कंकरियां फेंक दीं, तो वह एक ही कंकरी शुमार होगी। वाजिब यह है, कि एक एक कंकरी करके फेंकी जाये जैसा कि नबी करीम (स.) ने किया था।

काबा से अल्विदा होते वक़्त उसकी ओर हाथ से इशारा करना ग़लत है।

बच्चे का हजः

ना बालिग़ पर हज फर्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वह हज करे, तो उसे और उसके वालिदैन को सवाब मिलेगा। अलबत्ता बालिग़ होने के बाद उसे फिर हज करना होगा अगर बच्चा समझदार है, तो वह अपने सरपरस्त की हिदायत और रहनुमाई में खुद हज की नीयत करे और तमाम अरकान जो खुद कर सकता है अदा करें। और जो काम वह नहीं कर सकता वह उस के सरपरस्त करें, जैसे रमी जमार, क़ुर्बानी वग़ैरह और अगर बच्चा बहुत छोटा और ना समझ है, तो उसके सरपरस्त उसकी तरफ से नीयत करें और तमाम मुक़ामाते हज पर उसे साथ ले जायें। जो वह कर सकता है उससे करवायें और न कर सकता हो, तो खुद करें अगर बच्चा तवाफ़ व सई करने के क़ाबिल न हो, तो बच्चे को उठाकर तवाफ़ और सई की जाये। अफ़ज़ल ये है, के अपने और बच्चे की तरफ से मुश्तरका तवाफ़ व सई न करें बल्कि पहले अपने तवाफ़ और सई करें फिर बच्चे की तरफ़ से करें बच्चे के एहराम की एहकाम भी बालिग़ के एहकाम जैसे ही हैं।

बच्चे का हज

हज़रत साइब (रज़ी) बिन यज़ीद से रिवायत है कि मेरे बाप ने हज्जतुल विदा में मुझे रसूल अल्लाह (स.) के साथ हज कराया। उस वक़्त मैं सात साल का था। (बुख़ारी)

हज का सफ़र किस के ज़रिए करें..?
(हज कमेटी या टूर)

हज का सफ़र हज के ज़रिए किया जाये या टूर से? यह एक मुश्किल सवाल है, मैं आप से इन दोनों की हक़ीक़त बयान करता हूँ। फ़ैसला आप खुद करें कि सफ़र किस के ज़रिए किया जाये।

सऊदी हुकूमत ने हाजियों की अच्छी मेअ्यारी रिहाईश और आसानी के लिए मुंदरजा ज़ैल (नीचे दिये गये) क़वानीन बनाये हैं।

१) हर हाजी को रहने के लिए १.मी. ग ४ मी. की जगह मिलनी चाहिए।

२) हर हाजी को पलंग, गद्दा, तकिया और कम्बल मुअ़ल्लिम की तरफ़ से मिलना चाहिए।

३) बस का सारा इंतेज़ाम मुअ़ल्लिम करेगा।

४) क़याम गाह में गैस का चूल्हा और गैस पहली बार मुफ्त मिलेगा।

५) हर हाजी को उसके कमरे के बाहर ज़मज़म का पानी पीने के लिए मिलेगा।

६) हर बिल्डिंग में लिफ्ट होगी।

७) हाजी साहिबान सिर्फ़ दो जगह अपना सामान उठायेंगे। एक मक्का में बिल्डिंग की लिफ़्ट से अपने पलंग तक और दूसरी जगह मदीना में बिल्डिंग के नीचे से अपने पलंग तक। बाक़ी एयर पोर्ट तक, बस डिपो या हर जगह मुअ़ल्लिम या एयर पोर्ट के कुली सामान उठायेंगे।

८) हज कमेटी के ज़रिए जाने वालों के लिए मक्का शरीफ़ या मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर पहले एक वक़्त का खाना मुअ़ल्लिम की तरफ़ से होगा। इसी तरह अ़रफ़ात के दिन भी दोपहर का खाना मुअ़ल्लिम की तरफ़ से होगा।

ऊपर लिखी हुई सारी ज़रूरियात और सहुलतें मुहैय्या कराने का काम टूर वाले और हज कमेटी वाले किस तरह अंजाम देते हैं। उसका बयान मुदंर्जाज़ेल हैं।

हरम से नज़दीकीः-

हज कमेटीः

हज कमेटी ने हाजियों के रिहाईश गाह के तीन ग्रेड(दर्जे) बनाये हैं।

१) फर्स्ट ग्रेड(ग्रीन)ः फर्स्ट ग्रेड की क़यामगाहें हरम से ० से १२०० मीटर की दूरी पर होती हैं।

२) सेकंड ग्रेड(व्हाइट)ः सेकंड ग्रेड की कयामगाहें १२०१ से २००० मीटर की दूरी पर होती हैं।

३) थर्ड ग्रेड (अज़ीज़िया)ः थर्ड ग्रेड की कयामगाहें अज़ीज़िया इलाक़े में होती हैं, जहाँ से सिर्फ सवारी से ही आया जा सकता है।

हज कमेटी वाले इस बात की कोशिश करते हैं के वायदे के मुताबिक रिहाईश दें। व अपने वायदों और कोशिशों में ६०ः कामयाब भी होते हैं। अलबत्ता कभी कभी रिहाईशी बिल्डिंगों कि कमी की वजह से कुछ हाजियों को वायदे के मुताबिक रिहाईश नहीं मिलती।

टूरः-

टूर वाले अक्सर हाजियों का क़याम बिल्कुल हरम के पास ही रखते हैं मगर टूर वालों के भी ग्रेड होते है। जो बिल्कुल कम रूपयों पर हज कराते हैं, उनकी कयाम गाहें भी हज कमेटी की दूसरी या तीसरी ग्रेड की तरह दूर होती हैं। और जब कम दाम पर नज़दीक के होटलों में हाजियों को रखते हैं, वह हज से तीन या चार दिन पहले और हज के तीन या चार दिन बाद तक आरज़ी तौर पर हाजियों को इतनी दूर के होटलों में रखते है कि टैक्सी या बस के ज़रियें हरम आना जाना पढ़ता हैं। यह इसलिए के नज़दीक़ के होटलों में रिहाईश हज के अय्याम के दौरान बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और गैर मुल्कि अमिर हाजी उसे पहले ही से बुक किये रहतें हैं।

मिना में खैमें मुअल्लिम की तरफ से होते हैं। कभी कभी मुअल्लिम और टूर का तालमेल न होने की वजह से टूर के हाजियों को मिना में खैमा भी नहीं मिल पाता। बेचारे हाजियों को दुसरों के खैमों में पाँच दिन गुज़ारने पडते है।

हाजियों के रहने का म्यारः-

हज कमेटीः

सऊदी हुकुमत के क़ानून के मुताबिक़ हाजी किसी भी ग्रेड कि रिहाईश वाला हो (याने रिहाईश पास में हो या दूर हो) हर एक को उपर लिखे गये म्यार के मुताबिक सारी सहुलते देना जरूरी है और हज कमेटी वाले अपनी पूरी कोशिश करते हैं की उस म्यार को पूरा करें और हकिकत में वह इस कोशिश में ६० फीसद से १०० फीसद कामयाब हो जाते हैं।

टूरः

टूर वालों के लिए हज का सफर एक कारोबार हैं और मुनाफा हासिल करने का एक ज़रिया हैं इस लिए टूर वाले हर जगह रूप्या बचाते हैं और सारी सहूलतें आप के पैसे के मुताबिक़ होती हैं। दरम्यानी और कम खर्च वाले टूरीस्ट बहुत सारे हाजियों को एक ही कमरें में ठहरातें हैं, वह भी कभी कभी बगैर पलंग के। अच्छे टूर वाले हर ग्रेड के हाजि को रिहाईश पर अच्छी सहूलत देते हैं आम टूर वाले सिर्फ लक्झरी (Luxury)या (Delux) वगैरा ग्रेड के हाजियों को अच्छी सहूलतें मुहैय्या होती हैं।

खानाः-

हज कमेटीः

हज कमेटी हज कमेटी तकरीबन २६ हजार रूपयें वापस देकर और कयाम गाह पर गैस और चुल्हा वगैरा देकर बरी उज़ ज़िम्मा हो जाती है। हाजियों को खरीदकर या खुद पकाकर खाना होता है। हाजी अपनी पसंद आसानी और बजेट के मुताबिक पकाकर या खरीदकर खाते हैं।

टूरः

टूर वाले कोई रूपया वापस नहीं करते, खाना टूर की तरफ से होता है, अगर बावर्ची आपके वतन का है और खाना भी अच्छा बनाता है तो खैरियत हैं वरना चालीस दिन मज़बुरन जो कुछ मिले आपको खाना पडेगा। (में एक ऐसे टूर वाले को जानता हूँ जिसने सन् २००७ हिजरी में हाजी औरतों से भी खाना पकवाया था) कुछ अच्छे टूर वाले बहुत अच्छा खाना देते हैं।

मसलक का मसलाः-

हज कमेटीः

हज कमेटी से जाने वाले लोग मुख्तलीफ इलाको के और मुख्तलीफ मसलकों

पर अमल करने वाले होते हैं, इसलिए रिहाईशगाह पर भी एक मसलक वालों की अक्सरियत नहीं होने पाती, मकान का खौफ और मुअल्लिम के आदमियों का ड़र भी होता हैं इसलिए सब अपने काम से काम रखते हैं और मसलकी बहस व मुबाहसों में नहीं उलझते हैं।

टूरः

टूर में अक्सर लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं। टूर ऑपरेटर को भी रूपया और खिदमत का मौका देकर एहसान मंद बना चुके होते हैं। होटलों में मुअल्लिम या मकान मालिक का ड़र नहीं होता इसलिए लोग आपस में बहस और मुबाहिसा बहुत करते हैं। कुछ मसलक वालें हरम शरीफ के इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, इन लोगों को हरम में ज़मात छूट जाने का ड़र तो होता नहीं इसलिए कमरें या रिहाइश के हॉल में बहुत वक्त गुज़ारते है, मजलिस करते हैं, तकरीर कराते है। जिसकी वज़ह से दुसरे मसलक वालों को ४० दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाता है।

हवाई सफरः-

हज कमेटीः

हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं की हाजियों को ज़र्रा भर तकलीफ न हो, इसलीए हाजियों की सारी फ्लाइट हिन्दुस्तान से सीधे मक्का शरीफ या मदीना मुन्वरा के लिए होती है। हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को हवाई सफर में जो भी तकालीफ होती हैं वह उनकि अपनी हटडरमी या नावाकफियत या फिर एअर पोर्ट के अमला और एअर इंडीया कि उनकि कारकर्दगी और सियासत की वजह से होती है। इसमें हज कमेटी का कोई कसूर नहीं होता।

टूरः

हज के दिनों में सऊदी अरब कि सारी डायरेक्ट फ्लाईट पहले से रिज़र्व (Reserve) होती है। इसलिए टूर वालों को अक्सर डायरेक्ट फ्लाईट में सीटें नहीं मिलती इसीलिए वह अरब के किसी शहर का पहले टिकट निकालते हैं फिर उसी शहर से सऊदी की टिकट निकालते हैं इसलिए अक्सर हाजियों को कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक अरब के किसी एअर पोर्ट पर रहना पड़ता हैं और अगली फ्लाईट का इंतज़ार करना पड़ता है। और यह एक बहुत तकलीफ दाह मरहला होता है। जाने और आने में कुछ बड़े टूर वाले जब चार्टर फ्लाइट बुक करते है तो यह मसला नहीं होता मगर छोटे टूर वालों के साथ परेशानी का मामला होता ही है। यह मामला हज पर जाने और हज से वापस आने दोनों बार होता है। और दोनों बार (जाते और आते वक्त) जहाज़ बदलते वक्त अक्सर सामान भी छुट जाता है और कई महिनों बाद मिलता है।

धोका दहीः-

हज कमेटीः

हज कमेटी से अगर आप का नाम कुर्रा अंदाज़ी में आ गया तो आपका हज के सफर पर जाना यक़ीनी है।

टूरः

हज के दिनों मे हज के एक वीज़ा की काले बाज़ार में कीमत ८० हजार रूपएं से भी ज़्यादा होती है इसलिए ऐसे भी वाक्यात होते हैं की टूर वाले हाजियों से पहले पूरा पैसा ले लेते है फिर हज के कुछ दिनों पहले वह सारे पैसे यह कहकर लौटा देते है कि विज़ा का इन्तेजाम नहीं हो सका। दरअसल होता यह है कि अगर वह हाजी को हिन्दुस्तान से ले जाकर हज कराकर वापस लाते है तो एक हाजी पर तीस हजार से पचास हजार तक मुनाफा कमाते है, जब कि अगर वह विज़ा बेच दे तो बगैर मेहनत के हर विज़ा पर ८० हजार तक मुनाफा होता है। इसलीए धोकेबाज़ टूरीस्ट काले बाज़ार में विज़ा बेचकर हाजियों का पैसा आखरी दिनों में लौटा देते है।

शिकायत किससे और कहाँ करें?

हज कमेटीः

हिन्दुस्तान कि हुदूद के अन्दर हज से मुतालिक सारे इंन्तेजामात कि जिम्मेदारी, हज कमेटी ऑफ इंडिया, की है। मगर हिन्दुस्तान से बाहर हज से मुतालिक सारे इन्तेजामात हज कमेटी ऑफ इंडिया के बजाय "हिन्दुस्तानी हज मिशन" नामी इदारा करता है। यह इदारा हिन्दुस्तानी कॉन्सलेट की निगरानी में काम करता है। इसलिए अगर आप को हिन्दुस्तान के अंदर कोई शिकायत हो तो "हज कमेटी ऑफ इंडिया" में शिकायत करें। मगर हिन्दुस्तान के बाहर कोई शिकायत हो तो हिन्दुस्तानी हज मिशन के दफ्तर में शिकायत करें और वह भी हिन्दुस्तान लौटने से पहले करें। हिन्दुस्तानी हज मिशन और हिन्दुस्तानी सफारत खाना (कॉन्सलेट) के पत्ते और फोन नं. इस किताब के आखरी सफे पर दर्ज हैं। हज कमेटी का पता नीचे दिया है।

चीफ एक्ज़ीक्यूटीव ऑफिसर, हज कमेटी ऑफ इंडिया
हज हाऊस, ७-ए, एम.आर.ए. मार्ग, पलटन रोड, मुंबई ४०० ००१.
www.hajcommittee.com,
Fax: 022 22630461, 22620920, Tel.: 022 22612989 (6 Lines)

टूरः

टूरीजम एक बहुत बड़ा और अच्छा कारोबार है। उसमें टूर ऑपरेटर बहुत ईमान दारी के साथ ग्राहकों को बेहतरीन खिदमात देते है। मगर हाजियों के साथ ऐसा मामला नहीं होता है। इसलीए के अक्सर हाजी भोले भाले, नेक और शरीफ होते है। चूँकि जैसे वह खुद नेक होते है वैसे ही वह दुसरों को भी नेक समझतें हैं इसलिए वह टूर ऑपरेटरो पर भी भरोसा करते है और इसी भरोसे का अक्सर टूर ऑपरेटर गलत फायदा उठाते हैं। (कुछ टूर वालों का म्यार बेहतरीन है और किसी को भी किसी मामले में शिकायत का मौका नहीं देते मगर अक्सर टूर वालों से हाजियों को शिकायत होती है।)

इन टूर वालों का हज टूर के अलावा अक्सर इंम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, (Foreign Exchange) बैरून मुमालिक में रोज़गार दिलाने वगैरा के कारोबार होते हैं। यह एक पावर फुल लॉबी है। या तो यह खुद भाई होते है या भाई के भाई होते है। इसलीए किसी शरीफ हाजी की इल्तिजा या एहतेजाज का इनपर कोई असर नहीं होता अगर किसी को इन से शिकायत हो तो कानूनी कारवाई करें और इस नीयत से करें कि इन्शा अल्लाह आइंदा दुसरे हाजी उनकी शरारतों से महफूज़ रहेंगे।

टूर ऑपरेटरों का मुंन्दर्जाज़ेल दफ्तरों से किसी न किसी तरह का रिश्ता या राबता होता है। यह सारी जगहें आम हाजी कि पहुँच से बाला तर हैं। मगर अल्लाह से उम्मीद हैं कि आप की शिकायत पर किसी न किसी के कान पर जुं ज़रूर रेगेंगी।

ASSOCIATION OF ALL INDIA HAJ UMRAH TOUR ORGANISERS
Head Office: Post Box No.17377, 2nd Floor,
Halima Manzil, 4th Gavthan Lane,
Opp. P.O. Andheri (West), MUMBAI-400 058
Phone Nos: 26283011-26204886-26204887-26245572
Fax Nos: 022-2628 8453 & 022-2623 6040
E-mail: info@aihutoa.com, chairman@aihutoa.com
Website: www.aihutoa.com

बुनयादी तौर से यह टूर ऑपरेटर के मफाद की हिफाज़त के लिए बनायी गईं

(बाकी पेज ८१ पर)

सन् १८६८ ई. का एक समंदरी सफ़रे हज

नवाब सैयद सिद्दिक हसन खान (रह.) सन् १८३२ ई. में पैदा हुए। बचपन में अपने बड़े भाई के पास रहे। उलमा से इब्तेदाई दीनी तअ्लीम हासिल की। फिर चंद साल कानपुर और फरख आबाद में पढ़ते रहे। आखिर में मुफ़्ती सदरूद्दिन खान साहब सदरूस्सदूर देहली के पास हाज़िर हो कर तकमील ए इल्म की। हदीस में वह हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ (रह.) और सौकानी के शागिर्द हैं।

सन् १८६८ ई. में हज किया। इस सफर के मुख्तसर हालात उन्होंने 'इतहाफुल नब्ला' और 'ईज़ाहुल मुहज्जा' में लिखे हैं। फरमाते हैं:

बंदा ए शर्मिंदा १३ दिसम्बर सन् १८६८ ई. (सन् २७ शअ्बान १२८५ हिजरी) बाद नमाज़े ज़ोहर घर से बा इरादा ए फरीज़े ए हज बाहर निकला। २४ दिसम्बर (१६ रमज़ान) को नमाज़े अस्र से पहले बम्बई से फतेह सुल्तान नामी जहाज़ में सवार हुआ। जब जहाज़ का लंगर उठाया गया तो हवा अच्छी चल रही थी। इस लिए जहाज़ ने करीब ६० मरहले एक दिन में तय कर लिए। फिर हवा रूक गई। तीन दिन तक सर दर्द रहा और कै़ होती रही। चौथे दिन तबीअत कुछ संभली। इस जहाज़ में ३०० आदमी सवार थे। हम वुज़ू और गुस्ल समंदर के खारे पानी से करते और खाना पीना मीठे पानी से, जो हम ने जहाज़ में साथ रख लिए थे। १ जनवरी १८६६ को बाबे सिकंदर (बाब उल मज़्हब) से गुज़र हुआ। १० जन्वरी को जहाज़ हदीदा में लंगर अंदाज़ हुआ। अभी हमारे हिसाब से २८ ही तारीख थी कि वहाँ रूयते हिलाल ठहर गई। चार व नाचार बंदरगाह के लोगों के साथ इत्तेफाक करना पड़ा। ईद गाह में करीब २००० लोगों के साथ नमाज़े ईद पढ़ी। बक्या क़ज़ा रोज़े रखे। और १० शव्वाल को वापस जहाज़ पर आना हुआ।

जहाज़ ६ दिन और बंदरगाह में लंगर अंदाज़ रहा और १७ शव्वाल को लंगर उठा। जब जहाज़ चला, राह में फिर हवा बंद हो गई। तीन दिन तक जहाज़ वहीं खड़ा रहा। जब हवा चली तो रात को अब्र व बाराँ भी आया। जिस से दिन को जहाज़ जितना सफर तै करता, रात को हवा की सिम्त मुखालिफ होने की वजह से फिर पलट आता। ऐसा कई दिन तक होता रहा। कुछ न पूछो क्या हाल हुआ? न पानी बाकी रहा न खाना। सिर्फ एक वक़्त आधा पाव खिचड़ी और दो घूंट पानी बा मुश्किल मिलते थे। दम घुट कर नाक में आ गया। "हिस्ने हसीन" का खतम किया। हवा चली और जहाज़ रवाना हुआ। एक अंधेरी रात में जहाज़ किसी पहाड़ से टकराते टकराते बचा। वह तूफानी रात शबे हिज्र से ज़्यादा सियाह, सख्त व दराज़ थी। सनीचर के दिन जहाज़ में ज़िल्कअ्दा का चांद दिखाई दिया। चार ज़िल्कअ्दा को 'यलम लम' पहाड़ी (मीक़ात) का सामना हुआ। बाद नमाज़े फ़ज्र नहा धो कर उम्रह का एहराम बांधा। हज्जे तमत्तअ् की नीयत की। अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ २१ फरवरी (८ ज़ी-कअ्दा) को जिद्दाह बंदरगाह पर लंगर अंदाज़ हुआ। जान में जान आई। हदीदा से जिद्दाह का सात दिन का बहरी रास्ता तकरीबन एक माह में तै हुआ। जिद्दाह में तीन दिन क़याम रहा। १४ ज़ी-कअ्दा को महसूल जमरक (जंग) दे कर आगे बढ़े। आधी रात को अपने एक साथी सैयद अबू बक्र के साथ बाबुस्सलाम से मस्जिद उल हराम में दाखिल हुए।

खाना ए काबा पर निगाह पड़ते ही सारी तकलीफे राह व मसाईबे सफर व मताइबे बहर व बर भूल गए। आमाले उम्रह तरतीब वार अदा किए। भीड़ न होने की वजह से हज्रे अस्वद का बोसा हर चक्कर में बा खूबी मयस्सर आया। सई के बाद शब हरम में ही बसर की। सुबह अव्वल वक्त में मुसल्ला ए शाफई पर फज्र की नमाज़ पढ़कर मंज़िल पर आना हुआ। २६ ज़िल्कअ्दा (१३ मार्च) को क़ाज़ी के सामने चांद देखने की शहादत गुज़री। मगर में ने या किसी मुसाफिर ने चांद नहीं देखा।

८ ज़िल्हिज्जा को हज का एहराम बांध कर मिना पैदल गए, फिर वहाँ से सवारी के ज़रिए गए। अरफात में कब्ले वकूफ सारी "हज़फुल आज़म" पढ़ी। बाद मगरिब मुज्दल्फा की तरफ कूच किया। अरफात व मिना में बा औक़ाते फुरसत किताबत भी की। १३ ज़िल्हिज्जा को मिना से मक्का आना हुआ। १५ सफर १२८६ हिजरी सन (२७ मई १८६६ ई. सन) को क़ाफिला मदीना की तरफ चला। खिलाफे आदत २० दिन में पहुँचा। एक हफ्ता क़याम हुआ। मस्जिदे नबवी मआ मरक़द व मुतह्हर व दीगर मज़ारात ए बक़ी व शोहदा ए उहद वगैरा मयस्सर आया। वापसी में खास मदीना से उम्रह का एहराम बांधा। १२ दिन में क़ाफ़िला मक्का पहुँचा। उस वक़्त भी निस्फ शब थी। मुताफ व सई को खाली पाया और इस को गनीमते बारदा समझा। मुहल्लाह हिंदी में क़याम था। हरम में आने जाने के लिए बाबुज़्ज़ियारा था।

मक्का मदीना में कुल कयाम तकरीबन चार माह का रहा। वापसी में फैज़ुल बारी नामी जहाज़ मिला। इस में नौ सो आदमी सवार थे। इस का लंगर भी हदीदा में तीन दिन रहा। इस बंदरगाह का मुअब्बिर निहायत बदतर है। वहाँ से चल कर अदन तक ऐसी गर्मी हुई के सारे बदन पर दाने हुए। अदन से आगे बारिश का मौसम मिला। करीब ए बम्बई तूफान ने जहाज़ को तह व बाला करना शरू कर दिया। तूफानी मौजों ने मुसाफिरों के औसान खता कर दिए। २२ दिन में जिद्दाह से बम्बई पहुँचा। बारिश की वजह से बड़ी मुश्किल से जून के दूसरे हफ्ते में भोपाल पहुँचना हुआ। सारी मुद्दत इस सफर की सात माह है।

(बा शुक्रिया : माहनामा हज मेगज़ीन, मुंबई)

यह था अपने ज़माने के एक नवाब का हज का सफर। पहले ज़माने में नवाबों को भी हज के सफर में जो तकलीफ होती थीं, इस नए ज़माने में क्या इस का एक फीसद भी किसी को तकलीफ होती है? इस लिए इस मज़मून को कई बार पढ़ कर ज़हन नशीन कर लीजिए। फिर आप के अपने सफर में आप को अगर कोई तकलीफ हुई, तो आप शिकायत के बजाए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे।

अल्लाह तआला आप का सफरे हज आसान और खैर व आफियत वाला बनाए और आप को हज्जे मबरूर अता करे। आमीन

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

बद नसीब कौन?

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इर्शाद फरमायाः "अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कहता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दुरूस्ती बख़्शी और राज़ी में फ़राख़ी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए मेरे पास ना आए तो ऐसा शख़्स मेहरूमुल किस्मत और बद किस्मत है।"

तशरीहः तन्दुरूस्ती और रोज़ी की कुशादगी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअ्मत है। यह दोनों नेअ्मतें जिसे हासिल हों उस को ज़्यादा से ज़्यादा खुदा से तअल्लुक़ जोड़ना चाहिए, और कौलन व अमलन हर तरह से शुक्रगुज़ार बन्दा बनना चाहिए। लेकिन यह बन्दा नेअ्मतें पाकर एक दिन या एक हफ्ता या एक दिन या एक महीना या एक साल नहीं बल्कि पांच पांच साल तक खुदा के पास यानी बैतुल्लाह हज के लिए नहीं जाता तो इस से ज़्यादा महरूमी की बात क्या होगी? उसे जानना चाहिए कि जिस ने उस को सेहत दी है वह छीन भी सकता है। और जिस ने उस को रिज़्क़ की कशाइस से नवाज़ा है उसे पल भर में दाने दाने का मोहताज बना सकता है। इस सेहत और दौलत को ग़नीमत समझें और जल्द अज़ जल्द फ़रीज़ा ए हज से फ़ारिग़ हो। मालूम नहीं कि आइंदा यह नेअ्मतें उसे हासिल भी रहेंगी या नहीं।

(तरग़ीब बहवाला इब्ने हब्बान)

हज और उमराह की बरकतें

हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नबी करीम (स.) ने अर्ज किया, ''हुज़ूर मैं कमज़ोर भी हूं और बुज़्दिल भी।'' फरमाया, ''तू ऐसा जिहाद किया कर जिस में कांटा भी न लगे।'' उस ने अर्ज किया, ''ऐसा कौन सा जिहाद है जिस में तकलीफ ना पहुंचे?'' फरमाया, ''हज किया कर।'' (तिबरानी)

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबो करीम (स.) ने फरमाया, ''जिस ने हज किया और कोई बे हयाइ का काम नहीं किया और फस्क व फुजूर से दूर रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे आज ही पैदा हुवा है।'' (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत अबूज़र खुदरी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इरशाद फरमाया, ''अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्दुरूस्ती बख्शी और रोज़ी में फराखी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्दत गुज़र जाए और मेरे पास ना आए तो ऐसा शख्स महरूमुल किस्मत और बद किस्मत है।'' (तरग़ीब व तरहीब, बहवाला इब्ने हब्बान, ज़ादे राह ५८)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलल्लाह (स.) ने फरमाया, ''पै दर पै हज व उमरह किया करो, क्यूंकि हज व उमरह दोनो मुफलिसी व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हजे मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है।''

(जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, बहवाला मआरिफुल हदीस पेज १६६)

हम में से अक्सर बहोत ज़्यादा बहादुर नहीं है, कमज़ोर हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह ने जो भी माल व दौलत दिया है उस से बहोत ज़्यादा कमाने की तमन्ना भी है और हज ना करने पर अल्लाह तआला की तरफ से लअ्नतें भी है । इस लिए जहॉ तक मुम्किन हो हज जल्द अज़ जल्द कर लेना चाहिए। हज के बाद अल्लाह तआला की जो बे पनाह रहमतें नाज़िल होती हैं इन का कुछ ज़ाती मुशाहिदा मन्दर्जा ज़ैल है। हज और उमरह ज़िन्दगी में खुश्हाली का सबब बनते है इसलिए इस मौज़ूअ् को हम ने इस किताब में शामिल किया है।

एक हदीस शरीफ का मफ़्हूम है कि अगर बन्दे को एक पहाड़ के बराबर (या एक वादी के बराबर) सोना मिल जाए तो दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा। यही हाल मेरा था। २००४ ई.सन में अल्लाह का करम था कि मेरी माली हालत अच्छी थी मगर और ज़्यादा की तमन्नाऐं भी थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। हज करने के बाद अल्लाह ने करम किया और ज़िन्दगी एक दम चमक गई। मिसाल के तौर पर मेरे कारखाने की इमारत को रंग लगाए काफी अरसा गुज़र चुका था, दीवारें काली हो गई थीं। हज के बाद एक पेंटर मिला जिस ने मअ्मूली उजरत पर सारे कारखाने को रंग दिया। और यही काम हज के पहले लाख कोशिश के बा-वजूद किसी ना किसी वजह से टलता रहा।

हज के बाद अल्लाह तआला ने १७ मंज़िले पर बेहतरीन फ्लैट अता किया। हज के बाद मेरा कारोबार हर साल तकरिबन ८० से १००% बढ़ जाता, इस तरह ४ साल में तकरीबन चौगुना होने के बाद तरक्की की रफतार रूक गई। यही तजुरबा मेरे कई दोस्तों का रहा। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त यूनुस भाई ने हज के बाद तीन महीनों में इतना कारोबार किया जितना वह साल भर में करते थे। आज उन के पास पूना शहर के आस पास करोड़ों की जायदाद है।और तरक्की की यह उछाल उन्हें हज के बाद हासिल हुई।

इसी तरह मेरे कई दोस्त हैं जिन की खुश्हाली हज के बाद हज के बाद बहोत बढ़ी। मगर जिस तरह इस अज़ीम इबादत का सवाब और बरकतें बे-पनाह हैं उसी तरह इस अज़ीम इबादत में अगर कुछ लापरवाही की जाए या मन मानी की जाए तो लअ्नतें भी बेपनाह हैं। मैं तीन मिसालें आपके सामने बयान कर रहा हूं ताकि आप इस अज़ीम इबादत के वक्त इन्तेहाई एह्तेयात से काम लें।

निसार शेख मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन का भी मशीनें बनाने का कारखाना है। पिछले कुछ सालों से उन का कारोबार अच्छा चल रहा था। इस खुश्हाली में उन्हों ने घर तअ्मीर किया, अपनी शादी की और वालिदैन के साथ हज भी किया। मगर किसी वजह से वह मक्का और मदीना शरीफ में इमाम के पीछे नमाज़ नही पढ़ते थे और कई बार हरम की सेक्यूरिटी वसलों से खूब बहस भी की। हज के बाद उन के हालात बदल गए। उन की बनाई मशीनों में खराबी आने लगी। वक्त पर माल नहीं दे पाते, माली हालत इन्तेहाई खराब हो गई। लोगों के कर्ज़ के नीचे दब गए। मेरा भी कुछ कर्ज़ उन पर बकाया है। और अब वह मुंह छुपाए फिरते हैं।

ज़ियाउद्दीन अन्सारी का प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का कारोबार था। मसलक के मसले में उन्हों ने भी हरम की सारी नमाज़ें अकेले पढ़ीं। वतन वापसी पर वह कारोबार में भी अकेले रह गए। उन का सारा कारोबार भांजे भतीजे चलाते थे और साल में तकरीबन ८० लाख का कारोबार करते थे। मगर हज के बाद एक एक कर के सारे मुलाज़िमो ने अपना खुद का कारोबार शुरू कर दिया। अब अन्सारी साहब मक्खी मारते हैं। कुछ दुकानें किराए पर दी हुई है उन की आमदनी से घर का खर्च चलता है।

इरफान शेख ने हरम में जमाअत से नमाज़ पढ़ने से परहेज़ किया। हज के बाद माली हालत तो खराब नहीं हुई मगर हज के बाद अब खाने पीने में बहोत परहेज़ करते हैं। हज के पहले नए नए ऑरडर के लिए सफर करते थे, अब नए नए डाक्टरों की तलाश में घूमते हैं।

इस लिए बरकत के लिए बार बार हज और उमरह कीजिए, इन्शा अल्लाह बहोत बरकत होगी। मगर दीन के उसूलों का और हरमैन शरीफैन के एहतराम का बहोत ज़्यादा खयाल रखिए। (ऊपर बयान की गई तीनों मिसालों में मैं ने नाम तबदील कर दिए हैं वरना वह लोग डंडा ले कर मेरे पीछे दौड़ पड़ेंगे।)

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

सफरे हज में पढ़ी जाने वाली मसनून दुआऐं

नं.	दुआ पढ़ने का मौक़ा	अरबी में दुआ़	हिंदी में दुआ़	तर्जुमा
१.	घर से निकलते वक्त की दुआइसे वतन, हरम और हर जगह पढ़ें।	بِسمِ اللّٰہِ تَوَکَّلتُ عَلَی اللّٰہِ ، وَلا حَولَ، وَلا قُوَّۃَ اِلّا بِا اللّٰہِ .	बिस्मिल्लाही तवक्कल-तु अलल्लाही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।	शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर ईमान और उसी पर भरोसा है। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी शान वाला और अ़ज़्मत वाला है।
२.	सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ	سُبحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا ھٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ	सुब्हानल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रेनीना व इन्ना इला रब्बना लमुन्कलिबून।	अल्लाह तआला की ज़ात हर किस्म के ऐबों और नुक्स से पाक है जिस ने यह सवारी हमारे काबू में करदी। वरना हमारे पास इस को काबू में करने की ताकत नहीं थी। और हम एक दिन हमारे परवरदिगार की जानिब यकीनन वापस लौटने वाले हैं। (सूरह ज़ख्रूफ, आयत १३-१४)
३.	जब जहाज़ रवाना होने लगे	بِسمِ اللّٰہِ مُجرِھَاوَمُرسٰھَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُورٌ رَّحِیمٌ	बिस्मिल्लाही मुज्रेहा व मुर्साहा इन्ना रब्बी ल-गफूरूर्रहीम	जहाज़ों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है। बेशक मेरा रब बखशने वाला और रहम करने वाला है। (सूरह हूद, आयत ४१)
४.	उमरह करने की नीयत	اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ العُمرَۃَفَیَسِّرھَالِیْ وَ تَقَبَّلھَا مِنِّیْ	अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता फ-यस्सिर-हा-ली व तकब्बल-हा मिन्नी।	मैं उमराह की नीयत करता हूँ/करता हूँ। पस इस को मेरे लिए आसान फरमा और मेरी जानिब से कुबूल फरमा ले।
५.	तलबियाह	لَبَّیکَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیکَ لَبَّیکَ لاشَرِیکَ لَکَ لَبَّیکَ اِنَّ الحَمدَ وَالنِّعمَۃَ لَکَ وَالمُلکَ، لَا شَرِیکَ لَکَ	लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक ला-शरीका लका लब्बैक। इन्नल हम्दा वन्निअ़्म -ता लका वल्मुल्क।	हाज़िर हूँ मेरे मौला हाज़िर हूँ। हाज़िर हूँ आपका कोई शरीक नहीं हाज़िर हूँ। सारी हम्द व सताइश के आप ही सज़ावार हैं। और सारी नेअ़्मतें आप ही की हैं। और सारी कायनात में हुकूमत भी आप ही की है। आप का कोई शरीक नहीं।
६.	मक्का शहर में दाखिल होते वक्त की दुआ	اَللّٰھُمَّ اَنتَ رَبِّیْ وَاَنَاعَبدُکَ، جِئتُ الاُؤَدِّیْ فَرضَکَ وَاَطلُبُ رَحمَتَکَ وَ اَلتَمِسُ رِضَاکَ مُتَّبِعَالِّاَمرِک رَاضِیاً بِبَقَائِکَ	अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी व अना अब्दुक। जेअ़्तुल उअद्दी फर्ज़का व अतलबु रह-म-त-का वल तमिसु रिज़ाका मुत्तबि अल लि-अम्रिक, राज़ियम बिबकाइक।	या अल्लाह आप मेरे रब हैं और मैं आपका बन्दा हूँ। आपका फर्ज़ "हज्जे बैतुल्लाह" अदा करने आया हूँ, और आपकी रहमत की तलब में आया हूँ। आप मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खाल दीजिए और मैं आपकी हमेशा रहने वाली ज़ात के पास आपके हुक्म की इत्तेबा करते हुए आपकी रज़ामन्दी तलाश करने आया हूँ। आप मुझ से राज़ी होकर अपनी रज़ा का एलान कर दीजिए।
७.	मस्जिदे हरम और किसी भी मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ	بِسمِ اللّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُولِ اللّٰہِ.اَللّٰھُمَّ افتَحْ لِیْ اَبوَابَ رَحمَتِکَ.	बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मफ् तह-ली अब्वाबा रह्-म-तिक।	अल्लाह का नाम ले कर दाखिल होता हूँ और और रसूल अल्लाह (स.) पर दरूद भेजता हूँ।ऐ मेरे रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए।
८.	खाना-ए-काबा पर पहली नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़ें।	اَللّٰہُ اَکبَرُ لَااِلٰہَ اِلّااللّٰہُ	अल्लाहु अक्बर। ला इलाहा इल्लल्लाह।	अल्लाह सब से बड़ा है। नहीं है कोई मअ़्बूद सिवाय अल्लाह के।

नं.	दुआ पढ़ने का मौक़ा	अरबी में दुआ़	हिंदी में दुआ़	तर्जुमा
	दुआ के बजाए आप तकबीरे तशरीक भी पढ़ सकते हैं।	اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.	अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।	अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। नहीं है कोई मअ़बूद सिवाय अल्लाह के। और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। और तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।
९.	तवाफ की नीयत	اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ ، سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالٰى ، فَيَسِّرْهُ لِى، وتَقَبَّلْهُ مِنِّى.	अल्लाहुम्मा उरीदु तवाफा बैतिकल हराम। सब्अता अश्वतिल लिल्लाहि तआला। फ-यस्सिर्हु ली व तकब्बल-हु मिन्नी।	ऐ अल्लाह! मैं आपके इस हुरमत वाल घर का तवाफ आपकी रज़ा और खुश्नूदी के लिए कर रहा हूँ, आप इस को मेरे लिए आसान फरमा दें और मेरी जानिब से कुबूल फरमा लें।
१०.	तवाफ के चक्कर शुरू करते वक्त की दुआ या तकबीर	بِسْمِ اللّٰهِ ،اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ	बिस्मिल्लाही अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।	शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं।
११.	तवाफ करते वक्त पढ़ने की आसान तस्बीह (तीसरा कल्मा)	سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ.وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرْ. وَلَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِا اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.	सुब्हानल्लाही वल हम्दु लिल्लाही। व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।	पाक है अल्लाह की ज़ात। सारी तारीफों की मुस्तहिक ज़ात अल्लाह तआला ही की है और अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और अल्लाह बड़ा है। और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी शान वाला और अज़्मत वाला है।
१२.	रूक्ने यमानी और हज्रे अस्वद के दरमियान पढ़ने की आसान दुआ	رَبَّنَآ اٰتِنَافِى الدُّنْيَاحَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ	रब्बना आतिना फिद्दुन्या ह-स-न-तंव व फिल आखिरति ह-स-न-तंव व क़िना अ़ज़ाबन्नारं	ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भालाई अता फरमा और आखिरत में भी और हम को दोज़ख के अज़ाब से बचाले। (सूरह बक्रह, आयत २०१)
१३.	मकामे इब्राहीम पर यह दुआ पढ़ें।	وَاتَّخِذُوْمِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلّٰى	वत्तखिज़ु मिम मक़ामे इब्राहीमा मुसल्ला।	तुम मकामे इब्राहीम के पास अपना मुसल्ला बनाओ। (सूरह बकरा:१२५)
१४.	ज़म ज़म का पानी पीते वक्त यह दुआ पढ़ें।	اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً، وَّرِزْقًاوَّاسِعًا وَّ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ	अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका इल्मन नाफिअंव व रिज़्कन वासिअंव व शिफाउम् मिन कुल्ली दा।	ए अल्लाह! मुझे नफा वाला इल्म दे, रिज़्क में वुस्अत और फराखी दे और हर बीमारी से शिफा अता फरमा।
१५.	सफा और मरवाह पर सई के लिए जाते वक्त यह दुआ पढ़ें।	اَبْدَأُبِمَابَدَأَاللّٰهُ بِهٖ، اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَمِنْ شَعَآئِرِاللّٰهِ.	अब्द-उ बिमा बदाउल्लाहु बिहि। इन्नस्सफा वल मर्वता मिन शआइरिल्लाह।	इब्तेदा करता हूँ मैं उस से जिस से इब्तेदा की है अल्लाह तआला ने। यकीनन सफा और मरवाह अल्लाह तआला की निशानियों में से है।(सूरह बक्रह, आयत १५८)
१६.	सई की नीयत	اَللّٰهُمَّ اِنِّى اُرِيْدُ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، فَيَسِّرْهُ لِى وَتَقَبَّلْهُ مِنِّى	अल्लाहुम्मा उरीदुस सअ्या बैनस्सफा वल मर्वता सब्अता अश्वतिल लि वज- हि -कल करीम। -यस्सिर्हु ली व तकब्बल-हु मिन्नी।	ए अल्लाह! मैं सफा और मरवाह के दरमियान सात चक्करों से सई करना चाहता हूँ। महज़ तेरी ज़ाते बुज़ुर्ग की रज़ा के लिए। पस मेरे लिए सई करना आसान फरमा और कुबूल फरमा।

नं.	दुआ पढ़ने का मौक़ा	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
१७.	सफ़ा और मरवाह पर यह (चौथा कल्मा) पढ़ें, (और तीसरा कल्मा भी पढ़ें जो ऊपर ११ वीं दुआ में बयान हुआ है।)	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.	ला इलाहा इलल्लाहु वह-दहू ला शरी- क-लहू। लहुल मुल्कु व-ल -हुल हम्दु, युहयी व युमीतु बि-यदिहिल खैर। व हुवा अला कुल्लि शइ-इन कदीर।	नहीं है काई मअ्बूद मगर अल्लाह। वह एक है। उस का कोई शरीक नहीं। उसी की बादशाहत है, और सब तारीफ उसी के लिए है, वही ज़िंदा रखता है और वही मौत देता है और वह हर चीज़ पर कादिर है।
१८.	सई के दौरान पढ़ने की दुआ	رَبِّ اغْفِرْ، وَارْحَمْ، اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ	रब्बिग फिर। वर-हम। अन्तल अ-अ़्ज़ुल अक्रम	ए मेरे रब तू मुझे बख्श दे और रहम फरमा, तू ज़बरदस्त बुज़ुर्गी वाला है।
१९.	हज की नीयत	اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ	अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा-फ-यस्सिर्हा ली व तकब्बल-हा मिन्नी।	ए अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, इसे तू मेरे लिए आसान कर और कुबूल फरमा।
२०.	शैतान को कंकरी मारते वक्त पढ़ने वाली तकबीर	بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمَانِ	बिस्मिल्लाही अल्लाहु अक्बर। रग़ुमा लिश्शैतानी व रज़ियल लिर्रहमान।	मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

पेज 67 का बक़िया....मदिना मुनव्वरा का सफर

की ज़गह निकल आएगी। दो ज़ानों पर ज़्यादा देर बैठना आसान नहीं है। इसलिए मैनें इन्कार किया और वह चले गए मगर इसके बाद बगैर किसी वजह के मुझे बहुत गुस्सा आया और दिल बार बार चाहता था कि मैं मस्जिद से निकल जाऊं और कहीं दूर जाकर सुकून से नमाज़ पढ़ूं।

एक अ़र्से बाद जब मैं उस वाकि़आ को सोचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है, कि नबी करीम (स.) के मेहमान को इन्कार करने पर मुझपर लानत हो रही थी और में खुद मस्जिद से निकाला जा रहा था। अल्लाह तआला मेरी उस गलती को माफ करें।

मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी (स.) दोनों जगह मुझसे कुछ गल़तियाँ हुईं और मुझे फौरन सज़ा का एहसास हुआ। इससे मैं इस नतीजें पर पहुँचा कि इन दोनों मस्जिदों में हमें अपनी आसानी और आराम से ज़्यादा दुसरें नमाज़ियों की आसानी और आराम का ख्याल रखना ज़रूरी हैं। क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल (स.) के मेहमान हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हम इस गुमान में रहेंगें कि उस मुकद्दस मुकाम पर हम खूब सवाब कमा रहें हैं, जबकि हकीकत में हम पर लानत बरस रहीं होगी।

नबी करीम (स.) के रोज़े मुबारक पर जब हाज़िरी दे, तो इंन्तिहाई अदब से हाज़िरी दें। किसी तरह की बातचित से परहेज़ करें और दुसरों का ख्याल अपने आप से ज्यादा रखें। क्योंकि वह सारें हाजी नबी करीम (स.) के मेहमान हैं। ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

पेज 76 से आगे....हज का सफर किस के ज़रिए करें?

एक असोसीएशन हैं। लेकिन हो सकता है हाजियों की मुसलसल शिकायतें पहुँचनें पर हाजियों के मफाद के बारें में भी संजीदा हो जाएं।

Ministry of External Affaires (MEA) Govt. of India
Administrative officer/Under Secretary (Haj cell)
Akbar Bhavan, New Delhi.
E-mail: aohaj@mea.gov.in
Website: http//meaindia.nic.in

यह हिन्दुस्तानी हुकूमत का एक दफ्तर हैं। जहाँ सारें टूर ऑपरेटरज़ को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है।

Moassasa Mutawaffy hujjaj (South Asia countries)
Second Ring Road, Al-Rusifa Makka Al Mukarammah
(Kingdom of Saudi Arabia) Tel:5342144
Fax No. 009662-2-5342182

यह सऊदी हुकूमत का दफ्तर है जो जुनुबी एशिया से हज और हाजियों से जुड़े मामलात पर नज़र रखता है। इनकि नज़र टूर ऑपरेटरों पर भी होती है।

आपकी शिकायत का आख़री पत्ता पुलिस चौकी है। मगर वहाँ कदम रखने से पहले ज़रा अपनी आप का जायज़ा ले लें। क्योंकि यहाँ के कानुन कुछ कुछ जंगल से मिलते जुलते हैं। वहाँ जीत उसी की होगी जिसमें देर तक और दूर तक आने कि ताकत होगी। ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

नबी करीम (स.) ने फ़रमायाः ''अल्लाह तअ़ाला फ़रमाता है,कि ऐ औलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग़ कर ले, मैं तेरे सीने को ग़िना से भर दूंगा और मुश्कि़लात को आसान करूंगा,ओर अगर तूने मेरी इबादत से मुँह मोड़ा तो न मैं तेरे हाथों को मसरूफ़ियत ये ख़ली करूंगा और न तेरे फ़िक्रों फ़ांक़ा को दूर करूंगा''।

(इब्ने माजाः हदीश नम्बर- ४१०७)

अ़रफ़ात में मांगने वाली दुअ़ाऐं

१) नबी करीम () ने फर्माया,''हज, अ़रफात में ठहरने का नाम है।''(तिर्मिज़ी हदीष ८८६)

यानि हज जैसी अ़ज़ीम इबादत का मग्ज़ अ़रफ़ा के दिन की इबादत है। इस लिए अपने हज को हजे मबरूर बनाने के लिए उस दिन ख़ूब ख़ुशु व ख़ुज़ु के साथ इबादत करें। नबी करीम () ने कई तस्बीहात और कल्मों की ख़ास फ़ज़ीलत बताई है। इस मुबारक दिन इन मस्नून तस्बीहात और कल्मात का ख़ुसूसी विर्द करें। कुछ मस्नून तस्बीहात और कल्मात मुन्दर्जा ज़ेल हैः

२) एहराम की हालत में लब्बैक (तल्बिया) पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। इस लिए अ़रफ़ा के दिन इस के विर्द का ख़ास एहतिमाम करें।

३) नबी करीम (स.) ने फर्माया, ''क़सम है उस पाक ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जब किसी ऊंची जगह पर कोई शख़्स लब्बैक या तकबीर कहता है तो उस के सामने का सारा हिस्सा ज़मीनके के ख़त्म होने तक लब्बैक या तकबीर कहने लगता है।'' इसलिए अ़रफा के दिन तकबीर भी खूब पढ़ें।

४) नबी करीम (स.) से रिवायत है कि आप (स.) ने फर्मायाः
दुआओं में सब से बेहतर यौमे अ़रफ़ा की दुआ है और मैं ने और मुझ से पहले अंबिया ने इस रोज़ जो अफ़ज़ल तरीन कल्मात कहे वह ये हैंः
''लाऽ इलाहा इल्लल्लाहु वह-दहु लाऽ शरी क लह, लहुल्मुल क- व लहुल्हम् द- व हुवा अ़लाऽ कुल्ली शय्इन क़दीर''

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْکَ لَه. لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِيْر

''ला इलाहा इल्लल्लाहु वह-दहू ला शरी-क-लहू। लहुल मुल्का व लहुल हम्दा व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर।''

तर्जुमाः कोई मअ़बूद नहीं सिवाय अल्लाह तआ़ला के, वह तन्हा है, उसका ाकेई शरीक नहीं , उसी के लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द है, वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है।

५) एक सही हदीष में है कि नबी करीम (स.) ने फ़र्मायाः अल्लाह के हां महबूब-तरीन कल्मात चार हैंः

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکْبَر

''सुब्हानल्लाह वल्हम्दु लिल्लाह व लाऽ इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर''

तर्जुमाः पाक है अल्लाह तआ़ला, सारी तअ़रीफों की मुस्तहक ज़ात अल्लाह तआ़ला ही की है, और अल्लाह जआ़ला के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और अल्लाह बड़ा है।

६) नबी करीम (स.) ने फ़र्मायाः दो कल्मात ऐसे है जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ाने अअ़्माल में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत महबूब हैं। (बुख़ारी)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

''सुब्हानल्लाह व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अ़ज़ीम''

तर्जुमाः पाक है अल्लाह तआ़ला की ज़ात, तअ़रीफ उसी के लिए है, पाक अल्लाह तआ़ला निहायत अ़ज़मत वाला।

७) हुज़ूर (स.) ने अ़रफात के मैदान मेंअपनी उम्मत को नहीं भुलाया है और रो रो कर मग़रिब तक अपनी उम्मत के लिए दुआ़ऐं मांगी हैं। अपने महबूब और करीम आक़ा (स.) पर हम अगर अ़रफात में दुरूद नहीं भेजते तो यह बड़ी अहसान फरामोशी होगी।

इसलिए अ़रफा के दिन ख़ूब दुरूद शरीफ पढ़ें।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّکَ حَمِيْدٌ مَّجِيْد.

''अल्लाहुम्मा सल्लि अ़ला मुहम्मदिंव व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अ़ला इब्राही म, व अ़ला आलि इब्राही म इन्न् क हमीदुम् मजीद,
''अल्लाहुम्मा बारिक अ़ला मुहम्मदिंव व-अ़ला आलि मुहम्म्दिन, कमा बारक् त, अ़ला इब्राही म, व-अ़ला आलि इब्राही म इन्न् क हमीदुम् मजीद''

तर्जुमाः ऐ अल्लाह! रहमत भेज मुहम्मद() पर और मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तू! ने रहमत भेजी इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक तू! तअ़रीफ के लायक़ बुज़ुर्गी वाला है।

ऐ अल्लाह! बरकत नाज़िल फरमा मुहम्मद() पर और मुहम्मद की आल पर,जिस तरह तू! ने बरकत भेजी इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक तू! तअ़रीफ के लायक़ बुज़ुर्गी वाला है।

८) नबी करीम (स.) ने फ़र्मायाः ''क़ुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। इस लिए दुरूद शरीफ और तस्बीह पढ़ने के बाद जो वक़्त मिले उस में क़ुरान शरीफ की तिलावत करें। खुसूसी तौरपर मुन्दर्जा ज़ेल सूरतें पढ़ें; सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क,सूरह तौबा, सूरह वाक़या, सूरह फतेह।

हज की तअ्लीम कहाँ से हासिल करें?

मुअल्लिमुल हुज्जाजः (मौलाना अलहाज कारी सईद अहमद साहब)

अगर आप गहराई से हज और उसके मसाइल का मुतालआ करना चाहते हैं तो किताब "मुअल्लिमुल हज्जाज" पढ़ें। यह एक जामे और बहतरीन किताब है, मगर चूंकि इस किताब में अक्सर मसाइल का गहराई और हर पहलू से ज़िक्र है इसलिए अवाम के बदले उलमा ए कराम इसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप किताबों के शौकिन हैं, तो इसे आप एक डिक्शनेरी की तरह अपने पास रखें और हज के दौरान अगर किसी मसअले का हल जानना हो तो उसे खोलकर पढ़ ले। उसकी कीमत सिर्फ ७०/- रूपये है और मिलने का पता हैः

हनफी कुतुब खाना, नंबर २३, लालबाग, फोर्ट रोड़, मस्जिद (मसावली) बैंगलोर-४.

मसाईले हज और उमराह (तालीफ : मुहम्मद मोईनुद्दीन अहमद)

अगर आप कम वक़्त में हज़ के खास मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। एक तरह से यह मुअल्लिमुल हज्जाज के खुलासे की तरह है। कीमत १५/- रूपये है। मिलने का पताः

क्लासीक आर्टस, ३४४ गली गढ़इया, मटीया महल, जामा मस्जिद, देहली नं-६. Off:- 011-23281481, 011-023528638

हज और उमराह फलाही के हमराह :
(मुफ्ती अहमद देवलवी साहब)

यह हज के मौजु पर एक बेहतरीन किताब है। लिखने का अंदाज बेहतरीन है। किताब के आखरी सफहे तक आप की दिलचस्पी बनी रहेगी। इस किताब में हज की मुकम्मल मालूमात आसान लफज़ो में ब्यान कि गई है। मगर मसला यह है कि यह किताब बाजार में दुकानों पर दसतियाब नहीं है। मुफ्ती अहमद देवलवी साहब उसे मुफ्त तकसीम करते हैं। मगर चूंकि किताब की छपाई किंमत ५०/- रूपये तक होगी इसलिए मुफ्ती साहब उसे महदुद तादाद में छापते हैं। उनकी ईजाज़त से हमने इस किताब को इंटरनेट पर डाल दिया है। अगर अल्लाह तआला ने आपको माली तौर पर खुशहाल किया है तो इस किताब को छापने और बांटने में मुफ्ती साहब की मदद करें और खुद भी फायदा उठाऐं और दुसरों की भी मदद करें या फिर उसे इंटरनेट पर पढ़ ले। आप उसे मंदरजाजेल वेब साईट से मुफ्त डाउन-लोड कर सकते है।

www.freeeducation.co.in, www.tanveerpublication.com.

किताब मिलने का पताः-

मुफ्ती अहमद देवलवी, जामिया उलूमुल कुरआन, जम्बूसर, तालुका भरूच, (गुजरात)-३९२१५०

Phone:- 02644-220786. Fax: 02644-222677.
www.jamiahambusar.com, Email: jamia@satyam.net.in

सूए-हरमः

हज के उनवान पर यह एक बैहतरीन किताब है। इसमें मालूमात बहोत है। बयान का अंदाज़ बेहतरीन है। तसवींरे बेहतरीन और बेशुमार हैं। और छपाई भी लाजवाब है। ५६८ सफहात पर मुशतमिल यह किताब आपके लिए बहोत कार-आमद साबित होगी। इस किताब के मौअल्लिफ है मुहम्मद मुईनुद्दीन अहमद साहब और अताउर रहमान साहब, अताउर रहमान साहब ने ही उसे अपने इदारे अर्रहमान प्रिंटर्स कोलकत्ता से शाए किया है। इस खुबसूरत किताब कि किमत २००/- रूपया है। किताब मिलने का पताः

अर्रहमान प्रिंटर्स, १८ जकरया इस्टेट, ग्राउंड फ्लोर,
कोलकाता- ७०००७३. Phone :- 2235-4079
Email :- alrahmanpnp@gmail.com

हज कमेटी की तरफ से भी हुज्जाजे कराम की तरबियत का इंतेज़ाम किया जाता है, वहाँ से मालूमात हासिल करें।

इंटरनेट पर और यु-टयुब पर (You tube) पर बहोत सारी वेबसाईट है जहाँ से हज के बारे में मालूमात हासिल हो सकती है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

हमारी किताबे जो इंटरनेट पर मौजुद हैं और जिन्हे आप मुफ्त डाउनलोड कर सकते है उनके Links अगले सफहा पर दर्ज हैं।

हज से मुतअल्लिक और दीगर कई दीनी किताबें इंटरनेट पर मुफ्त पढ़ने और डाउनलोड करने के लिए लिंक्स (Links) दर्ज-ज़ैल हैं।

१. सफरे हज की मुश्किलात और उनका मुम्किन हल (तालीफः क्यू.एस.खान): इस किताब का तर्जुमा पांच ज़बानों में हुआ है।

http://www.scribd.com/doc/8966044/Hajj-Guide-Book-English-PDF
http://www.scribd.com/doc/7949973/Hajj-Guide-Book-Urdu
http://www.scribd.com/doc/15223840/Hajj-Guide-Book-Hindi
http://www.scribd.com/doc/8965793/Hajj-Guide-Book-Gujarati
http://www.scribd.com/doc/8997495/Hajj-Guide-Book-Bengali

२. हज और उमराह, फलाही के हमराह (उर्दू और हिंदी ज़बानों में)

http://www.scribd.com/doc/47877259/Haj-Wa-Umrah-Falahi-Ke-Hamrah-Urdu
http://www.scribd.com/doc/51027154/Haj-Aur-Umrah-Falahi-Ke-Hamrah-Hindi

३. मसाइले हज व उमराह, तालीफः मुहम्मद मुईनुद्दीन अहमद (उर्दू और हिंदी ज़बानों में)

http://www.scribd.com/doc/51027667/Masaile-Haj-Wa-Umrah-Urdu
http://www.scribd.com/doc/51035090/Masaile-Haj-Wa-Umrah-Hindi

१. दीगर किताबें (तालीफः क्यू.एस.खान):

http://www.scribd.com/doc/37987436/Law-of-Success-for-both-the-Worlds-English
http://www.scribd.com/doc/18753559/Teachings-of-Vedas-and-Quran
http://www.scribd.com/doc/48562793/Pavitra-Ved-Aur-Islam-Dharam
http://www.scribd.com/doc/37932859/How-to-prosper-Islamic-Way-Vol-1
http://www.scribd.com/doc/46098862/How-to-Prosper-Islamic-Way-Vol-2

मुसन्निफ क्यू. एस. खान की चन्द अहम किताबों का ताअरूफ

पवित्र वेद और इस्लाम धर्म (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती)

यहूदी अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, और वह नहीं चाहते हैं कि कोई ग़ैर यहूदी, यहूदी मज़हब को इखतियार करे। ईसाइ अपने मज़हब को सबसे ज़्यादा सही मानते हैं, और दिलो-जान से अपने मज़हब की इशाअत की कोशिश करते रहते हैं। और इन की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज दुन्या में ईसाइ सब से ज़्यादा हैं।

हिंदु भाई फितरतन ज़हीन है। मगर इन की रूहें प्यासी हैं। वह हक की तलाश में हैं। मगर हक तक पहोंचना उनके लिए मुश्किल हैं। इस सूरते हाल को सामने रखते हुए यह किताब लिखी गई है। इस्लाम से दूरी या अज्नबियत कम करने के लिए इस किताब में पहले कुरआन और वेदों का तआरूफ कराया गया है, फिर ऐसे इस्लामी मौजुआत और हक़ाइक बयान किए गए है जो हिंदु मज़हब की किताबों में भी हैं। जैसे खाना-ए-काबा का ज़िक्र, हज़रत इब्राहीम (अ.स.) की कुरबानी का जिक्र, हज़रत नुह (अ.स.) के तूफान का जिक्र, नबी करीम (स.) की आमद के मुताल्लिक पेशनगोइयाँ वगैरह। फिर बहोत आसान अल्फाज़ मे इस्लाम की तालिमात को पेश किया गया है।

इस किताब को पढ़कर कई लोग इस्लाम कुबूल कर चुके हैं। इस किताब की कीमत सिर्फ २५/- रूपये है। इस किताब के मुसन्निफ क्यु. एस. खान ने इस किताब और अपनी दीगर किसी भी किताब का कोई कॉपी-राईट नहीं रखा है। इस लिए खरीद कर या छपवा कर इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा गैर-मुस्लिम भाईयों को तक्सीम करने की कोशिश करें, ताकी दअ्वत का फरीज़ा का कुछ तो हक अदा हो सके।

ड़िज़ाईन ऍन्ड मेन्युफॅक्चरिंग ऑफ हाईड्रोलिक प्रेसेस

(Design & Manufacturing of Hydraulic Presses)

इन दिनों ज़्यादा तर मशीनें हाइड्रोलिक सिस्टम पर चलती हैं। हिंदुस्तान में अभी इंडस्ट्रीयल हाइड्रोलिक टेक्नोलोजी गैर-मुतआरिफ या गैर-मअ्रूफ है। उसकी वजह यह है कि मुल्क के इंजिनियरिंग कॉलेजों में इंडस्ट्रीयल हाइड्रोलिक्स पर कोई खास कोर्सेस मौजुद नहीं हैं। इस किताब के मुसन्निफ क्यू.एस. खान १९८७ से हाइड्रोलिक मशीनों के डिज़ाइन और मॅन्युफॅक्चरिंग के मैदान में हैं। इस मैदान में उन्हें २४ साल का तजुर्बा हासिल है। हाइड्रोलिक्स के मौज़ूअ् पर अपने तर्जुबात की रौशनी में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। यह किताबें इजिनियर्स और इजिनियरिंग के तलबा दोनों के लिए मफीद हैं।

लॉ ऑफ सक्सेस फॉर बोथ दी वर्ल्डस

(Law of Success for Both the World)

(यह किताब मराठी ज़बान में छप चुकी हैं और उर्दु, हिंदी में तर्जुमें का काम जारी है।)

जैसे इन्सान जिस्म और रूह से बना है, अगर रूह निकल जाए तो जिस्म किसी काम का नहीं रहता इसी तरह खुशहाली अल्लाह की रहमत के साथ दौलत का नाम है, अगर अल्लाह की रहमत हटा ली जाए तो वही दौलत इम्तिहान और मुसिबत का सबब बनती है। इस किताब में कामयाबी अल्लाह की रहमत के साथ हासिल करने का तरीका बताया गया है। और साथ में गैर मुस्लिमोंको इस्लाम कि दअ्वत भी दी गई है।

नबी करीम (स.अ.) ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फर्माया था, जो हाज़िर है वह मेरी बात जो नहीं हाज़िर है उन तक पहुँचा दें, चाहे वह एक आयत ही क्यों न हो। जिस मुसलमान तक नबी करीम (स.अ.) की तालीम पहुँची हैं उसपर यह फर्ज़ बनता है कि आप (स.अ.) कि तालीम को उनतक पहुँचाऐं जिन तक यह इस्लाम कि तालीम नही पहुँची है। कयामत के दिन गैर मुस्लिम खुदा के दरबार में हमारा दामन पकड़ेंगे कि "ऐ अल्लाह, यह सब जानते थे उन्होंने वह दअ्वत हमें नहीं दी इसलिए हमारे साथ जहन्नम में इनको भी दाखिल करा।" तो आप उसका क्या जवाब देंगे, और यह दावा वह लोग करेंगे जिनसे आपका रोज साबेका पड़ता है। गैर मुस्लिम से आपने दोस्ती की, कारोबार किया, रोज़ाना घंटो बातें करते हैं लेकिन इस्लाम कि दअ्वत आप कभी न दे सके। तो कयामत में आप अपनी सफाई कैसे पेश करेंगे।

ज़ाती तौर से इस्लाम कि दअ्वत गैर मुस्लिम दोस्तों को न देने कि कई वजूहात हैं, जैसे किः

१. हम खुद सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। जब हम खुद इस्लाम पर पुरी तरह अमल नहीं करते तो दुसरों को किस मुंह से दअ्वत दें।

२. हमें इस्लाम का पुरा इल्म नहीं हैं और न हम यह जानते हैं कि इस्लाम की दअ्वत कैसे दी जाती है।

३. मुसलमानों का इमेज बहोत खराब है, गैर मुस्लिम इस्लाम को मुसलमानों की ज़िन्दगी से जोडता है यानी जब मुसलमान इतने गए गुजरे हैं तो उनका मज़हब भी ऐसा ही होगा। हम मुसलमानों को इस बात का इल्म है और अहसासे कमतरी भी है, इसलिए हम ना तो खुद को सच्चा पक्का मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं और न खुलकर इस्लाम कि दावत देते है।

इसी मसले को हल करने के लिए यह किताब लिखी गई है। मुस्सनिफ ने युरोप और अमरीका की सबसे बेहतरिन और मशहुर (Best Seller) बिज़नेस मॅनेजमेंट की किताबों का मुतालआ किया और उनका निचोड इस किताब में ३०० सफहात में जमा कर दिया और आखिर के १०० सफहात में यह बात समझाने कि कोशिश की गई है कि ईमानदारी के बगैर कामयाबी मुम्किन नहीं है और ईमानदारी के सबक़ कि आड़ में दुनिया के पांच मशहुर मज़ाहिब की किताबों से इस बात को साबित करने की कोशिश की है के "खुदा एक है और नबी करीम (स.अ.) आखरी पैगम्बर हैं।"

जैसे शहद के साथ कड़वी दवा दी जाती है वैसे ही इस किताब में बिज़नेस मॅनेजमेंट की तालीम के साथ इस्लाम कि बुनियादी तालिम दी गई है।

यह किताब खास तौर से गैर मुस्लिमों को नज़र में रखकर लिखी गई है इसलिए बायबल और वेद के श्लोक का अक्सर जिक्र है और इस बात की कोशिश की गई है के इस्लाम की दावत का पैगाम इस अंदाज में पहुंचे के गैर मुस्लिम को पता भी नहीं चले की उसको इस्लाम कि तरफ बुलाया जा रहा है।

अगर आप कयामत में गैर मुस्लिम दोस्तों से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं तो इस किताब को बिज़नेस मॅनेजमेंट की बेहतरीन किताब कहकर तोहफा दे दीजिए और इत्मिनान का सांस लिजीए। (इस किताब कि कीमत १००/-

रूपया है।)

क्या हर माह चांद देखना जरूरी है? (उर्दु, अंग्रेजी, अरबी)

जिस तरह सूरज के तुलू और गुरूब का एक मुकरर टाईम टेबल है उसी तरह चांद के तुलू और गुरूब का भी एक मुकरराह टाईम टेबल है। नए चांद के दिन चांद सारा दिन आसमान में सुरज के कुछ पिछे चलता रहता है और सूरज के गुरूब होने के कुछ वक्फे बाद वह भी गुरूब हो जाता है। मगर चूंकि उफक पर सूरज गुरूब होने के बाद कुछ रौशनी कम हो जाती है इसलिए चांद गुरूब होने के पहले नज़र आता है।

अगर हम अपने ज़ाती मुशाहिदे से इस बात का पता लगा लें कि चांद सूरज से कितने वक्फे बाद गुरूब होगा तो गुरूब होने से पहले नज़र आएगा, तो चांद देखने का एक बड़ा मसला हल हो सकता है। क्यूंकि चांद और सूरज अपने तुलू और ग़रूब के वक्त से ना एक सेकन्ड पहले गुरूब होते हैं ना एक सेकन्ड बाद में। यानी इन का टाइम टेबल एक दम परफेक्ट है। इस तरह हम सिर्फ टाइम टेबल से ही कह सकते हैं कि किस तारीख को चांद ज़रूर नज़र आएगा?

इसी नज़रया और फल्सफा को क्यू.एस.खान ने अपनी इस किताब में वाज़ेह किया है। (किताब की कीमत २५/-रु. है।)

दौलत मन्द कैसे बनें?

इन्सान ३ साल की उम्र से ७० साल की उम्र तक पढाइ, मुलाज़मत और कारोबार की शक्ल में एक बड़ी कामयाबी के लिए जिद्दोजिहद करता रहता है। मगर दुन्या में सिर्फ ३ से ५ फीसद लोग ही कामयाब माने जाते हैं और बकिया नाकाम। इतनी ज़्यादा तअ्दाद में लोग नाकाम क्यूं होते हैं?

क्यूंकि उन्हें कामयाबी कैसे हासिल की जाए इस का इल्म नहीं होता।

''दौलत मन्द कैसे बनें?'' इस किताब में इस मौज़ूअ् पर तफसील से गुफ्तगू की गई है, और सिर्फ कुरआन व हदीस की रौश्नी में मालूमात दी गई है।

उन तमाम लोगों को इस किताब को पढना बहोत ज़रूरी है जो माली तौर से परेशान हैं और जिन्दगी में तरक्की करना चाहते हैं। बिल्खुसूस मुस्लिम नौजवानों के लिए यह किताब बहोत मुफीद है। अल-क़लम पब्लिकेशन और फरीद बुक डिपो के किसी भी डीलर से आप यह किताब हासिल कर सकते हैं। (कीमतः ४०/- रु)

आम तौर से उर्दू मेडियम के स्कुलों का मेअ्यार बुलन्द नहीं होता है। इसलिए खुश्हाल लोग अपने बच्चों को इग्लिश मेडियम से ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों की तअ्दाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। यह बच्चे उर्दु अच्छी तरह समझ तो लेते है मगर पढ़ नहीं पाते। दीनी इल्म का सारा खज़ाना अरबी, फारसी और उर्दू में ही है, जिस से यह बच्चे कभी फायदा नहीं उठा सकेंगे। यह कौम का एक अल्मिया है।

क्यू.एस. खान ने ऐसे बच्चों के लिए रामन उर्दू में कुरआने करीम छपवाया है जिस में अल्फाज़ उर्दू के हैं लिखावट अंग्रेज़ी जैसे 'आप' को Aap लिखा गया है। इस कुरआन में तरजुमा मौलाना जूना गढ़ी साहब का है और तफसीर मौलाना फतेह मुहम्मद जालन्धरी साहब की है। आप एक ऐसा कुरआन खरीद कर करीब की मस्जिद में रख दें ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो कि इस तरह का कुरआन करीम मौजूद है जिस से इंग्लिश मेडियम के बच्चे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी के इल्म हासिल करने का ज़रिया बनेंगे तो जब तक वह लोग दीन पर अमल करेंगे तो आप को सवाब भी मिलता रहेगा। इस एक कुरआन की छपाई लागत ११०/- है।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

आख़िरी लफ़्ज़

- इस किताब का मकसद आप को हज के सफर में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह करना है जो अल्हम्दु लिल्लाह पूरा हुआ।
- आख़िर में अपना एक और मुशाहिदा आप को बताना चाहता हूँ। वह यह है कि अल्लाह तआ़ला के करम और फ़ज़्ल से ही हज की तौफीक़ होती है और अल्लाह तआ़ला ही अपने करम और फ़ज़्ल से सारे अरकान पूरे कराता है।
- हम अपनी तरफ से हज की पूरी तैयारी करें मगर हज के सारे अरकान पूरे होने और हज मक़बूल होने के लिए ख़ुदा की ज़ात पर ही भरोसा रक्खें और उसी से हर नमाज़ में हजे मबरूर के लिए दुआ़ करें।
- दुनिया के लाखों दौलतमंद बग़ैर हज के इंतक़ाल कर गये क्योंकि उनको हज की तौफीक़ ना मिली और हर साल लाखों बूढ़े और मअ़जूर लोग हज के सारे अरकान पूरे कर के फरीज़-ए- हज बख़ूबी अदा करते हैं यह अल्लाह तआ़ला का करम और उसकी दी हुई तौफीक़ है। इसलिए हज की पूरी तैयारी ज़रूर करें मगर भरोसा सिर्फ उसकी ज़ात पर रक्खें और उसी से मदद मांगे।
- हज अ़ज़ीम तरीन इबादत है। जिसे करने के बाद अल्लाह तआ़ला बंदे के ना सिर्फ सारे गुनाह मुआ़फ़ कर देता है बल्कि उस की दुआ़ भी क़ुबूल करता है। इस लिए अपनी दुआ़ओं में अपने साथ अपने अहल-व-अ़याल और उम्मते मुसल्मा को मत भूलिए। अगर इस गुनाहगार क़मरूद्दीन खान को भी याद रक्खेंगे तो आप की बड़ी महेरबानी होगी।
- मैंने अब तक हज और उम्रह के अरकान के बारे में जो किताबें पढ़ीं उन में ''हज और उम्रह फ़लाही के हमराह'' किताब सब से ज़्यादा मुफ़ीद और आसान मअ़लूम हुई। हज से पहले आप भी उस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें (इस किताब और दीगर किताबों की तफसीलात सफ़्हे नम्बर २, पर दी गई हैं, आप उसे वेब साइट से मुफ्त डाउन लोड कर सकते हैं। डाउन लोड लिंक्स किताब के आख़िरी में दी गयीं हैं)
- हरम शरीफ में हरम के एहतराम का पूरा ख़्याल रक्खें। सारी नमाज़ें हरम में जमाअ़त से पढ़ें। एक हदीष शरीफ के मुताबिक़ हज और उम्रह से रिज़्क़ में बरकत होती है। उसे मैंने भी महसूस किया है और हज के बाद दोस्तों को भी बहुत तरक़्क़ी करते देखा है उसी के साथ जो हरम का एहतराम नहीं करते(हरम में झगड़ा करते हैं) और हरम में जमाअ़त से नमाज़ नहीं पढ़ते या नमाज़ें क़ज़ा करते हैं, मैंने उन्हें हज के बाद बर्बाद और शदीद बीमार भी होते देखा है।(इस तरह बर्बाद होने वालों में मेरे दा दोस्त शामिल हैं)इस लिए हरम में सिर्फ नेकी करने की कोशिश करें और गूनाहों से पूरी तरह बचने की कोशिश करें।
- आप का हज का सफ़र ३५ से ४० दिन का होगा। हज के सफ़र से वापसी पर आप महसूस करेंगे कि आप की ग़ैर हाज़री से ना तो आप का कारोबार ही बर्बाद हो गया और ना ही आप का ख़नदान तितर बितर हो गया बल्कि अल्लाह तआ़ला ने उन्हें ऐसे ही बरक़रार रक्खा है जैसे आप उन्हें छोड़कर गये थे। हमारा यह सिर्फ गुमान है कि घर और कारोबार को हमारे सिवा कोई और नहीं चला सकता। हम तो सिर्फ ज़रिया या वजह हैं, उन्हें चलाने वाली ज़ात तो ख़ुदा की है और वह किसी ज़रिये और वजह के बग़ैर भी उन्हें चला सकता है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा अहम (Indispensible) ना समझें और कुछ कुछ वक़्फ़ा के लिए घर और कारेबार से अल्लाह तआ़ला के लिए वक़्त निकाला करें। एक हदीष क़ुदसी का मफ़हूम है किः
- नबी करीम (स.) ने फरमायाः अल्लाह तआ़ला फरमाता है, ''ऐ औलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने को फ़ारिग़कर ले, मैं तेरे सीने को ग़िना से भर दूंगा और मुश्किलात को आसान कर दूंगा और अगर तूने मेरी इबादत से मुंह मोड़ा तो ना मैं तेरे हाथों को मसरूफियत से ख़ाली करूंगा और ना तेरे फ़िक़रो फाक़ा को दूर करूंगा।''(इब्ने माजा,हदीष नम्बरः४१०७)
- हम और आप अगर एक इ़ज़्ज़तदार और ख़ुशहाल ज़िन्दगी चाहते हैं तो हमें अल्लाह तआ़ला की इबादत से कभी ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए।
- सारी तअ़रीफें सिर्फ अल्लाह तआ़ला के लिए है ओर नबी करीम (स.) और सहाबा किराम (रज़ी.) और नबी करीम (स.) के अहल व अ़याल और सारी उम्मत पर अल्लाह तआ़ला बहुत बहुत अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाये। व मा अ़लैना इल्लल्बलाग़ुल्मुबीन

यह किताब नीचे दिए पतों पर दस्तयाब है

Allhabad	M/s. Asad Book Depot, 11C, Yaqoot Ganj, Daria Shahi, Allhabad (U.P) Ph:- 09335153647.
Anantnag	M/s. N.B. Treaders, Iqbal Market, Anantnag (J&K) Ph:- 09419438533.
Aurangabad	M/s. Hanfi book depot-shop No. 33, City chawk Masjid, Aurangabad, Ph:- 9975136671, 0240-232466. (Shaikh Imamuddin)
Azamgarh	M/s. Student Book House, Takia, Azamgarh (U.P) Ph:- 09450820724.
Banglore	M/s. Mehboob Book Depot. Russel Market, Banglore (Karnataka) Ph:- 08022867138.
Bhopal	M/s. Bhopal Book House, Budhwara, Bhopal (M.P) Ph:- 09827313938.
Burhanpur	M/s. Pustak Bhawan, Opp. Dr. Pathan's Clinic, Khankaward, Burhanpur (M.P) Ph. 098272331144.
Calikat	M/s. Capital International Book Store, 1st Floor, Markaz Complex, Calikat (Kerla) Ph:- 09388042818.
Chennai	M/s. Nazeer Book Depot, 323, Triplicane High Road, Chennai (T.N.) Ph:- 04428593421.
Delhi	**M/s Al Qalam Publication Pvt. Ltd. 344, Gali Garhayya, Bazar Matia Mahal, Delhi-110 006 Ph:- 23261481.**
Hubli	M/s. Anand Book Stall, Bhandiwad Base, C.B.T. Hubli (Karnataka) Ph:- 09342672939.
Indor	M/s. Word's World book agency, Nayapura Indor (M.P) Ph:- 09425353657.
Jabalpur	M/s. Ansar Book House, Nageena Masjid, Jabalpur (M.P) Ph:- 09424706569. M/s. Subhania Book Depot, Naya Mohalla, Jabalpur (M.P) Ph:- 09425324837.
Jaipur	M/s. Madeena Islamic Book center, 273 Ramgani Bajar, Jaipur (Raj.) Ph:- 01412607923.
Jhunjhunu	M/s. Wasiuddin Bookseller, Chopdaran Masjid, Jhunjhunu (Raj) Ph: 09829333736
Kolkata	M/s. Naseem Book Depot, Kolkata Ph:- 03322354430.
Mumbai	**M/s. Tanveer Publication, Hydro Electric Machinery Premises A/13, Ram Rahim Udyog Nagar, Bus Stop Lane, L.B.S. Marg, Sonapur, Bhandup (W), Mumbai - 4000078 Fax: 22 2596 1682, Ph: +91 22 25965930 Mob: 9320064026, 989204026, E-mail : hydelect@vsnl.com** M/s. Firdos Kitab Ghar, 179, Wazir building, opp. Shalimar hotel, Bhindi Bazar, Mum-3,
Nagpur	M/s. Haneef Book Depot, Mominpura chowk, Nagpur (Maharashtra) Ph:- 07122722546.09829333736.
Patna	M/s. Maktaba Islami, Patthar wali Masjid, Patna (Bihar) Ph:- 09709371892. M/s. Maktaba Islami, 63, 2nd floor, Jamat Complex, Moti Nagar, Banglore, Ph:- 08026701306.
Ranchi	M/s. Hameed Book Depot, Opp. Urdu Library, Main Road, Ranchi Ph:- 09431107797.
Saharanpur	M/s. Saeed Book Depot, Lakhi Gate, Saharanpur (U.P) Ph:- 09837254587.
Shikarpur	M/s. Islami Book Depot, Jainagar, Shikarpur, Distt. Shimoga (Karnataka)
Shimoga	M/s. Deeni Book Depot, Gandhi Bazar, Shimoga (Karnataka) Ph:- 08182329972. M/s. Bombay Book House, Gandhi Bazar, 2nd Cross, Nagappa st. Shimoga (Karnataka)
Sikar	M/s. Bhati & Sons, Near Islamia Higher Secondary School, Sikar (Raj.) Ph:- 01572253378.
Srinagar	M/s. Kohinoor Book Center, Karan Nagar, Srinagar (J&K) Ph:- 09419065284. Ph:- 09945320072.
Tonk	M/s. Shama Book Depot, Panch Batti Masjid, Tonk (Raj.) Ph:- 09214973368.
Varansi	M/s. Falahi Book Depot, Peeli Kothi, Varansi (U.P) Ph:- 09889376678. Ph:- 9892184258. (Maulana Anees)